दशम माला, खण्ड 28, अंक 4

गुरुवार 24 फरवरी, 1994
5 फाल्गुन 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 25.7.95

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 4, गुरूवार, 24 फरवरी, 1994/5 फाल्गुन 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
इटली की सीनेट के अध्यक्ष का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	41-43	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	44-60	22-40
अतारांकित प्रश्न संख्या :	439-465, 467-535, 537-627 और 629-634	40-206
रेल बजट, 1994-95 - प्रस्तुत श्री सी.के.जाफर शरीफ		207-229
सभा पटल पर रखे गए पत्र		229-232
गैर- सरकारी सदस्यों के विधेयको और संकल्पों संबंधी समिति		232
(एक) कार्यवाही सारांश - सभा पटल पर रखा गया		232-233
(दो) सत्ताईसवां प्रतिवेदन - स्वीकृत हुआ		265

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

सभा का कार्य 233-238

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की न्यू केडा कोयला खान
में हाल ही में हुई खान दुर्घटना, जिसके परिणाम स्वरूप
कई कोयला खनिकों की जान गई:-

श्री इन्द्रजीत गुप्त 238

श्री अजित पांजा 238

श्री डी. वेंकटेश्वर राव 251

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 252

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 254

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 255

गैर - सरकारी सदस्यो के विधेयक - पुरः स्थापित

संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 29, आदि में संशोधन)

श्री अंकुशराव टोपे 266

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन)

श्री सेयद शहाबुद्दीन 266

बालक श्रम (उत्सादन) विधेयक

श्री चित्त बसु 266

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 285 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री चित्त बसु 267

संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची मे संशोधन)

श्री चित्त बसु 267

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 31 ग, आदि में संशोधन)

श्री चित्त बसु 268

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक

श्री राम नाईक 268

संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 324 में संशोधन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 269

गौ–वध पर पाबंदी विधेयक

श्री काशी राम राणा 269

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 11 और 23 में संशोधन)

श्री काशी राम राणा 269

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 270

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 270

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 30 मे संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 271

पटना विश्वविद्यालय विधेयक

श्री रामश्रय प्रसाद सिंह 271

अंडमान और निकोबार–द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक

श्री बसुदेव आचार्य 272

कृषि उपज कीमत नियतम प्राधिकरण विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री भगवान शंकर रावत 272

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 280

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 283

श्री उद्धव बर्मन 286

श्री चित्त बसु 287

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 289

प्रो. के.वी. थामस 294

श्री सैयद मसूदल हुसैन 295

श्री नरेश कुमार बालियान 298

लोक सभा

गुरुवार, 24 फरवरी 1994/5 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

इटली की सीनेट के अध्यक्ष का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक उद्‌घोषणा करनी है।

मुझे, इटली की सीनेट के अध्यक्ष महामहिम प्रो, जियोवानी स्पेडो लिनी, जोकि हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आये हैं, का अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वे गत–सायं दिल्ली पहुँचे हैं। इस समय वह एक विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और फलदायक प्रवास की कामना करते हैं। हम इनके माध्यम से इटली गणराज्य के राष्ट्रपति, वहां की सीनेट, सरकार और वहां के मित्र लोगों का अभिवादन करते हैं और उनके प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

11.02 म०पू०

जम्मू और कश्मीर की स्थिति

***41 श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

श्री पी.सी. थामस :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन किन क्षेत्रों का दौरा किया ;

(ग) क्या राज्य में हाल में स्थिति खराब हुई है और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ; और

(ङ) सरकार ने राज्य में चुनाव कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

1. केन्द्रीय गृह मंत्री ने 28-30 जनवरी, 1994 को जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ का दौरा किया। दौरे के दौरान, उन्होंने राज्यपाल महोदय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार--विमर्श किया जिसमें अन्य बातों के साथ--साथ राज्य प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाने, राज्य की वित्तीय समस्याओं, विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों और कड़े प्रत्यक्ष एवं वित्तीय प्रबोधन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने, राज्य/जिला प्रशासन के अधिकारियों, सेना और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ वहां व्याप्त सुरक्षा की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जम्मू में, गृह मंत्री ने विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, और प्रवासियों के दो शिविरों का दौरा किया। डोडा और किश्तवाड में भीं बड़ी सख्यां में प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले।

2. जहां एक ओर बडे पैमाने पर हिंसा जारी रही है, वहीं समग्र स्थिति को देखते हुए कुछ सुधार हुआ है। हाल ही के महीनों के दौरान, लोगों और वस्तुओं की घुसपैठ/चोरी छिपे बाहर जाने की घटनाओं को रोकने और पृष्ठप्रदेश में उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के उपायों को और बढ़ा दिया गया है तथा राज्य में सुरक्षा बलों के अभियानों के बीच और अधिक समन्वय लाने के लिए भी कार्रवाई की गई है। उग्रवादियों पर लगातर दबाव बनाए रखा जा हरा है।

3. सरकार का उद्देश्य बंदूक के भय को कम करना, राष्ट्र की मुख्यधारा में आने के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्थानीय प्रशासन और राजनैतिक तत्वों को सक्रिय बनाना और शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करना है।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है, उससे मालूम होता है कि सरकार जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक सुधार तथा शांति स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। किसी भी सरकार के लिये यह आवश्यक है। किन्तु खेद है कि पाकिस्तान इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में भारत सरकार की क्या योजना है ताकि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिमा सही रहे? इसमें भारत सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एस.बी.चव्हाण : सभी मिशनों को इस मामले में उचित ढ़ंग से बता दिया गया है और

सभी मिशनों को दिल्ली में बुलाया गया था और उन्हें सही तरीके से बता दिया गया था कि हमारी सही स्थिति क्या है ताकि वे अपने संबंधित देशों में अपने साथियों को इसके बारे में बता सकें। इसी तरह मंत्रियों के एक समूह द्वारा एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है जोकि इसके बारे में विवरण तैयार कर रहे हैं कि इस तरह की गलत सूचना देने के अभियान को, जोकि पाकिस्तान सरकार भारत के विरुद्ध चला रही है, किस तरह से रोका जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 7 मंत्रियों की एक सब–कमेटी नियुक्त की है, जो कश्मीर समस्या के ऊपर सुझाव देने वाली है, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस समिति ने कश्मीर के वातावरण में सुधार के लिए क्या योजना बनाई है और योजना बनाते वक्त कश्मीर के जो तीन अलग–अलग भाग हैं, कश्मीर वैली, लद्दाख और जम्मू इनके संतुलित विकास की क्या योजना उनके सामने है?

दूसरा सवाल यह है कि आज कम से कम दो लाख कश्मीरी पंडित जम्मू में बसे हुए हैं और उनकी वहां बहुत बुरी हालत दिखाई दे रही है। उनको फिर से उनके अपने गांव में वापस ले जाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री एस.बी.चव्हाण : महोदय, प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में हम अभी तक पूरी जानकारी को अंतिम रूप नहीं दे पाये हैं। मंत्रियों का समूह मुझे एक बार मिला था। उससे एक अन्य बैठक निश्चित की गयी थी लेकिन हमने कश्मीर सरकार से जिस सूचना की उम्मीद की थी वह स्थिति संबंधी सूचना भारत सरकार को अभी तक नहीं मिल पायी है और इसी वजह से हमें उस बैठक को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद जब बैठकें बुलायी गयी थीं, कुछ संबंधित मंत्री उस समय दिल्ली में ही नहीं थे और इसलिये हमें उस बैठक को भी स्थगित करना पड़ा था। आज शाम हम मंत्रियों की बैठक करने जा रहे हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन है और सरकार इस बारे में भरसक प्रयास कर रही है कि सभी क्षेत्रों का उचित ढ़ंग से विकास हो सके।

तीसरी बात विस्थापित लोगों के बारे में है। यदि इस सभा के सभी ओर के माननीय सदस्यों ने कश्मीरी पंडितों को वापिस भेजने में अपना पूरा सहयोग दिया होता तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। केवल पंडित ही नहीं, बल्कि मुसलमान लोग भी घाटी से बाहर निकल आये हैं। यदि उन्हें वापिस भेजा जाता है तो इसके लिए आवश्यक सभी प्रकार की सहायता उन्हें देने को तैयार हैं।

श्री पी.सी.थामस : आपने अपने लिखित उत्तर में कहा है जब कि हिंसा उच्च स्तरों पर होती

रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाये तो स्थिति में सुधार हुआ है। पंजाब में हिंसा की स्थिति थी और आज बहुत से लोगों ने देखा है कि स्थिति में सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार ने वहां पर चुनाव करवा कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हमने देखा है कि पंजाब में जो राजनैतिक प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। मैं अभी–अभी यह सोच रहा था कि क्या कश्मीर में चुनाव कराने पर विचार करने के लिये स्थिति इस समय अनुकूल है और यदि नहीं तो सरकार यह सुनिश्चत करने के लिये कौन–कौन से कदम उठा रही है कि कश्मीर राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया की शुरूआत की जाये और उसकी परिणति वहाँ पर चुनाव आयोजित किये जाने में हो।

श्री एस.बी.चव्हाण : सरकार का आखिरकार मुद्दा यह सुनिश्चित करने का है कि उस क्षेत्र में लगभग सामान्य स्थिति पैदा हो जाये ताकि हम वहां पर चुनाव आयोजित करने में सफल हो सकें। लेकिन जब कभी हम उस क्षेत्र में चुनाव आयोजित करने की बात करते हैं, स्थिति प्रतिकूल हो जाती है और पाकिस्तान तथा उसके एजेन्ट ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, जिसके अन्तर्गत अव्यवस्था पैदा हो जाती है ताकि हम चुनाव आयोजित करने के मामले में सफल न हो सकें

मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें राजनैतिक प्रक्रिया की शुरूआत करनी चाहिये। वास्तव में हमने इसकी शुरूआत की है, लेकिन यह उस हद तक नहीं हो सकी कि हर किसी को इस का पता चला हो। मैंने सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है। लेकिन जब तक सभी राजनैतिक दल यह महसूस न करें कि उस क्षेत्र मे उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है राजनैतिक प्रक्रिया को सक्रिय नहीं बनाया जा सकता। हम प्रशासन को सुचारू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे जनता की आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। हम आवश्यक उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में बन्दूक के भय में यथासंभव कमी आ सके।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने यह दावा किया है कि स्थिति में सुधार हुआ है। हमें खेद है कि हम उनके इस आशावाद में भागीदार नहीं हो सकते। आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर की घाटी से अन्य क्षेत्रों में फैल रही हैं। गृह मंत्री स्वयं डोडा गए थे, किश्तवाड़ गए थे। कल जम्मू में बम विस्फोट हुए हैं, लोग मारे गए हैं तो क्या यह स्थिति में सुधार का चिन्ह है या यह बिगड़ने की निशानी है ? गृह मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि जो वहां से निकल कर आए हैं और जिनमें बड़ी संख्या में हिन्दू हैं, कुछ मुसलमान भी हैं उन्हें वापस भेजने में सरकार की मदद की जाये। सरकार का दायित्व है कि वहां ऐसी परिस्थिति पैदा करे जिसमें कि वे जा सकें, सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सके।

क्या गृह मंत्री यह कहने की स्थिति में हैं कि आज कश्मीर की घाटी में ऐसी स्थिति है, कोई अपनी इच्छा से घर छोड़ कर नहीं आता, लोग घर छोड़ने के लिये मजबूर हुए हैं। वे बुरी स्थिति में कैम्पों में पड़े हुए हैं और सरकार को उनके लिये जो करना चाहिये था वह नहीं कर रही। अब सरकार स्वयं अपने दायित्व का निर्वाह करने की बजाए यह दायित्व हम पर डाल रही है, हम उन्हें कहें कि वे चले जाएं। हम तो उन्हे मरने के लिये नहीं भेज सकते। हम उन्हें किस मुंह से कहें कि आप अपने घरों को वापस जाइये जब तक सरकार आतंकवाद को नियंत्रित नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मसला इस सरकार के सामने बरसों से पड़ा हुआ है, वह कैंटोनमेंट आरम्भ करने का है और भद्रवाड़ में कैंटोनमेंट आरम्भ करने का भी फैसला सरकार नहीं कर रही है। यह कैसे पता लगेगा कि सरकार जम्मू--कश्मीर की स्थिति के बारे में गंभीर है। महोदय, प्रस्ताव पास करके सदन ने अपने ऊपर बड़ा भारी दायित्व लिया है और अगर सरकार इस दायित्व के अनुरूप काम नहीं करेगी तो फिर सदन की अवमानना हो रही है यह कहने के लिये हमें विवश होना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री एस.वी.चव्हाण : कथन के पहले भाग के बारे में, मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि हमें उस तरह की हिंसा के साथ रहना होगा जो कि हमें जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रही है। मैं जो बात कहता आ रहा हूँ, वह यह है कि हमें पूर्णतया सामान्य स्थिति नहीं बल्कि लगभग सामान्य स्थिति पैदा करनी है क्योंकि जब तक सीमा पार से वहां पर हस्तक्षेप चलता रहेगा,तो वहां पर हिंसा भी होती रहेगी जब कैम्प वहां पर लगाये जा रहे हैं, हथियार दिये जा रहे हैं और हर चीज वहां पर की जा रही है, तो मैं संभव तौर पर ऐसा नहीं कह सकता कि उस क्षेत्र में पूर्णतया सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति वहाँ बन जाने पर ही हम चुनाव आयोजित करवाने के बारे में सोच सकते हैं अथवा उन सभी लोगो को वहाँ वापिस भेजने के बारे में कह सकते हैं जोकि वहां से आये हैं। **(व्यवधान)**

मैंने स्थिति में जो बदलाव देखा हैं ....**(व्यवधान)**

क्या आप मेरी बात को सुनने की कृपा करेंगे ? यदि आप चाहें, तो आप मुझसे अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन इस तरह हस्तक्षेप करने वाली कोई बात नहीं है। वास्तव में जम्मू और कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है। मैं जम्मू गया था। मैं श्रीनगर गया था। मैं किस्वार और डोडा भी गया था। और पहली बार मुझे वहां के लोगों से, मुझे मिलने आये सैंकड़ों प्रतिनिधि मण्डलों से यह महसूस हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति मुख्यधारा के साथ चलने के लिये अति उत्सुक था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी।

वे लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके लिये किस तरह के रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये स्थिति में किस तरह से सुधार किया जा सकता है और खासकर उन्होंने मुझ से कहा कि वे भारतीय हैं और उन्हें भारतीयों की तरह ही मरना है। और वास्तव में कि कश्मीर के पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतंत्र कश्मीर में उनकी कोई रूचि नहीं है, उन्होंने मेरे सामने यह बात कही। सितम्बर माह से स्थिति धीरे धीरे उपयुक्त बनती जा रही है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैने जम्मू क्षेत्र में एक छावनी (केन्टोनमेंट) स्थापित करने के बारे मे कहा था। यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है।

श्री एस.बी.चव्हाण : यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। मैं रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखता रहा हूँ और थल सेना प्रमुख से अनुरोध करता रहा हूँ कि वहाँ पर यदि पूर्ण रूपेण छावनी (केन्टोनमेन्ट) स्थापित नहीं की जाती है तो कम से कम कोई सैन्य प्रतिष्ठान वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि जो लोग घाटी से जम्मू क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र से घाटी आना जाना चाहते हैं उनके

लिये पीर पंजाल शरण–स्थल बन जाता है। इसलिये सबसे अच्छा तरीका यही है कि थल सेना की ओर से वहां पर कोई सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया जाये। इस बात पर मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। इस पर मैं फिर उनसे बातचीत करूँगा।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, कश्मीर के मुद्दे पर सारे लोग और राजनीतिक दल एक मत से सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है और खासतौर से सरकार जिसे तरह से कार्यवाई कर रही है और दिल्ली से जो कंट्राडिक्ट्री सिगनल्स जाते हैं, उसके संबंध में मुझे पूछना है कि क्या सरकार कोई निश्चित नीति अपना रही है, उसके संबंध में मुझे पूछना है कि क्या सरकार कोई निश्चित नीति अपना रही है, जिससे कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शूरू होगी। क्या इस संबंध में गृह मंत्रालय में कोई मतभेद है, क्योंकि इस प्रकार के जो विभिन्न सिंगनल्स कश्मीर में जाते हैं, उनसे अफसरों और वहां पर काम करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ता है।

श्री एस.बी. चव्हाण : गृह मंत्रालय में कोई मतभेद नहीं है और कोई कंट्राडिक्ट्री सिगनल्स वहां पर नहीं भेजे जाते हैं। ....**(व्यवधान)** ....

आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय में कोई मतभेद नहीं है, मंत्रियों में मतभेद है।

श्री एस.बी.चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में कोई कंट्राडिक्ट्री सिगनल्स नहीं जा रहे हैं और वहां वे हालात को दुरूस्त रखने के लिए जो कदम उठाने जरूरी हैं, वे अवश्य उठाए जाएंगे और उसमें पोलीटिकल प्रोसेस बहुत ही इंम्पोर्टेंट कदम है, जो उठाया गया है और धीरे धीरे स्थिति में फर्क आपको नजर आएगा।

[अनुवाद]

श्री मुहम्मद युनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि माननीय गृहमंत्री ने जम्मू और कश्मीर का दौरा करने और वस्तुस्थिति को स्वयं अपनी आंखों से देखने का समय निकाला और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

हाल ही में हमने समाचार पत्रों में देखा है कि कतिपय देशों के राजदूतों ने भी जम्मू और कश्मीर का दौरा किया है और वे श्री नगर भी गये थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपनी प्रतिक्रिया और स्थिति संबंधी अपने आकलन के बारे में उन्होंनें गृह मंत्रालय को सूचना दी है। वे जम्मू और कश्मीर में स्थिति का अध्ययन करने के लिये गये थे। विभिन्न क्षेत्रों पर यह कहा गया है कि भारत सरकार इन लोगों को जम्मू और कश्मीर का दौरा करने की आज्ञा नहीं दे रही थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका आकलन क्या है क्योंकि

उनका आकलन जम्मू और कश्मीर की स्थिति का आकलन करने में काफी सहायक होगा।

श्री एस.बी.चव्हाण : कुछ राजदूतों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था और उन्होंनें वहां के लोगों के साथ व्यापाक चर्चा की थी, वास्तव में उनके जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान पर जाने और समाज के किसी भी वर्ग से बात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। वास्तव में यह हमारे कहने से नहीं हुआ था, बल्कि अपनी ही इच्छा से वे वहां गये थे और वे अपनी–अपनी सरकारों को इसकी जानकरी देना चाहते थे और चूंकि उन्होंने हमें कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं भेजी, अतः कम से कम मेरी अवधारणा यह है कि वे लोग उस क्षेत्र में बनी स्थिति से पूर्णतया सन्तुष्ट थे।

श्री सुधीर गिरि : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमें पता है जम्मू और कश्मीर के लोगों के मन में अपनी पहचान और आत्म–सम्मान को सुरक्षित रख पाने का भय बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान और उनके आत्म सम्मान को सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने अब तक कौन से कदम उठाये है अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्री एस.बी.चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सरकार ने उनकी कश्मीरी–पहचान को मिटाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसा कि वे कहते हैं। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई विशेष कदम उस बात के विपरीत है, जैसा कि यह सरकार कह रही है तो निश्चित रूप से हम उस पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उनकी पहचान और उनका आत्म सम्मान बनाये रखा जाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस सभा ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। संकल्प का पारित किया जाना अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जोकि इस सभा ने बुद्धिमत्ता से उठाया। मैंने यह देखा है कि इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति होने पर एक सही किस्म का संदेश प्रसारित हुआ है। इस बात को देखते हुए कि जैसा गृहमंत्री ने कहा है कि जिस समय उन्होंने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था, वहां के बहुत से स्थानीय लोगों ने रोजगार के बारे में कतिपय सुझाव दिये थे और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिये उठाये जाने वाले कतिपय आवश्यक कदमों के बारे में सुझाव दिया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए तथा उन लोगों के पुनर्वास के बारे में जोकि कश्मीर घाटी को छोड़कर देश के अन्य भागों में चले गये हैं, श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा उठाये गये मुद्दे को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इस संभावना के बारे में पुनः विचार करेंगे–मुझे आशा है और मैं सोचता हूं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा रहा है–और दिल्ली में संसद की परामर्शदात्री समिति बनायी जा रही है ताकि रोजगार, प्रशासन को सुदृढ़ करने, पुनर्वास और कश्मीर की व्यापक राजनैतिक आकांक्षा, के बारे में तमाम प्रश्नों पर इस समिति में विचार किया जा सके।

श्री एस.बी.चव्हाण : वास्तव में, मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह की परामर्शदात्री समिति बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के जटिल मुद्दे पर यदि मुझे विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया जाननी हो, तो इससे सरकार को सहायता मिलेगी। इसके लिये केवल इस बात पर विचार किया जाना शेष था कि क्या इस समिति के सदस्य केवल संसद सदस्य ही हों अथवा कुछ बाहरी लोग भी इसके सदस्य हों जोकि अपनी–अपनी प्रतिक्रिया अच्छी तरह से दे सकते हैं। केवल यही बात ही

विचाराधीन थी और कुछ ही सप्ताह में हम इस विचार को अंतिम रूप दे देंगें।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में आई.एस.आई. की गतिविधियां

***42. श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री इन्द्रजीत गुरू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में आई.एस.आई. की गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने हेतु इन राज्यों को 1993-94 के दौरान कोई सहायता प्रदान की गयी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने हाल ही में स्थिति से निपटने के लिये वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ज) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(क) से (ग) उत्तर पूर्व में कुछ एक विद्रोही ग्रुपों के होने की रिपोर्ट है जिन्हें पाक आई.एस. आई. एजेन्टों द्वारा बंगलादेश में सुरक्षित शरणगाह, प्रशिक्षण, शस्त्र इत्यादि के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। प्रमुख विद्रोही/उग्रवादी ग्रुपों को 'गैर कानूनी' घोषित किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' अधिसूचित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति का गहन प्रबोधन किया जा रहा है और उत्तर--पूर्वी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जाती हैं। मणिपुर के राज्यपाल और उत्तर--पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 22 जनवरी, 1994 को शिलांग में हुई बैठक में, गृह मंत्री ने स्वयं सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा की।

(घ) से (ज) उत्तर--पूर्वी राज्यों के राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किया

	राज्य का नाम	आवंटन	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
1.	अरुणाचल प्रदेश	46.27 लाख रु.	23.13 लाख रु.	3.14 लाख रु.

2.	असम	95.43	"	47.72	"	x	
3.	मणिपुर	34.63	"	17.32	"	17.31	"
4.	मेघालय	25.94	"	12.97	"	x	
5.	मिजोरम	43.88	"	21.94	"	21.94	"
6.	नागालैंड	38.43	"	15.42	"	19.21	"
7.	त्रिपुरा	46.53	"	23.26	"	x	

(*शेष राज्यों के लिए द्वितीय किस्त, वर्ष 1992-93 के दौरान दिए गए धन के बारे में 100 प्रतिशत उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, दी जाएगी)

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अर्न्तगत दी गयी राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित राज्यों को विद्रोह संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए 1993-94 के दौरान 27.10 करोड़ रु. की विशेष वित्तीय सहायता दी गयी है :–

असम	14.70 करोड़ रु.
नागालैंड	7.40 करोड़ रु.
मणिपुर	5.00 करोड़ रु.
	27.10 करोड़ रु.

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे खेद है कि इस प्रश्न के जवाब से हमें पता चलता है कि इस प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया गया है। हमें आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में देश में अनुभव की जानकारी है कि जिस प्रकार वे भारत की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देशी और विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों पर विचार किया जाये तो हम एक गम्भीर स्थिति पाते हैं और हमें आई.एस.आई. के षड़यंत्र का आभास होता है कि किस प्रकार वह इस देश को अस्थिर करने के लिए हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री मनोरंजन भक्त : यह कितना आश्चर्यजनक है कि बंगलादेश जैसा देश जिससे हमारी कोई ऐतिहासिक शत्रुता नहीं है, वह भी अपने देश में उन अराजकतावादियों को प्रशिक्षण, हथियार और धनराशि और आश्रय प्रदान करने में संलिप्त है। मैं नहीं जानता कि इसमें कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। इसके मद्देनजर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस मामले में अमरीका के हाउस आर्फ रिप्रेजेन्टेटिव्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई.एस.आई. के संलिप्त होने की जानकारी दी गई है। असम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस सम्बन्ध में वर्षों से गृह मंत्रालय को लिखते रहे हैं। इस संबंध में क्या कार्यवाही

की गई? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार के पास वह रिपोर्ट है ....

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इस तरह मत पूछिए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको-असंबद्ध नहीं, संगत प्रश्न पूछने चाहियें।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई.एस.आई. की गतिविधियों को इस प्रकार संरक्षण देने से सम्बन्धित मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच अथवा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के मंच पर उठाया है।

श्री पी.एम.सईद : यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंगलादेश में आई.एस.आई.के एजेंटों द्वारा कुछ अराजक समूहों को सुरक्षित स्थान, प्रशिक्षण और हथियार इत्यादि प्रदान करने की खबरें हैं। प्रमुख अराजक उग्रवादी समूहों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकाारियों के साथ समीक्षा बैंठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही की एक बैठक में गृह मंत्री महोदय ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा से संबंधित विषयों की समीक्षा की। वह 22 जनवरी, 1994 को, पूर्वोत्तर क्षेत्र की इस समस्या से प्रभावशाली ढ़ंग से निपटने के लिए वे शिलांग में मणिपुर के राज्यपाल और पूर्वोतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिले।

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : महोदय, क्या मैं इसमें कुछ कह सकता हुं ? वास्तव में बंगलादेश ही नहीं अपितु कुछ अन्य देश भी हैं। उन देशों के नाम जाहिर करना लोकहित में नहीं होगा। हम सभी देशों के साथ एक अच्छे पड़ोसी का सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। लेकिन राजनयिक स्तर पर हमने सभी देशों के साथ ये मामले उठाये हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई.एस.आई. द्वारा नियोजित विद्रोह से प्रभावपूर्ण ढ़ंग से निपटने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए एक (एकीकृत) कमान गठित करने का फैसला किया है। जहाँ तक उत्तर में राज्यों को अपने बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता देने की बात की गई है, उसमें यह कहा गया है कि दूसरी किश्त वर्ष 1992-93 के दौरान जारी धनराशि के शत प्रतिशत उपयोग संबंधी प्रमाण–पत्र मिलने पर ही जारी की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश की सुरक्षा इस देश में उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिए इंतजार करेगी। सभवतः जहाँ कहीं भी आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक हो, सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

श्री पी.एम. सईद : वह उस सहायता की बात कर रहे हैं जो उन राज्यों कोआधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत दी जाती है। यह चालू योजना है। यह पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों, से निपटने के लिए विशेष तौर पर दी जाती है। विशेष रूप से असम, नागालैंड तथा मणिपुर में 27.10 करोड़ रूपये की विशेष सहायता दी गई है। अतः राज्य बलों के आधुनिकीकरण के मामले में पहली किश्त सात राज्यों को पहले ही दी जा चुकी है। केवल चार राज्यों से जारी धनराशि के शत प्रतिशत उपयोग

सम्बन्धी प्रमाण--पत्र मांगे गये हैं क्योंकि वर्ष 1992-93 के प्रमाण--पत्र नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये मिल जायेंगे, निःसंदेह धनराशि भी जारी कर दी जायेगी।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार एकीकृत कमान गठित करने जा रही है या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न में मेरी रुचि इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि एक समाचार के अनुसार असम के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया को इस वर्ष जनवरी में कुछ पत्रकारों को संबोधित करते समय यह कहते हुए बताया गया है कि जैसे ही उन्हें असम में 1992 में पाकिस्तानी सैन्य गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में मालूम हुआ, उन्होंने गृहमंत्री महोदय को इस बारे में लिखा। तब से वह इस समस्या के लिए यह शिकायत करते हुए कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है केन्द्रीय अर्धसैन्य बलों को लगाने की मांग कर रहे हैं। निःसंदेह, कुछ धनराशि दी गई है। वित्तीय सहायता की तालिका प्रस्तुत की गई है। लेकिन वे विशेष रूप से अर्ध-सैन्य बलों की अतिरिक्त कंपनियों की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि 1992 में उन्हें असम में पाकिस्तानी सैन्य गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में पता चला और इस बारे में उन्होंने गृह मंत्रालय को सूचित किया था। श्री सैकिया ने जो भी जानकारी केन्द्र को दी, क्या उसके आधार पर उन्हें विश्वास है या नहीं कि असम में तथा अन्य पुर्वोत्तर राज्यों में यह गुप्तचर एजेंसी काम कर रही है अथवा उन्होंने मुख्य मंत्री के वक्तव्य को विचार करने योग्य न समझकर अस्वीकार कर दिया।

श्री एस.बी. चव्हाण : वास्तव में, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अन्य वक्तव्य का जिक्र नहीं किया जो असम के मुख्य मंत्री ने दिया है तथा जिस पर 22 तारीख को जब मैं पूर्वोत्तर राज्यों में था, उनसे बहस हुई थी शिलांग में सभी आर्थिक मंत्रालायों तथा पूर्वोत्तर परिषद के साथ भी बैठक की थी। मैंने उनसे उस वक्तव्य के बारे में पूछा "क्या उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया है? उन्होंने इससे इन्कार कर दिया।

वास्तव में, 1992 के बाद देश के विभिन्न भागों में हमारे अर्ध--सैनिक बल लगे हुए थे। ऐसा नही है कि हम जानबूझकर अर्ध--सैनिक बल न देने का प्रयास कर रहे थे। वह ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे सैन्य--बल वापिस आते हैं, उन्हें एक दिन का भी आराम दिए बगैर हम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेज देते हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है। असम को भी सैन्य--बल दिये गये हैं लेकिन उतने नहीं जितने की वह मांग कर रहा है। जैसे ही हमारे पास सैन्य बल वापिस आयेंगे, निश्चित रूप से हम उन्हें भेज देंगे।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हुं कि मुम्बई माफिया का सरगना, जिसका मुम्बई बम विस्फोट में हाथ होने का संदेह है, को हाल ही में भारत--बंगलादेश सीमा पर गिरफ्तार किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार यह पता लगाने के लिए जाँच पड़ताल कर रही है कि क्या इस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति बंगलादेश स्थित आई.एस.आई के ऐजेंटों की मदद से हमारे देश में पूर्वोत्तर सीमा से आर.डी एक्स. लाने की संभावना है की सूचक है? क्या इसका कोई

सुराग मिला है ? **[व्यवधान]**

श्री पी.एम.सईद : हमारे पास अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : यह सभी समाचार पत्रों में छापा था।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, क्या सरकार को मालूम है कि कुछ कारणें की वजह से, हमारे पुलिस बल की गतिविधियाँ अप्रभावी रहती हैं। ये कारण हैं : मणिपुर राज्य में संगठित विद्रोहियों और उग्रवादियों के पास आधुनिकतम हथियार उपलब्ध हैं।

दूसरे, सरकार हमारे पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से लैस नहीं कर सकीं। इस समय उनके पास बहुत पुराने हथियार हैं।

तीसरे, सरकार ने यह घोषणा की थी कि पीड़ितों को अथवा उन पुलिस अधिकारियों को जो उग्रवादियों से मुकाबला करते हुए मारे जाते हैं, अनुग्रह—राशि दी जायेगी, लेकिन उन्हें वह राशि नहीं दी गई।

चौथे, ...

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : हालांकि धनराशि उपलब्ध कराई गई है, तथापि उग्रवादियों से मुकाबला करने के लिए सरकार पुलिस बल को बढ़ाने में उतनी ईमानदार नहीं है। क्या ये तथ्य हैं?

श्री पी.एम.सईद : उनके प्रश्न का प्रथम भाग उग्रवादियों के पास उपलब्ध आधुनिकतम हथियारों से संबंधित है। यह सच है यही वजह है कि हम अपने बल का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़ों का उल्लेख किया है। इस प्रकार, इस चीज को अर्थात विद्रोहियों की ओर से होने वाली ऐसी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए बल का आधुनिकीकरण करने को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

दूसरे, अगर मुठभेड़ में मारे गए किसी पुलिस अधिकारी को अनुग्रह—राशि दिए जाने से संबंधित उनके पास कोई मामला है, तो मैं इस पर विचार करूँगा। सिद्धान्त रूप से, अनुग्रह—राशि दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : उनसे सूचना का इंतजार मत कीजिये। आप कृपया स्वयम् इसे लेकर भुगतान कर दीजिये। पुलिस बल आपके साथ है।

श्री पी.एम.सईद : स्थानीय पुलिस राज्य में है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इसे ले लीजिये।

श्री पी.एम.सईद : ठीक है, महोदय।

श्री एस.बी.चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में, यह एक तथ्य है कि स्थानीय पुलिस

के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं। कुछेक क्षेत्रों में हमने स्थानीय पुलिस को आधुनिक हथियार दिए थे, उन्हें प्रयुक्त करने के स्थान पर वे उन्हें विद्रोहियों के लिए गँवा बैठे। यही मणिपुर में भी हुआ है। स्थिति यह है, जो वास्तव में हमारी मुश्किल बढ़ाती है। अतः हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आधुनिक हथियार दिये तो जायें लेकिन उन्हें ये हथियार दिए जाने से पहले समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाये।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसका अंतिम भाग भारतीय रिजर्व पुलिस बल को बढ़ाने के बारे में है। वास्तव में, आदेश दे दिए गए हैं और अब शत–प्रतिशत धनराशि उन्हें तत्काल देदी जाती है। लेकिन बल को बढ़ाना, उन्हें समुचित प्रशिक्षण देना और सुरक्षा प्रबंधों में बल का उपयोग करना अब उनका काम है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

***43 श्री काशी राम राणा :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य–वार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन पर वार्षिक व्यय कितना हो रहा है ;

(ग) क्या पेंशन प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता सेनानियों से अभी भी आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के पास राज्य-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ड.) क्या सरकार को फर्जी दावों की शिकायतें मिली हैं ; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) से (च) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

1. योजना के प्रारम्भ से अब तक 1,61,630 स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके आश्रितों सहित, पेंशन स्वीकृत की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गयी है। उनकी राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्न क–1 पर है। निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गयी है :

श्रेणी		स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या
1.	भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदी	285
2.	वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मुख्य भूमि और ब्रिटिश इंडिया के बाहर 5 वर्ष तक जेल यातना भोगी।	8
3.	वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें सरकार ने अपनी ओर से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की।	279
4.	अन्य	1,61,058
	कुल :	**1,61,630**

2. चालू वित्त वर्ष के दौरान, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की अदायगी पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 165.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 31.12.1993 तक 58.00 करोड़ रुपये का व्यय सूचित किया गया है।

3. हालांकि पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.3.1982 थी, लेकिन नए आवेदन पत्र अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के दावों पर, पेंशन प्रदान करने के लिए तभी विचार किया जाता है यदि इनके साथ, यातना के समर्थन में स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य लगे हों। 1.2.1994 को केन्द्र सरकार के पास विचारण के लिए लम्बित पड़े राज्यवार आवेदनों की संख्या का एक विवरण अनुलग्नक--II पर संलग्न है।

4. जाली दावों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं और जहां आवश्यक होता है, जांच की जाती है। योजना के प्रारम्भ से 2867 मामलों में पेंशन निलम्बित की गयी है और 1313 मामलों में रद्द की गयी है।

अनुबंध –I

जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गयी है उनकी राज्यवार संख्या का विवरण (1 फरवरी, 1994 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10910
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4325
4.	बिहार	24462

5.	गोवा	896
6.	गुजरात	3541
7.	हरियाणा	1609
8.	हिमाचल प्रदेश	557
9.	जम्मू और कश्मीर	1776
10.	कर्नाटक	9903
11.	केरल	2789
12.	मध्यप्रदेश	3328
13.	महाराष्ट्र	16379
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4135
19.	पंजाब	6784
20	राजस्थान	781
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	4056
23.	त्रिपुरा	883
24.	उत्तर प्रदेश	17857
25.	पश्चिम बंगाल	22171
26.	अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह	0
27.	चंडीगढ़	88
28.	दादरा और नगर हवेली	0
29.	दमन और दीव	33
30.	दिल्ली	2017
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	312
33.	आजाद हिन्द फौज	21883
	कुल :	161630

अनुबंध–II

पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के विचारार्थ, 1.2.1994 को लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	कर्नाटक	543
3.	महाराष्ट्र	218
4.	दादर और नगर हवेली	1
5.	दमण और द्वीव	2
6.	दिल्ली	1
	कुल :	777

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में 1 फरवरी, 1994 को राज्यवार कितने लोगों के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन लम्बिन हैं, उनकी संख्या बतायी है, जिसमें दमण और दीव के 2 लोगों से प्राप्त आवेदन पत्र भी शामिल हैं। मैं मंत्रीं जी से जानना चाहता हूं कि जब दमण और दीव से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत करने हेतु 42 आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए और मैं लगातार दो साल से इस संबंध में सरकार से निवेदन करता आ रहा हूं कि जो क्राईटेरिया पेंशन स्वीकृत करने के लिये तय किया गया है कि 6 मास की कम से कम सजा होनीं चाहिये, जिसके रिकार्ड उपलब्ध न होने की वजह से अनेक मामले रिजैक्ट कर दिये गये हैं, शायद मंत्री जी इस बात से अगवत होंगे कि जब दमण की मुक्ति हुई थी तो वहां भारी बमबारी होने के कारण आज कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, वे कोई स्यूओ–मोटो डिसीजन लेकर, जिस तरह से 279 मामलों में सरकार ने अपनी ओर से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की है, उसी आधार पर दमण और दीव से जितने आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं, उनमें भी सरकार कोई डिसीजन लेना चाहती है या नहीं क्योंकि वे सब जैन्यूईन केस हैं परन्तु एविडेंस न होने के कारण आज तक लम्बित पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उसको ज्यादा लम्बा मत करिये।

श्री काशींराम राणा : आप मेरे प्रश्न को पूरा करने दीजिये, मैं एक ही वाक्य में पूरा कर देता हूं कि जहां कुछ पेंशन के मामलों को रिजैक्ट किया गया है और कुछ मामलों में सरकार ने अपनी ओर से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की है, उसी आधार पर आवश्यक छानबीन करके, स्युओ–मोटो आधार पर, सरकार इन आवेदन पत्रों पर कोई डिसीजन लेगी, उन्हें पेंशन स्वीकृत करेगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन लम्बा हो गया।

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : इनके बारे में अगर दमण और दीव प्रशासन की तरफ से यह जानकरी हमें भेजी जाती है कि वहां इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, सारा रिकॉर्ड डेस्ट्राय हो चुका है, ऐसी अगर हालत हो या कुछ दूसरी एविडैंस हमें मिल जाती है जिससे यह साबित हो जाये और वे लोग फ्रीडम फाईटर्स की जो व्याख्या है, उसमें फिट बैठते हों तो उनके मामलों पर फिर से विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री काशी राम राणा : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसोसिएशन या संगठन से कुछ सुविधाओं या रियायतों के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मैं उनकी मांगों के बारे में और स्वतंत्रता सेनानियों की उन मांगो को मंजूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम पेंशन में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूंगा कि राज्यों के विभिन्न संगठनों से कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे जाते हैं। पेंशन के लिए आवेदन पत्र इंडीविजुअल व्यक्ति देते हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया : मांगे नहीं जाते हैं, लेकिन मिले हैं कि नहीं ?

श्री राम लाल राही : नहीं आए हैं। अगर कोई सुझाव देना हो तो आते हैं और उन पर सरकार की तरफ से जबाव दे दिया जाता है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का उत्तर है उसको असत्य कहना पड़ेगा, संसदीय भाषा के चलते, क्योंकि मात्र 777 आवेदन पत्र पेंडिंग बताए गए हैं जबकि 100 से अधिक चिट्ठी तो मैंने लिखी होंगीं, बिहार की सरकार द्वारा रिक्मेंड करके भेजी गई है, वे पैंडिंग हैं। मैं ने उप-मंत्री को, राज्य मन्त्री को और मंत्री को लिखी हैं, एकनौलेज करने के बाद कोई जबाव नहीं दिया है। जो जबाव यंहां दिया गया है, उसमें बिहार नदारद है मैं इस उत्तर को चुनौती देता हूं और अध्यक्ष महोदय, मै यह आरोप लगाता हूं कि पूरा लोक नायक भवन भ्रष्टाचार का अड्डा है। लोग वहां जाते हैं और उनसे पैसा मांगा जाता है। लोग दर--दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, जितने सांसदो ने और मैंने पत्र लिखे हैं उन्हें मैं आपके हवाले कर सकता हूँ आप देख लीजिए कि सच्चाई क्या है क्योंकि सरकार इस प्रकार का उत्तर देकर सदन को गुमराह कर रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से जो आवेदन पत्र अनुशंसित होकर आए हैं उन पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाई की है और उनमें से कितने पेंडिग हैं और क्या अपने इस उत्तर को सुधार कर सही उत्तर देने की कोशिश करेगी और क्या इस सम्बन्ध में एक समय सीमा के अन्दर अंतिम निर्णय लेने की

कोशिश करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एस.बी.चव्हाण : विवरण में जो लम्बन् दर्शाया गया है, वह ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि सभी आवेदन पत्र 1982 से पहले प्रस्तुत किए जाने थे। सभी मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा लेकिन हमने स्वयं एक निर्णय लिया है कि यदि आवेदन पत्र 1982 से पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह एक वास्तविक और उचित मामला है तो इस पर गौर किए जाने की आवश्यकता है। यदि दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं तो इन मामलों पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर गौर करने के लिए तैयार हूँ कि यदि बिहार से बहुत से आवेदन पत्र लंम्बित पड़े हुए हैं तो इसे यहां पर क्यों नहीं दर्शाया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी अनुबंध विवरण का हवाला दे रही हूँ। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने वर्तमान गृहमंत्री, वर्तमान गृह राज्य मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री जी को अनगिनत पत्र लिखे हैं जिनके साथ सभी दस्तावेज लगे हुए थे, और जिनकी पश्चिम बंगाल राज्य की परामर्शदात्री समिति ने संस्तुति की थी। क्या मैं यह जान सकती हूं कि वे संगत दस्तावेज मंगाएंगे और जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों को बुलाने के लिए कोई समय निर्धारत करेंगे और एक निश्चित आश्वासन देंगे कि जिन लोगों के बारे में उनसे संबंधित समितियों ने सिफारिश की है और जिनके पास दस्तावेज हैं उनके मामले उचित समय सीमा के भीतर निपटा दिए जाऐंगें ?

श्री एस०बी० चव्हाण : यह बात पूरी तरह से असंगत है कि क्या स्थानीय समिति ने मामले की सिफारिश की है या नहीं। जिन मामलों के साथ पूरे दस्तावेज हैं और वे सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं, यदि ऐसे कोई मामले लंबित हैं, तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे मामलों पर गौर करने के लिए तैयार है।

श्री के० टी० वान्डायार : ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके जेल प्रमाण–पत्र या तो खो गये हैं या ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नष्ट कर दिया है। क्या भारत सरकार ऐसे यथार्थ राजनीतिक भुक्त भोगियों को पेंशन देने पर विचार करेगी ?

श्री एस०बी०चव्हाण : जी हाँ, यदि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और यदि जेल के साथी द्वारा जिसके साथ वह जेल में रहा, प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है तो सरकार ऐसे मामलों पर निश्चत रूप से विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, दादरा और नगर हवेली के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अब तक पेंशन नहीं दी गई है, ऐसा इसमें लिखा है। केवल एक एप्लीकेशन पेंडिग है, ऐसा भी दिया है। 1955 में दादरा और नगर हवेली को 200 युवकों जिनमें प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक सुधीर फड़के, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र लेखक बाबा साहब पुरन्दरे, पुणे युनीवर्सिटी में पूर्व वाइस चांसलर, डा० गुप्ते आदि हैं, ने दादरा और नगर हवेली मुक्त की थी। यह हिन्दुस्तान में केन्द्र सरकार के पास 1962 में आई। ऐसे लोगों ने सामूहिक तौर से सरकार से आवेदन किया है। मैंने भी सारी

जानकारी का निवेदन गृह मंत्री जी को दिया है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों को पुरस्कार देती है। क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में यह फैसला किया है कि उनको भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी जाएगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुस्पष्ट प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं, तो दे दें।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर शुरु में दे चुका हूँ, सरकार इन मामलों पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बशर्ते वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन राष्ट्र की तरफ से सम्मान और स्नेह के रूप में दी जाती है उनका पक्षपात नहीं किया जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया नौकरशाही की बहुत सी औपचारिकताएं पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और लम्बी है कि प्रायः वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी इस प्रक्रिया से गुजरना अपना अपमान समझते हैं, केवल इस कारण कि कुछ मामले वास्तविक नहीं हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को बार-बार उन संसद सदस्यों के पास क्यों जाना पड़ता है, जो अब अपने संघर्ष के फल को भोग रहे हैं ताकि हम संसद सदस्य इस मामले को संसद में उठा सकें? यह ठीक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वह यह सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि पेंशन मंजूर करने के लिए नौकरशाही की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि सरकार ऐसे वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान रख सके और उनके मामलों को शीघ्रता से निपटा सके, यदि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके तो स्वतंत्रता सेनानियों को इसके लिए बार-बार कहे बगैर ही पेंशन मंजूर हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : यह सही है कि सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र की धरोहर हैं। केन्द्र सरकार से उन्हें जो पेंशन दी जाती है, वह सम्मान स्वरूप ही दी जाती है। माननीय सदस्या ने जो यह बताया है कि गाइडलाइन सख्त हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार 1 लाख 61 हजार से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेन्शन दे रही है, वह गाइडलाइन के बेसेस पर जो आवेदन पत्र आए हैं, उनके आधार पर दे रही है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उनके राज्य के प्रार्थना पत्र पैन्डिग हैं और उन पर विचार नहीं किया गया है। उनकी बात सही हो सकती है लेकिन पैन्डिग प्रार्थना पत्र बार-बार दिए जाने वाले हो सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कितने केस पैंडिग हैं ? **[व्यवधान]**

श्री रामलाल राही : उन पर विचार कर लिया गया है। जिन प्रार्थना पत्रों के साथ प्रमाण साक्ष्य थे, उन सब को स्वीकार कर लिया गया है। जिन में साक्ष्य नहीं थे, उसके अभाव में वे प्रार्थना पत्र रिजैक्ट किये गये हैं।

श्री विजय कुमार यादव : क्या यह बात सही है कि एक ही तरह के एफ.आई.आर के केस में जितने मुद्दालय लोगों का नाम जेल जाने में रहा था, उनमें से कुछ लोगों ने जो आवेदन दिया वह तो दूसरे कारणों से मंजूर हो गया लेकिन उन कारणों की पूर्ति बाकि लोगो पर नहीं की। बाकीं लोगों के जो केस थे, वे उसी फुटिंग पर स्टैन्ड करते थे। इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। इससे उनकी पेंशन स्वीकार नहीं की जा रही है।

श्री रामलाल राही : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल गलत है। दरअसल सी.आर. या एफ.आई.आर का रैफ्रेंस देकर जो आवेदन दिये जाते हैं, उनमें अगर उनका नाम है तो ही वे स्वीकार किये जाते हैं, अन्यथा स्वीकार करना सम्भव नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री मती गीता मुखर्जी : हम आप से सच्चे मन से इस प्रश्न को लेने का अनुरोध करते हैं। आप इसे उनके साथ उठा सकते हैं। हमारे पास बहुत दयनीय पत्र आते रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, अभी नीतीश कुमार जी ने बहुत अहम सवाल उठाया। राही जी को ख्याल होगा .... **[व्यवधान]**

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, 7-8 केसिज के सम्बन्ध में मैंने इनको टेलीफोन किया। ये वे केस हैं जो कि रिजैक्ट नहीं हुए हैं और जो केस बिहार सरकार ने भेजे थे, जिन को लोकनायक भवन से बुलाया गया कि आप आकर स्पष्टीकरण दें। कई 'केसिज तो' बिहार की सूची में एक भी नहीं है। इसलिए जो सूची आपने दी है, वह गलत है, असत्य है। यह आपको अस्वीकार करनी चाहिये। जो स्वतंत्रता सेनानी यहां आकर लोकनायक भवन में जाते हैं वहां कोई अफिसर ऐसा नहीं होता है जोकि उनकी कठिनाइयां सुन सके। क्या आप कोई लॉयजन आफिसर नियुक्त करेंगे जो कि पब्लिक ग्रीवेंसिज को सुन सके ? आप इसके लिये एक अलग से काउंटर बना दें इसके अलावा एक तिथि तय कर दें कि इतनी तारीख तक केस डिसपोज हो जायेंगे। आप अप्रैल, मई, जून या जुलाई की कोई भी तारीख तय कर दें।

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लोकनायक भवन में बने हमारे कार्यालय के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि वे उचित नहीं हैं। जो सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी हमारे कार्यालय में जाते हैं, वहां अधिकारी उनको बकायदा जवाब देते हैं जहां तक मैं समझता हूँ लायजन आफिसर नियुक्त करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री एस०बी०चव्हाण : महोदय क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मैं श्री पासवान द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ हमें वहां पर एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करना

पड़ेगा जो शिकायतों पर गौर करेगा।

श्री पी०सी०चाक्को : मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के विषय को इस तरह से लिया जा रहा है जिससे पूरा सदन अप्रसन्न है। मैने स्वयं ऐसे 50 आवेदन–पत्र गृह मंत्री को सिफारिश करके भेजे है।

महोदय, उत्तर के साथ जो सूची दी गई है उसके अनुसार केरल राज्य में कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। पूरे देश में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 777 दर्शाई गयी है और उसमें केरल का कोई भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है। यह देखकर पूरा सदन क्षुब्ध है कि इस तरह के मामलों को इस ढ़ंग से लिया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन पर नए सिरे से विचार करेगी। यह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है और इसे इस तरह से नहीं होते रहने देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना पर फिर से विचार करेगी, क्या इस पूरे मामले पर पुनः विचार करने के लिए इस पूरे मामले पर गौर करने के लिए संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति गठित की जाएगी ताकि सुव्यवस्थित प्रबंध किया जा सके।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : अध्यक्ष महोदय, इन लंबित मामलों के संबध में सदस्यों में यहां पर कुछ भ्रान्ति है।

महोदय, 1982 में जब दूसरी संशोधित योजना बनाई गई थी, उस समय एक समय---सीमा निर्धारित की गई थी। तदुपरान्त, हमने ऐसे आवेदन पत्र नहीं देखे हैं। हमें लगभग 6 लाख आवेदन पत्र मिले हैं। हमने 1,61,000 आवेदन पत्रों पर कार्यावाई की है और उन मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गई है।

यहां पर "लम्बित" शब्द का उल्लेख किया गया है। उसका मतलब पुनरीक्षा याचिकाओं से है मूल याचिकाओं से नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाद) : मंत्री जी गलत कह रहे हैं यह ओरिजनल है। इसमें हमारा प्रिवलेज आपको एडमिट करना होगा, क्योंकि यह बिल्कुल गलत बोल रहे है।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, गोवा स्वातंत्रता संग्राम में जिन लोंगों ने हिस्सा लिया था और जिनको तत्वतः केन्द्र सरकार ने फ्रीडम फाइटर की पेंशन देने की मान्यता दी है और जिनको महाराष्ट्र सरकार ने भी फ्रीडम फाइटर की पेंशन और सारे सम्मान देना तय किया है और दिया है। ऐसे लोगों को अगर केन्द्र में रिकमेण्ड किया तो उनके ऊपर आप विचार करने वाले हैं कि नहीं ?

श्री एस.बी.चव्हाण : गोवा फ्रीडम फाइटर्स में से बहुत सारे लोगों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सो–मोटो इसमें कई लोगों के केसेज हमने डिसाइड किये हैं और जो हमारे क्राइटीरिया में बैठते हैं, उनको हमने वह पेंशन सैंक्शन की है।

श्री अन्ना जोशी : महाराष्ट्र सरकार ने चैक कर लिया है न।

श्री एस.बी.चव्हाण : महाराष्ट्र सरकार के चैक करने के बाद उनके नार्म्स अलग हैं और सैण्ट्रल गवर्नमेंट के नार्म्स अलग हैं। हमारे यहां के नार्म्स के अन्दर जो बैठेंगे, उनको हम स्वीकार करेंगे ....**[व्यवधान]**

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या संशोधित दरें स्वतः तथा समान रुप से उन सभी तरह के या सभी श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों पर लागू होती हैं जो केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आते हैं तथा जिसमें गोवा को मुक्त करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले साल पेंशन बढ़ाई गई है। अभी पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बी.एन.रेड्डी : जबकि बोर्डर कैम्पों की सिफारिशों पर हजारों जाली मामलों को मंजूर कर लिया गया है। युद्ध के मैदान के वास्तविक मामलों को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविक मामलों के प्रति न्याय करने के लिए कोई जांच की जाएगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : जांच के लिए कोई मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

न्यू वैंडा कोयला खान में आग लगना

***44 डा. साक्षीजी :**

श्री शरद दिघे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत आसनसोल स्थित न्यू कैंडा कोयला खान में हाल ही के अग्नि कांड में कितने खान श्रमिक हताहत हुए ;

(ख) इस अग्निकांड के कारण अनुमानतः कितना नुकसान हुआ ;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ;

(घ) क्या आग लगने के कारणों की कोई जांच कराई गई है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है ; और

(छ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 25 जनवरी 1994 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की नई कैंडा कोलियरी में 55 खनिक फंस गए थे। 16.2.1994 तक 37 शव मिल गए हैं।

(ख) 25.1.1994 से 16.2.1994 तक की अवधि में कोयले के उत्पादन से राजस्व में हुए घाटे का अनुमान 110.81 लाख रु. की राशि का लगाया है।

(ग) अंतिम लाभ अदा करने के अतिरिक्त कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत सभी 55 पीड़ितों को देय मुआवजा की लगभग 37.89 लाख रुपए की राशि मुआवजा आयुक्त के पास दिनांक 22.2.1994 तक जमा कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 22.2.1994 की स्थिति के अनुसार पीड़ित लोगों के आश्रित को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं :

(I) अन्त्येष्टि व्यय 2000/–रु.	(सभी 55 पीड़ितों के नामितों को अदा की गई।
(II) 10,000/. रु. की अनुग्रह राशि	
(III) 50,000/- रु. की विशेष अनुग्रह राशि :	34 पीड़ितों के नामितों को अदा की गई। शेष राशि का भुगतान नामितों के अपने मूल निवास से वापस आने पर किया जाएगा।
(IV) मृतक कामगार की विधवा	: अन्त्येष्टि के पश्चात् जो भी वहां पहुंचे उन्हें सभी को पेशकश की गई, जिनकी संख्या अब 32 है।
(V) कंपनी की ओर से विधवा इसके अथवा निकट संबधी द्वारा शव की अंतिम क्रिया करने के लिए ऐच्छिक स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन सुविधा दी गई।	: सभी को मुहैया की गई जिन्होंने इसके लिये मांग की।

(VI) मृतक के आश्रित बच्चों को किसी भी रामाकृष्ण मिशन या मदर टरेसा स्कूल में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की ओर से आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी।	:	रामाकृष्ण मिशन, परुलिया द्वारा प्राथमिक अध्ययन किया गया।

(घ) से (च) दुर्घटना की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीस न्यायमूर्ति शमशुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है।

(छ) कोयला कंपनियों द्वारा खान अधिनियम, 1952 और कोयला खान विनियमन 1957 के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने पर जोर देनेके अलावा सरकार ने सभी कोयला कंपनियों में सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा किए जाने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें भूमिगत खानों को प्रथमतः प्राथमिकता दी गई है ताकि सुरक्षा संबंधी पहलुओं में यदि कोई कमी हो तो उन्हें विनिर्दिष्ट तथा उक्त कमियों को हटाया जा सके।

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

***45 श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में माफिया गिरोहों द्वारा अपहरण, विशेषतः व्यापारियों के अपहरण और फिरौती वसूल करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत चार माह के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ग) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई ;

(घ) कितने मामले निपटाए गए हैं और कितने लम्बित हैं ;

(ङ) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(च) दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : (क) से (च) : पिछले चार महीनों के दौरान अर्थात 1.10.1993 से 31.1.1994 तक दिल्ली में अपहरण के 55 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जबकि 1.10.1992 से 31.1.1993 तक की अवधि के दौरान अपहरण के 54 मामले सूचित हुए थे।

अपहरण के इन 55 मामलों में से व्यापारियों के अपहरण से संबंधित दो मामले थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन मामलों में से एक में फिरौती की मांग की गई थी।

इन 55 मामलों में से 12 मामले खारिज कर दिये गए हैं क्योंकि कोई अपराध हुआ नहीं पाया गया, 6 को 'कोई पता नहीं लगा' कहकर फाइल कर दिया गया, तीन मामले न्यायालय में लगा दिए गए हैं और 34 अन्वेषण के लिए लंबित हैं। न्यायालय में लगा दिए गए तीन मामलों के अतिरिक्त 8 और मामले सुलझा लिए गए हैं और वे जांच के अंतिम चरणों में हैं।

इन मामलों में 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अपहरण के अपराध को रोकने के लिए, आपराधिक अतीत वाले अपहरणकर्ताओं और अन्य अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है। आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को भी चुस्त-दुरुस्त बनाया गया है। मोटर साइकिल से गश्त एवम पुलिस नियंत्रण कक्ष से निगरानी को भी सघन किया गया है। अपहरण के मामलों के अन्वेषण के लिए मौजूदा दल के अतिरिक्त, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों से निपटने के लिए अपराध शाखा में एक "विशेष कक्ष" की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

x46 **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के सिलैन्डरों के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में मूल्यों में वृद्धि की गई है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम हो गये हैं ;

(ग) इन उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उपभोक्ताओं पर इसका समग्र रुप से क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ड.) जनवरी, 1993 से इन उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान मूल्यों में अन्वेषण, उत्पादन, संसाधन और विपणन से संबंधित प्रचालन की पूरी लागतें वसूल नहीं की जा रही हैं।

(ग) और (घ) भण्डारण स्थल तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि एक रूप है। किसी अन्य स्थान पर उत्पाद के मूल्य, भंडारण स्थल से स्थान की दूरी और राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए स्थानीय करों के आधार पर भिन्न–भिन्न होंगे।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतिम संशोधन सितम्बर, 1992 के दौरान किया गया था। जनवरी/फरवरी, 1994 के दौरान हालिया मूल्य संशोधन के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

कोयले का मूल्य विनियंत्रण

[हिन्दी]

***47 श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री सदीपान भगवान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कतिपय श्रेणियों के कोयले के मूल्यों को विनियंत्रित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार आधुनिक खानन मशीनों का आयात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

कोयले की कीमतों को नियंत्रित करने के संबंध में श्री लोकनाथ चौधरी तथा श्री एस.बी. थोरात के दिनांक 24.2.1994 के लोक सभा में उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 47 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र,

....

(क) और (ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो, जिम्ने कि कोयला उद्योग का अध्ययन किया है, ने अपनी अन्तरिम नीतिगत सिफारिशों में कोककर व [illegible] तथा अकोककर कोयले के कुछ ग्रेडों की कीमतों को विनियंत्रित करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव के पक्ष में यह मत व्यक्त किया गया है कि कोयले की कीमतों को विनियंत्रित करने से कोयला कंपनियों को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी कीमतें निर्धारित करने में सहायता मिलेगी और इससे घाटे में चल रही कुछ कंपनियों के कार्य–निष्पादन में भी सुधार आएगा।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा आधुनिक खनन मशीनों का आयात सामान्यतः तभी किया जाता है जब कि ये देशीय उपलब्ध मशीनों की तुलना में वाणिज्यिक रूप में और/अथवा आर्थिक

रूप से लाभप्रद होती हैं अथवा जहां कि उपकरण का आयात द्विपक्षीय/अथवा बहु–पक्षीय उधार/ऋण क़रारों के उपबन्धों के अंतर्गत किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

*48 **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री बृजभूषण सरण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकाधिक लोग एलोपैथी चिकित्सा की अपेक्षा भारतीय चिकित्सा पद्धति पंसद कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आर्युर्वेदिक तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी भारत में बहुत लोकप्रिय है।

(ख) इन पद्धतियों मे अनुसंधान और इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अनुंसधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेद/होमियोपैथी संस्थानों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आदि की स्थापना शामिल है।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लिए आठवीं योजना में 88 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

*49 **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

श्री चन्देश पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 के अन्त तक रसोई गैस कनेक्शनों के लिए राज्यन्वार लंबित आवेदनों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को कब तक रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाऐंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी कोई निश्चित तिथि बताना कठिन है जब प्रतीक्षा सूची को पूरी तरह निष्पादित कर दिया जाएगा। उत्पाद कीउपलब्धता के अधीन यथासंभव आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन देने के प्रयास निरन्तर जारी हैं। वर्तमान प्रतीक्षा सूची के 1997-98 तक निष्पादित हो जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य	(आंकड़े लाख में) 1.1.1994 तक प्रतीक्षा सूची
1	2
आंन्ध्र प्रदेश	7.47
अरुणाचल प्रदेश	0.16
असम	1.26
बिहार	2.71
गोआ	0.66
गुजरात	7.98
हरियाणा	3.78
हिमाचल प्रदेश	0.85
जम्मू और कश्मीर	1.15
कर्नाटक	5.32
केरल	4.25
मध्य प्रदेश	4.40
महाराष्ट्र	17.29
मणिपुर	0.15
मेघालय	0.10
मिजोरम	0.13
नागालैंड	0.12
उड़ीसा	1.16
पंजाब	4.81
राजस्थान	7.45
सिक्किम	0.10

1	2
तमिलनाडु	11.56
त्रिपुरा	0.24
उत्तर प्रदेश	13.43
पश्चिम बंगाल	8.80
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	0.07
चंडीगढ़	0.81
दादरा और नागर हवेली	0.01
दिल्ली	6.66
दमन और द्वीप	0.04
लक्ष्यद्वीव	0.00
पांडिचेरी	0.28
योग :	**113.20**

बाढ़ का पानी एकत्रित करना

*50 **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंन्द्रीय सरकार ने भविष्य में बाढ़ के पानी का उपयोग करने हेतु इसे एकत्रित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई केंद्रीय एजेंसी बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री और कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु अधिक जल वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अंतरण के लिए अलग से विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अंतः सम्पर्क की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण तथा जल से सबंधित लाभों के अलावा 35 मिलियन हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई लाभ तथा 40 मिलियन किलोवाट जल विद्युत की परिकल्पना है।

सरकार ने वर्ष 1982 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की थी जिसमें केंद्रीय/राज्य

सरकार के अधिकारियों के अलावा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री/सिंचाई के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं और इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिए एक तकनीकी सचिवालय भी हैं।

कुल 36 जल अंतरण सम्पर्कों में से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 तथा हिमालयी घटक के अतिरिक्त 19 सम्पर्कों को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अभिज्ञात किया है। जबकि प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 12 सम्पर्कों के कार्यालय अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। शेष प्रायद्वीपीय सम्पर्कों के अध्ययन तथा हिमालयी घटक के अंतर्गत सभी सम्पर्कों के अध्ययनों को आठवीं योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक के सम्पर्कों के अन्वेषण और हिमालयी घटक के सम्पर्कों को अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सिचांई परियोजनाएं

***51. श्री. शेभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार चालू मझौली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि में गत तीन वर्षों के दौरान निरंतर कमी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सिंचाई प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक से 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आंबटित की गई ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुल्क) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) देश में निमार्णाधीन वृहद, मध्यम, विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण सिंचाई स्कीमों की राज्यवार संख्या निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य	वृहद परियोजनाएं	मध्यम परियोजनाएं	विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण स्कीम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	18	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-

1	2	3	4	5
3.	असम	5	6	4
4.	बिहार	16	20	5
5.	गोआ	1	1	-
6.	गुजरात	9	25	12
7.	हरियाणा	4	-	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	11	5
10.	कर्नाटक	12	12	5
11.	केरल	10	2	-
12.	मध्य प्रदेश	19	34	4
13.	महाराष्ट्र	32	53	6
14.	मणीपुर	2	1	-
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-
18.	उड़ीसा	5	10	1
19.	पंजाब	-	1	6
20.	राजस्थान	8	7	20
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	-	2	4
23.	त्रिपुरा	-	3	-
24.	उत्तर प्रदेश	18	2	10
25.	पश्चिम बंगाल	3	16	3
	संघ राज्य क्षेत्र :	-	-	-
	कुल :	158	226	95

(II) देश में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए आबंटित की गई राशि वर्ष 1991-92 में 4698.95 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1992-93 के दौरान 4934.54 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1993-94 के दौरान 5853.53 करोड़ रुपए हो गई है।

(III) वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993-94 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के उपयोग का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र.	राज्य	परियोजना का नाम	विश्व बैंक सहायता का उपयोग (मिलियन अमेरिकी डालर) 1992-93	1993-94	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश सिचांई-II	26.700	33.235	-
2.	बिहार	बिहार सार्वजनिक नलकूप	4.370	-	-
3.	गुजरात	गुजरात मध्यम सिचाई-II	16.693	7.188	-
4.	गुजरात,मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान	सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना	46.118	-	परियोजना को 29.3.93 से विश्व बैंक सहायता से अलग कर दिया गया है।
5.	गुजरात जल वितरण एवं निकास	सरदार सरोवर	27.570	-	परियोजना 1.7.92 को समाप्त कर दी गई।
6.	हरियाणा	हरियाणा सिंचाई-II	0.409	-	परियोजना 31.3.92 को समाप्त कर दी गई।
7.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र संयुक्त सिचाई-III	6.386	15.369	-
8.	तमिलनाडु	पेरियार वेगाई सिचांई-II	4.345	3.375	परियोजना 31.10.93 को समाप्त कर दी गई।

9. पंजाब	पंजाब सिंचाई एवं निकास	14.965	4.995	-
10. कर्नाटक	अपर कृष्णा फेज़-।।	19.777	14.314	-
11. उत्तर प्रदेश	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण	16.773	7.322	-
12. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	1.659	2.058	-
13. बहु-राज्य	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास	2.421	0.500	-
14. बहु-राज्य	राष्ट्रीय जल प्रबंध	28.214	15.423	-

चकमा शरणार्थी

***52. डा. कृपासिंधु भोई :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस समय भारत में रह रहे चकमा शरणर्थियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) इन्हें स्वदेश वापस भेजने का कार्य कब शुरु होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार चकमा शरणार्थियों के अलावा देश में, विशेष रुप से पूर्वोत्तर राज्यों में, रह रहे अन्य बंगलादेशियों को भी स्वदेश वापस भेजने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : (क) भारत में रह रहे चकमा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के कार्यक्रम को अंतिम रुप देने के लिए भारत और बंगलादेश की सरकारों ने अधिकारी स्तर पर और मंत्री स्तर पर हाल ही के महीनों में बैठकें की हैं।

(ख) प्रत्यावर्तन 15 फरवरी, 1994 से शुरू हुआ। 22 फरवरी, 1994 तक लगभग 400 परिवारों के प्रत्यावर्तन की अपेक्षा है। शेष बचे चकमा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन का आगे का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अन्य बंगलादेशी, जो कि अवैध आप्रवासी हैं, उनके साथ "विदेशी नागरिक

अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार निपटा जा रहा है।

तम्बाकू के उपयोग का प्रभाव

***53. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिगरेट के अलावा अन्य रुपों में तम्बाकू के उपयोग के प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मई–जून, 93 में प्रकाशित हाल की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तम्बाकू का किसी भी रूप में इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस कैंसर, हृदय रोग, अवरोधात्मक फुफफ्सीय रोग इत्यादि हो जाते हैं और मृत, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं।

बांधों के कमान क्षेत्रों में पानी का जमा हो जाना

***54. श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख बांध परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण पानी का जमा हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो देश के उन कमान क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहाँ पानी जमा हो गया है ; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वृहद बांध परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में रिसाव और अनुचित जल प्रबन्ध के साथ-साथ अपर्याप्त जल निकास प्रणाली जल जमाव का एक कारण हो सकती है।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल जिसमें अप्रैल, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ने यह आकलन किया है कि कमान क्षेत्रों में देश में 2.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न है।

(ग) कमान क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य सिंचाई वितरण प्रणाली के बेहतर कामकाज के लिए खेत नालियों के निर्माण और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना सहित आन-फार्म विकास कार्यों के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु किया है। इन कार्यक्रमों को 8वीं योजना में शामिल किया गया है।

पानी की दरों का पुनर्निर्धारण

55. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि हेतु पानी की दरें पुनर्निधार्ति करने संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ। अक्तूबर, 1991 में योजना आयोग द्वारा गठित सिंचाई जल मूल्य समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) समिति के सुझावों में ये शामिल हैं : जलदरों को उपयोगकर्त्ता प्रभार मानना ; जल प्रभार का उद्देश्य अन्ततः लागत वसूलना; सेवा की कोटि में सुधार को जलदरों के संशोधन के साथ सम्बद्ध करना; जलदरों का संशोधन तथा कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से करना; कृषक समूह प्रबंध की प्रणाली का समेकन; जल उपयोग तथा उत्पादकता में उच्च स्तरीय कुशलता के लिए प्रणाली को स्तरोन्नत करना; आवधिक पुनरीक्षा हेतु संचालन एवं रख रखाव और प्रक्रिया के वास्ते मानदण्डों का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल का गठन; जल की लागत; जलदरों के संशोधन तथा न्युनतम वित्तीय लाभ का मानदण्ड लागू करने के संबंध में नीति कीं पुनरीक्षा करने के वास्ते राज्य स्तर पर स्वायत्त निकायों की स्थापना।

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के वास्ते पहले ही भेजी जा चुकी हैं। समिति की रिपोर्ट की जांच करने की लिए आयेाग ने इसी बीच अधिकारियों का एक दल गठित किया। "सिंचाई" राज्य का विषय होने के कारण, जलदरों पर निर्णय केवल राज्य सरकारों तथा "संघ राज्य क्षेत्रों" के परामर्श से ही किया जा सकता है।

रीढ़ की हड्डी की चोट का उपचार केन्द्र

***56. श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रीढ़ की हड्डी की चोट संबंधी केन्द्र स्थापित करने के लिए यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसऐबिलिटी रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए अमरीका द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) रीढ़ की चोट वाले रोगियों के व्यापक एवं विशिष्ट पुर्नवास तथा इस क्षेत्र में जनशक्ति के विकास के विचार से तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान में सुविज्ञता के लिये नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिसऐबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन रिसर्च, यू.एस., इंडियन स्पिनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहयोग समझौते पर 20 दिसम्बर, 1993 को हस्ताक्षर किए गए।

(ग) इंडियन स्पिनल इन्जरीज सेंटर, नई दिल्ली ।

(घ) यह सहायता तीन वर्षो के दौरान 122.9 लाख रूपये के लगभग होगी।

[हिन्दी]

एड्स रोग पर नियंत्रण

***57. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय "एड्स" नियंत्रण संगठन द्वारा "एड्स" नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 1992-93 के दौरान कितनी धराशि दी गई ;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितनी धनराशि का उपयोग किया ;

(ग) क्या कई राज्य इस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके ;

(घ) यदि हां,तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ.) सरकार ने इस धनराशि का प्रभावी उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द):(क) से (ङ.) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया धन तथा सूचित किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	दिया गया धन 1992-93 (लाख रुपये में)	सूचित किया गया व्यय 1992-93 (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	70.490	12.244

अरुणाचल प्रदेश	20.630	6.810
असम	31.825	4.898
बिहार	43.750	-
गोवा	24.660	15.793
गुजरात	56.410	29.263
हरियाणा	29.230	9.524
हिमाचल प्रदेश	74.750	37.219
जम्मू व कश्मीर	-	-
कर्नाटक	64.490	4.001
केरल	37.775	-
मध्य प्रदेश	50.550	44.400
महाराष्ट्र	90.670	73.640
मणिपुर	23.530	1.153
मेघालय	-	-
मिजोरम	19.380	18.280
नागालैंड	28.705	-
उड़ीसा	46.775	-
पंजाब	31.000	-
राजस्थान	41.365	20.368
सिक्किम	15.405	2.314
तमिलनाडु	84.915	47.170
त्रिपुरा	21.460	17.020
उत्तर प्रदेश	72.990	-
पश्चिम बंगाल	60.540	2.625
पांडिचेरी	19.155	-

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	17.080	3.857
चण्डीगढ़	14.250	6.363
दादरा व नगर हवेली	11.000	
दमण और दीव	5.000	5.000
दिल्ली	87.435	3.687
लक्षद्वीप	7.000	7.258
कुल :	1143.215	372.887

धन सितम्बर, 1992 में दिए जाने एवं नए कार्यक्रम शुरु करने में राज्य सरकारों की प्रारंभिक समस्याओं के कारण राज्य सरकारें धन का पूर्णतः उपयोग करने में असमर्थ रही हैं।

राज्य सरकारों को धन का ज्यादा उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ओमान से गैस पाइप लाइन

*58. **श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान से भारत तक गैस पाइप लाइन बिछाने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पाइप लाइन के जरिये कितनी मात्रा में गैस प्राप्त की जायेगी ;

(ग) भारत में यह पाइप लाइन सबसे पहले किस स्थान पर आयेगी ; और

(घ) विभिन्न राज्यों ने कितनी मात्रा में गैस की मांग की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओमन से भारत को गैस की 57.0 एम एम एस सी एम डी मात्रा का परिवहन करने के संबंध में ओमान तेल कम्पनी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है।

(ग) लैंड फाल बिन्दु के संबंध में तकनीकी-आर्थिक आधारों पर निर्णय लिया जाएगा।

(घ) विविध राज्यों द्वारा गैस अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पास गैस की 260 एम एम एस सी एम डी मात्रा के लिए कुल मांग पंजीकृत कराई गई है।

दिल्ली को जल का आबंटन

***59. श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

कु० फ्रिडा तोपनो :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से हरियाणा से दिल्ली के लिए और अधिक पानी देने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपर यमुना नदी बोर्ड गठित करने का भी अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली को नदी का जल का उचित भाग दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हाँ दिल्ली को हरियाणा से और अधिक पानी देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को दिल्ली से अनुरोध प्राप्त होते रहे. हैं। ऐसे अनुरोधों को अनुकूल विचार के लिए हरियाणा के पास भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) यमुना बेसिन के सह-बेसिन राज्य एक अपर यमुना नदी बोर्ड का गठन करने के लिए सिद्धान्तः सहमत हो गये हैं। सदस्य (डब्ल्यू पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक समिति ने अपर यमुना नदी बोर्ड के गठन और कृत्यों का प्रारूप तैयार किया है। इस समिति के सदस्य सह बेसिन राज्यों से है।

(ड.) पंजाब व हरियाणा में भाखड़ा मुख्य लाइन व नहर प्रणालियों के जरिए दिल्ली को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड से अधिशेष रावी-ब्यास जल का अपना देय हिस्सा पहले ही प्राप्त हो रहा है। वार्षिक उपलब्धता के औसत के आधार पर ओखला तक यमुना जल के आबंटन के बारे में सह-बेसिन राज्यों द्वारा बातचीत की गयी है। संबंधित प्रत्येक राज्य को आंबटित किए जाने वाले जल के बारे में एक सामान्य सहमति हुई है लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हुआ है।

तेल की खोज के लिए रिग

x60. श्री चित्त बसु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल की खोज के लिए बड़ी संख्या में रिग किराये पर लेता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से वर्षवार कितने रिग किराये पर लिये गये तथा इनके लिए कितना किराया दिया गया ;

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वदेशी बाजार में इनका औसत किराया कितना था ;

(घ) क्या देश में निर्मित रिग उपलब्ध हैं ;

(ङ.) यदि नहीं, तो क्या हमारे देश में ऐसे रिगों का निर्माण करने का कोई प्रयास किया गया है ;

(च) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा से रिग हटाने का है ; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान समय में तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के लिए 31 चार्टर भाड़े के रिंग कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न विदेशी कम्पनियों से किराए पर लिए गए रिगों की संख्या तथा दिया गया कुल किराया नीचे दर्शाया गया है :

	भाड़े पर लिए गए रिगों की कुल संख्या	दिया गया कुल किराया (रुपए करोड़ों में)
1990-91	12	136.09
1991-92	6	92.989
1992-93	6	168.76

(ग) रिगों हेतु आंतरिक बाजार दरें उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन विश्व निविदा के आधार पर रिग किराए पर लेता है और प्राप्त होने वाली दरें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि० की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार पश्चिमी बंगाल के लिए वेधन रिगों की सख्या में कटौती करने की योजना बनाई गई है और बिहार में वेधन की योजना नहीं है। त्रिपुरा में वेधन रिगों के अभिनियोजन की संख्या में परिवर्तन की कोई योजना नहीं बनाई गई हैं।

आयोडीन-रहित नमक की बिक्री

439. **श्री राम नाइक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने

के निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस पूर्ण प्रतिबंध का लघु उद्योग नमक उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति आयोडीन की कमी के शिकार नहीं हैं वे आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से प्रभावित न हों, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोडीन समस्त जनता तक नमक के जरिए नियमित रुप से पहुंचे, आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु पैमाने पर नमक का उत्पादन करने वालों पर इस प्रतिबंध का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े,उद्योग मंत्रालय (नमक विभाग) ने बैच टाइप आयोडिकृत नमक संयंत्र विकसित किए हैं जो लघु उत्पादकों के को-ऑपरेटिव द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा सकते हैं।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन नमक के लिए निर्धारित आयोडीन की मात्रा सुरक्षित सीमाओं के भीतर है।

[हिन्दी]

कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र

*440. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र चल रहे है ;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी गई ;

(ग) क्या इन केन्द्रों में रोगियों को मुफ्त दवाएं दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 715 कुष्ठ केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को 1992-93 और 1993-94 के दौरान निम्नलिखित सहायता दी गई थी :

वर्ष	नकद (लाख रुपये में)	सामग्री (लाख रुपये में)	कुल (लाख रुपये में)
1992-93	130.00	69.00	199.00
1993-94	117.00	176.40	293.40

उपर्युक्त के अतिरिक्त बहु औषध उपचार के लिए निम्नलिखित धनराशि भी जारी की गई है:

1992-93	175.51 लाख रूपये
1993-94	145.64 लाख रूपये

(ग) और (घ) जी, हां। कुष्ठ रोधी औषधियांनरिफेम्पीसिन, कलोफाजिमिन और डेम्सोन राज्य सरकारों के जरिए निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं। दूसरी सहायक तथा आवश्यक औषधियों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध की जाती है।

दवाइयों का जब्त किया जाना

श्री आनंद अहिरवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1994 के "जनसत्ता" में दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां हरियाणा में बरामद शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) जी हाँ। राज्य प्राधिकारियों ने सूचना दी है कि ई एस आई आपूर्ति और बिक्री के लिए नहीं" अंकित 16 औषधियां जब्त की गई हैं तथा एक मामला दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के नागरिक

442. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **गृह मंत्री** पड़ोसी देशों तथा राज्य के नागरिक के बारे में 26 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या **4617 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा** करेंगे कि ;

(क) क्या अपेक्षित सूचना अब तक एकत्रित कर ली गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

रक्त बैंक

443. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने रक्त बैंक हैं ;

(ख) इनमें से कितने रक्त बैंक एड्स जांच उपकरणों का प्रयोग कर रहे है ;

(ग) सभी रक्त बैंको को ऐसे उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं और राज्यों को इस मामले में कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) क्या इन बैंकों द्वारा केवल एड्स कीटाणु मुक्त रक्त की आपूर्ति करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) देश में 1018 रक्त बैंक हैं।

(ख) और (ग) चूंकि सभी रक्त बैंकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपने परिसरों में अन्दरूनी एच आई वी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करें। इसलिए सरकार ने देश के सभी रक्त बैंकों में एच आई वी परीक्षण करने के लिए 150 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केंद्रों की स्थापना की है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी रक्त बैंकों में आपसी तालमेल स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केंद्रों में एच.आई वी. परीक्षण उपकरणों, किटों तथा अन्य आवश्यक तकनीक तथा प्रशासनिक सहायता (जिसमें स्टाफ सहायता भी शामिल हैं) की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त, 372 जिला स्तर के रक्त बैंक जो प्राथमिक रूप से रक्ताधान केंद्र हैं, को रक्ताधान से पूर्व रक्त जांच के लिए तीव्र परीक्षण किटें दी जा रही हैं।

(घ) एच.आई.वी. संक्रमण के लिए रक्त की प्रत्येक यूनिट का परीक्षण पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है।

तेल उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

444. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र में प्राइवेट व्यापारियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा आरम्भ की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उदार आर्थिक नीति के अनुसरण में सरकार तेल क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करती रही है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियोजित परियोजनाएं मुख्यतया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस ओर उत्पाद की पाइपलाइन, संयुक्त उद्यम की रिफाइनरियों की स्थापना, कुछ मौजूदा रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण/डीबाटलनेकिंग/विस्तार, भराई संयंत्रों की स्थापना, एल पी जी के आयात की सुविधाओं, तटीय प्रतिष्ठानों इत्यादि के प्रावधान से संबंधित हैं। इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 26552 करोड़ रुपये है।

पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली दवाइयों का आतंक

445. डा. सुधीर राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को नशीली दवाइयों के आतंक को रोकने हेतु अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) रिपोर्टों के अनुसार कुछ विद्रोही गुटों के कुछेक सदस्यों द्वारा अपने साधनों को बढ़ाने की कोशिश में नशीले पदार्थों की तस्करी में सहायता करने के इक्के दुक्के मामले ध्यान में आए हैं। उत्तर–पूर्व राज्यों में व्याप्त स्थिति की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है और उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सुग्राही बनाया गया है।

ब्राह्मी जड़ी-बूटी

446. श्री आर० जीवरत्नम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनुष्य की स्मरणशक्ति में वृद्धि करने वाली ब्राह्मी जड़ी-बूटी का शीघ्र विपणन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस दवाई का प्रचार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या इस दवाई की प्रमाव क्षमता के संबंध में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) ब्राह्मी, वैद्यों में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक "मेधा रसायन" (दिमागी टॉनिक) है।

(ग) और (घ) औषधि नियंत्रक (भारत) ने ब्राह्मी के दो घटकों नामतः बेकोसाइट "ए" और "बी" के सीमित चरण-I चिकित्सीय परीक्षण हेतु इस औषधि की विश्वसनीयता और बरदाश्त का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय औषधि अनुसंधान को अनुमति दी है। वैज्ञानिक और औधोगिक अनुसंधान विभाग (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) ने सूचना दी है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा बाह्मी विकसित औषधि बिक्री के लिये कम से कम तीन वर्ष में तैयार होगी।

मेडिकल कॉलिज

447. डा० के०डी० जेस्वाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए ;

(ख) इनमें से कितने मेडिकल कॉलिज इस समय मान्यता प्राप्त हैं ; और

(ग) शेष कॉलिजों को मान्यता दिलाने हेतू सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भेजी गई सूचनानुसार 7वीं तथा 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 31 मेडिकल कालेज खोले गए।

(ख) इन मेडिकल कालेजों में से 5 मान्यता प्राप्त, 3 अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त हैं और एक कालेज एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमति प्राप्त है।

(ग) 14 मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान करने/उनका निरीक्षण करने की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा परिषद के विचाराधीन है। शेष 8 मेडिकल कालेजों के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के जरिए परिषद को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

बेसहारा बच्चों के लिए देखभाल केंद्र

448. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार खोले गए केंद्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन केन्द्रों को खोलने और इनके रख रखाव पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने केंद्र खोले जायेंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ख) दिनांक 31.1.1994 तक की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान इन केंद्रों पर वहन किया गया कुल व्यय 90.08 लाख रुपये है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों तथा शेष

राज्यों की राजधानियों को कवर किया जाए विद्यमान 11 नगरों को मिलाकर कुल नगरों की संख्या 37 होगी।

विवरण

उन नगरों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां 1993-94 के दौरान बेसहारा बच्चों के कल्याण संबंधी योजना कार्यान्वित की गई

क्रम सं०	राज्य का नाम	नगर का नाम	केंद्रों की संख्या
1.	गुजरात	अहमदाबाद	2
2.	कर्नाटक	बंगलौर	2
3.	महाराष्ट्र	बम्बई	5
		पूणे	2
		नागपुर	1
4.	तमिलनाडु	मद्रास	5
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3
		कानपुर	1
6.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	7
7.	दिल्ली	दिल्ली	7
		कुल :	**35**

पोलियो

449. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार किन-किन जिलों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है ;

(ख) पोलियो का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए अन्य जिलों को कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) पोलियो का पूर्णरूप से उन्मूलन कब तक कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड के अनुसार 1.1.94 तक किसी जिले को पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया है।

(ख) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वेक्सिनों, रनितल कोल्ड चेन उपस्कर, वाहनों, सिरिंजों तथा सूइयों के रूप में सामग्री देकर सहायता प्रदान की गयी है। सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों को रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन कुछ कर्मचारियों के वेतनों के लिए नगद सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) देश में वर्ष 2000 ई० तक पोलियो का उन्मूलन करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली

450. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब मिला; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

रसोई गैस कनेक्शन

451. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने कनेक्शन जारी किए गए ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान नए रसोई गैस प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(घ) कितनी गैस एजेंसियां इस समय कार्यरत हैं ;

(ङ) क्या सरकार को नए स्थानों पर और अधिक गैस एजेंसियां खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में प्रतीक्षा सूची में 7.45 लाख आवेदक थे।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	राजस्थान में दिए गए कनेक्शनों की संख्या
1991-92	48867
1992-93	37086

(ग) गैस कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता और इसलिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरों की संख्या 174 थी।

(ड.) और (च) राजस्थान के नए स्थानों सहित सभी नए स्थानों पर और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। तदनुसार राजस्थान की 1992-94 की एल पी जी विपणन योजना में 25 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्युटरशिपें शामिल की गई हैं।

मरहम-पट्टी कक्ष

[अनुवाद]

452. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य चिकित्सा प्रणालियों के लिये भी वैसे ही मरहम-पट्टी कक्ष उपलब्ध कराने का विचार है जैसा कि इस समय सी०जी०एच०एस० औषधालयों में ऐलोपेथी चिकित्सा प्रणाली के लिये उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथिक औषधालयों में उपलब्ध मरहम पट्टी कक्ष की सुविधाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए हैं।

हृदय रोग

453. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हाल ही में हृदय रोगें के उपचार के लिए "नई औषध प्रणाली" पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई औषध प्रणाली को अपनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन

454. **डा० के. वी. आर. चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस की कुल कितनी मांग है ;

(ख) देश में उत्पादन किए जा रहे पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस की कुल कितनी प्रतिशत मांग है ; और

(ग) मांग की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग का अनुमान करीब 60 मि.मि. टन पर लगाया गया है और प्राकृतिक गैस की पंजीकृत मांग 260 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की कुल जरुरत का करीब 87 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस की कुल जरुरत का करीब 17 प्रतिशत देश में उत्पादित होता है।

(ग) पूर्ण मांग को देशी उत्पादन में वृद्धि करके तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करके पूरा किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए, ओमान/इरान से एक प्रस्तावित पाइपलाइन के माध्यम से इसका आयात किया जाना विचाराधीन है।

सफाई कर्मियों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम

455. **डा० विश्वनाथम कैनिथी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे परिवार के मानदंडों के लिए स्थाई उपाय अपनाने को राजी सफाईकर्मी दम्पतियों के लक्ष्य का क्या प्रतिशत है ;

(ख) उन्हें परिवार नियोजन की विधि अपनाने के लिए क्या आकर्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) इस संबंध में सफाई कर्मियों के शिक्षा का क्या प्रतिशत है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जाति अथवा व्यवसायवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के बीच लागू है। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के बारे में विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के जरिए प्रचार-प्रसार किया जाता है। पात्र दम्पतियों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभिमत नेताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

मरुस्थल क्षेत्रों का विकास

456. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में मरुभूमि क्षेत्र की सिंचाई समस्या का अध्ययन करने के लिए इजरायल से विशेषज्ञों के एक दल ने राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इजराइल में मरुभूमि क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाई गई नकनीकों से लाभ उठाने के प्रयास किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) से (घ) जी हां। कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के आमंत्रण पर इजराइल के दो विशेषज्ञों ने अपने कृषि मंत्री के साथ 17 से 24 दिसम्बर, 1993 तक राजस्थान का दौरा किया। इसके पश्चात इजराइल के तीन विशेषज्ञों ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ राजस्थान नहर के क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया जो जोधपुर में 24.1.1994 को शुरू हुआ तथा 31.1.94 को जयपुर में सम्पन्न हुआ। सामान्यतया भारत-इजराइल प्रतिनिधि मंडल ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान क्षेत्र में दबाव सिंचाई द्वारा दुर्लभ जल संसाधन के बेहतर उपयोग की आवश्यकता तथा नगदी फसलों का उत्पादन करने के लिए कृषकों को प्रेरित करने का समथर्न किया।

नारियल तेल में कोलस्ट्रॉल की मात्रा

457. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक रुप से यह सिद्ध हो गया है कि अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में नारियल तेल में कोलस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि संतृप्त वसा की उच्चतर सान्द्रता वाले तेलों, नामतः नारियल के तेल, का प्रयोग करने वाले लोगों के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की काफी अधिक मात्रा होने की संभावना होती है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल प्रदेश

458. **श्री देवी बक्स सिहं :**

श्री बलराज पासी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के आठ पर्वतीय जिलों को सम्मिलित करके उत्तरांचल प्रदेश के गठन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) दिसम्बर, 1993 में उत्तर प्रदेश मे नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से "उत्तरांचल प्रदेश" बनाने के बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विशिष्ट व्यक्तियों के निवास क्षेत्रों से अन्य लोगों को हटाना

459. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के निवास क्षेत्रों में कार्यरत, नौकरों, धोबियों तथा अन्य बेघर लोगों को सुरक्षा कारणें से हटाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो लोगों को हटाने का यह काम किन-किन क्षेत्रों में किया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को परेशान किये जाने की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

460. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की मध्यम एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की आशा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए अधिक वित्तीय सहायता देना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) महाराष्ट्र की 14 वृहद और 22 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से, 11 वृहद परियोजनाओं नामशः गोसी खुर्द (इन्दिरा सागर), वर्ना, कार्वा कोयना कृष्णा लिफ्ट,वान, अरूणावती, सनगोला शाखा नहर, तितलारी, वावनथाडी, पुनाढ व लोअर ऊना तथा 14 मध्यम परियोजनाओं नामशः सकोल, रायगांव, जंगमहाटी लिफ्ट, जाम, मोरनागुरेघर, मसालगा, कार, हेतवाने, अपर मनार,बेनीतुरा तेम्बापूरी, शिवनातकली, चन्द्रभाग एवं पेनतकली टैंक की तकनीकी– आर्थिक जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गयी है और ये इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी हैं कि राज्य सरकार पर्यावरण/वन/पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं सम्बन्धी सस्वीकृतियों तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने जैसी कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर लें। पर्यावरण एवं वन दृष्टि कोण से परियोजना को स्वीकृति न मिलने के कारण परामर्शदात्री समिति ने दुधगंगा वृहद सिंचाई परियोजना पर विचार विमर्श अस्थगित कर दिया। शेष 2 वृहद परियोजानाओं नामशः ह्यूमैन ओर तुलतुली तथा 8 मध्यम परियोजनाओं नामशः सैकी-मकर ढोकरा, बोर–डाहेगांव, तजनापुरा लिफ्ट,कोरदीनाला, दारा, लोअर पनजारा,नगन और ब्रामनगांव लिफ्ट के बारे में राज्य सरकार को तकनीकी आर्थिक मसले हल करने हैं।.

(ख) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मुल्यांकन एजेंसियों की अनुपालना तथा पर्यावरण व वन दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति और पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं आदि पर क्ल्याण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करती है।

(ग) और (घ) योजना आयेाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजाओं के लिए 2391.54 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। 1992-93 व 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 374.00 करोड रुपए एवं 568.23 करोड रुपए है और वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुरानी अचूकत तथा नहर प्रणाली

461. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत कर्नाटक में पुरानी अचूकत तथा नहर प्रणाली के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) ऊपरी कृष्णा परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण की सिंचाई क्षमता कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) कर्नाटक में 106.79 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 377.8 हजार हेक्टे० के कुल कृष्य कमान क्षेत्र वाली 34 सिंचाई स्कीमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल की गई हैं। इन 34 स्कीमों में से 15 स्कीमें हाल में सितम्बर, 1993 में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोाजना के अंतर्गत शामिल की गई थी। शेष 19 स्कीमों में से 2 स्कीमों का कार्य पूरा हो गया है तथा 4 स्कीमों और 13 स्कीमों का कार्य क्रमशः मार्च 1994 तथा मार्च

1995 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। इन स्कीमों का ब्यौरा तथा कार्य पूरा होने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इसके शुरू होने से (अर्थात 1987-88 से) 31 जनवरी, 1994 तक कर्नाटक में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत इन स्कीमों पर लगभग 60.64 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया है। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोाजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सिंचाई कवरेज में वृद्धि हुई है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल सिंचाई स्कीमों के कमान क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार हुआ है।

(ख) अपर कृष्णा परियोजना चरण । तथा ।। की चरम सिंचाई क्षमता क्रमशः 495 हजार हेक्टे० तथा 242 हजार हेक्टे० परिकल्पित की गई है।

विवरण

कर्नाटक में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत सिंचाई स्कीमें

क्रम सं	स्कीम का नाम	रा.जल प्र. परियोजना के अंतर्गत कृ. कमान क्षेत्र (हजार हे० में)	रा.जल प्र. परियोजना के अंतर्गत अनुमानित लागत (करोड़ रु. में	रा.जल प्र. परि० के अंतर्गत कार्य पूरा करने की स्थिति)
1	2	3	4	5
1.	मैदाला	0.4	0.23	पूर्ण
2.	अरेशंकर	1.2	0.34	पूर्ण
3.	वी.वी. सागर	12.5	4.27	मार्च,94
4.	मारकोनहाली	5.3	1.40	वही
5.	नरेगल	0.6	0.24	वही
6.	रामानहाली	1.9	0.60	वही
7.	भाद्रा	92.3	27.25	मार्च,95
8.	हगरीबोमनहाली	12.5	1.18	वही
9.	कनकनाला	2.1	0.75	वही
10.	तुंगभद्रा-बायां तट नहर 54 वीं सहायक नदियां	35.5	8.09	वही

1	2	3	4	5
11.	तुगंभद्रा-दायां तट उच्च स्तरीय नहर बेगेनबाडी सहायक नदियां	6.7	1.68	मार्च, 95
12.	तुंगभद्रा-दायां तट उच्च स्तरीय नहर-7वीं सहायक नदी	17.8	2.50	वही
13.	केनवा	2.0	1.03	वही
14.	धर्मा	7.6	1.90	वही
15.	चन्द्रमपल्ली	5.2	1.60	वही
16.	तुंगा एनीकट	9.3	2.97	वही
17.	सांथीसागर	2.9	0.91	वही
18.	अर्जुन पुरा	6.7	1.68	वही
19.	अम्बीगोला	3.2	0.85	मार्च,95
20.	अयंकेरे टैंक परियोजना	1.6	0.49	*
21.	नया मेडका टैंक	2.0	0.64	*
22.	गोन्डी भाद्रा	4.6	1.44	*
23.	राया, बरवेन्ना एवं बेल्ला चैनल तुंगभद्रा परियोजना का बेल्ला चरण	4.3	1.36	*
24.	गोकाक नहर उप परियोजना	7.5	2.40	*
25.	तुंगभद्रा परियोजना की उच्च स्तरीय दायां तट सहायक नदी सं.12	3.6	1.15	*
26.	तुंगभद्रा परि० की दायीं तट उच्च स्तरीय नहर की म. नी सं. 13,	10.3	3.28	*
27.	तुंगभद्रा नहर परियोजंना की दायां तट उच्च स्तरीय नहर की सहा. नदी सं. 14	14.2	4.52	*
28.	तुंगभद्रा परियोजना की दायीं तट उच्च स्तरीय नहर की सहायक नदी सं. 15	6.9	2.20	*
29.	तुंगभद्रा परियोजना की बायीं तट उच्च स्तरीयय नहर की सहायक नदी सं. 31	21.2	5.58	*

30.	तुंगभद्रा परियोजना की बायीं तट स्तरीय सहायक नदी सं. 55	57.1	2.28	
31.	तुंगभद्रा परियोजना की बायीं तट स्तरीय सहायक नदी सं. 76	28.9	9.284	*
32.	तुंगभद्रा परियोजना की बायां तट स्तरीय सहा. नदी संख्या 85	11.3	3.62	*
33.	तुंगभद्रा परियोजना की बायां तट स्तरीय सहायक नदी संख्या 89	15.3	4.91	*
34.	तुंगभद्रा परियोजना की बायां तट स्तरीय सहायक नदी सं० 98	13.5	4.13	*
	योग	**377.8**	**106.79**	

*** ये स्कीमें हाल में सितम्बर, 1993 में राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत शामिल की गई हैं।**

"अल्जीमर्स" का आयुर्वेदिक उपचार

462. श्री इरा अन्बारासु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 दिसम्बर,1993 के "टाइम्स ऑफ इन्डिया" में "आयुर्वेदिक क्योर फॅार अल्जीमर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयुर्वेदिक औषधि का नैदानिक परीक्षण किया गया है; और

(ग) यह औषधि बाजार में कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) अश्वगंधा एक अत्यंत प्राचीन रसायन औषधि है जो वृद्धावस्था-रोधी घटक मानी जाती है तथा यह अल्जीमर्स रोग एवं बढ़ती उम्र में होने वाले ऐसे अन्य रोगों का उपचार करती है। यह बाजार में सुलभ है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐलोपैथिक दवा के रूप में इसके प्रयोग के लिए चिकित्सीय परीक्षण अभी तक नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना

463. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अन्य विदेशी संगठनों ने मध्य प्रदेश में 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितना धन उपलब्ध कराया है; और

(ख) चालू सिंचाई परियोजनाओं को वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) मध्य प्रदेश में दो परियोजनाएं नामशः विश्व बैंक सहायता से मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संयुक्त राज्य अभिकरण (यू एस ए आई डी) की सहायता से मध्य प्रदेश लघु सिचांई परियोजना पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश, विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना और बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना में भी एक भागीदार राज्य है जिसके अंतर्गत कई राज्यों को शामिल करते हुए विश्व बैंक इस परियोजना को कुल मिलाकर सहायता प्रदान कर रहा है।

तथापि, वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश मे सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी सगठनों द्वारा प्रदान की गई निधियां निम्नवत् हैं :

(राशि : मिलियन अमरीकी डालर)

	1990-91	1991-92	1992-93
(1) **विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**			
मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना	28.264	7.456	1991-92 मे बंद हो गई है
राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	11.582	11.868	28.214
बांध सुरक्षा आश्वासन	-	8.000	2.421
(2) यू एस ए आई डी से सहायता **प्राप्त परियोजना**			
मध्य प्रदेश लघु सिंचाई	6.231	10.053	3.361

(ख) 31.12.93 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना एवं बांध सुरक्षा आश्वासन व पुनर्वास परियोजना के लिए क्रमशः 15.423 मिलियन और 0.500 मिलियन अमेरिकी डालर के विश्व बैंक सहायता का उपयोग किया गया।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

464. **श्री राम विलास पासवान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुससूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है ;

(ग) इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी वार कितनी रिक्तियां आरक्षित हैं ;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय़ किये गये हैं ; और

(ड.) ये आरक्षित रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग) वांछित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत		आरक्षित रिक्तियों की संख्या 15.2.1994 की स्थिति अनुसार	
		अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अनु. जा.	अनु. ज. जा
क	17,860	8.60	2.20	9	17
ख	4,025	9.90	3.20	-	-
ग	20,248	12.80	7.00	12	13
घ	4,997	19.80	7.00	-	4
योग	**47,130**			**21**	**34**

(घ) विभिन्न वर्गों से संबधित रिक्तियां रोजगार समाचार, अन्य राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में विज्ञापित की जाती हैं तथा वर्ग "ग" की रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनु. जा./अनु.जनजाति के संघों को अधिसूचित की जाती हैं।

(ड.) विशेष भर्ती अभियान पर सरकार के निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च, 1994 तक रिक्तियों को भरने के सभी प्रयास किये गये हैं।

[हिन्दी]

एच बी जे पाइपलाइन

465. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को एच बी जे पाइपलाइन का विस्तार करके इसे शिकोहाबाद,फिरोजाबाद और आगरा के ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र तक बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) एच बी जे पाइपलाइन के साथ गैस आबंटन गैस उपलब्धता से अधिक हैं। इसलिए पाइपलाइन को शिकोहाबाद, फिरोजाबाद तथा आगरा के ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र तक बढ़ाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

467. श्री राजबीर सिंह :

श्री गोपीनाथ गजपति :

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन*:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न भागों में और अधिक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक, चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन औषधालयों को खोलने हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ; और

(घ) इन औषधालयों को कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्रिवेन्द्रम और गुवहाटी को चुना गया है।

(ग) इस योजना को सभी राज्यों के उन प्रमुख शहरों में चरणबद्ध ढ़ंग से शुरू किया जाएगा जिनमें 7500 अथवा इससे अधिक लाभार्थी रहते हैं; बशर्ते धन उपलब्ध हो।

(घ) यथाशीघ्र।

दिल्ली में अपराध

[अनुवाद]

468. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) दिल्ली में गत चार महीनों के दौरान माहवार और जोनवार अपहरण हत्या, हत्या के प्रयास,छीना झपटी, चोरी, डकैती, दंगे और लूटपाट की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) विगत वर्ष के दौरान इन घटनाओं के उक्त अवधि के तुलनात्मक आकंड़े क्या हैं ;

(ग) इनमें से कितने मामले हल कर लिए गए हैं और कितने मामले लंबित हैं ;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ड.) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) पिछले चार महीनों (अर्थात 1.10.1993 से 31.1.1994 के दौरान तथा 1.10.1992 से 31.1.1993 तक की समनुरूपी अवधि के दौरान अपहरणों, हत्याओं, हत्या के प्रयासों, लूटपाट, चोरियों, डकैतियों, दंगों और लूट के सूचित किए गए मामलों की माहवार एवं जोनवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। .

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान सूचित किए गए मामलों में से अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, चोरी, डकैती, दंगो और लूट के सुलझा लिए गए, जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या और दिल्ली में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ड.) और (च) अपराध को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं इनमें शामिल हैं-बढ़ी हुई गश्त, महत्वपूर्ण स्थलों पर पिकेट तैनात करना, आसूचना(तंत्र) को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार बार छापे मारना, निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए पुलिस अधिारियों को प्रशिक्षित करना, अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना, सूचना नेटवर्क का आधुनिकीकरण आदि।

1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.10.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष अपहरण के अधीन दर्ज किए गए मामलों को माहवार एवं यूनिटवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.	जिले का नाम	निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
		अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	3	3	2	6	1	4	4	6
2.	उत्तरी जिला	8	3	3	3	6	5	4	3
3.	उत्तर पश्चिम जिला	7	6	9	9	5	10	7	11
4.	नई दिल्ली जिला	1	2	-	-	-	1	1	11
5.	उत्तर पूर्वी	8	6	4	6	7	9	6	14
6.	पूर्वी जिला	7	11	9	8	9	8	9	5
7.	दक्षिणी जिला	6	6	7	12	5	6	2	9
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	2	3	1	2	3	5	2	1
9.	पश्चिमी जिला	4	3	4	6	8	10	13	5
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	1	-	2	-	-	-	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	1	-	-	2	-	-	-	-

1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.1.93 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष हत्या के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहवार संख्या एवं यूनिट वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

		निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
क्र.	जिले का नाम	अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	3	2	1	4	3	3	2	3
2.	उत्तरी जिला	1	2	4	3	2	3	5	2
3.	उत्तर पश्चिम जिला	11	13	5	5	6	10	3	5
4.	नई दिल्ली जिला	1	1	-	1	3	1	-	-
5.	उत्तर पूर्वी जिला	7	3	8	3	9	4	1	3
6.	पूर्वी जिला	5	3	2	2	4	3	2	1
7.	दक्षिणी जिला	10	4	5	7	7	3	4	7
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	2	5	5	7	8	2	2	3
9.	पश्चिमी जिला	10	3	3	4	2	10	7	6
10.	आई.जी.आई.एअरपोर्ट	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	1	-	-	1	-	2	1	-

1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.10.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष हत्या के प्रयास के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहवार एवं यूनिटवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

		निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
क्र.	जिले का नाम	अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	4	3	4	6	7	1	-	3
2.	उत्तरी जिला	6	4	4	5	2	2	1	2
3.	उत्तर पश्चिम जिला	3	8	7	7	12	5	7	6
4.	नई दिल्ली जिला	1	-	-	1	-	1	1	1
5.	उत्तर पूर्वी जिला	12	6	5	4	4	5	5	5
6.	पूर्वी जिला	3	3	2	1	4	4	7	3
7.	दक्षिणी जिला	5	3	4	7	8	6	4	2
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	5	1	1	4	6	1	3	2
9.	पश्चिम जिला	5	4	4	5	8	9	3	6
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	-	-	-	1	-	1	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	-	-	-	-	1	1	-	1

1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.01.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष लुटपाट के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहवार एवं यूनिटवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.	जिले का नाम	निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
		अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	4	1	7	6	3	2	1	1
2.	उत्तरी जिला	1	1	1	4	5	2	-	-
3.	उत्तर पश्चिम जिला	6	2	5	7	3	2	4	5
4.	नई दिल्ली जिला	1	-	1	-	2	1	2	2
5.	उत्तर पूर्वी जिला	1	2	-	1	4	1	1	1
6.	पूर्वी जिला	1	3	-	1	4	6	3	4
7.	दक्षिणी जिला	6	5	5	7	6	6	4	4
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	2	1	2	1	1	2	3	3
9.	पश्चिमी जिला	4	2	3	2	1	5	1	1
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	-	-	-	1	-	1	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	1	-	-	1	-	1	-	-

64 1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.10.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष चोरी के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहवार एवं यूनिटवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

		निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
क्र.	जिले का नाम	अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	98	80	95	92	80	73	83	83
2.	उत्तरी जिला	145	136	115	122	155	110	105	152
3.	उत्तर पश्चिम जिला	79	77	118	102	61	78	72	73
4.	नई दिल्ली जिला	131	114	111	110	148	167	140	126
5.	उत्तर पूर्वी जिला	57	47	69	51	48	58	46	57
6.	पूर्वी जिला	76	63	81	74	93	91	74	83
7.	दक्षिणी जिला	208	209	252	260	261	204	205	204
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	110	109	116	117	112	103	115	100
9.	पश्चिमी जिला	128	134	154	161	157	146	177	140
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	7	4	11	9	7	11	13	7
11.	अपराध एंव रेलवे	61	67	63	51	47	59	53	62

65 **1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.10.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष डकैती के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहंवार एवं यूनिटवार सख्या को दर्शाने वाला विवरण।**

		निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
क्र.	जिले का नाम	अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	उत्तरी जिला	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	उत्तर पश्चिम जिला	-	1	-	1	1	-	-	2
4.	नई दिल्ली जिला	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	उत्तर पूर्वी जिला	-	-	-	1	1	-	1	1
6.	पूर्वी जिला	-	-	-	-	-	1	1	1
7.	दक्षिणी जिला	-	-	4	3	-	-	-	-
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	पश्चिमी जिला	-	-	-	-	1	-	-	1
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	-	-	-	-	-	-	-	-

66 1.10.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान तथा इसकी समनुरूपी अवधि 1.10.92 से 31.1.93 के दौरान शीर्ष दंगों के अधीन दर्ज किए गए मामलों की माहवार एवं यूनिटवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

		निम्नलिखित महीनों के दौरान सूचित मामले				समनुरूपी अवधि के दौरान सूचित मामले			
क्र.	जिले का नाम	अक्तू- 93	नव-93	दिस-93	जन- 94	अक्तू-92	नव- 92	दिस. 92	जन- 93
1.	केन्द्रीय जिला	2	2	1	1	2	2	3	6
2.	उत्तरी जिला	4	1	3	-	1	8	1	4
3.	उत्तर पश्चिम जिला	2	10	-	1	2	5	4	2
4.	नई दिल्ली जिला	1	1	-	3	3	-	3	2
5.	उत्तर पूर्वी जिला	-	-	-	-	1	12	15	1
6.	पूर्वी जिला	1	-	-	1	1	-	1	4
7.	दक्षिणी जिला	2	4	3	5	2	3	10	4
8.	दक्षिणी–पश्चिमी जिला	3	5	4	-	1	5	6	2
9.	पश्चिमी जिला	3	1	2	3	3	2	1	1
10.	आई.जी.आई. एअरपोर्ट	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	अपराध एंव रेलवे	-	-	-	-	-	-	-	-

चीन के साथ समझौता

469. **श्री के. प्रधानी :**

श्री राम सिंह कस्वां :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चीन के सहयोग से दोहन किए जाने वाले नए कोयला क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 1994 में द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्ष विनिर्माण से संबंधित क्रियाकलापों सहित चीन और भारत के कोयला उद्योग के बीच सहयोग किए जाने पर सहमत हुए। कोयले पर एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई, ताकि सहयोग केविनिर्दिष्ट क्षेत्रों में एक औपचारिक फ्रेमवर्क मुहैया किया जा सके तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके और परस्पर सहयोग को बढ़ाए जाने के लिए कदम उठा जा सकें। भारत में भूमिगत कोयला खानों के यंत्रिकरण को प्रोन्नत किए जाने के लिए चीन के पक्ष ने लांगवाल उपकरण की आपूर्ति किए जाने की पेशकश की, जिसमें अतिरिक्त कल-पुर्जे तथा सपोर्ट-उपकरण और विनिर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए चीन के तकनिशियनों की सेवाएं शामिल हैं। भारतीय कोयला खोनों में चीन की भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी को तेजी से समाहित किए जाने का सुनिश्चय किए जाने के लिए ओर स्थानीय कल-पुर्जों की आपूर्ति तथा सेवाओं सहित देशीय खनन उपकरणों की आपूर्ति पर उत्तरोत्तर वर्षो से भारतीय खानों की निर्भरता को देखते हूए, चीन राष्ट्रीय कोयला उपकरण तथा भारत की जेसप एंड कंपनी के बीच के उपकरणों के सह-निर्माण के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत भारत में चरणबद्ध रूप में लांगवाल उपकरण का निर्माण किया जाना है।

(ग) चुर्चा वेस्ट, बेहराबंद तथा पाथरखेड़ा कोल इंडिया लि० की भूमिगत खानों और सि.को. कं. लि. की पदमावती खानी तथा आर.के.न्यटेक खानों को चीन की लागंवाल प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

गैस प्राधिकरण लिमिटेड की मांग

470. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री के०जी० शिवप्पा :

श्री वी० कृष्णा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने वितरण कार्य शुरू करने की भी मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) सरकार को गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि० से बम्बई गैस वितरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

471. **श्री मोहन रावले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) भारत सरकार-विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के संयुक्त मूल्यांन में निदान के लिए माइक्रोस्कोपी के अधिक उपयोग की आवश्यकता, बेहतर केस होल्डिंग के माध्यम से इलाज पूरा करने तथा स्टाफ के प्रशिक्षण तथा औषधों की सप्लाई में सुधार तथा बेहतर मानीटरिंग तथा निगरानी पर जोर दिया गया है।

(ग) क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बजट आबंटन को 1991-92 मे 15.25 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1993 में 37.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उच्च रोगमुक्ति दर प्राप्त करने पर बल देते हुये विश्व बैंक की सहायता के लिए एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

शुक्राणु बैंक

472. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर, 1993 के "नवभारत टाइम्स" में दिल्ली में वीर्य बैंक की स्थापना होगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(घ) क्या ऐसे शुक्राणु बैंक देश के अन्य महानगरों में भी स्थापित किए जायेंगे ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख). से (ड.) केन्द्र सरकार द्वारा न तो कोई शुक्राणु बैंक खोले गए हैं, न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है।

कुपवाड़ा की घटना

473. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 27 जनवरी, 1994 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाडा कस्बे में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई गोलाबारी की घटनामें कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया ;

(ग) क्या इस घटना के पीछे कोई विदेशी हाथ होने का संदेह है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड़.) क्या इस घटना की जांच के आदेश दिये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27.1.1994 को कुपवाड़ा नगर से गुजरते हुए सेना के एक काफिले पर उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया। बाद में दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान राज्य पुलिस के तीन कार्मिकों सहित 21 व्यक्ति मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए।

तीनों पुलिस कार्मिकों के परिवारों कों दो –दो लाख रुपए और अन्य मारे गए व्यक्तियों के परिवारो को एक-एक लाख रूपए की राहत का भुगतान किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच कराने की घोषणा की है।

बम विस्फोट

474. **श्री बारे लाल जाटव** :
श्री दिलीप भाई संघाणी :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी.बी.आई. ने गत वर्ष देश में हुए बम विस्फोटों के संबंध में किसी आतंकवादी संगठन का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन घटनाओं में विदेशी एजेंसियों/दूसरे देशों का हाथ होने के कुछ प्रमाण मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या भारत में लगातार कई स्थानों पर बम विस्फोट करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एंजेंसी इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंसी की ओर से साजिश रचने का हाल ही में पता चला है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस प्रकार की चालों को विफल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) बम्बई बम विस्फोट (मार्च, 1993) और ट्रेन बम विस्फोट (दिसम्बर,1993) की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच से यह सिद्ध हो गया है कि देश में विघटनकारी गतिविधियां आयोजित करने में पाकिस्तान आई.एस. आई. का हाथ है।

जांच से पता चला है कि बम्बई में बम विस्फोट करने में अन्तग्रस्त कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था।

इस आशय की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान आई.एस.आई. देश में और अधिक विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है।

सरकार को स्थिति की जानकारी है। आसूचना का आदान प्रदान करने, केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने, तटीय और पृष्ठ प्रदेश में गस्त गहन करने, सामारिक महत्व के स्थानों पर अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनातगी, इत्यादि जैसे कदम उठाए गये।

[अनुवाद]

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

475. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में धन के अभाव के कारण चालू सिंचाई परियोजनाओं का कार्य रूक गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि दी है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त धनराशि के

लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पे.के.थुंगन) : (क) और (ख) योजना आयेाग ने आठवीं योजना में सिचांई सेक्टर के लिए 3756 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 473 करोड़ रूपए तथा 503 करोड़ रूपए है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक सहायता से सरदार सरोवर परियोजना के अलग हो जाने के परिणामस्वरूप, सरदार सरोवर परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए गुजरात सरकार को 550 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु सहमति हुई है।

[हिन्दी]

नर्सों का अभाव

476. **श्री मती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली के अन्य प्रमुख अस्पतालों में नर्सों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठायें है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकारी अस्पतालों में ऐसी किसी कमी को सूचना नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात को विश्व बैंक की सहायता

477. **श्री रति लाल कालीदास वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पूरी सहायता का उपयोग कर लिया है;

और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में नवम्बर, 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 43.90 करोड़ रूपये की लागत से एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनंसंख्या परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भुगतान किए गए धन का राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

लेसर उपचार

478. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंख के उपचार में लेसर उपचार की महत्वपूर्ण भूमिका है ;

(ख) क्या इस उपचार के अन्तर्गत ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और उसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में लेसर उपचार को बढ़ावा देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता प्राप्त दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना के अधीन परियोजना क्षेत्र में आने वाले मेडिकल कालेज अस्पतालों में उपलब्ध लेसर उपचार सहित नेत्र परिवचर्या सेवाओं का उन्नयन करने का प्रावधान है।

रसोई गैस की कमी

479. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के, विशेष रूप से अमरेली जिले में रसोई गैस की भारी कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन रातीश कुमार शर्मा):

(क) और (ख) एल पी जी विपणन तेल कम्पनियों के अनुसार गुजरात के विद्यमान ग्राहकों की मांग को कमोबेश पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है। फिलहाल अमरेली जिले में कोई बकाया नहीं है।

(ग) प्रभावित बजारों में एल.पी.जी. की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए अस्थायी बकायों का निपटान कार्य घंटों को बढ़ाकर तथा रविवार एवं छुट्टियों के दौरान एल.पी.जी. भराई संयंत्रों को चलाकर आपूर्ति को बढ़ाकर दिया जाता हैं।

[अनुवाद]

कावेरी नदी के जल का आकलन

480. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कावेरी नदी जल के अन्तर तथा बाह्य प्रवाह का आकलन करने के लिए कोई स्थाई समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त समिति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) एक स्थायी विशेषज्ञ समिति जनवरी, 1994 में गठित की गई है जिसकी रचना और कार्य निम्नवत् हैं :

रचना

1.	मुख्य इंजीनियर (दक्षिणी क्षेत्र), केंद्रीय जल आयोग, कोयम्बतूर	अध्यक्ष
2.	मुख्य इंजीनियर (जल संसाधन विकास), प्रभारी कावेरी, कर्नाटक	सदस्य
3.	मुख्य इंजीनियर (सिंचाई एवं आयोजना), तमिलनाडु	सदस्य
4.	मुख्य इंजीनियर (अन्वेषण एवं आयोजना), केरल	सदस्य
5.	प्रधान इंजीनियर (सिंचाई), पांडिचेरी	सदस्य
6.	अधीक्षक इंजीनियर, कावेरी तथा दक्षिणी नदियां परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, बंगलौर	सदिव

समिति मोतूर जलाशय में अंतर्वाह के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा के प्रति प्रवाह

पर केंद्रीय जल आयोग के बिलिगुन्डुल जल वैज्ञानिक केंद्र पर अंतर्वाह का आकलन और सामंजस्य करेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता

481. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1993-94 में कुल कितनी धनराशि देने का आश्वासन दिया गया था ;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1993-94 और 31 जनवरी, 1994 तक कुल कितनी धनराशि दी गयी ; और

(ग) यह धनराशि किन-किन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। वर्ष 1992-93 के लिए प्रदान की गई धनराशि 1.376 करोड़ अमरीकी डालर थी और वर्ष 1994-95 के लिए 1.599 करोड़ अमरीकी डालर है।

(ख) 1992-93 के दो वर्षों के लिए दिनांक 31.12.1993 को 1.395 करोड़ अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया गया हैं।

(ग) 1994-95 के दो वर्षों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बदलते पर्यावरण में स्वास्थ्य।

(ii) स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ एवं पोषण।

(iii) समग्र स्वास्थ्य परिचर्या और मानव विकास के एक भाव के रूप में एकीकृत रोग नियंत्रण।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

482. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम** के अन्तर्गत कितनी सहायता प्रदान की है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष बिहार में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास किया गया ; और

(ग) देश में इस रोग का कब तक उन्मूलन कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये लाखों में
90-91	2225.54
91-92	2208.14
92-93	3338.02

(ख) मार्च, 1993 के अन्त तक बिहार में 6,41,723 रोगियों को रोग उपचार के बाद छुट्टी दी गई है, जरूरतमंद कुष्ठ रोगियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध है। पुनर्वासित रोगिय़ों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े एकत्र नहीं किए जातेहै।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य 2000 ईसवी तक कुष्ठ का उन्मूलन करना है जिसका यह अर्थ है कि व्याप्त दर को प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से नीचे लाना होगा।

[अनुवाद]

केरल में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

483. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.4.1991 से लेकर अब तक केरल के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता लेने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए है ;

(ख) कितने आवेदन स्वीकार किये गये हैं और उनकी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ;

(ग) स्वीकृति हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े है ; और

(घ) इन्हें स्वीकृति हेतु कब तक दी जायेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) 228

(ख) 165 स्वीकृत तथा

16 अस्वीकृत

(ग) 47

(घ) सभी लम्बित मामलों के अंतिम निपटान के लिए समय सीमा बताना कठिन है क्योंकि उन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रस्ताव सभी तरह से पूरे हों तथा राज्य सरकार की सिफारिशें भी उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग और पूर्ति

484. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री राजेन्द्र वीरप्पा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) 1993-94 में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने केलिए कितनी रसोई गैस की आवश्यकता है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी रसोई गैस का उत्पादन किया गया ;

(घ) मांग और आपूर्ति अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस समय रसोई गैस का आयात कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार देश भर में प्रतिक्षा सूची में 113.2 लाख व्यक्ति थे।

(ख) 1993-94 के दौरान इन्वेट्रि सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के एल. पी..जी. ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक एल.पी.जी. की मात्रा 3086 टी.एम.टी होने का अनुमान है।

(ग) 1993-94 के दौरान देश में एल.पी.जी. के उत्पादन की संभावित मात्रा 2690 टी एम टी है।

(घ) मौजूदा संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्र स्थापित करके तथा आयातों के माध्यम से सप्लाई बढ़ाकर एल. पी. जी. की आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना है।

(ङ) जी, हां।

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा आयात किए जाने के लिए संभावित एल. पी. जी. की मात्रा 396 टी एम टी है।

[अनुवाद]

"कैथ" प्रयोगशाला को बन्द करना

485. श्री तारा सिंह :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1994 के "स्टैट्समैन" में "गवर्नमेंट स्टॉल्स फंक्शनिंग ऑफ हास्पिटल लैब" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थापित "कैथ" प्रयोगशाल बन्द कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस प्रयोगशाला को स्थापित करने में कितनी राशि खर्च हुई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) कार्डियोन्थिरोसिक सर्जन की नियुक्ति करके कैथ प्रयोगशाला को यथाशीघ्र चालू किया जाएगा।

(घ) कैथ प्रयोगशाला की कुल लागत 1.35 करोड़ रूपये हैं।

मध्य प्रदेश में वस्तु-विनियम प्रणाली

486. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में वस्तु-विनियम प्रणाली अब भी प्रचलित है जिसके कारण व्यापारियों द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण जारी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस प्रणाली को समाप्त करने और आदिवासियों को सामाजिक व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने हेतु कोई प्रणाली कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार छोटे व्यापारियों के शोषण से आदिवासियों की रक्षा के उद्‌देश्य से गैर राष्ट्रीयकृत लघु वन उत्पाद जैसे महुआ, इमली आवंला इत्यादि को निपटाने के लिए एक निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है। भारत सरकार द्वारा स्थापित आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) आदिवासी उत्पाद के विपणन में प्रस्तावित निगम को तभी सहायता देने पर विचार कर सकेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में विश्व बैंक सहायता प्राप्त नलकूप परियोजनाएं

487. **श्री एन.जे. राठवाः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में विशेषकर आदिवासी जिलों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नलकूप परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि कब तक जारी की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) जहाँ तक जल संसाधन मंत्रालय का संबंध है, गुजरात में सिचांई के लिए कोई विश्व बैंक सहायता प्राप्त नलकूप परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां

488. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री ललित उरांव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया ;

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही छात्रवृत्ति की दर का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छात्रवृत्ति की राशि में कितनी और कब तक वृद्धि की जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों के दरें संलग्न वितरण-II मे दी गई हैं।

(ग) छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रूपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.67	480.63	636.06277
2.	अरूणाचल प्रदेश	---------- मांग प्राप्त नहीं हुई ------------		
3.	असम	16.4864	17.06	218.98079
4.	बिहार	213.4428	102.562	799.184
5.	गोवा	0.05	0.01	0.44
6.	गुजरात	213.85	291.27	310.87
7.	हरियाणा	3.34	31.68	63.16
8.	हिमाचल प्रदेश	1.89	खर्च न की गई राशि	0.296
9.	जम्मू व कश्मीर	5.944	0.77	18.132
10.	कर्नाटक	157.22	223.95579	463.86824
11.	केरल	83.15	109.734	24.952
12.	मध्य प्रदेश	250.66	377.8395	53.8105
13.	महाराष्ट्र	53.88	350.792	887.837
14.	मणिपुर	4.77	23.08	37.73
15.	मेघालय	5.77079	0.61921	34.242
16.	मिजोरम	13.84	खर्च न की गई राशि	62.1484
17.	नागालैंड	74.32	102.37	120.00
18.	उड़ीसा	100.5669	55.50	56.21

	1	2	3	4 5
19.	पंजाब	10.56	29.44	19.492
20.	राजस्थान	112.51	264.768	241.92
21.	सिक्किम	1.5955	0.74	खर्च न क. गई राशि
22.	तमिलनाडु	61.86	263.32	458.30
23.	त्रिपुरा	32.67	45.435	42.146
24.	उत्तर प्रदेश	297.97	700.00	700.00
25.	पश्चिम बंगाल	43.37	7.04	146.394
26.	अण्डामान एवं निकोबार द्वीपसमूह	----मांग प्राप्त नहीं हुई----		1.15
27.	चण्डीगढ़		--------मांग प्राप्त नहीं हुई --------	
28.	दमन और दीव	0.35554	0.8045	1.3603
29.	दादर और नगर हेवली	0.27	1.00	1.84
30.	दिल्ली	16.97	11.00	6.303
31.	लक्षद्वीप	मांग प्राप्त नही हुई		
32.	पांडिचेरी	2.36	3.78	7.91
33.	गुवाहटी परियोजना	1.00	5.00	5.00
	कुल :	**1181.341.3**	**3500.00**	**5419.74**

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें

क. अनुरक्षण भत्ता

वर्ग	**अनुरक्षण भत्ता दरें** (रू. प्रति मास)	
	होस्टलवासी	**दिवा छात्र**
1. **समूह "क"** (चिकित्सा इंजीनियरी आदि में उच्चतर व्यावसायिक/तकनीकी अध्ययन)	280	125

2. **समूह "ख"**		
(अन्य तकनीकी विषयों में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्क्रम)	190	125
3. **संमूह "ग"**		
(कला, वाणिज्य विषयों में स्नाताकोत्तर पाठ्यक्रम, इंजीनियरी,प्रौद्योगिकी, चिकित्सा में प्रमाणन्पत्र पाठ्यक्रम कुछ अन्य विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	190	125
4. **समूह "घ"**		
(स्नातक स्तर/दूसरे वर्ष से आगे तक सामान्य पाठ्यक्रम)	**175**	**90**
5. **समूह "ड."**		
(+ 2पद्धति में कक्षा 11 और 12 सामान्य पाठ्क्रमों का प्रथम वर्ष	115	65

6. **ख.** ट्यूशन व अन्य फीस

इन छात्रवृत्तियों में वापस न करने वाले ट्यूशन फीस तथा अन्य अनिवार्य फीस के भुगतान की भी व्यवस्था है।

ग. छात्रवृत्ति के अन्य घटक

क. व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन दौरा प्रभार 100 रू. प्रति वर्ष।

ख. अनुसंधान छात्रों के लिए शोध टंकण/मुद्रण प्रभार 600 रू. तक

ग. समूह "क", "ख" और "ग" के दृष्टिहीन छात्रों के लिए 100 रू. प्रति मास, समूह "घ" के लिए 75 रू. प्रति माह, तथा समूह "ड." के लिए 50 रू. प्रति मास पाठक (रीडर) प्रभार।

[हिन्दी]

बिहार में जल संसाधन

489. **श्री राम कृपाल यादव :**

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए जा सकने वाले भूजल और भूमिगत जल के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण कब तक कराये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) सिचांई राज्य का विषय है। इसलिए जल संसाधनों के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण किए जाते हैं। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए जाते हैं जनमें बिहार की नदियां भी शामिल हैं। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने बिहार में भूजल उपलब्धता का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के आधार पर, बिहार राज्य के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 2.84 मिलियन हेक्टे० मीटर आंके गये हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में बम विस्फोट में इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हाथ होना

490. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लक्सर और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर लिंक एक्सप्रेस के दो विभिन्न डिब्बों में बम फटने की घटना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इन्टेलिजेंस का हाथ होने का अंदेशा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी एम. सईद) : (क) से (ग) सरकार को, हाल ही में लिंक एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोटों में पाकिस्तान की आई.एस.आई. की अन्तग्रस्तता के बारे में कोई जानकंरी नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस के कनेक्शन

491. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन लि० ने उन सभी रसोई गैस कनेक्शनों को जारी करना फिलहाल बन्द कर दिया है जिन्हें उनके मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर 1989-90 में स्वीकृत किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोक को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं को रसोई गैस के कनेक्शन देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

भूमिगत खनन के लिए चीन की प्रौद्योगिकी

492. श्री राम कापसे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने उत्पादकता बढ़ाने के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भूमिगत खनन के लिए चीनी प्रौद्योगिकी का अनुरोध किया है ;

(ख) अक्तूबर, 1993 में प्रमुख भूमिगत खानों का सर्वेक्षण करने वाले चीनी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1993 में चीन के कोयला प्रतिनिधिमंडल ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चुर्चा वेस्ट तथा बेहराबन्द भूमिगत खानों तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० कि पाथरखेड़ा तथा टाडसी भून्गत खानों का दौरा किया था। चीन के पक्ष ने उपर्युक्त खानों का दौरा करने के पश्चात् विचार व्यक्त किए कि चुर्चा वेस्ट तथा बेहराबन्द में सख्त रूफ होने के कारण केविगं के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है तथा पाथरखेड़ा में हार्ड कोयले को भी कटिंग के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। टांडसी परियोजना के संबंध में कोई भी भावी कार्यवाही किए जाने से पूर्व आगे विकास कार्य किया जाना अपेक्षित है।

जल का आवटन

493. श्री हाराधन राय : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता पत्तन में निरन्तर बढ़ते गाद जमाव के प्रभाव और निचले पश्चिम बंगाल के जिलों में सिंचाई के पानी की बढ़ती हुई कमी की जानकरी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रिय सरकार ने गंगा नदी वाले राज्यों के बीच जल के उचित आबंटन हेतु कोई व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) और (ख) उन वर्षों के दौरान जब लीन सीजन में प्रवाह वर्ष के औसत से कम

होता है, तब पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता पत्तन को फरक्का बराज से पोषक नहर के माध्यम से कम जल प्राप्त होता है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

494. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पाकिस्तान की आई.एस.आई. आन्ध्र प्रदेश के दो शहरों हैदराबाद और सिकन्दराबाद से युवकों को भर्ती कर रही है और उन्हें आतंकवाद के प्रशिक्षण हेतु पाकिस्तान भेज रही है ;

(ख) क्या इन शहरों में बम विस्फोटों की बढ़ती हुई घटनाओं और 6 दिसम्बर, 1993 को आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस में बम की घटना में आई.एस.आई. का हाथ होने की आशंका है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस संबंध में क्या कठोर उपाया किए गए है ; और

(ड.) क्या विदेश से विशाखापत्तनम की तरफ आर.डी.एक्स. विस्फोटकों को समुद्री मार्ग से लाये जाने को रोकने के लिए आन्ध्र प्रदेश तट पर रेड एलर्ट कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) से (ड.) सरकार, स्थिति से पूरी तरह अवगत है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रही है। विदेशी बंदरगाहों से हथियारों/विस्फोटकों की संदिग्ध खेप के आने की सूचना के आधार पर, समय-समय पर राज्य सरकार तथा विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत किया गया। इस संबंध में और अधिक विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश

495. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट "इन्वेस्टमेंट इन हैल्थ" को मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से अब अपनी गतिविधियां केवल संचारी रोगों की रोकथाम तथा परिवार कल्याण तक ही सीमित रखने को कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) विश्व बैंक की "इन्वेस्टिंग इन हैल्थ" नामक विश्व विकास रिपोर्ट 1993 प्राप्त हो गई है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के

लिए उपयुक्त उचित नीतियों और कार्यनीतियों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाएं

496. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता दवाओं में प्रयुक्त मूल संघटकों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक औषधों के अधिकतर अवयव, पादप सामग्री आसानी से उपलब्ध हैं, जो निजी व्यापरियों के पास होती हैं।

वैसे, औषधीय पादप, जो सामान्यतः जंगल मेंउगते हैं, की कुछ मदों की सुरक्षा और विकास के लिए पता लगाया गया है।

[अनुवाद]

अर्न्राष्ट्रीय परिवार वर्ष

497. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार ने जनसाधारण में चेतना जगाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष मनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष मनाने हेतु एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया है ताकि जनसमूह के बीच चेतना सृजन किया जा सके।

कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

1. पारिवारिक मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना

2. राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करना।

3. भारतीय परिवारों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना।

4. कामकाजी माता-पिताओं वाले परिवारों की चुनौतियों के संबंध में अध्ययन प्रायोजित करना ।

5. अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (15 मई, 1994) इत्यादि पर स्मृति में डाक टिकट जारी करना।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस माने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। एक प्रति विवरण रूप में संलग्न हैं।

विवरण

समाज के आधारभूत इकाई के रूप में परिवारोंको सुदृढ़ करना

परिवार स्थिरता से परे व्यक्ति तथा समूह की विकास प्रक्रिया में लगी एक गतिशील इकाई है। सबसे पहले परिवार का एक जैव इकाई के रूप में देखा जा सकता है जिसमें इसके सदस्य आपस में खून के रिश्तों से जुड़े रहते हैं। ये रिश्ते अक्सर विवाह अथवा माता-पिता और संतान के बीच संबंध के माध्यम से सांस्थानिक हो जाते हैं। दूसरे रूप में एक परिवार को एक सामाजिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो सामान्यतः एक ही मकान में साथ-साथ रहतें हैं तथा अलग-अलग विकास कार्य और सामाजिक अनुष्ठानों में भागीदारी करते है। तीसरी दृष्टि से एक परिवार एक मनोवैज्ञातिक इकाई है जिसमें वैयक्तिक अनुभूतियाँ तथा सदस्यों के बीच भावनात्मक बंधन होता है। परिवार के मनोवैज्ञानिक नजरिए में बच्चे जो बाहर चले गए हों अथवा यहां तक कि मृत माता-पिता भी परिवार के अब भी अंग माने जाते हैं।

विश्व के कई हिस्सों मे विविध सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के चलते परिवारों को कठिन दबाव का सामना करना पड़ता है जो उनकी अपने सदस्यों के देखरेख की क्षमता को दुर्बल बनाता है। इस तथ्य को विश्वभर में मान्यता प्राप्त हैं कि समाज को समर्थन की जरूरत है ताकि अपने मुख्य कार्यकलापों में परिवारों को सक्षम बना सकें। आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र (साधरण सभा संकल्प 2200 क (XXI)-अनुबंधित) के अनुच्छेद 10 में व्यवस्था की गई है कि परिवार को जो समाज की प्रकृतिक तथा आधारभूत इकाई है कि स्थापना के खासतौर से तब जब वह अपने निर्भर बच्चों की शिक्षा ओर देखभाल के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। अधिकतम संभव सहायता तथा अनुरक्षण प्रदान किया जाए।

परिवारों को ठोस और साथ ही साथ लिए सामाजिक नीति के नजरिए की मूल स्तर पर आवश्यकता है। क्योंकि ये देश के समाज कल्याण वातावरण की कमजोरियों और शक्तियों का परिचायक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष का उद्देश्य

जनरल असेम्बली ने अपने संकल्प सं० 44/82 में 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष (आई. वाई.एफ) के रूप में मनाने की घोषण की है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष का उद्देश्य स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप को दीर्घावधि सतत् प्रयत्न के आरम्भ के रूप में प्रेरित करना :

(क) सरकार तथा निजी क्षेत्रों में परिवारिक मुद्दों के लए चेतना वृद्धि करना।

(ख) परिवार के संबंध में नीतियों का निर्धारण उनका कार्यान्वयन तथा मामिटर करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को सृदृढ़ करना।

(ग) परिवार की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले तथा परिवार की परिस्थितियों से प्रभावित समस्याओं पर प्रति क्रियात्मक प्रयास को बढ़ावा देना।

(घ) परिवारों से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जांए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाना।

(ड.) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच बहुक्षेत्रीय क्रियाकलापों से समर्थन में सहयोग बढ़ाना।

(च) महिलाओं, बच्चों, युवकों वृद्धों तथा विकलांगों से संबधित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा परिवार और इसके सदस्यों से संबंधित अन्य प्रमुख कार्यो के परिणाम को बढ़ाना।

सूचना सामग्री

तिमाही बुलेटिन (द फेमिली) तथा परिवार विषयों पर (इस समय केवल अंग्रेजी मे उपलब्ध) ओकेजनल पेपर सीरीजों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सचिवालय ने अंग्रेजी फेंच तथा स्पैनिंश में पुस्तिका तथा संयुक्त राष्ट्र के छः राजभाषाओं में पोस्टर प्रकाशित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लोगों के प्रयोग पर दिशानिर्देश छः राजभाषाओं में भी उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लिए स्वयं सेवी निधि

अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लिए स्वयंसेवी निधि से राष्ट्रीय परिवार वर्ष तथा इसके परिवार विशिष्ठ क्रिया-कलाप खास करके विकासशील देशों तथा अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने और परिवार विषयों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए सीमित वित्तीय समर्थन उपलब्ध है। उद्देश्यों, क्रिया–कलापों इच्छित लाभार्थियों बजट तथा प्रार्थित अपेक्षित समर्थन की राशि का खुलासा करते हुए परियोजना प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष विशिष्ठ परियोजनाओं के अनुरोधों के साथ निधि के प्रति अंशदान शपथ अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के समन्वयकर्ता को भेजे जा सकते हैं,

इस बात को संकेत देते हुए कि वे अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष हेतु स्वयंसेवी निधि के लिए है निधि के लिए अंशदान निम्नलिखित जमा किए जा सकते हैं :

संयुक्त राष्ट्रीय साधारण न्यास निधि लेखा (सं० 015-004473)केमिकल बैंक न्यूयार्क-10017 संयुक्त राज्य अमेरिका में,

अथवा

संयुक्त राष्ट्र अंशदान तथा राजस्व उत्पाद आय (डालर) लेखा (संख्या 0112-75005/007 के डिटांस्टल्ट बैंकवेरिन स्कोटेंगासी 6ए-1010 वियाना आस्ट्रिया।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सचिवालय से सूचन सभी सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों और प्रत्येक देश के अंदर संलग्न अन्य समूहों को वितरित की जा सकती है। कुछ मामलों में देश नियमित संचार प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक समन्वय समिति स्थापित करने से पहले एक लक्ष्य बिन्दु बनाना चाहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि अनवरतता सुनिश्चित करने यद्यपि, ऐसे मामले हमेशा नहीं होते, के लिए इस लक्ष्य बिन्दु को बाद में औपचारिक राष्ट्रीय समन्वय समिति के साथ मिला दिया जाए।

राष्ट्रीय समन्वय समिति

परिवार में रूचि वाले व्यक्तियों अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति, सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा योजना प्रेरणा तथा क्रियाकलाप के समन्वय के साथ एक राष्ट्रीय समन्वय तंत्र की स्थापना हेतु सरकारों को आमंत्रित किया जाता है। सरकारों से इन समन्वय समितियों की स्थापना तथा राष्ट्रीय लक्ष्य बिन्दु का अनुरक्षण और वितरण की किसी योजना के बारे में उठाये जाने वाले कदमों से अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सचिवालय को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

समन्वय तंत्र स्थापित करते समय सरकारें अन्य अंतर्राष्ट्रीय वर्षों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975), अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष (1981) अथवा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भागीदारी विकास तथा शांति (1985) के समन्वय कार्य से अपना अनुभव ले सकते हैं।

इसके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय उपयुक्त. राजनीतिक प्रभाव तथा उच्च लोक दृष्टि का होना चाहिए कुछ सरकारों ने गणराज्य के राष्ट्रपति प्रथम महिला या कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति को राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष या मानद अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

कई सरकारें विविध प्रभाव तथा संसाधनों वाले सदस्यों के एक वृहत्तर समन्वयकारी निकाय का मनोनयन करना लाभदायक मानती हैं। इस प्रकार की समन्वयकारी समिति में, समन्वय तथा सलाह सम्बन्धी कार्यों पर बल दिया जाता हैं सदस्यों के समन्वयकारी निकाय में से एक छोटी उप समिति का गठन किया जाना भी सलाह देने योग्य है ताकि प्रारंभिक कार्य क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा दृष्टिकोण समन्वयकारी समिति की तटस्थता को समिति की तटस्थता को सीमित करने तथा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनेक उप कार्य समितियों की स्थापना करने से संबंधित है।

राष्ट्रीय समन्वयकारी समिति का कार्य

राष्ट्रीय समन्वयकारी समिति के कुछ कार्य निम्न प्रकार वर्णित हैं :

स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्यकलापों का समन्वय

अपने संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से करने हेतु समिति को चाहिए कि वह आई वाई एफ से संबंधित समस्त सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकलापों के समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करें। इस स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर सभी क्रियाकलापों के लिए एक सूचना स्रोत के रूप में भी कार्य करना चाहिए। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि आई वाई एफ के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अन्य सभी समूहों के कार्यकलापों का समन्वय किया जाए अथवा इनके समन्वय कार्य का प्रशस्त किया जाए।

स्थानीय समन्वयकारी निकायों के साथ सम्बन्ध के अंतर्गत एक सुदृढ द्विपक्षी संचार का आदान-प्रदान शामिल होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय समन्वयकारी समितियों की सूचना संबंधी व्यवस्था तथा इनके रिपोर्टिंग कार्यों को विकसित किया जा सके। राष्ट्रीय समन्वयकारी समितियां स्थानीय आयोजकों एवं समूहों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दें ताकि प्रयासों के दोहराव को टाला जा सके और कार्यकलाप के समग्र क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष को बढ़ावा देना

समिति को चाहिए कि वह आई वाई एफ को स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी माध्यम की व्यवस्था करें जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के संगठन शामिल हों। इसे आई वाई एफ के लिए तथा ऐसे किए जाने वाले कार्यकलापों का समर्थन करना चाहिए तथा परिवार से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति जनमत को संवेदनशील बनाना चाहिए जिसके लिए समिति और राष्ट्रीय मिडीया के बीच एक सुदृढ साझेदारी की आवश्यकता होगी।

एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाना

समिति को चाहिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की प्रारंभिक तैयारियों एवं इसे मनाए जाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए तथा इसे कार्यान्वित करें जिसमें परिवारों की स्थिति को बेहतर बनाए जाने, प्राथमिकताओं को निर्धारण करने और कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम के सुझाव शामिल हों।

परिवारों और परिवार नीति संबंधी स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर परिवारों की स्थिति की समीक्षा और मूल्यांकन करने, विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने की आवश्यकता है। परिवार से संबंधित नीतियों, जिनमें परिवारों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं, को मॉनिटर करना तथा इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

परिवार पर अनुसंधान

समिति को चाहिए कि वह परिवार संबंधी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दे तथा इनका समन्वय करें और यदि सम्भव हो, तो स्वयं अनुसंधान कार्य शुरू करे। यह लाभजनक होगा यदि समिति अथवा कोई अन्य अपयुक्त निकाय परिवार से संबंधित राष्ट्रीय सूचना और आंकड़ों के संग्रहकर्त्ता के रूप में कार्य करे।

राष्ट्रीय विकास नीतियों में परिवार के लिए कार्यक्रमों को शामिल करना

चिरकालिक प्रभाव की दृष्टि से, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में नयी अथवा विद्यमान परिवार संबंधी कार्यक्रमों को शामिल करने हेतु रणनीतियां विकसित किया जाना समीचीन होगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष, 1994 की तैयारी के लिए उपलब्ध समय की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा समय की आवश्यकता पड़ सकती है। किन्तु इसे परिवारों को मजबूती प्रदान करने हेतु दूरगामी योजनाओं के विकास संबंधी प्रयास के एक भाग के रूप में शुरू किया जाना चाहिएं यह प्रक्रिया निम्न खण्डों में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप से वर्णित है।

राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यकलापों का समन्वय

सभी उत्सुक पार्टियों को शामिल करना

सर्वाधिक विस्तृत भागीदारी और प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की तैयारी करने तथा इसे मनाए जाने में सभी उत्सुक पार्टियों को इसमें शामिल होने हेतु निमंत्रण दिया जाना परामर्श योग्य होगा। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

(क) सामाजिक कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार अथवा परिवार से जुड़े अन्य क्षेत्रों मे कार्य करने वाले सरकारी निकाय,

(ख) परिवार, बच्चे, युवा, महिला, पुरूषों, वृद्ध व्यक्तियों तथा विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन तथा परिवार से जुड़े कार्यों में रूचि रखने वाली अन्य संस्थाएं।

(ग) पारिवारिक सम्बन्धों को समर्थन प्रदान करने में रूचि रखने वाले अथवा परिवारों के लिए ग्राहकों, मुवक्किलों अथवा कर्मचारियों के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के समूह।

कार्यकारी समूहों की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों से, जैसे किसी घटना विशेष के प्रकाशन करने अथवा इनका आयोजन करने के उद्देश्य से की जा सकती है। इन समूहों को चाहिए कि वों समन्वयकारी समिति को रिपोर्ट करें ताकि कारगर श्रम विभाजन तथा सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित किया जा सके।

सूचना के आदान-प्रदान को प्रशस्त किया जाना

उत्सुक भागीदारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के सम्बन्ध में सूचना के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने मे राष्ट्रीय समन्वयकारी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सचिवालय भी राष्ट्रीय क्रियाकलापों के बारे में नियमित रिपोर्ट प्रदान किया जाना तथा तत्संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अन्य देशों से सूचना प्राप्त करना और इनका प्रसार करना शामिल है।

राष्ट्रीय समन्वयकारी समितियों में सामान्यतः पर्याप्त प्रबंधात्मक तथा कार्यात्मक समर्थन की आवश्यकता होगी तााकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर सूचनाओं का संग्रह, इनका संचय एवं प्रसार किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष को बढ़ावा देना

समन्वयकारी समिति के कार्यों में से एक उन चरणों तथा मार्गों की योजना तैयार करना है जिनके जरिये जनता को अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष तथा पारिवारिक सवालों के बारे में सूचित किया जा सके तथा इनके प्रति विचार शील बनाया जा सके। प्रारंभिक अन्तर्राष्ट्रीय वर्षों से प्राप्त अनुभव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक उच्च स्तरीय दृष्टि की आवश्यता है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के दौरान तैयार किए गए क्रिया कलापों के प्रचार हेतु एक ठोस आरंभिक प्रक्रिया की जरूरत है।

इसके अलावा, समिति को भोजनाकरण उन्नयन एवं जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी अभियान के प्रति समय देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पृथक दृष्टिकोणों की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पारिवारिक मुद्दों के बारे में चेतना उत्पन्न करना अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना जगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय समाज तक परिवारों के महत्व को प्रतिपादित करना। अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के बारे में राष्ट्रीय समाज के सभी समूहों को जानकारी सुलभ हो सके इसके लिए विशेष प्रयत्न किए जाने की जरूरत होगी। उदाहरणार्थ, इसका अभिप्राय अल्पसंख्यकों की भाषा में, ब्रेल अथवा कैसेटों के रूप में सामग्री उपलब्ध कराया जाना होगा।

इस समय जन सूचना की वर्तमान स्थिति तथा परिवारों पर विचार का प्रचलित गलतफहमियों तथा घिसी-पिटी अवधारणाओं की पहचान सहित मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

जनमत को भांपने का काम चरणों में शुरू किया जा सकता है। पहला चरण अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की घोषणा के मीडिया को सक्रिया करना और उसकी विशेषज्ञता तथा सहयोग प्राप्त करना हो सकता है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के रूप में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय मीडिया की जन सूचना एवं सूचना के प्रसार हेतु उपयोगी साधन के रूप में व्यापक भूमिका है।

दूसरा चरण, सूचना को एकत्र करने एवं उसे वितरित करने में विभिन्न संगठनों, संघों, स्कूलों, पुस्तकालायों तथा अन्य इच्छुक समूहों का सहयोग प्राप्त करना हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रश्नावली के रूप में।

तीसरा चरण, कार्यान्वयन चरण हो सकता है जिसमें सार्वजनिक चर्चा के लिए मंचों की स्थापना करके सूचना प्रसारित की जाए। परिवार की नीतियों, पारिवारिक समस्याओं, अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की घटनाओं पर सूचना तथा अन्य सामग्रियों का व्यापक वितरण किया जाए। स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरों दोनों पर निर्णय करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य समूह होगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तार

प्रभावी योजना के लिए एक समय-सारणी सहित कदम-दर-कदम कार्य सूची बनाने की सलाह दी जाती है और यह स्पष्ट बताने हुए कि प्रत्येक मद के लिए कौन सा अंग व व्यक्ति जिम्मेदार है। यह मदें विभाजित की जा सकती हैं, उदाहरण के लिए तीन श्रेणियों में (क) विद्यमान कार्यक्रमों (ख) विशेष घटनाएं या लघु अवधि परियोजनाएं (ग) नई पहलें, में बांटा जा सकता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के विस्तार में, परिवारों के संबंध में नीतियों को तैयार करने व कार्यान्वयन में, लघु अवधि लक्ष्यों (विषयों को आयोजित करके पारिवारिक मुद्दों पर चेतना बढ़ाने, सूचना के प्रसार) तथा दीर्घ अवधि लक्ष्यों (विद्यमान कार्यक्रमों की समीक्षा, पुनर्निर्धारण या बढ़ाने और नए कार्यक्रम शुरू करने) के बीच अन्तर करना भी अचित होगा। इन दोनों कामों में योजना बनाने और प्राथमिकताओं के निर्धारण की आवश्यकता है। लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि कार्यसूची में अनुपूरकता और निरन्तरता जारी रखना ऐसी योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

स्थानीय तथा राष्ट्रीय लक्षित क्षेत्र

उपर्युक्त प्रस्तावना में दिए गए अंतराष्ट्रीय परिवार वर्ष के भोगी उन लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक देश व प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थानीय संस्कृतियों व चिंताओं के अनुसार विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों की व्यवस्था है। परिवार की अवधारणा प्रत्येक संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होती है और उसी देश में ही परिवारों की समस्याएं बहुत भिन्न हो सकती हैं।

लक्षित क्षेत्रों के चयन में, इनकी पहचान करना महत्वपूर्ण होगा :

(क) समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवार

(ख) परिवारों पर सूचना के स्रोत

(ग) परिवारो पर सूचना की पर्याप्तता।

(घ) परिवारों के संबंध मे विद्यमान गलत सूचना या अवधारणाएं

(ङ) परिवारों के समर्थन का स्वरूप, जिनकी उन्हें जरुरत है।

(च) क्या परिवारों से संबंधित कानून, मानव अधिकारों पर अंतर-राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सामान्य सभा संकल्प 34/180, संलग्न) या बाल अधिकार सम्मेलन (सामान्य सभा संकल्प 44/25) के अनुरूप है।

(छ) परिवारों के पक्ष में समुचित आर्थिक सहायता या कमी की उपलब्धता

(ज) परिवारों को समर्थन देने के लिए गैर-वित्तीय कार्यक्रमों की पर्याप्तता और उपयुक्तता

(झ) क्या विद्यमान कार्यक्रम और सेवाएं सम्मान सूचक, सद्भावपूर्ण तथा समन्वित हैं

(ञ) सेवाओं का समुचित मिश्रण

(ट) विद्यमान सेवाओं के वितरण तथा प्रशासन में समस्याएं

(ठ) परिवार के कार्यों को समर्थन तथा सुदृढ़ करने में आवश्यक सेवाएं या प्रशिक्षण का स्वरूप

(ड) अति तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना

(ढ) प्रगति के विरूद्ध बाधाएं (आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, ऐतिहासिक संस्थागत, मनोवैज्ञानिक)

(ण) परिवर्तन जो शुरू किए गए हैं और क्या ऐसी सेवाओं का विकास या अधिक नवीकरण किया जा सकता है और आगे बढ़ने के उपयुक्त उपाय।

(त) नए दृष्टिकोणों को तैयार करने व टैस्ट करने हेतु योग्ययंत्र

(थ) सहयोग के लिए आवश्यक व्यक्ति, समूह और संगठन

(द) विद्यमान स्रोतों का अधिक प्रभावी सम्मिश्रण,

राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, लघु अवधि और दीर्घ अवधि कार्रवाईयों की आवश्यकता हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय उत्साहवर्द्धक और चयनित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए।

लघु अवधि लक्ष्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना

सर्वाधिक महत्वपूर्ण लघु अवधि लक्ष्य, सामाजिक प्रगति और विकास में परिवारों के महत्व के बारे में चेतना सृजन व विस्तार करना होगा। परिवारों की स्थितियां व आवश्यकताओं पर व्यापक विचार-विमर्श करके परिवारों के मुद्दों पर सूचना एकत्र करके व्यापक प्रचारित की जानी चाहिए। अधिक गतिविधियों के अतिरिक्त, प्रोन्नयन गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, परिवारों के लिए विशेष दिनों व घटनाओं का आयोजन, बच्चों और जनता को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं व नवीकरण गति–विधियों (पोस्टरों, ब्रेजों, आसानी से पढ़े जाने वाली सामग्री आदि) में शामिल करना, और विशेष कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नगरपालिका व ग्रामीण प्राधिकारियों को प्रोत्साहन देना।

स्थानीय आवश्यकताओं या परम्पराओं पर निर्भर करते हुए लघु अवधि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों में निम्नलिखत में से कुछ को शामिल किया जा सकता है :

कार्यकलापों का प्रबंध

- पारिवारिक मुद्दों पर कांग्रेसों, सेमीनारों, बैठकों व विचार-विमर्शों का आयोजन
- विशेष "परिवार दिवसों"(जब परिवार के सदस्य कार्य स्थान देखाना चाहें, उत्सवों में भाग लें और मनोरंजन पार्कों आदि में निःशुल्क जा सकें) या परिवार पुनर्मिलन दिवसों का आयोजन (जब परिवारों को साथ-साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है)।
- परिवारों की ओर से प्रदर्शनों का आयोजन, या परिवारों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने हेतु जो कुछ भी नवीन या उपयुक्त हो।

सूचना का प्रसार

- पुस्तिकाएं, विवरणिकाएं, लेखों, पोस्टरों, पोस्टकार्डों, बेजों आदि को जारी करना।
- परिवारों से संबंधित मुद्दों और परिवार की नीतियों से संबंधित मुद्दों पर जन प्रचार के साथ सहयोग करना
- अभिभावकों के साथ बैठकें आयोजित करना और विभिन्न सामाजिक सेवाओं केन्द्रों एवं परिवार के मामलों से सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा "ओपन हाऊस" में बैठक
- पारिवारिक सेवाओं या नीतियों को कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रकाशित करने में नियोक्ताओं को शामिल करना,

विचार-विमर्श को गतिशील बनाना

- धर्म-पत्नियों, अभिभावकों, सहोदर भाईयों व बहनों और बच्चों तथा ससुर के साथ सम्बंधोंकी भूमिकाओं जैसे विभिन्न पारिवारिक विषयों पर सार्वजनिक मत, पूछताछ, वोट का प्रबंध करना।
- चित्रकला, निबंध-लेखन आदि में बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित करना
- वाद विवाद तथा सार्वजनिक विचार-विमर्श आयोजित करना।
- परिवार संबंधी मामलों पर टेलिविजन धारावाहिकों का निर्माण करना।

क्रियाकलापों के साथ उनके समय की प्राथमिकता पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यदि समन्वय समिति कार्य संचालन समूहों के गठन में समर्थ है अथवा विशेष हित के समूहों से सहयोग प्रदान करती है तो काफी अधिक मात्रा में काम निपटाया जा सकता है, बनिस्वत इसके कि समिति अकेले जिम्मेदार होती। प्रायः बहुत से व्यावसायिक एसोशिएशन तथा समूह है जो रूचि रखते होंगे तथा जिसको कुछ काम सौंपे जाएंगे। तदनुसार, संसाधनों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जोकि सभी प्रकार तथा सभी स्तर के क्रियाकलापों को समर्थन देने के लिए तथा इन

संसाधनों के जांचने के लिए विद्यमान हैं। आई.वाई.एफ को विस्तृत सम्भावित दृष्टिसीमा देने का एक रास्ता विद्यमान कार्यक्रमों में पारिवारिक विषयों तथा रूचि रखने वाले सभी संगठनों के भावी क्रियाकलापों को शामिल करना है।

दीर्घावधि उद्‌देश्यों के लिए प्राथमिकता स्थापित करना

इससे पहले और 1994 के दौरान गतिविधियों के अलावा आई.डब्ल्यू.एफ. का अनंतः उद्‌देश्य परिवारों की स्थिाति को स्थायी रूप से सुधारना है तथा उनके उन कार्यों को पूरा करने के लिए उनकी योग्यता को बढ़ाना है जिनके लिए सावधानी पूर्वक और दीर्घकालीन योजना अपेक्षित है अत्यधिाक प्रभावी दीर्घकालीन योजना के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण शर्तों में से एक शर्त परिवारों के वर्तमान स्तर पर रिपोर्ट होगी। परिवार स्तर रिपोर्ट राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ ग्रुप की बैठकें करके तैयार की जा सकती है जिसकी सिफारिशों और निष्कर्षों पर उसे विकसित किया जाएगा। तत्पश्चात् इसे प्रकाशित किया जाए और विद्यायकों, निति निर्माताओं, व्यवसायियों तथा अनुसंधान कर्त्ताओं में वितरित किया जाए ताकि इसका प्रयोग दीर्घ कालीन योजना के आधर के रूप में किया जा सके। एक दीर्घकालीन योजना के लिए पारिवारिक मामलों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना होगा।

प्रस्ताव है कि लक्ष्य और उद्‌देश्य संबंधी क्षेत्रों में समर्थित परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और कुव्यवस्था की जांच करने के बजाय उनके उचित कार्यकरण पर अधिक ध्याान दिया जाए, उदाहरणार्थ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिससे दम्पत्तियों में संबंध बढ़े और तलाक की समस्याओं में कमी आए। लक्ष्य भी पर्याप्त मात्रा में ठोस होने चाहिए और यह निश्चित करने के लिए मूल्यांकन करने की अनुमति दी जाय। कि लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। उदााहरणार्थ दमपत्तियों के बीच और अधिक समानता की व्यवस्था करने के लिए विवाह अधिनियम को अद्यतन करना, प्रसूति अवकाश में वृद्धि तथा इसे यथासंभव पिताओं के लिए भी लागू करना, शिफ्ट कार्मियों के बच्चों के लिए दिवा देखभाल केंद्र स्थापित करना उत्तरदायी पितृत्व और गृह अर्थशास्त्र पर पाठ्‌यक्रम की व्यवस्था करना, पारिवारिक झगड़ों के निवारण के लिए कार्यरत पाठ्‌यक्रम और केन्द्रों का विकास करना, पारिवारिक जीवन की तैयारी के लिए एक पाठ्‌यक्रम लागु करना।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल की कोयला खानें

498. श्री बीर सिंह महतो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में स्थित कोयला खानों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं ;

(ख) इन खानों में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ ; और

(ग) इन खानों से 1992-93 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पश्चिम बंगाल में स्थित कोयला खानों के संबंध में अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	भारत कोकिंग कोल लि०	कुल
1. खानों की संख्या	108	3	111
2. नियोजित श्रमशक्ति (सं.)	1,34,038	3,268	1,37,306

(ख) इन खानों से वर्ष 1992-93 और 1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक) उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

1992-93	1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक)
17.305	11.170(अंतिम)

(ग) इन खानों से वर्ष 1992-93 के दौरान घाटा लगभग 256.30 करोड़ रूपए की राशि का होने का अनुमान लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस में महिला कर्मी

499. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर कितनी महिला कर्मी कार्यरत थीं ;

(ख) क्या इन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस में कार्यरत महिला कर्मचारियों की (रैंक-वार) संख्या इस प्रकार है :-

निरीक्षक	–	35
उप निरीक्षक	–	74
सहा उप निरीक्षक	–	252
हैड कांस्टेबल	–	422
कांस्टेबल	–	622

(ख) और (ग) उन्हें, उनके रैंक और काड्र के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन ऑपरेशनों के दौरान मौतें

500. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परिवार नियोजन ऑपरेशनों के कारण हुई मौतों के कितने मामले प्रकाश में आये ;

(ख) इसके क्या कारण्ण हैं ; और

(ग) इस प्रवृति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम-उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है।

(ख बंध्यीकरण आपरेशनों के दौरान मौत के मुख्य कारण हैं :

सेप्टिसेमिया, ह्रदयश्वसन संरोध, फुफ्फुस, धमनी अन्तःशल्यता, आघात, थ्राम्बोसिस, आन्त्र वेधन, टेटनस, मस्तिष्क रक्तस्राव, मेनिनजाइटिस, पेरिटोनीटिस आदि।

(ग) चिकित्सा अधिकारियों को सत्त प्रशिक्षण देकर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मामलों का चयन करने, आपरेशन संबंधी क्रियाविधियों के मानकों आदि के बारे में माानदण्डों का कड़ाई से पालन करने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। मेडिकल कालेजों में स्थित मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्रों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों और परा-चिकित्सीय कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी शुरु किया गया है।

[हिन्दी]

सीमा पर गिरफ्तार किये गये आतंकवादी

501. **श्री राम बदन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान सीमा पर कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उनमें से कितने आतंकवादी दूसरे देशों/संगठनों से संबंधित हैं ; और

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 24

(ख) कोई नहीं।

(ग) कानून की विहित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

फरक्का बराज

502. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकरी है कि बैराज को गंगा के किनारों पर हो रहे निरन्तर भू-कटाव के कारण गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) गंगा नदी के तट कटाव से फरक्का बराज को कोई खतरा नहीं है।

(ख) से (घ) भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची को राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार अन्य बातों के रहते हुए (संघ सूची) की सूची-I की प्रविष्टि के प्रावधनों के अध्यधीन जल निकास तथा तटबंध राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। बराज तथा पोषक नहर के सफल तथा सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण को नदी व्यवहार्यता पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए दीर्घावधिक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसांधन केंद्र को सौंपे गए माडल अध्ययनों के परिणाम स्वरूप, मानिकचक घाट के पास दो स्परों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। फरवरी, 1994 में आयोजित फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी परामर्शदात्री समिति की बैठक में गंगा नदी के बाएं तट पर बोल्डर एप्रन तथा पिचिंग सहित 10वें रिंटायर्ड तटबंध के निर्माण तथा सुदृढीकरण की आवश्यकता पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रकाश डाला है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व केंद्रीय जल आयोग तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से इस प्रस्ताव को अनुमोदित करवाने की आवश्यकता है।

रसोई गैस के सिलेण्डरों का फटना

503. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान अब तक देश में गैस सिलेण्डरों के फटने की राज्य-वार कितनी घटनाएं प्रकाश में आयी है ;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या सुरक्षा उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल कम्पनियों के अनुसार 1993-94 के दौरान (31 जनवरी, 1994 तक) घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों में रसोई गैस सिलेन्डरों के फटने संबंधी 2 घटनाएं (गुजरात तथा केरल प्रत्येक में एक) प्रकाश में आयी हैं।

(ख) जी, कोई नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) सिलेन्डरों के निर्माण के समय प्रत्येक सिलेन्डर का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। सिलेन्डर को रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरों को भेजने से पहले प्रत्येक सिलेन्डर की भरण संयंत्र पर रसोई गैस विपणन कम्पनियों द्वारा विस्तृत गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी जांच की जाती है। तेल विपणन कंपनियों के डीलर भी केवल उत्तम और सही बजन के सिलेन्डरों की सुपुर्दगी करने तथा प्रत्येक सिलेन्डर तथा उपस्कर के संबंध में उपभोक्ता के परिसर में सुपुर्दगी पूर्व/सुपुर्दगी उपरांत जांच करने संबंधी निर्देशों के तहत हैं। रसोई गैस डिस्ट्रीब्युटर उपभोक्ता परिसर पर लगाए गए उपस्करों का प्रशिक्षित यंत्रविदों द्वारा अवधिक निरीक्षण भी किया जाता है। रसोई गैस विपणन कंपनियां रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की संभाल के सुरक्षा विषयक पहलुओं के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए क्लिनिकों/शिक्षा कार्यक्रमों को चलाती है।

एड्स का यूनानी इलाज

504. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यूनानी औषधि संस्थान, हैदराबाद ने ऐसी कुछ जड़ी-बूटियों का पता लगाया है जिनका प्रभावी प्रयोग एड्स के इलाज में हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एड्स के इलाज के लिए सरकार इन दवाइयों के प्रयोग के लिए क्या उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी कंपनियों को कोयले की आपूर्ति

505. श्री गुरूदास कामत : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों को ताप-विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयले की आपूर्ति करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । निजी विकासकर्ताओं को विद्युत क्षेत्र में शुरूआत सौंपने की सरकार की नीति के अनुरूप नए तापीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए कोयला संयोजन हेतु कुछ विदेशी कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते हुए ऐसे निम्नलिखित विद्युत उत्पादक कंपनियों को दीर्घावधि कोयला संयोजन दिए जाने का संकेत दिया गया है :

	कंपनी	प्रस्तावित तापीय विद्युत योजना
	1.	2.
(I)	मेसर्स इब घाटी विद्युत निजी लिमिटेड (मेसर्स ए. ई. एस. ट्रांसपावर के संयुक्त रूप में स्वामित्वाधीन) (यू. एस. ए.) और ओ.पी.जी.सी.)	ईब घाटी टी. पी. एस. यूनिट 3 और 4 (2x210 मे.वा.)
(II)	मेसर्स ईन्टरनेशनल कान्ट्रैक्टिंग एंड मार्केटिंग कारपोरेशन	कुडालोर टी.पी.एस. (2x525 मे. वा.)
(III)	मेसर्स अरेंको लाइन शिपिंग कंपनी लि० (सिंगापुर)	खापरखेड़ा टी.पी.एस. यूनिट 5 और 6 (2x210 मे.वा.)

मेसर्स हेलीमुथ ओबाटा एंड कासाबोंम पी.सी. (यु. एस. ए.) के द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित हासपेट टी. पी. एस (1x500 मे. वा.) के लिए अंतरिम कोयला संयोंजन को भी सहमति मिल गई है। इस विद्युत उत्पादन कंपनी को प्रस्तावित तापीय विद्युत गृह के लिए कोयला आपूर्ति के विनिर्दिष्ट स्रोत के लिए विकास हेतु एक प्रत्याशित ब्लाक दिया गया है। प्रस्तावित हिसार तापीय विद्युत गृह (2x250 मे.वा.), जिसकी कि मेसर्स कोगेन्ट्रिक इंक (यू.एस.ए.) द्वारा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है, यह सुझाव दिया गया है कि दूरगामी कोयला आपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि समर्पित खान के विकास के लिए को. इं. लि. को विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध की जा सके।

हैजा रोधी वेक्सीन

506. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान कर्नाटक ने कुल कितनी मात्रा में हैजा-रोधी वेक्सीन मंगाये हैं ;

(ख) वेक्सीनों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(ग) कर्नाटक को उक्त वेक्सीन की समय पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में 1993 में कर्नाटक सरकार से 20 लाख खुराकों का मांग-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) 714 लाख खुराकें सप्लाई की गई थीं।

(ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने 24.5.1993 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया था कि विशेष खुराकें लेने के लिए एक कूरियर भेजें।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

507. डा० अमृतलाल कालीदार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पुरुष/महिला कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं ;

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुष्ठ रोग के निवारण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ग) क्या कुष्ठ उन्मूलन केन्द्रों से रोगियों को निःशुल्क औषधि दी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 31.12.93 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में दर्ज कुष्ठ मामलों की कुल संख्या 17302 है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोगियों को उनके प्रभावी और सामयिक उपचार के लिए बहु औषध उपचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो इस रोग को फैलने से रोकती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नए तेल कुएं

508. श्री विजय नवल पाटिल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितने नए कुंओं की खुदाई की गई ;

(ख) इन कुंओं में तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की कितनी संभावनाएं हैं ;

(ग) कितने तेल कुएं बेकार पड़े हैं और कब से ; और

(घ) बेकार कुंओं की संख्या कम करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 469 अन्वेषण और विकास कूपों का वेधन किया गया जिनमें से 245 तेल/गैस धारक के रूप मे पूरे किए गए और 1.4.93 की स्थिति के अनुसार अन्य 28 परीक्षणाधीन हैं।

(ग) 1.1.94 की स्थिति के अनुसार 396 तेल कूप बेकार थे जिनमें से 196 कूप 6 माह से कम अवधि से और 200 कूप 6 माह से अधिक अवधि से बेकार थे।

(घ) इन उपायों में वर्कओवर रिग्स् की संख्या में वृद्धि करना और उनको चौबीसों घंटे प्रचालन में रखना, लाजिस्टिक और अन्य सहायता के माध्यम से अधिक वर्क ओवर कार्यकुशलता, वर्क ओवर रिग्सों को इष्टतम प्रयागे, कूप उत्प्रेरण के लिए अधिकाधिक प्रयास, कृत्रिम उठान, पानी/गैसें बन्द करने संबंधी कार्यों और अन्य वर्कओवर प्रचालनों के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी/औजारों का इस्तेमाल, रेडियल/ड्रेन होल ड्रिलिंग का प्रयोग इत्यादि शामिल है।

विद्रोह और तस्करी से निपटने के लिए भारत और म्यामार के बीच समझौता

509. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर विद्रोह, स्वापक औषध व्यापार और तस्करी से निपटने के लिए हाल में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) समझौते के उपबन्ध कब प्रभावी होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) एवं (ख) भारत-म्यामार सीमा पर अमन-चैन बनाए रखने के लिए भारत एवं म्यामार के सिविल सीमा प्राधिकारियों के बीच सहयोग पर एक सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर 21 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षर किए गए। उक्त उद्देश्य के लिए दोनों सरकारें अपने सुरक्षा बलों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में अनभिप्रेत उल्लंघनों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए सहमत हो गई हैं। वे विद्रोहियों का सीमा पार से आवागन, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार तथा अन्य जघन्य गतिविधियों जैसी गैर कानूनी तथा नकारात्मक गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से निगरानी रखेगी तथा इन पर अंकुश लगाएंगी।

(ग) सहमति पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह सचिव के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 2-4 फरवरी, 1994 से म्यामांर का दौरा किया। निकट भविष्य में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय अधिकारियों की सैक्टोरल स्तर की बैठकों की प्रथम श्रखंला का आयोजन कराये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख 21 जनवरी, 1994 से सहमति पत्र लागू हो गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल और रसोई गैस डीलरशिप का आबंटन

510. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों के लिए सब-डीलरशिप के आंबटन संबंधी कई मामले लंबित पड़े है।

(ख यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) विद्यमान नीति में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों के लिए सब-डीलरों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है तथापि, पहले की विपणन योजनाओं से लंबित एवं चालू विपणन योजना में सम्मिलित खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों तथा रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए नियुक्ति हेतु चयन तेल चयन बोर्डों द्वारा किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

511. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कम होते जा रहे कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों की धीमी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) इस संबंध में कितने निर्णयों में विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) तेल की खोज और उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने क्रुड के उत्पादान को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए हैं शुरू किए गए अल्पावधिक उपायों से चालू वर्ष के दौरान पहले ही एक मिलियन टन से अधिक उत्पादन की प्राप्ति हुई है। नये क्षेत्रों के विकास जैसे मध्यवधिक उपायों से 1994-95 से आगे उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। समेकित रूप से इन सभी उपायों से स्वदेशी उत्पादन में वर्ष 1994-95 से वृद्धि होने का अनुमान है जो 1996-97 तक करीब 44.45 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाएगा।

इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(1) गहन अन्वेषण कार्य करने के लिए ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रयास।

(2) अपेक्षाकृत कम अन्वेषण किए गए ब्लाकों में आंकड़ों की गुणवत्ता का उन्नयन करना, और

(3) अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली देने हेतु भारतीय और विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करना।

बंगाल बेसिल में तेल की खोज

512. **डा० असीम बाला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बंगाल बेसिन में और अधिक क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बंगाल बेसिन में इचापुर 1 और 2 रिग निजी कम्पनी को सौंपने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) भूकम्पीय सर्वेक्षणों तथा अन्वेषण वेधन के माध्यम से बंगाल बेसिन में अन्वेषण कार्य जारी है। आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान ओ एन जी सी लिमिटेड ने 6590 एस एल के भूकम्पीय सर्वेक्षण (द्वी-आयामी + त्रि-आयामी) तथा 5 अन्वेषण कूपों के वेधन की योजना तैयार की है। कुछ ब्लाक चौथे, पांचवें तथा छठे दौर की बोलियों में प्रस्तावित किये गये हैं। पुनश्च सातवें दौर की बोली में जिसकी अंतिम तारीख 30 जून, 1994 है, बंगाल बेसिन के 5 ब्लाक (2 तटवर्ती तथा 5 अपतटीय) प्रस्तावित किये गये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में खुदरा बिक्री केंद्र

513. **डा. वाई.एस.राजशेखर रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में कुल कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केंद्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश मे नए बिक्री केंद्र खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) 1.10.1993 की तारीख में आंध्र प्रदेश में 1196 खुदरा बिक्री केंद्र कार्य कर रहे थे ;

(ख) से (ग) चालू खुदरा बिक्री केंद्र योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 65 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों के स्थानों को शामिल किया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन से 1-2 वर्ष के भीतर ही खुदरा बिक्री डीलरशिप अपना कार्य प्रारंभ कर पाते हैं। वर्तमान में डीलरों का चयन तेल चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटना

514. डा. लाल बहादुर रावल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान असम और बिहार में स्थित कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए ; और

(ख) इस अवधि के दौरान पीड़ितों को कितनी मुआवता राशि दी गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान असम तथा बिहार में स्थित कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में घायल हुए/मृतक व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या मृत्यु को प्राप्त व्यक्तियों की संख्या

राज्य	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या		मृत्यु को प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	
	91-92	92-93	91-92	92-93
बिहार	178	189	57	72
असम	I	शून्य	शून्य	I

(ख) इस संबंध में भुगतान की गई मुआवजे की राशि (रूपए में) नीचे दर्शायी गई है :

	1991-92	1992-93
बिहार	32,88,757	55,02,549
असम	17,629	76,856

[अनुवाद]

एच० आई० वी० के मामले

515. **श्री प्रबीन डेका :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स से प्रभावित कुल व्यक्तियों का बीस प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में होने की जानकरी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सात पूर्वोत्तर राज्यों में कितने यौन-संचारी रोग एस०टी०डी० क्लीनिक खोले गए हैं ; और

(घ) एड्स के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) देश में सूचित किए गए एच आई वी रोगियों की कुल संख्या में से लगभग 14 प्रतिशत रोगी उत्तर-पूर्व राज्यों के हैं। ये रोगी अधिकतर अन्तःशिरा औषध उपयोगकर्ता हैं।

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों में 27 यौन संचारित रोग क्लिनिक खोले गए हैं।

(घ) इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का प्रयोग अर्थात युवा कार्य विभाग के सहयोग से युवाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम, वेश्याओं तथा अन्तः शिरा औषध उपयोगकर्ता के लिए शैक्षणिक पैकेजों का विकास, और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में गैर सरकारी संगठनों तथा नेहरू युवा केन्द्रों की भागीदारी सहित एक छत्र अभियान शुरू किया गया।

आर.डी.एक्स. विस्फोटक

516. **डा. विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में तोड़-फोड़ करने हेतु विदेशी एजेन्टों द्वारा भेजे जा रहे आर.डी.एक्स. के प्रवेश-मार्ग का पता लगा लिया है ; और

(ख) अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में आर.डी.एक्स. सहित विस्फोटक पदार्थों की तस्करी मुख्यतः पश्चिमी तट के रास्ते से की गई थी।

(ख) 12 मार्च, 1993 को बम्बई में हुए बम विस्फोटों के बाद, केन्द्रीय और राज्य की एजेन्सियों द्वारा की जा रही तटीय निगरानी को सुदृढ़ कर दिया गया। हाल के महीनों में किसी खेप के आने की सूचना नहीं है।

उत्तराखंड संबंधी समिति

517. **प्रो.एम. कामसन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सह समिति केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से बनायी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ;

(ङ.) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों से वहां की जातीय समस्याओं को हल करने के लिए उस क्षेत्र में नए राज्य के गठन के लिए ऐसी ही समिति बनाने का निर्देश देने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से, कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ.) सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

जांच आयोग

518. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या **गृह मंत्री** जांच आयोग के बारे में 26 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कुछ और मंत्रालयों/विभागों से सूचना की प्रतीक्षा है, जिन्हें इसे तत्काल प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक भेजे गए हैं।

नई दिल्ली में बम विस्फोट

519. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक सिनेमा हाल में जनवरी, 1994 को बम विस्फोट की घटना घटी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस घटना में कितने लोग हताहत हुए ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ;

(ङ.) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ;

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ;

(छ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ज) ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 30 जनवरी, 1994 की शाम को ओडियन सिनेमा हाल में एक विस्फोट हुआ।

(ग) इस घटना में 19 व्यक्ति घायल हुए। कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।

(घ) इस मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

(ङ.) भा.द.सं. की धारा 307/427/436, टाडा की धारा 3/4/5 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ज) सिनेमा हाल के मालिकों से, प्रवेश के समय दर्शकों की नियमित रूप से तलाशी लेने और थर्मस फलासक, टिफिन कैरियर तथा इसी तरह की अन्य चीजों को हाल के अन्दर ले जाने की अनुमति न देने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्हें थैलों की पूरी जांच पड़ताल करने तथा पूरे हाल, गलियारे, और शौचालयों की हरेक शो के आरंभ, मध्यान्तर तथा शो के अन्त में उचित जांच सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है।

राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, किए गए उपायों में, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद–विरोधी कक्ष स्थापित करना, संवेदनशील/सामरिक महत्व के स्थलों पर सशस्त्र टुकडियां तैनात करना, सचल गश्त को गहन करना, जनता को अधिक चौकन्ना बनाने के लिए उनमें शिक्षात्मक साहित्य वितरण करना, भेदिये तैनात करना, सार्वजनिक स्थलों पर कुख्यात आंतकवादियों के फोटो लगाना, सामरिक महत्व के स्थलों पर पी.सी.आर. की गाड़ियां तैनात करना, और पडोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना शामिल हैं।

नक्सलवादी गतिविधियां

520. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकसलवाद से प्रभावित राज्यों ने ऐसी गतिविधियां रोकने हेतु हाल ही में केन्द्रीय सहायता की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) गृह मंत्री द्वारा अगस्त, 1991 मे बुलायी गयी बैठक के अनुसरण में आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा राज्य सरकारों ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किये हैं। भारत सरकार ने योजना आयोग के साथ मामला उठाया, जिसने सलाह दी कि चूंकि यह विषय प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है अतः उन्हें, एक्शन प्लान को राज्य योजना के एक हिस्से के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। राज्य सरकारों को तदनुसार ही कार्यवाही करने की सलाह दी गयी।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

521. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जर्मनी की सहायता से राजस्थान में कुछ नयी सिंचाई परियोजनाएं लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें जर्मनी से सहायता प्राप्त होगी ; और

(ग) उन परियोजनाओं की सहायता की कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने जर्मनी से सहायता प्राप्त करने के वास्ते भारत सरकार को 577.39 करोड़ रुपए और 147.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रमशः "राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना फेज -II" और "गंग नहर का आधुनिकीकरण" नामक दो सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं। इन्हें जर्मनी पक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया है।

केरल में रसोई गैस एजेंसियां

522. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान केरल में रसोई गैस, और खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की कितनी एजेंसियां आबंटित की गई ;

(ख) इस प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की डीलरशिप के आबंटन में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) इन दो वर्षों के दौरान ऐसी डीलरशिप के आबंटन के विरूद्ध न्यायालायों में कितने मामले लंबित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में 26 खुदरा बिक्री केन्द्रों और II एल पी जी डिस्ट्रीब्युटरशिपों को आबंटित किया गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 3 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में चयनों को न्यायलायों में चुनौती दी गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

523. श्री अमर रायप्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय खोलने में अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शकंरानन्द) : केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एलोपैथिक औषधालय खोलने में वार्षिक आवर्ती लागत सहित औसत व्यय लगभग 25 लाख रूपये होता है। होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों के लिए इसी प्रकार का व्यय लगभग 7.5 लाख रुपये होता है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज

524. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रूप से गोदावरी क्षेत्र में तेल की खोज और नये तेल कुओं की खुदाई संबंधी कोई नये प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज तथा तेल के कुओं की खुदाई के लिए कितनी धानराशि निर्धरित की है ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान तेल की खोज तथा तेल के कुओं की खुदाइ पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है और ये स्थान कहां-कहां पर हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना (1992-97) के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि० की 8300 एस एल के और 3965 जी एल के 2डी का तथा 330 एस एस के 3डी भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त करने और 103 अन्वेषण कुंओं का वेधन करने की योजना है।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन द्वारा आठवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश (कृष्णा-गोदावरी) तटीय और तटीय बेसिनें (में अनुमानतः 1460 करोड़ रुपये के व्यय किए जाने की संभावना है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार था : -

(करोड़ रुपये)

		1991-92	1992-93
1.	सर्वेक्षण	22.16	13.28
2.	वेधन	188.42	205.84
	योग :	210.58	219.12

इन स्थानों में तटीय क्षेत्र में राजोल-नरसापुर, द्वीप, कृष्णा और मंडेपेट्टा और अपतटीय क्षेत्र में रव्वा शामिल है।

जामनगर को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित करना

525. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में गुजरात के जामनगर जिले को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जामनगर के मेयर से जामनगर को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित करने संबंधी पत्र अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस पत्र को राज्य सरकार के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

जल संसाधन

526. **श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री बारे लाल जाटव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकरी है कि पेय जल संसाधन समाप्त होने जा रहे हैं तथा भू-जल का स्तर कम होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) और (ख) जल एक पुनर्भरणीय संसाधन है तथा उपलब्ध जल (सतही और भूजल) की कुल मात्रा कामोबेश स्थिर रहती है। इसलिए सतही जल का स्तर गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेयजल की मांग जल की कुल आवश्यकता का लगभग 5% है और इसलिए भविष्य में पेयजल की समग्र उपलब्धता भी कम नहीं होगी। तथापि, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है।

राष्ट्रीयजल नीति में जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और संचालन में पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि सबसे पहले उपलब्ध जल को मानव को पेयजल जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया जाना चाहिए। नीति में आगे यह कहा गया है कि जहां कहीं पेयजल का कोई वैकल्पिक स्रोत न हो वहां सिंचाई और बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं में अनिवार्य रूप से पेयजल घटक को शामिल किया जाना चाहिए।

इस संबंध में सिंचाई और बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति प्रणाली के प्रावधान पर दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं तथा परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के समय पेयजल घटक के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में आंतकवादी गतिविधियां

527. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :

श्री बी. देवराजन :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादी मारे गये, गिरफ्तार किये गये और कितने आतंकवादियों ने आत्म समर्पण किया ;

(ख) इनमें से पाकिस्तान तथा अन्य देशों के कितने-कितने आतंकवादियां का पता चला है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नागरिक और सुरक्षाकर्मी हताहत हुए ;

(घ) सुरक्षाकर्मियों द्वारा जब्त किये गये हथियारों, गोलाबारूद और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) सरकार ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में अक्तूबर, 1993 से जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान 522 आतंकवादी मारे गए, 726 गिरफ्तार किए गए तथा 42 ने आत्मसमर्पण किया।

(ख) उक्त अवधि के दौरान मारे गए उपरोक्त आतंकवादियों में से 46 भाड़े के विदेशी सैनिकों के रूप में शिनाख्त की गई थी

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल 97 सुरक्षा बल कर्मी मारे गए तथा 311 घायल हुए, जबकि 333 नागरिक मारे गए तथा 604 घायल हुए।

(घ) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा निम्नलिखित शस्त्र तथा गोला बारूद पकड़ा गया :

रॉकेट लान्चर	36
मशीन गन	48
पी.के.गन	1
मोर्टार	4
ग्रिनेड लान्चर	4
क्लाश्निकोव रायुल	886
पिस्तौल	351
गन	22
ग्रिनेड	1089
बम	160
बारूदी सुरंग	487
रॉकेट	96
डबल्यू टी सैट	85

(ङ) राज्य में उग्रवादियों पर निरन्तर दबाव बनाए रखा जा रहा है तथा राज्य में आतंकवादियों की घुसपैठ को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए नियंत्रण रेखा और सीमा पर निगरानी और बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

कश्मीरी शरणार्थी

528. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या कश्मीरी शरणर्थियों के आवास गृहों को घाटी में आतंकवादी हर बार आग लगा देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रचलित बाजार दरों पर आग लगाए घरों की लागत का भुगतान करने और नुकसान तथा असुविधा के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सुचना के अनुसार, 1990 से दिसम्बर, 1993 तक आतंकवादी हिंसा में जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी प्रवासियों की रिहायशी इकाइयों सहित 5500 रिहायशी इकाइयां क्षतिग्रस्त हुई।

(ख) संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों और आसूचना तंत्र को विधिवत् सुग्राही बनाया गया है और निगरानी में बढ़ोत्तरी की गयी है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, कश्मीरी प्रवासियों की रिहायशी मकानों सहित अचल सम्पत्ति को पहुंची हानि के मामले में कुल नुक्सान का 50 % मुआवजा दिया जाता है बशर्ते कि यह राशि 01 लाख रूपये से अधिक न हो इसके अतिरिक्त, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संबंधित बीमा कम्पनियों द्वारा बीमाकृत मकानों के बीमा के दावों का भुगतान भी किया जा रहा है।

भूकम्प प्रभावित बाँध

529. **श्रीमती सूर्याकान्ता पाटील :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने भूकम्प से प्रभावित बाँधों की मरम्मत के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अपराध

530. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

डा. महादीपक सिहं शाक्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराधों को रोकने के लिए हाल ही में केन्द्रीय सहायता तथा सैनिक बल तैनात करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्दीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अर्द्ध-नियमित आधार पर अर्द्ध-सैनिक बलों की 30 अतिरिक्त कम्पनिगों की तैनाती का अनुरोध किया था। अनुरोध क़े अनुसार, 30 अतिरक्ति कम्पनियों को तैनात करना तो संभव नहीं हुआ, परन्तु कानपुर में साम्प्रदायिक हिंसा को हाल की घटनाओं के परिणामस्वरूप पांच अतिरिक्त कम्पनियां राज्य में भेजी गई थीं। वर्तमान में के. रि. पु. बल की 36 कम्पनियां और आर. ए. एफ. की 12 कम्पनियां उत्तर प्रदेश में तैनात हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

531. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री परस राम भारद्वाज :

श्री राम बदन :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष हुए अत्याचारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश ऐसे मामलों में गत दो महीनों के दौरान कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं और क्या अन्य कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 92 जनवरी 93, के मुकाबले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विरूद्ध दिसम्बर, 93 जनवरी, 94 के दौरान दर्ज किये गये अपराध के मामले राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :

अपराध की प्रकृति	1.12.92 से 31.01.93	1.12.93 से 31.01.94
हत्या	50	53
गंभीर चोट	89	120
बलात्कार	30	46
आगजनी	40	82
अन्य अपराध	458	512
नागरिक अधिकार संक्षरण अधिनियम,1955	23	27
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	794	1646
असंक्षेय अपराध	193	18
कुल :	1677	2504

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार लोग जागरूक हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग निर्भिकता पूर्वक मामले दर्ज करा रहे हैं और अब उनके मामले भी संज्ञेय मामलों की तरह दर्ज किये जा रहे हैं।

(घ) अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया है।

राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए पृथक रूप से क्रमशः दस ओर तीन विशेष अदालतें विनिर्दिष्ट की हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक वर्ष अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष अदाालतों की स्थापना हेतु 50:50 आधार पर केंद्रीय सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजें। 1993-94 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन हेतु विशेष अदालतों की स्थापना के लिए बजट में 650 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचार करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। राज्यों और सघं राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किये जाते हैं। जिनके जरिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम करने संबंधी एहतियाती, निवारणात्मक, दंडात्मक तथा पुनर्वास से जुड़े उपायों के बारे में सुझाव दिया जाता है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के संबंध में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 4-5 अक्तूबर, 1991 को सम्पन्न हुआ सम्मेलन में अनेक सिफारिशें की गई जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अन्याचार के मामालों की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार इन सुझावों पर उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में क्रमिक सुधारों के संदर्भ में विचार करेगी और ये अत्याचार स्वतः ही रूक जाएंगें। इस प्रकार सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करती है। 1993-94 के दौरान इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन करने हेतु बजट में विशेष संघटक योजना के लिए 273 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर गैर-अनु. ज. जा. एवं अ. जा. द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने वाला विविरण

अपराध की प्रकृति		अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जन जातियां		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1991	1992	1993	1991	1992	1993
1.	**आंध्र प्रदेश**			**जुलाई तक**			**जुलाई तक**
	हत्या	33	30	30	9	16	6
	गंभीर चोट	147	182	185	17	47	18
	बलात्कार	35	43	45	17	20	18
	आगजनी	7	17	15	-	6	1
	अन्य अपराध	255	316	288	31	93	49
	कुल	**477**	**578**	**563**	**74**	**182**	**92**
2.	**असम**						
	हत्या	1	-	-	-	-	-
	गम्भीर चोट	-	-	-	1	-	-
	बलात्कार	1	-	-	1	-	-
	आगजनी	-	-	-	-	-	-
	अन्य अपराध	12	-	-	1	-	-
	कुल	**14**	-	-	**3**	-	-

3.	**बिहार**						
	हत्या	31	25	15	1	22	-
	गंभीर चोट	27	37	37	-	23	-
	बलात्कार	54	43	27	3	27	-
	आगजनी	39	31	36	1	33	2
	अन्य अपराध	417	544	413	8	365	2
	कुल	**568**	**680**	**528**	**13**	**470**	**4**
4.	**गोवा**						
	हत्या	-	1	2	-	-	-
	गंभीर चोट	2	5	5	-	-	-
	बलात्कार	6	5	6	-	1	-
	आगज़नी	-	-	3	-	3	-
	अन्य अपराध	31	38	21	1	6	-
	कुल	**39**	**49**	**37**	**1**	**10**	**-**
5.	**गुजरात**						
	हत्या	20	27	26	19	22	16
	गंभीर चोट	94	70	64	34	60	29
	बलात्कार	14	12	21	20	34	28
	आगजनी	22	20	17	3	5	3
	अन्य अपराध	1205	1521	1565	130	48	264
	कुल	**1355**	**1650**	**1693**	**206**	**169**	**340**
6.	**हरियाणा**						
	हत्या	5	5	13	-	-	-
	गंभीर चोट	-	-	8	-	-	-
	बलात्कार	17	24	25	-	-	-
	आगजनी	2	-	-	-	-	-
	अन्य अपराध	41	56	27	-	-	-
	कुल	**65**	**85**	**73**	**-**	**-**	**-**

7.	**हिमाचल प्रदेश**						
	हत्या	-	1	2	-	-	-
	गंभीर चोट	2	5	5	-	-	-
	बलात्कार	6	5	6	-	1	-
	आगजनी	-	-	3	-	3	-
	अन्य अपराध	31	38	21	1	6	-
	कुल	**39**	**49**	**37**	**1**	**10**	**-**
8.	**जम्मू व कश्मीर**						
	हत्या	-	-	-	-	-	-
	गंभीर चोट	1	2	2	-	-	-
	बलात्कार	2	-	2	-	-	-
	आगजनी	-	3	-	-	-	-
	अन्य अपराध	39	17	15	-	8	-
	कुल	**42**	**22**	**19**	**-**	**8**	**-**
9.	**कर्नाटक**						
	हत्या	20	20	15	-	-	4
	गंभीर चोट	33	19	22	-	-	3
	बलात्कार	11	17	16	-	1	4
	आगजनी	23	35	17	1	2	2
	अन्य अपराध	637	627	681	14	2	97
	कुल	**732**	**720**	**751**	**15**	**5**	**110**
10.	**केरल**						
	हत्या	10	8	5	-	1	1
	गंभीर चोट	18	21	12	1	6	4
	बलात्कार	32	39	30	4	20	12
	आगजनी	5	21	8	1	1	2
	अन्य अपराध	595	614	383	43	174	57
	कुल	**660**	**703**	**438**	**49**	**202**	**76**

11.	**मध्य प्रदेश**						
	हत्या	92	97	71	62	17	22
	गंभीर चोट	329	236	184	152	45	79
	बलात्कार	245	287	276	190	75	204
	आगजनी	63	70	53	20	5	15
	अन्य अपराध	4653	3881	3413	1721	434	1108
	कुल	**5382**	**4571**	**3999**	**2145**	**576**	**1428**
12.	**महाराष्ट्र**						
	हत्या	29	15	13	11	12	8
	गंभीर चोट	38	35	48	17	32	17
	बलात्कार	32	36	37	18	34	39
	आगजनी	12	22	30	7	5	6
	अन्य अपराध	462	643	1238	182	262	277
	कुल	**573**	**751**	**1366**	**235**	**345**	**347**
13.	**मणिपुर**						
	हत्या	-	-	-	4	-	-
	गंभीर चोट	-	-	-	3	-	1
	बलात्कार	-	-	-	-	1	-
	आगजनी	-	-	-	-	-	-
	अन्य अपराध	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	**7**	**1**	**1**
14.	**उड़ीसा**						
	हत्या	7	11	9	2	4	4
	गंभीर चोट	16	16	20	7	2	3
	बलात्कार	13	17	22	8	14	23
	आगजनी	23	25	19	5	8	2
	अन्य अपराध	313	314	371	112	103	126
	कुल	**372**	**383**	**441**	**134**	**131**	**158**

15. पंजाब						
हत्या	21	4	1	-	-	-
गंभीर चोट	6	3	1	-	-	-
बलात्कार	3	2	4	-	-	-
आगजनी	-	-	-	-	-	-
अन्य अपराध	7	3	1	-	-	-
कुल	**37**	**12**	**7**	-	-	-
16. राजस्थान						
हत्या	39	63	22	12	19	7
गंभीर चोट	159	148	99	46	45	35
बलात्कार	113	114	81	21	42	25
आगजनी	94	79	66	13	23	18
अन्य अपराध	1693	1800	1533	455	507	405
कुल	**2098**	**2204**	**1801**	**547**	**636**	**490**
17. सिक्किम						
हत्या	-	-	-	1	-	1
गंभीर चोट	-	-	-	3	1	-
बलात्कार	-	-	-	-	-	-
आगजनी	-	-	-	-	-	1
अन्य अपराध	27	21	26	25	19	9
कुल	**27**	**21**	**26**	**29**	**20**	**11**
18. तमिलनाडु						
हत्या	11	10	13	3	-	-
गंभीर चोट	4	9	10	1	1	-
बलात्कार	6	2	6	3	-	-
आगजनी	12	12	21	18	-	1
अन्य अपराध	518	592	507	189	42	3
कुल	**551**	**625**	**557**	**214**	**43**	**4**

19.	**उत्तर प्रदेश**						
	हत्या	284	343	293	-	-	-
	गंभीर चोट	734	760	796	-	-	-
	बलात्कार	194	264	288	-	-	-
	आगजनी	284	279	302	-	-	-
	अन्य अपराध	3308	3294	2716	-	-	-
	कुल	**4804**	**4940**	**4395**	-	-	-
20.	**पश्चिमी बंगाल**						
	हत्या	-	1	1	3	2	-
	गंभीर चोट	1	1	-	-	-	1
	बलात्कार	4	4	3	-	5	1
	आगजनी	-	-	1	-	2	-
	अन्य अपराध	5	9	5	5	7	3
	कुल	**10**	**15**	**10**	**8**	**16**	**5**
21.	**दादर एवं नगर हवेली**						
	हत्या	-	-	-	-	-	-
	गर्भीर चोट	-	-	-	-	-	-
	बलात्कार	-	-	-	-	-	-
	आगजनी	-	-	-	-	-	-
	अन्य अपराध	-	-	2	-	6	-
	कुल	-	-	**2**	-	**6**	-
22.	**दिल्ली**						
	हत्या	-	1	-	-	-	-
	गंभीर चोट	-	-		-	-	-
	बलात्कार	1	-	1	-	-	-
	आगजनी	-	-	-	-	-	-
	अन्य अपराध	3	1	3	-	-	-
	कुल	**4**	**2**	**4**	-	-	-

23. **पांडिचेरी**

हत्या .	1	-	-	-	-	-
गंभीर चोट	-	-	-	-	-	-
बलात्कार	1	-	1	-	-	-
आगजनी	1	-	-	-	-	-
अन्य अपराध	2	1	5	-	-	-
कुल	5	1	6	-	-	-

[अनुवाद]

नर्सों की हड़ताल

532. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सों ने हाल ही में हड़ताल की थी ,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है , और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नर्सिज संघ ने अपनी विभिन्न मांगों पर ध्यान दिलाने के लिए 12.1.1994 को एक दिन का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था। उनकी मांगो में शामिल है--नर्सों के लिए और क्वाटर उपलब्ध करना, उच्च स्तर के पदों को भरना, संस्थान में भर्ती को केन्द्रीयकृत करना, आदि। संस्थान, जो एक स्वशासी निकाय है, के प्रबंध ने मामले का सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने के लिए नर्सों के संघ के साथ अनेक बैठकें की है।

रक्त-क्रय

533. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री राम विलास पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडियां" में "दू डेल्ही

हास्पिटल्स रिस्क एड्स विद ओपन टेंडर्स फार ब्लड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने एच०आई०वी० संक्रमण के अधिक खतरे से युक्त रक्त प्राप्त करने की प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 में डा० जे० जी० जौली द्वारा प्रस्तुत की गई दिल्ली की रक्ताधान सेवाओं की रिपोर्ट से सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम रक्ताधान प्रयोजनों के लिए पंजीकृत रक्त बैंकों से रक्त की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा था। यह मामला कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ उठाया गया था उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि बसई–दारापुर स्थित अपने अस्पताल में उनका अपना ही रक्त बैंक हो और एक डाक्टर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पहले से ही प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है।

(ग) एच०आई०वी० संक्रमण के लिए रक्त के प्रत्येक यूनिट के परीक्षण के पहले ही अनिवार्य बना दिया गया है। देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और व्यावसायिक रक्त दाताओं से रक्त ग्रहण न करने के लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं।

सिंचाई योजनायें

534. **श्री आर. अन्बारासु :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी गयी सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन योजनाओं, विशेषरूप से सोन नहर आधुनिकीकरण तथा औरंगा सरोवर–सह–बांध योजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन दो योजनाओं को चालू वित्त वर्ष में सहायता प्रदान करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) लगभग 236 करोड़ रुपए की लागत की सोन नहर आधुनिकीकरण फेज–I परियोजना पर परामर्शदात्री समिति द्वारा नवंबर, 1993 में विचार किया गया तथा इस शर्त पर स्वीकार्य

पाया गया कि राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ले।

योजना आयोग ने औरंगा जलाशय परियोजना को लगभग 125 करोड़ रूपए की लागत के लिए सितंबर, 1983 में अनुमोदन प्रदान कर दिया था। लगभग 298 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान को नवम्बर, 1993 में परामर्शदात्री समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ले तथा जल वैज्ञानिक समीक्षा शुरू कर दे।

(घ) से (ङ) जमानिया और कदवान सहित सोन नहर आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग द्वारा किया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1993-94 का आबंटन लगभग 345 करोड़ रुपए एवं 20 करोड़ रुपए है जबकि औरंगा परियोजना के लिए यह 20 करोड़ रुपए है।

विवरण

केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए बिहार राज्य सरकार से प्राप्त 24 वृहद और 29 मध्यम परियोजनाओं में से, 11 वृहद और 23 मध्यम परियोजनाओं को राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लौटा दिया गया है।

केंद्र में प्राप्त 13 वृहद और 6 मध्यम परियोजनों के नाम, मूल अनुमानित लागत, नवीनतम अनुमानित लागत और लाभ निम्नवत है:

(लागत : करोड़ रुपए/लाभ : हजार हेक्टे.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत		लाभ
		मूल	नवीनतम	
1	2	3	4	5
वृहद परियोजनाएं				
1.	सोन नहर आधुनिकीकरण फेज-I	247.00	235.93	48.60
2.	कोसी परियोजना फेज-II	114.78	114.78	73.00
3.	बुरहई जलाशय	112.50	112.50	35.00
4.	पुनासी जलाशय	26.09	173.04	24.29
5.	गंडक फेज-II	770.67	770.67	-
6.	सिकतिया बराज	115.00	110.76	40.48
7.	उत्तरी कोइल जलाशय	439.03	439.03	104.70
8.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी	127.00	1428.82	237.00

9.	तिलैया धाधर	46.74	46.74	31.70
10.	कोनार सिंचाई	93.61	93.61	62.90
11.	सुखसेनघाट पम्प नहर	20.62	20.62	23.19
12.	जमानिया पम्प नहर	94.87	94.87	30.06
13.	पुनपुन मोरहर दर्धा सिंचाई	20.78	68.92	57.88
मध्यम परियोजनाएं				
1.	सलैया जलाशय	5.95	9.21	2.67
2.	रामरेखा जलाशय	6.67	15.55	4.34
3.	धनसिंह टोली जलाशय	6.38	13.33	2.98
4.	सतपोतका जलाशय	6.66	12.66	2.35
5.	कतरी जलाशय	7.18	27.04	4.91
6.	कुंदघाट जलाशय	5.61	5.61	1.80

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

535. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए ;

(ख) 1994 में राज्य में कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे ; और

(ग) 1993 में किस राज्य में अधिकतम रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में प्रदान किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या निम्नवत है :

1991-92 47,739

1992-93 35,303

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित एल पी जी कनेक्शनों की संख्या लगभग 38,240 है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में अवैध हथियारों के कारखाने

537. श्री काशी राम राणा :

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान अब तक ऐसे कितने कारखानों का पता चला है जिनमें अवैध हथियारों का निर्माण होता है ;

(ख) इन कारखानों में निर्मित हथियारों तथा पकड़े गये हथियारों और अन्य सामग्री की मात्रा तथा किस्म का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) ऐसे मामलों की रोक--थाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) "शस्त्र अधिनियम" केन्द्र द्वारा अधिनियमित किया गया है लेकिन इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना होता है। संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (I) तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (I) के अधीन, राज्यों की पूर्व सम्मति से, शस्त्र अधिनियम/नियम के अधीन आवश्यक शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। चूंकि शस्त्र अधिनियम/नियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार से अतिलंघन किए जाने का सीधा प्रभाव कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर पड़ता है जो कि राज्य का विषय है, इसलिए शस्त्र अधिनियम/नियम के उपबन्धों को लागू किए जाने के बारे में प्रभावकारी उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं। शस्त्र अधिनियम/नियम के अधीन राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के दैनंदिन आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, प्रश्न के भाग (क) से (घ) के उत्तर में गुजरात की राज्य सरकार ने "शून्य" सूचना भेजी है।

डिस्पोजेबल सिरिन्ज

538. श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पुनः प्रयोग न किए जाने वाली सिरिन्जों और अन्य उपकरणों को दुबारा प्रयोग करने के मामले प्रकाश में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के पास प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसी वस्तुओं के पुनः प्रयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं,

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक मैनुअल का भी प्रचालन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन डिसपोजेबल नोड्ल्स और सिरिंजों को नष्ट करने और नान-डिस्पोजेबल सिरिंजों का पुनः प्रयोग करने संबंधी बातों का भी उल्लेख किया गया है।

साम्प्रदायिक वैमनस्य

539. **श्री पी.सी.थामस :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक वैमनस्य दूर करने के लिये हाल ही में कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" कायम रखना राज्य का विषय है। तथापि केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने को प्रभावित करने वाले मामलों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है। समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान, विभिन्न सम्प्रदायों के सदस्यों के बीच द्वेष, घृणा अथवा असामंजस्य फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कानून के विभिन्न अपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कोयला खनन परियोजनाएं

540. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक नई कोयला खनन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता बंद करने का विचार कर रहा है क्योंकि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असाधारण विलंब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कर्मचारी

541. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वयं सेवकों अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की कोई स्कीम बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

(i) सहायक नर्स धात्रियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरूष) का बुनियादी प्रशिक्षण।

(ii) दाइयों का प्रशिक्षण

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अविच्छिन्न शिक्षा।

(iv) मलेरिया, कुष्ठ–दृष्टिहीनता आदि के नियंतण संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे परा-चिकित्सीय कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता

542. **श्री राम विलास पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ और प्रबंधन के बीच 11 दिसमबर, 1991 को समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रबंधन ने समझौते की शर्तों को पूरा किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) इसे लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ड.) जी नहीं। तथापि आल इंडिया ओ एन जी सी अ. जा./अ.ज.जा के कर्मचारी कल्याण संघ तथा प्रबंधन के मध्य 11.12.1991 को एक बैठक हुई थी। महत्वपूर्ण मुद्दे भर्तियों के मामले में अ. जा./अ. ज.जा. के लिए आरक्षण, स्थानान्तरण तथा पदेस्थापन जैसे सेवा मामलों में अ. जा./अ. ज.जा. के कर्मचारियों को रिआयतें, समुचित कर्मचारी वाले अ.जा./अ.ज.जा. प्रभाग स्थापित करना, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार तथा ओ एन जी सी के लिए काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा अ.जा/अ.ज.जा. के लिए आरक्षण संबंधी प्रश्न से संबंधित थे। बैठक में उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है तथा अधिकांश मामलों को सुलझा लिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान के हिस्से का पानी

543. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर और भाखंड़ा नहर से पानी का अपना हिस्सा मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र सरकार क्या उपाय कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुगन) : (क) से (ग) राजस्थान को भाखड़ा नांगल करार, 1959 के अनुसार सतलुज जल की अपूर्ति की जा रही हैं। इसी प्रकार 31.12.81 के अंतर्राज्जीय करार के अनुसार रावी-व्यास जल की आपूति की जा रही है। तथापि, भिन्न-भिन्न अवधियों में नदियों में वास्तविक प्रवाह के अनुसार नदी जल में किसी राज्य का हिस्सा वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होता है। भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा रखे गए जल लेखाओं के अनुसार राजस्थान का सतलुज और रावी-व्यास जल में वास्तविक हिस्सा और उपयोग क्रमशः संलन विवरण-I तथा--II में दिया गया है।

(घ) राजस्थान इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के माध्यम से रावी-व्यास जल में से अपनी अपूर्तियां प्राप्त करता है। सतलुज जल में से, राजस्थान आंशिक रूप से बरास्ता हरियाणा अपना हिस्सा प्राप्त करता है। जब कभी राजस्थान को जल की आपूर्ति कम प्राप्त होती है तब भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड आपूर्तियों को ठीक करने के लिए संबंधित राज्य के साथ इस मामले को उठाता है।

विवरण-II

सतलुज जल से राजस्थान को अपूर्तियों की स्थिति

(आंकड़े मिलियन घन मीटर में)

अवधि	हिस्सा	वास्तविक निमुर्क्ति	अधिक (+) कमी (-)
21 मई, 90 से 20 सितंबर 90 तक	552	566	(+)14
21 सितंबर, 90 से 20 मई 91 तक	830	1022	(+)192
21 मई 91 से 20 सितंबर 91 तक	555	575	(+)20
21 सितंबर 91 से 20 मई 92 तक	863	988	(+)125

21 मई 92 से 20 सितंबर 92 तक	537	546	(+)9
21 सितंबर 92 से 20 मई 93 तक	774	881	(+)107
21 मई 93 से 20 सितंबर 93 तक	454	472	(+)18
21 सितंबर 93 से 31 जनवरी 94 तक (अनन्तिम)	368	348	(-)20

विवरण-II

रावी-व्यास जल से राजस्थान को आपूर्तियों की स्थिति

(आंकड़े मिलियन घन मीटर में)

अवधि	हिस्सा	वास्तविक निमुर्क्ति	अधिक (+) कमी (-)
21 मई 90 से 20 सितंबर 90 तक	3618	3862	(+)244
21 सितंबर 90 से 20 मई 91 तक	4844	6685	(+)837
21 मई 91 से 20 सितंबर 91 तक	3679	4053	(+)347
21 सितंबर 91 से 20 मई 92 तक	4267	5949	(+)1682
21 मई 92 से 20 सितंबर 92 तक	3239	3257	(+)18
21 सितंबर 92 से 20 मई 93 तक	5128	5835	(+)707
21 मई 93 से 21 सितंबर 93 तक	3555	3490	(-)65
21 सितंबर 93 से 31 जनवरी 94 तक (अनन्तिम)	1965	2207	(+)242

पेट्रोल के खुदरा विक्रय और रसोई गैस एजेंसियां

544. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

श्री राम बदन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान आबंटित किये गये नये खुदरा पेट्रोल विक्रय केन्द्रों तथा रसोइ गैस एजेंसियों की राज्य–वार संख्या क्या है ;

(ख) खुदरा पेट्रोल विक्रय केन्द्रों तथा रसोई गैस ऐजेंसियो के आबंटन– हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित किये गये ऐसे केन्द्रों तथा ऐजेंसियों की संख्या क्या है ; और

(घ) खुदरा पेट्रोल विक्रय केन्द्रों के आबंटन हेतु 1994 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जनवरी–दिसंबर, 1993 के दौरान अनुमोदित विपणन योजनाओं के अनुसार तेल चयन बोर्डों के माध्यम से और सरकार के विवेकाधिकार से 513 खुदरा बिक्री डीलरशिपें और 255 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गईं उपरोक्त में से 149 खुदरा बिक्री केन्द्र और 31 एल पी जी डिस्ट्रीब्युटरशिपें अनु. जातियों/जनजातियों को आबंटित की गईं।

(घ) पिछली विपणन योजना से लंबित स्थानों के अलावा चालू खुदरा बिक्री केन्द्र की विपणन योजना 1988-93 में 1519 स्थान सम्मिलित किए गए हैं। विज्ञापन की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्युटरशिप चालू करने में लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान से सहायता

545. श्री आर. जीवरत्नम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री बलराजी पासी :

श्री अन्ना जोशी :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्रीमती बसुंधरा राजे :

श्री बी. देवराजन :

श्री साईमन मरान्डी :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान, पंजाब और भारत के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है तथा इस प्रयोजनार्थ अन्य देशों में भारत विरोधी संगठनों का समर्थन जुटा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तोड़-फोड़ और आतंकवाद का देशव्यापी नेटवर्क और समर्थन व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेपाल से होकर भारतीय क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पाकिस्तानी और अरब आतंकवादियों को भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने भारत में कई स्थानों पर अड्डे बनाए हैं ;

(च) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(छ) पाकिस्तान की इस चुनौती से निपटने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत में आतंकवाद को सहायता देने और आतंकवाद को प्रेरित करने में पाकिस्तान की निश्चित अन्तर्ग्रस्तता सिद्ध हो चुकी है। इस सूचना की रिपोर्टें मिली हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले सिख उग्रवादी नेता पाक आई. एस. आई. के मार्गदर्शन में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में उनकी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए विदेशों में सिख उग्रवादी तथा कश्मीरी उग्रवादी संगठन पाकिस्तानी आई.एस.आई. के नियमित सम्पर्क में हैं।

(ग) से (च) देशव्यापी तंत्र स्थापित करने तथा विद्रोह तथा आतंकवाद के सिस्टम का समर्थन करने के लिए आई.एस.आई. भारतीय राज्य क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पाकिस्तानी तथा अन्य भाड़े के सैनिक भेज रही है।

(छ) सरकार द्वारा क़िए गए उपायों में भारत पाक सीमा के संवेदनशील भागों पर बाड़ तथा फ्लड लाइटिंग लगाना, सीमा चौकियों की दूरी कम करना, गश्तों/नाकों की संख्या में वृद्धि करना, ओ.पी. टॉवर खड़े करना, सीमा पर गश्त में बढ़ौत्ततरी करना, दिन व रात के वक्त प्रभावशाली ढंग से निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करना, आसूचना तंत्र को सुव्यवस्थित करना, सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाना आदि शामिल हैं।

कच्चे तेल का आयात

546. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) कच्चे तेल का आयात कर रही तेल कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय तेल निगम स्वतंत्र देशों के कुछ देशों से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और

(ग) यदि हां, तो किस दर पर और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था करने वाली एक मात्र एजेंसी है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1993 से जनवरी 1994 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने नाफ्टा, मास्को से 101.75 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के औसत मूल्य पर 260.05 हजार मी. टन कच्चा तेल आयात किया है।

रसोई गैस की मांग

547. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रसोई गैस की राज्यवार मांग कितनी है;

(ख) रसोई गैस के मामले में देश किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हो जाएगा; और

(ग) रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)वर्ष 1992-93 के दौरान पैक्ड और थोक एल पी जी की खपत/बिक्री को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 2001 तक देश के उत्पादन तथा अनुमानित मांग क्षमता के आरेखन के अनुसार एल पी जी की उपलब्धता में कमी जारी रहेगी।

(ग) एल पी जी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता को योजना विद्यमान स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्रों को स्थापित कर तथा आयातों के माध्यम से आपूर्तियों में वृद्धि करके की गई है।

विवरण

राज्य	1992-93 में एल पी.जी. की खपत/बिक्री (टी एम टी में)
आंध्र प्रदेश	213129
अरूणाचल प्रदेश	2084
आसाम	44849
बिहार	86050
गोवा	14295
गुजरात	258248
हरियाणा	86952
हिमाचल प्रदेश	14259
जम्मू और कश्मीर	23635
कर्नाटक	135171
केरल	91002
मध्य प्रदेश	141282
महाराष्ट्र	520536
मणिपुर	5439
मेघालय	3883
मिजोरम	2878
नागालैंड	2838
उड़ीसा	254190
पंजाब	117847
राजस्थान	106191
सिक्किम	1084
तमिलनाडु	238121
त्रिपुरा	3323

उत्तर प्रदेश	322406
प० बंगाल	147730
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान व निकोबार	576
चण्डीगढ़	15843
दादरा व नगर हवेली	408
दिल्ली	238836
दमण व दीव	545
लक्ष्य द्वीप	0
पान्डिचेरी	6910

आवासीय विद्यालय

548. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री के.जी. शिवप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव :

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने आवासीय विद्यालय है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जिला स्तर पर नवोदय विद्यालयों की तरह मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालयों की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कुल 168 आवासीय (आश्रम) विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जो निम्न प्रकार है :

	वर्ष	आश्रम विद्यालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	गुजरात	45
3.	कर्नाटक	2
4.	केरला	9
5.	महाराष्ट्र	58
6.	उड़ीसा	16
7.	सिक्किम	3
8.	तमिलनाडु	15
9.	त्रिपुरा	6
10.	उत्तर प्रदेश	3
	कुल :	168

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) जी, नहीं, तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की एक नई योजना हाल ही में शुरू की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए भी ऐसा ही एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

नर्मदा परियोजना

549. **श्री हरिन पाठक :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी एजेंसियां नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं को धनराशि उपलब्ध करा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नर्मदा परियोजना से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक प्रभावित राज्य में उनमें से अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कुछ राहत दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पुनर्वास का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना द्वारा प्रभावित तथा सितंबर, 1993 के अंत तक बसाए गए परिवारों का विवरण निम्नवत है :

राज्य	परियोजना प्रभावित परिवार			संचयी उपलब्धि-आबंटन		शेष परिवार आबंटन	
	कुल	मकान भूखंड	कृषि भूमि	मकान भूखंड	कृषि भूमि	मकान भूखडं	कृषि भूमि
गुजरात	4500	4500	4472	4147	4212	353	260
महाराष्ट्र							
क. गुजरात	999	999	999	573	591	426	408
ख. महाराष्ट्र	1739x	1739x	1739x	661	671	1078	1067
कुल	**2731x**	**2731x**	**2731x**	**1234**	**1262**	**1504**	**1476**
मध्य प्रदेश							
क. गुजरात	14124+	14124	14124	1286	1400	12838	12724
ख. मध्य प्रदेश	18890	18890	830	-	-	18890	830
कुल	**33014+**	**33014**	**14954**	**1286**	**1400**	**31728**	**13554**
कुल योग	**40252**	**40252**	**221[illegible]**	**6667**	**6874**	**33585**	**15290**

x महाराष्ट्र में जलमग्नता गांवों के पुनः सर्वेक्षण किए जाने तथा पुनर्वास प्रयोजन के लिए बालिग अविवाहित पुत्रियों को पृथक परिवार मान लिए जाने के कारण प्रभावित परिवारों की कुल संख्यां बढ़ने की संभावना है।

+ इस संख्यां में परिवर्तन होनें की संभावना है।

जल संसाधनों के उपयोग

550. श्री शांताराम पोतदुखे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने सकी कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उनके उपयोग हेतु योजनाएं बनाने/समन्वय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों के प्रतिपादन और क्रियान्वयन में भारत सरकार का निकट सहयोग सुनिश्चित करने के वास्ते गंगा बेसिन राज्यों के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग तथा ब्रह्मपुत्र/बराक बेसिन राज्यों के वास्ते ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की है।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र 400 लाख हेक्टेयर आंका है तथा अपनी वर्ष 1980 की रिपोर्ट में बाढ़ प्रबन्ध के लिए 207 दीर्घावधिक और अल्पावधिक सिफारिशें की हैं।

एड्स निगरानी केन्द्र

551. श्री बारे लाल जाटव :

श्री आनंद अहिरवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में और अधिक एड्स निगरानी केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक किन–किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य आरंभ कर देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानी राष्ट्रिक

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री चेतन पी.एस.चौहान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1993 में और 1994 के दौरान अब तक वीजा प्राप्त किया और भारत का भ्रमण किया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक अपनी वीजा की समयावधि समाप्त होने पर पाकिस्तान वापस लौट गए ;

(ग) इस समय ये पाकिस्तानी राष्ट्रिक किन–किन स्थानों पर रह रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के मामले में कोई अध्ययन कराया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 52,898 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने वीजा सहित भारत की यात्रा की और 57,352 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद वापिस पाकिस्तान चले गए। वर्ष 1994 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिक अधिकांशतया राजस्थान, महाराष्ट्र (बम्बई), मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रह रहें हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए गुजरात को केन्द्रीय सहायता

553. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री एन.जे.राठवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गत वर्ष के दौरान राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए वित्तीय या अन्य प्रकार की केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। गुजरात राज्य सरकार ने वाहनों, संचार उपकरणों, इत्यादि की खरीद के लिए 7.18 करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। चूंकि अन्य अनेक राज्य भी उग्रवाद की समस्या का समना कर रहे हैं, अतः प्रभावित राज्यों के लिए विशेष सहायता देने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना होगा।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु के संबंध में "युनीसेफ" की रिपोर्ट

554. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1994 में 'युनीसेफ' द्वारा जारी की गई विश्व बालकों की स्थिति पर 1994 की रिपोर्ट जिसमें यह उद्‌घाटित किया गया है कि प्रति वर्ष पांच बीमारियों के कारण 8 मिलियन से अधिक बच्चे मर जाते हैं, की जांच ही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "यूनीसेफ" के निदेशक ने इस शताब्दी के अन्त तक इन बीमारियों को समाप्त करने हेतु अंतिम अभियान आंरभ करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ.) क्या प्रतिवर्ष इन बीमारियों से मरने वाले बच्चों में भारत को प्रथम स्थान पर रखा गया है ; और

(च) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। यूनिसेफ अनुमानों के अनुसार विश्वभर में हर वर्ष 8 मिलियन बच्चे न्युमोनिया, अतिसार, खसरा, टेटनस तथा कुकर खांसी के कारण मर जाते हैं।

(ग) और (घ) यूनिसेफ ने अन्य बातों के साथ-साथ शताब्दी के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

(क) पोलियो का उन्मूलन

(ख) प्रसवपूर्व टेटनस को (1995 तक) समाप्त करना।

(ग) टीकाकरण पूर्व स्तरों की तुलना में खसरा रोगियों की संख्यां में 90 प्रतिशत की कमी करना तथा खसरे से होने वाली मौतों में 95 प्रतिशत की कमी करना।

(घ) एक वर्ष तक के बच्चों को कम से कम 90 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज तथा महिलाओं के गर्मधारण के वर्षों में व्यापक टेटनस टीकाकरण की उपलब्धि एवं अनुरक्षण।

(ङ.) अतिसार से होने वाली शिशु मौतों की संख्या को कम करके आधा करना तथा अतिस रोग की घटनाओं मे 25 प्रतिशत की कमी करना।

(च) तीव्र श्वसनी संक्रमणों के कारण होने वाली शिशु मौतों में एक तिहाई की की करना।

(ङ.) तथा (च) जी, नहीं। तथापि, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वैक्सीन से उपचार किए जाने वाले रोगों हेतु व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया

जा रहा है। मुखीय पुनर्जलकरण उपचार, रक्ताल्पता तथा विटामिन "ए" की कभी से बचाव, निमोनिया का उपचार स्तनपान तथा जन्म में अंतर रखने का तथा प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोत्तर पूर्व परिचर्या को सुदृढ़ करना तथा आपातकालीन प्रसूति परिचर्या को शिशु जीवनरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है।

लाटरी व्यवसाय

555. **श्री सनत कुमार मंडल :**

डा. खुशी राम डुंगरोमल जेस्वाणी :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटरी के धंधे के चलते देश के लाखों परिवार बरबाद हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार लाटरी के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) लाटरियां चलाने में कदाचार की शिकायतें समय–समय पर प्राप्त होती रहती हैं और इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है क्योंकि लाटरियों से संबंधित कदाचार और शिकायतों पर कार्यवाही करना उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। कदाचार की सूचित की गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने समय–समय पर, राज्यों को इन्हें रोकने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) से (च) अक्तूबर, 1993 में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में सभी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति मांगी थी। चूकिं दोनों ही राज्यों में विधान सभा चुनावों की घोषणा कर दी गई थी इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे चुनावों के सम्पन्न होने के बाद अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अभी तक राज्य सरकारों से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात में मछुआरों को मिट्टी के तेल का आवंटन

556. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

श्री एस.एन वेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की गुजरात सरकार से परम्परागत मछुआरों को मिट्टी के तेल का पर्याप्त आवंटन करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मासिक आवश्यकता कितनी है और सरकार ने इसकी कितनी मात्रा आवंटित की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मिट्टी का तेल मांग के अनुरूप आवंटित करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के मत्स्य क्षेत्र के लिए आबंटन 390 एम टी प्रति मास है जो गुजरात के समस्त मासिक आबंटन में ही सम्मिलित है।

(ग) और (घ) मिट्टी का तेल कमी वाला उत्पाद है और हमारी जरूरत के 40 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। देश में मिट्टी के तेल की सीमित उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कमी और आवश्यक भारी सरकारी रियायत के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है।

हालांकि बाजार मूल्य पर बिक्री के लिए समानान्तर विपणन योजना के अर्न्तगत अब मिट्टी के तेल का आयात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बंगलादेश और पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारत में आना

557. **श्री दिलीप भाई संघाणी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान और 1994 में अब तक बंगलादेश और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिन्दू भारत में आये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय वे किन–किन स्थानों पर रह रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1992 में अयोध्या में घटी घटनाओं के बाद बंगलादेश स्थित दक्षिणी जिले–भोला से हिन्दुओं के 2200 से अधिक परिवार भारत में प्रवास पर आ गए थे। पाकिस्तान से हिन्दू आबादी के प्रवासन का परिमाण, फिर भी, अपेक्षाकृत काफी कम रहा है। मुस्लिम रूढ़िवादी शक्तियों द्वारा उत्पीड़न, सिंध में जातीय हिंसा और अत्याचारों का लगातार डर ही इस प्रकार के प्रवासन के मुख्य कारण हैं।

(ग) इस समय ये लोग पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में रह रहे हैं।

[अनुवाद]

"एड्स" रोग परीक्षण

558. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

श्री आनन्द अहिरवार :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षय रोगियों के लिए एड्स की जांच अनिवार्य करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानान्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू उद्योग के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई

559. डा० विश्वनाथन कनिथि : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू उपयोग के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ग) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि० का ग्रेटर बम्बे में पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस के वितरण का एक प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत लगभग 6.2 लाख घरों, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को सम्मिलित किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए गेल एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है।

[हिन्दी]

गैस पर आधारित परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन

560. श्री एन० जे० राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में गैस पर आधारित परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को कुल 21.21 एम एम एस सी एम डी गैस आबंटित की गई है।

मणिपुर में आतंकवादी गतिविधियां।

561. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) गत वर्ष के दौरान राज्य में कितनी आतंकवादी घटनाएं घटी ;

(घ) इसके परिणामस्वरुप कितने नागरिक व सुरक्षाकर्मी हताहत हुए और सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गये और गिरफ्तार किए गए और कितने हथियार और गोलाबारूद की जब्ती की गई ;

(च) क्या राज्य में आतंकवादियों के विदशों से कोई संबंध हैं ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 1992 की तुलना में मणिपुर में 1993 के दौरान विद्रोही ग्रुपों द्वारा की गई हिंसा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह–विरोधी अभियानों को तेज करने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) मई, 1993 में हुए दंगों के अलावा कुकि-नागा झड़पों से 1993 के दौरान आंतकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ)

		1993 सत्यापित रिपोर्टों के अनुसार	1994 (16.2.1994 तक) सत्यापित रिपोर्टों के अनुसार
i)	मारे गए नागरिक	199	12
ii)	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	87	3
iii)	जख्मी हुए	179	8
iv)	सम्पत्ति की हानि (लूटी गई राशि)	4.99 लाख रूपये	0.36 लाख रूपये

(ङ)

		1993	1994
i)	मारे गए विद्रोही	54	7
ii)	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	384	53
iii)	जब्त किए गए शस्त्र/गोला बारूद	131	18

(च) से (ज) इस आशय की सूचना है कि उत्तर पूर्व में विद्रोही ग्रुपों को पड़ोसी देशों की एजेंसियों से सहायता और समर्थन दिया जा रहा है। तथापि पड़ोसी देशों ने इससे इन्कार किया है।

[अनुवाद]

हिरासत में होने वाली मौतों पर विचार गोष्ठी

562. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या दिसम्बर, 1993 में भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान की दिल्ली क्षेत्रीय शाखा ने हिरासत में होने वाली मौतों पर नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में प्रस्तुत सुझाव क्या थे ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) सरकार को, इस प्रकीर की किसी विचार गोष्ठी या इसमें की गई किसी सिफारिश के बारे में, कोई सूचना नहीं हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्राथमिकता संबंधी जाली वाउचर

563. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम लिमिटेड को रसोई गैस कनेक्शनों के लिये प्राथमिकता संबंधी जाली वाउचरों के सत्यापन के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों के लिए नकली प्राथमिकता वाले वाउचरों के संबंध में कुछ मामलों का पता लगाया गया है।

(ख) डिस्ट्रीब्यूटरों को नकली प्राथमिकता वाले वाउचरों का पता लगाने में समर्थ होने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां कहीं नकली प्राथमिकता वाले वाउचरों का पता लगा था, जमा धनराशि जब्त कर ली गई थी तथा रिफिलों की आपूर्ति रोक दी गई थी। कुछ मामलों में उपस्करों का पता लगा लिया गया है तथा मामला पुलिस में दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

मीथेन गैस का पता लगाना

564. **प्रो० राम कापसे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्रों से मीथेन गैस निकालने में पेट्रोलियम की खोज में लगी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग लेने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन कंपनियों ने इसमें रूचि दिखाई है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी हा।

(ख) कोल इंडिया लि० ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के सीमित क्षेत्र में, कोयला बेड मिथेन का उत्पादन किए जाने के लिए मेसर्स मोदी मैकेनीज मिथेन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन तथा लाइसेंस करार किया है।

अन्य कंपनियां, जिन्होंने इस संबंध में दिलचस्पी दिखाई है, उनमें मेसर्स एमेको इंडिया पेट्रोलियम कंपनी, यू.एस.ए. मेसर्स बी.एच. पी., पेट्रोलियम ऑफ आस्ट्रेलिया, मेसर्स ईसर आयल लिमिटेड, इंडिया और मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०, इंडिया शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस की बिक्री

565. **श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम एशिया से पाइपलाइल बिछाकर देश में प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से तीन बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) प्राप्त हुए विविध प्रस्तावों में से एक प्राकृतिक गैस का ओमाना से भारत को पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन करने संबंधी प्रस्ताव ओमान तेल कम्पनी (ओ० ते० कं०) को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्ताव में भारत के लिए एक सीधी गहरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाना परिकल्पित है।

आन्ध्र प्रदेश को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से धनराशि

566. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि वितरित की है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने लोगों को लाभ मिलेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15.2.1994 तक आन्ध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लिमिटेड को 13,07,94,500 रुपए (तेरह करोड़ सात लाख चौरानवें हजारा पांच सौ रूपये) निर्मुक्त किया है।

(ख) आन्ध्र प्रेदश में कुल लाभग्राहियों की संख्या जिनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपरोक्त राशि संस्वीकृत की हैं, 13,640 है।

महाराष्ट्र विकास बोर्ड

567. **श्री राम नाईक :**

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सांविधिक क्षेत्रीय विकास बोर्डो की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से विचार-विर्मश किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिए गए परिणामों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी ; और

(घ) उक्त बोर्डों की स्थापना में विलंब करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

एड्स नियंत्रण

568. डा० असीम बाला :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

प्रो० एम.कामसन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1994 को प्रत्येक राज्य में एड्स के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने एड्स का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस नीति के लिए कितनी धनराशि पृथक रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शकंरानन्द) : (क) देश में एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) देश भर में इस समय एच आई वी/एड्स के संचरण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एड्स का सामना करने की कार्यनीतियों में जोखिम-आचरण वाले वर्गों और अन्य लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, रक्त-सुरक्षा और रक्त का युक्तिसंगत इस्तेमाल तथा एच आई वी/एड्स के रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार करना है। इस परियोजना की कुल लागत 222.6 करोड़ रूपये होने का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

31 जनवरी, 1994 को भारत में एड्स के रोगी (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित किए गए)

क्रम संख्या	राज्य	एड्स रोगी
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	दिल्ली	46
4.	गुजरात	18
5.	गोवा	8
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	केरल	76
10.	मध्य प्रदेश	19
11.	महाराष्ट्र	291
12.	मणिपुर	23
13.	पांडिचेरी	6
14.	पंजाब/चंड़ीगढ़	47
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलाडु	185
17.	उत्तर प्रदेश	8
18.	पश्चिम बंगाल	18
19.	कर्नाटक	12
	कुल :	707

गोदावरी क्षेत्र में तेल का उत्पादन

569. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आंध्रप्रदेश के गोदावरी खेत्र में तेल उत्पादन की क्षमता तथा अर्थक्षमता का गइराई से अध्ययन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण से गोदावरी नदी की घाटी में तेल का अच्छा भंडार होने के संकेत मिल हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ.) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में 5 तेल और 20 गैस क्षेत्रों की खोज की है और 55.26 एम एम टी (तेल और तेल के समतुल्य गैस) भूगर्भीय भंडार स्थापित किए हैं। वर्तमान समय में इस बेसिन के क्षेत्रों से 90 एम टी तेल (प्रति दिन) का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आठवीं योजना अवधि के दौरान और अधिक आंकड़े एकत्र करने और अन्वेषण कूपों को खोदने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

जनसंख्या घड़ी

570. **श्री वीर. सिंह महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक किन–किन स्थानों पर जनसंख्या घड़ियां लगाई जा चुकी हैं ;

(ख) किन-किन स्थानों पर और जनसंख्या घड़ियां लगाई जाएंगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में ऐसी घड़ियां लगाने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जनसंख्या घड़ियां देश में अब तक पांच स्थानों पर लगायी जा चुकी हैं :

- अन्तर्राज्यीय बस बड्डा, दिल्ली।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
- प्रगति मैदान, नई दिल्ली।
- निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- ट्रिब्यून कार्यालय, चंडीगढ़।

(ख) लखनऊ और बंगलौर में दो और जन-संख्या घड़ियां लगाई जानी हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ.) इस प्रयोजन के लिए कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

तेल का आयात

571. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से दुगना तेल आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना तेल आयात किये जानेका अनुमान है ;

(ग) 1992-93 में कितने तेल का आयात हुआ ;

(घ) संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीदने के कारण कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ङ.) क्या भारत पहली बार ओमान और यमन से तेल खरीदने जा रहा है ; और

(च) स्वदेशी रूप से तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक आवधिक संविदा की है जिसके अंतर्गत 1992-93 के दौरान आयात किये गये 1.0 एम एम टी कच्चे तेल की तुलना में अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान 2.0 एम एम टी कच्चा तेल आयात किया जाना है।

(घ) संयुक्त अरब अमीरात से तेल की खरीद के लिए किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है और संयुक्त अरब अमीरात से आयात किए जाने वाले 2.0 एम एम टी कच्चे तेल का अनुमानित मूल्य लगभग 213.07 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ङ) कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन की ओमान के साथ फिलहाल कोई आवधिक संविदा नहीं है। लगभग 0.7 एम एम टी कच्चे तेल के आयात के लिए यमन के साथ एक संविदा पर सितम्बर, 1993 से अगस्त, 1994 के दौरान प्रथम बार हस्ताक्षर किए गए।

(च) अन्वेषण और तदुपरांत उत्पादन के क्षेत्र में जोखिम आसन्न पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक आकर्षक शर्तों की पेशकश की है। मध्यम आकार के क्षेत्रों और छोटे आकार के क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के लिए संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत निजी कंपनियों द्वारा विकास के लिए अन्वेषित तेल और गैस क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है।

न्यू केन्डा कोयला खानें

572. **डा. सुधीर राय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने न्यू केन्डा कोयला क्षेत्र में खनन कार्य के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक से अनुमति ली थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

गुजरात में सिंचाई सुविधाएं

573. **श्री हरिलाल ननजी पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सिंचाई की सुविधाएं न्यूनतम हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता का आग्रह किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के थुंगन) : (क) और (ख) 16 राज्यों में चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में सृजित की गयी सिंचाई क्षमता का प्रतिशत गुजरात से कम है।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार ने विश्व बैंक सहायता हेतु निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की हैं:

1. ऐसी परियोजनाएं जिनका कृष्य कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर (प्रत्येक) से अधिक है, 609.53 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,157 हेक्टे० कुल/कृष्य कमान क्षेत्र (21 स्कीमें)
2. 195.56 करोड़ रुपए की लागत से 500 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर के बीच कृष्य कमान क्षेत्र वाले परियोजना प्रस्ताव (24 स्कीमें)
3. 73.55 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से लघु सिंचाई स्कीमें (76 स्कीमें) तथा
4. उत्तरी गुजरात के अत्याधिक समुपायोजित जल भृतों में सतही जल के पुनर्भरण में वृद्धि करने हेतु परियोजना। राज्य सरकार को उपर्युक्त स्कीमों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

हथियारों की चोरी

574. **श्री गुरूदास कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर राईफल्ज और नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस के हथियारों की चोरी बारंबार होने की घटनाओं ने गंभीर रुप ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) नागालैण्ड और मणिपुर राज्य पुलिस बलों से हथियार लूट लेने के कुछ मामले पिछले कुछेक महिनों के दौरान ध्यान में आए हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन घटनाओं में, विद्रोही, कुछ पुलिस कार्मियों की निष्ठा परिवर्तित करने में सफल हो गये। नागालैंड और मणिपुर की राज्य सरकारों को दोषी कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और अपने-अपने राज्य पुलिस बलों की संगठन प्रणाली की समीक्षा करने तथा सभी स्तरों पर प्रशिक्षण तथा नेतृत्व में सुधार करने की सलाह दी गई है।

मस्तिष्क ज्वर

575. **श्रीमति चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में 1993 के दौरान मस्तिश्क ज्वर फैल गया था ;

(ख) यदि हां, तो मस्तिष्क ज्वर से कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए थे ;

(ग) इस रोग से कितने बच्चों की मृत्यु होने का समाचार है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने मस्तिष्क ज्वर को फैलने से रोकने हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है ;

(ड.) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता मांगी है ;

(च) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है ; और

(छ) कर्नाटक में मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। कोलार, बेल्लारी, माड्या और रायचूर जिले प्रभावित हुए थे जहां से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 21 मौतें सूचित की गई थीं।

(घ) और (ड.) कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई।

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान 91.53 लाख रूपये मूल्य के 202 एम.टी.डी.डी.टी. की आपूर्ति कर्नाटक राज्य को की गई जिसकां उपयोग मलेरिया नियंत्रण तथा जापानी मस्तिष्क शोध के लिए किया जाता है।

(छ) निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है :

(i) अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों का दो बार छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण।

(ii) अत्याधिक संवेदनशील गैर-प्रतिरक्षित जनसंख्या समूहों का टीकाकरण।

(iii) रोगियों का शीघ्र पता लगाना एवं उनका पर्याप्त उपचार करना।

(iv) स्वास्थ्य शिक्षा।

मिजोरम-असम सीमा

576. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजोरम-असम सीमा पर तनाव बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन राज्यों की समस्या को हल करने हेतु केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) असम एवं मिजोरम के बीच विवादित क्षेत्र से होकर बैरेंगटे से लेलापुर तक नई सड़क का निर्माण करने के बारे में मिजोरम सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप तनाव उत्पन्न हो गया था।

(ग) असम एवं मिजोरम के मुख्य मंत्रियों से इस समस्या का सोहार्द पूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए आग्रह किया गया है। इसका समाधान हो जाने तक सड़क के निर्माण के लिए की जा रही सारी कार्यवाही रोक दी गई है इस जगह पर सीमा का सही संरेखण करने की दृष्टि से दोनों राज्यों की मदद के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक दल प्रति नियुक्ति किया गया है। अब स्थिति सामान्य है।

तेल आयात में बचत

577. **डा० असीम बाला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में भारत ने अपने तेल आयात में बचत की है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) और (ख) अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में लगभग 0.787 बिलियन अमरीकी डालर के बचत होने की संभावना है।

नर्मदा परियोजना

578. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1994 के "पायोनियर" में "पी एम केप्ट डार्क ऑन नर्मदा ईश्यू" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) परियोजना निर्माण की वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(घ) नर्मदा बांध की ऊंचाई कितनी रखे जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 12.1.94 को ली गई बैठक में विचार-विमर्श महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 1500 हेक्टेयर वन भूमि निर्मुक्त करने तथा सरदार सरोवर परियोजना के कार्य को भी जारी रखने पर केंद्रित रहा। माननीय प्रधान मंत्री महोदय को तदनुसार इसके संबंध में बताया गया।

(ग) 31.10.93 को परियोजना के निर्माण में की गई प्रगति निम्नवत् है :

क्र.सं.	घटक	खुदाई %	कंकरिटिंग %	ग्रिलिंग %
1	2	3	4	5
1.	मुख्य बांध	83.83	58.48	75.18
2.	नदी तल विद्युत घर			
	खुला	90.74		
	भूमिगत	90.34		
3.	नहर शीर्ष विद्युत घर	पूर्ण होने वाला है	93.18	
4.	वदगम सेडल बांध	—वही—	78.78	
5.	नर्मदा मुख्य नहर	भूमि कार्य	पक्का कार्य	संरचनात्मक कंकरीट
	फेज-I (0 से 82 कि०मी०)	75.31	51.84	68.62
	(82 से 144.5 कि०मी०)	83.52	57.31	29.51
6.	शाखा नहर			
	फेज-I (0 से 144.5 कि०मी०)	52.14	26.51	39.62

*शखा नहरों के लिए प्रगति 30.9.93 तक की है।

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट के अनुसार सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई सबसे गहरे नींव स्तर से ऊपर 163 मीटर नियत की गई है (औसत समुद्र स्तर से ऊपर 146.5 मीटर या औसत नदी तक स्तर से ऊपर 126.5 मीटर)

अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मी

579. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में विद्रोह-दमन कार्यवाहियों में विभिन्न केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कितने कर्मी मारे गए ;

(ख) क्या ऐसे कर्मियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि सहित उनके सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) क्या कार्यवाहियों में मारे गए कर्मियों के एक योग्य आश्रित को संबंधित बल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 में ऐसे कार्मिकों की संख्या क्रमश: 170,148 तथा 127 रही।

(ख) लगभग सभी मामलों में निकट संबंधियों को, अनुग्रहपूर्ण राहत सहित, देयों का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) चूंकि इस प्रकार की भर्ती इस प्रयोजन हेतू किए गए केवल विशिष्ट आवेदन पत्रों पर की जाती है जिन पर पात्रता के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता और सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाही की जाती है इसलिए सभी मामलों में भर्ती करना संभव नहीं हैं।

नेत्र बैंक

580. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए नेत्र बैंकों का वित्त पोषण केंद्रीय सरकार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा में कटक में स्थापित किए गए नेत्र बैंक निष्क्रियता की स्थिति में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस नेत्र बैंक को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के पैटर्न के अनुसार सरकारी

क्षेत्रों के नेत्र बैकों को नेत्र बैंक के विकास के लिए 0.70 लाख रू. की एक बारगी सहायता तथा कर्मचारियों के वेतन के लिए 0.50 लाख रु. की आवर्ती सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से दी जाती है। स्वैच्छिक क्षेत्र के किसी नेत्र बैंक के लिए नेत्र बैक का विकास करने के लिए 1.75 लाख रू. की एक बारगी सहायता तथा परिक्षण विधि एवं आकस्मिक व्यय के लिए 0.25 लाख रु. की आवर्ती सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के लिए रसोई गैस विपणन योजना

581. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से स्थान रसोई गैस विपणन योजना में शामिल किए गए हैं ;

(ख) क्या 1994-95 में आंध्र प्रदेश के कुछ नये स्थानों को रसोई गैस विपणन योजना के अंतर्गत शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल जिल में कुछ नये स्थानों को इसमें शामिल करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्तमान एल पी जी विपणन योजना में 40 स्थानों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) एल. पी.जी. विपणन योजना 1994-95 को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में वारागंल जिला सहित देश के विभिन्न भागों से एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के बारे में समय-समय पर अनुरोध मिलते रहते हैं। इन अनुरोधों को बाजार सर्वेक्षण हेतु तेल उद्योग को भेज दिया जाता है। उत्पाद कीउपलब्धता कों देखते हुए व्यवहार्य पाये गये स्थानों को विपणन योजना में चरणबद्ध रूप में एल पी जी डिस्ट्रीब्युटरशिपें खोलने के लिए शामिल किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में भाड़े के विदेशी सैनिक

582. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री मोहन रावले :

श्री गुरूदास कामत :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में भाड़े के विदेशी सेनिकों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा एर्जेसियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन चुनौतियो का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) ये भाड़े के सैनिक किन देशों के हैं ;

(घ) क्या पाकिस्तान उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में दस हजार अफगान मुजाहिदों को घुसाने की तैयारी कर रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो इस बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) कश्मीर में इन मुजाहिदों के प्रवेश पर रोक लगाने के सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राज्य में हिंसा जारी रखने तथा इसमें और वृद्धि करने के प्रयास में, जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से विदेशी तत्वों/भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने तथा उनकी घुसपैठ कराने के प्रयासों को तेज करने की रिपोटें मिली हैं। तथापि, सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला गम्भीरतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक कर रह हैं। हाल के महीनों में व्यक्तियों तथा सामनों की घुसपैठ को रोकने तथा पृष्ठप्रदेश से उग्रवादियों को खदेड़ने की कार्यवाइयों को और तेज किया गया है। तथा बेहतर परिणामों के लिए आसूचना को एकत्र करने सहित राज्य में विभिन्न बलों के अभियानों के बीच अधिक समन्वय लाने के लिए भी कार्यवाई की गई है। परिणाम स्वरूप, हथियारों की बरामदगी तथा विदेशी राष्ट्रिकों सहित उग्रवादियों के मारे जाने तथा उनके पकड़े जाने के संबंध में महतवपूर्ण सफलताएं हासिल हुई हैं।

(ग) हालांकि इस प्रकार के तत्वों की राष्ट्रीयता निश्चित रूप से स्थापित नहीं की जा सकती है लेकिन अन्वेषणों के आधारा पर इनमें पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर, लेबनान, अफगानिस्तान, बहरीन, सूडान आदि के व्यक्ति शामिल थे।

(घ) से (च) यह एक स्थापित तथ्य है कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी और कट्टरवादिता को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ऐसे गुमराह युवकों को भेज रहा है जिन्हें नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा के इस पार भेज देने के कई प्रयासों को सीमा पर चौकस सुरक्षा बलों द्वारा विफल कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी तत्वों के चोरी छुपे आनेजाने को रोकने के लिए 5 किमी. की सीमा पट्टी में कर्फ्यू लगाए जाने के अलावा सीमा पर और भीतरी क्षेत्रों में गश्त गहन कर दी गई है।

महाराष्ट्र में आदिवासी उप-योजना

583. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में आदि वासी उप-योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) आगामी वर्ष के लिए किये जाने वाले संभावित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार

584. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

डा० लालबहादुर रावल :

क्या **गृह मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अनुसूचित जाति की एक महिला को कथित रूप से निर्वस्त्र करके घुमाए जाने की घटना की जांच का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) इलाहाबाद जिले में धूरपुर में एक हरिजन महिला को नंगा करके घमाने की घटना को राष्ट्रीय मानव-अधिकार आयोग ने 24 जनवरी, 1994 के समाचार के आधार पर, स्वयं संज्ञान में लिया और उसी दिन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ की जिले के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगवाने के लिए लिखा, ताकि रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग के पास पहुंच जाये। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और मुख्य सचिव को इस विषय में अनुसमारक भेजा गया है।

रसोई गेस सिलिंडर एवं पेट्रोल

585. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री बृजभूषण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजवीर सिहं :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंक्टेस्वरलु :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री लाल बाबू राय :
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **प्रेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस सिलिंडरों में गैस की कम मात्रा की सप्लाई पेट्रोल की मिलावट तथा पेट्रोल विक्रय केन्द्रों पर पेट्रोल की अधिक माप करने के संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्यवर कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्रों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल कम्पनियों को कम वजन वाले एल पी जी सिलिंडरों की आपूर्ति खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल में मिलावट तथा इसकी कम आपूर्ति के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भरण संयत्रों पर एल पी जी सिलिंडरों के भार की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धरित है। जब कम भार वाले सिलिडंरों की बिक्री के बारे में विशेष शिकायंतें प्राप्त होती हैं तो तेल कंपनियों द्वारा दोषी एल.पी.जी डिस्ट्रीब्युटरों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश के तहत तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके माप और तौल विभागों के माध्यम से भी कार्यवाई की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कम वजन वाले सिलिंडरों को बदल दिया जाता है।

पेट्रोल में मिलावट तथा कम आपूर्ति को रोकने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की तेल कंपनियों के क्षेत्र आधिकारियों, तेल उद्योग के जांच दल, चल प्रयोगशालाओं तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लगातार जांच की जाती है। पेट्रोंल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में फरफुरल को मिलाया जाता है। मानक सीमा की नीचे कम आपूर्ति के मामले में माप और

तौल विभाग द्वारा जांच होने तक बिक्री ओर आपूर्ति रोक दी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि शिकायतें प्रमाणित हो जाती हैं तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का मूल्य

586. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री दत्ता मेघे :

श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :

श्री सत्यदेव सिहं :

श्री राम नाईक :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रसोई गैस सिलिंडरो के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा से सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को करोड़ों रूपए का मुनाफा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से सरकार के तेल खाते के घाटे को कम करने में कितनी सहयता मिली है ;

(ग) क्या प्राईवेट कंपनियां रसोई गैस सिलिंडरों को सरकरी क्षेत्र की कंपनियों की दर से ऊंची दर पर बेच रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या प्राईवेट तेल कंपनियों के लिए भी कोई मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था निर्धारित की गई है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपभोग की मौजूदा मात्रा पर एल पी जी (घरेलू) पैकड के मूल्य में 10 रूपए प्रति सिलिंडर की वृद्धि से केवल तेल पूल खाते के घाटे मे 188 करोड़ रुपए की वार्षिक कमी आएगी बशर्ते कि क्रूड और एल पी जी की कीमतें अतंराष्ट्रीय बाजार में यथा वर्तमान नरम (सोफ्ट) बनी रहें।

(ग) से (ड.) एल पी जी की समान्तर विपणन प्रणाली के अन्तर्गत कम्पनियों को अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्क आधार पर बाजार सम्बद्ध कीमतों पर एल पी जी की बिक्री करने की अनुमति है तथा निजी कम्पनियों द्वारा वसूल किए जाने वाले मूल्य पर नियंत्रण की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

जम्मू और कश्मीर में आंतकवादी गतिविधियां

587. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने इस वर्ष श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोहों मे गड़बड़ी पैदा करेने का प्रयास किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उग्रवादियों ने 26 जनवरी, 1994 को श्रीनगर के बक्शी स्टेडियम की ओर एक राकेट दागा जो स्टेडियम के बाहर एक पानी की टंकी सें टकाराया। इस हमले से किसी प्रकार की जान या माल की हानि नहीं हुई। तथापि, इससे गणतंत्र दिवस समारोह में कोई व्यवधान नही हुआ और वह शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में पदोन्नति संबंधी नीतियां

588. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री आयोग द्वारा पदोन्नति के संबंध में क्या नीतियां अपनाई जाती हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को इन नीतियों में समाविष्ट कर लिय गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन नीतियों के अन्तर्गत श्रेणीवार कितनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों को पदोन्नत/नियुक्त किया गया?

पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) ओ. एन. जी. सी. लि० तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (भर्ती और प्रोन्नति) विनियमन, 1980 के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नीति का अनुपालन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दोरान नियुक्त/प्रोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	वर्ग	नियुक्ति अ.जा.	नियुक्ति अ.ज.जा.	प्रोन्नति अ.जा.	प्रोन्नति अ.ज.जा.
1991	क	171	55	225	43
	ख	-	-	46	15
	ग	202	170	359	145
	घ	25	30	109	51
1992	क	114	105	197	54
	ख	-	-	38	6
	ग	77	129	201	53
	घ	9	2	201	32
1993	क	43	32	260	64
	ख	-	-	32	9
	ग	80	117	34	6
	घ	20	9	10	1

[हिन्दी]

बिसालपुर परियोजना

589. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) बिसालपूर परियोजना की आरंभिक तथा वर्तमाान क्षमता कितनी है ;

(ख) इस परियोजना से राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों की और कब तक पानी मिलने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना से कृषि भूमि के कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) 1982 के परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार, 703 मिलियन घन मीटर की सकल जल भंडारण क्षमता के मुकाबले 1991 के नवीनतम परियोजना प्रस्ताव के अनुसार सकल जल भंडारण क्षमता 1096 मिलियन घन मीटर है।

(ख) अजमेर शहर, केकरी, सरवार, नसीराबाद तथा ब्यावर कस्बों को 1994-95 के दौरान तथा किशनगढ़ को 1995-96 के दौरान पेयजल देने का कार्यक्रम है। जयपुर शहर, अजमेर जिले के 644 गांव, विजयनगर तथा गुलाबपुरा कस्बों को भी इस परियोजना से पेयजल प्राप्त होना है किंतु उन्हें जल की निर्मुक्ति के लिए समय सारणी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) 1991 के आशोधित प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 69300 हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

बिना बारी के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन

590. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1993 में कितने रसोई गैस कनेक्शन स्वीकृत किए हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

क) वर्ष 1993 के दौरान बिना कारी के प्राथमिकता आधार पर 24,741 रसोई गैस कनेक्शन स्वीकृत किए गए थे।

(ख) इन कनेक्शनों को सरकार के स्वनिर्णय पर स्वीकृत किया गया है।

कोयले पर उपकर और रायल्टी

591. **श्री के. प्रधानी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों ने कंपनी-वार राज्यों को प्रतिवर्ष कितने उपकर और कितनी रायल्टी का भुगतान किया ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कोयला कंपनियों द्वारा सम्बद्ध राज्यों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडियां लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा प्रस्तुत की गई इच्छित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कोयला कंपनी का नाम	राज्यों के नाम जहां स्थित है	1990-91 रायल्टी (करोड़ रु. में)	उपकर	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	1991-92 रायल्टी (करोड़ रु. में)	उपकर	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	1992-93 रायल्टी (करोड़ रु. में)	उपकर	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. ईस्टर्न	पं बंगाल	10.41	192.23	6205	9.72	226.62	2895	8.56	143.23	3047
कोलफील्ड्स लि०	बिहार	2.19	17.53	796	21.66	5.97	324	32.36	48.09	393
2. भारत कोकिंग कोल	पं.बंगाल	0.29	7.07	58	0.35	9.34	19	0.16	5.83	-
लिमिटेड	बिहार	13.73	52.81	1379	149.08	76.62	402	217.30	50.79	3
3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	बिहार	15.16	210.17	473	147.06	18.72	362	255.65	138.22	318
4. नार्थर्न कोलफील्ड्स लि०	उ.प्र.	4.86	- }	1193	47.49	- }	715	66.76	- }	238
	म.प्र.	8.46	-		82.06	-		120.52	-	
5. साउथ ईस्टर्न	म.प्र.	15.79	22.20	4186	137.28	2.38	3353	230.86	-	3280
कोलफील्ड्स लि०	उड़ीसा	5.62	62.92	-	43.47	0.21	-	-	-	-
6. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	म.प्र.	2.15	3.25	5012	20.85	0.14	268	33.14	-	413
	महा.	9.01	0.43		61.04	-	1150	108.86	-	720
7. महानदी कोलफील्ड्स लि०	उड़ीसा	-	-	-	-	-	257	63.14	-	599
8. नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	0.59	0.37	119	0.64	0.39	88	0.46	0.27	72
9. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	आंध्र प्रदेश	8.95	-	2257	35.42	-	269	100.00	-	193

रसोई गैस कनेक्शन

592. **श्री हरिन पाठक :**

श्री छीतूभाई गामीत :

श्री एस० एन० बेकारिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गुजरात की रसोई गैस कनेक्शन देने के मानदंड क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकरी है कि गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन हेतु काफी लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में लंबित हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(घ) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को गैस कनेक्शन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) नए गैस कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। नए रसोई गैस कनेक्शन पंजीकरण के क्रमानुसार, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची तथा उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित नए ग्राहक पंजीयन के अनुसार प्रतीक्षारत आवेदकों को आबंटित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 7.98 लाख आवेदक प्रतीक्षा सूची पर थे।

(घ) अधिक से अधिक आवेदकों को यथा शीघ्र रसोई गैस कनेकशन देने हेतु किये जा रहे प्रयास अनवरत रूप से जारी हैं। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान उत्पादन संसाधनों की क्षमता को बढ़ाकर,नए संयंत्र स्थापित करके तथा आयात के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाकर उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है।

भारत और नेपाल के बीच समझौता

593. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से निकलने वाली नदियों से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र हल करने हेतु भारत और नेपाल के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बाढ़ की समस्याओं से निपटने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी नहीं। अभी चल रही बातचीत पर दोंनो देशों के द्वारा कोई निर्णय लिये जाने तथा अलग-अलग परियोजनाओं के लिए समझौता हो जाने के बाद ही बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए विशेष करार पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने गंगा की सभी नदी प्रणालियों के लिए उप-बेसिन-वार व्यापक योजनाएं तैयार की हैं तथा उन्हें विस्तृत स्कीमें तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये एशियाई विकास बैंक से ऋण

594. **श्री डी० वेंक्टेश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के लिये ऐशियाई विकास बैंक से दो सौ पचास मिलियन डालर के ऋण की दूसरी किस्त में और अधिक विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि के लिये अब तक कितना ऋण दिया गया ;

(घ) एशियाई विकास बैंक से अभी कितनी ऋण राशि और मिलेगी ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) 125 मिलियन अमरीकी डालर के प्रथम चरण का आहरण कर लिया गया है तथा उसका उपयोग कर लिया गया है जबकि 125 मिलियन अमरीकी डालर के द्वितीय चरण का आहरण किया जाना अभी शेष है द्वितीय चरण के आहरण को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में तब्दील होने संबंधी कार्यवाही के पूरे होने तथा इसकी बढ़ाई गई इक्विटी के 20 प्रतिशत की सीमा तक उपनिवेश होने के लिए लंबित रहने तक स्थगित कर दिया गया है। यह ऋण भारत सरकार के लिए है न कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए।

गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज

595. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस के तटीय और अपतटीय खोज पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

(ख) उक्त राज्य के क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल की गुणवत्ता और उत्पादकता के संबंध में प्रयोगशाला जांचों के क्या परिणाम हैं ;

(ग) इस तेल की खोज और प्रयोग की दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं ;

(घ) क्या कुछ विदेशी विशेषज्ञों से इस संबंध में सहायता ली जा रही है ; और

(ड.) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से विशेषज्ञों की सहायता ली गई, ओर तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) गुजरात दोनों ही तटपर तथा अपतट में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान जनवरी, 94 तक अंतिम रूप से किया गया कुल व्यय क्रमशः 257.30 करोड़ रूपए तथा 126.61 करोड़ रूपए था।

(ख) दिनांक 1.4.93 की स्थिति में गुजरात तथा कैम्बे खाडी में 838.74 मि. मी. टन तेल के भूवैज्ञानिक भंडार स्थापित किए गए हैं।

(ग) वर्तमान में कैम्बें बेसिन में 40 रिंग (20 अन्वेषी + 20 विकास) वेधन प्रचालन कार्यों के निष्पादन में लगे हुए हैं।

(घ) और (ड.) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० दोनों ने विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयेग ने जहां संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की कम्पनियों की सेवाओं का उपयोग किया है वहीं आयल इंडिया लि० ने इंगलैंड स्थित एक फर्म को शामिल किया है।

[हिन्दी]

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए धनराशि का आबंटन

596. **श्री दिलीप भाई संघाणी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992 के दौरान गुजरात सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

(क) अनुसूचित जाति के विकास के लिए गुजरात राज्य सरकार को प्रदत्त निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

(रु. लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	के दौरान प्रदत्त निधियां		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	215.85	291.27	310.87
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	-	25.47	14.38
3.	पुस्तक बैंक	0.22	1.58	0.30
4.	लड़कियों के लिए होस्टल	-	11.88	-
5.	लड़कों के लिए होस्टल	-	60.66	-
6.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	7.03	4.38	3.05
7.	सिर पर मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति	-	250.00	186.00
8.	अनुसूचित जाति विकास निगम	60.18	56.69	100.07
9.	विशेष केंद्रीय सहायता	553.62	666.64	908.53
10.	नागरिक अधिकार संरक्षण तथा (अत्याचार निवारण) अधिनियम का क्रियान्वयन अनु०जाति/जनजाति	78.98	33.21	78.33

विवरण-II

अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए गुजरात राज्य सरकार को प्रदत्त निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	के दौरान प्रदत्त निधियां		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	विशेष केंद्रीय सहायता	1649.80	1870.90	1855.84
2.	संविधान के प्रथम परंतुक के अनुच्छेद 175 (I) के अतंर्गत	180.80	180.12	356.40
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	11.66	30.13	18.21

4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	19.162	17.16	23.00
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम विद्यालय	15.38	-	25.000
6.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	-	-	26.10*

*नई योजना

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों तथा रसोई गैस ऐजेंसियों का आबंटन

597. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों, विभिन्न संगठनों तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से गुजरात और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर और अधिक संख्या में रसोई गैस ऐजेंसियां तथा पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने की बड़ी मांग है ;

(ख) क्या इस संबंध में 1993 और 1994 के दौरान अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ड.) उपरोक्त अवधि के दौरान खोले गए ऐसे पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ड.) गुजरात और दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्युटरशिपों की स्थापना करने केलिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। तदनुसार, दिल्ली के लिए 65 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 27 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा गुजरात के लिए 53 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 85 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. विपणन योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। विज्ञापन की तिथि से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरम्भ करने में लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगता है।

झारखण्ड मुद्दा

598. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा झारखण्ड मुद्दे को हल करने के लिए गत तीन महीनों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "कांगमेन टु एजिटेट फार झारखंड " शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) झारखण्ड समस्या का अनौपचारिक रूप से सौहार्द पूर्ण हल ढूढ़ने के लिए केन्द्र सरकार ने लगातार प्रयत्न किए। विधेयकों में कुछेक संसोधनों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को राजी करने में असफल रहने पर, केन्द्र सरकार अब, सविंधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के औपचारिक आदेशों के लिए झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक 1991 पर कार्यवाही कर रही है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

मेडिकल कालेज

599. **डा. विश्वनाथ कैनिथी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को देश में बाहर के छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने की अनुमति दने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व देशों के चिकित्सा स्नातकों को प्रिशिक्षत करने कै लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक मेडिकल कालेज़ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शकरानन्द) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार इच्छुक संस्था को मेडिकल कालेज़ खोलने के लिए एक निर्धारित योजना के फार्म में केन्द्र सरकार को आवेदन करना होता है। अनिवासी भारतीयों से कोई ऐसा आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

600. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है। जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाओं का पता लगा है ;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों ने भी खोजबीन का कार्य करने की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों को किन-किन स्थानों पर खोजबीन कार्य करने की अनुमति दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) गुजरात,राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर,पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपूरा, नागालैंड, मेघालय, अंडमान, पांडिचेरी, मिजोरम, पश्चिमी अपतट और उत्तर पूर्वी तट सहित पूर्वी अपतट मे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस का० लिमिटेड, आयल इंडिया लि० और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तलछटीय बेसिनों के समस्त उद्घाटित क्षेत्रों में सतही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भूमि स्थित हिस्से में हाइड्रोकार्बन भंडार पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के भंडार हैं। भूमि पर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बंगाल में तथा उत्तर पूर्वी तट व अंडमान अपतट में अन्वेषण वेधन के बाद हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के संबंध में संकेत मिले हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित किए गए किन्हीं भी ब्लाकों हेतु अनिवासी भारतीय भी बोली भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की योजना

601. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली और मुम्बई में हमले करने के लिए गुजरात तथा राजस्थान की तटीय सीमाओं से होकर प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत में भेजने की आई.एस.आई. की योजना के संबंध में कोई सूचना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एवं (ख) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से तोड़फोड एवं विध्वंसी गति विधियों को जारी रखने के उद्देश्य से गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों तथा राजस्थान की स्थल सीमा विशेष रूप से बाडमेर तथा जैसलमेर सैक्टरों से भारत में प्रशिक्षित उग्रवादियों को भेजने की पाकिस्तान आई.एस.आई. की योजना का पता चलता है। पाक आसूचना अधिकारी, सीमा के दोनों ओर के तस्करों को प्रेरित करने और भारत में हथियारों/गोला बारूद की तस्करी करने तथा उग्रवादियों की घुसपैठ कराने में उनकी मदद लेने के एक मात्र उद्देश्य से जैसलमेर, बाडमेर और भुज के सामने स्थित सीमावर्ती गांवों की नियमित रूप से यात्रा करते हैं।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में संबंद्ध एजेंसियों को सुग्राही बनाना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, भारत–पाक सीमा के संवेदनशील हिस्सों पर बाड़ तथा फलड लाइट लगाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, गश्तों/नाकाओं की संख्या में वृद्धि करना, ओ.पी. टॉवर खड़े करना, सीमा गश्त में बढ़ोत्तरी करना, दिन और रात के दौरान प्रभावी ढ़गं से निगरानी करने के लिए विभिन्न उपकरणें की आपूर्ति करना, सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाना आदि शामिल हैं।

ओमान से गैस पाइप लाइन

602. **प्रो० राम कापसे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या पाकिस्तान की प्रादेशिक जलसीमा से होते हुए महाद्वीप स्थल मार्ग को छोड़ कर सीधे गहरे समुद्री मार्ग से ओमान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का विचार किया गया है ;

(ख) क्या सितंम्बर, 1993 में इस देश की यात्रा पर आयें ओमान के शिष्टमंडल ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि यदि मांग उचित समझी गयी तो दो पाइपलाइनें बिछाने पर भी विचार किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ग) ओमान तेल कम्पनी ने 57 एम एम एस सी एम डी गैस के परिवहन के लिए एक सीधे गहरे संमुद्र में दो पाइप लाइनें बिछाने का प्रस्ताव रखा है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

603. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पाजां) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल

लि० के कार्यकरण/परिचालन कार्य-क्षमता में सुधार किए जाने के लिए बहुत से बल दिए जाने वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

(1) मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी को आरंभ करके भू-गत उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किया जाना। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक भू-गत उत्पादन में 3% की वृद्धि हुई।

(2) निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता के लिए दामोदर घाटी निगम से सीधें ही विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना। अधिकांश खाने पहले ही दा.घा.नि. की ओर परिवर्तित हो गई हैं तथा शेष खोनें परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं।

(3) कोयले के प्रेषण को बढ़ाया जाना। इस सबंध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप इस वर्ष जनवरी तक वैगन लदान तथा प्रेषण में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(4) प्रेषण की कोटि में सुधार किया जाना।

(5) दैनिक तथा उपचारी अनुरक्षण में वृद्धि करके ओपेनकास्ट खानों में भारी अर्थ मूविंग मशीनों की उपयोगिता में वृद्धि किया जाना।

(6) कंपनी के वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए श्रमशक्ति का युक्तिकरण तथा लागत नियंत्रण उपाय करना।

इन उपायों के क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की गई है तथा इन्होंने पहले ही अच्छे परिणाम देने आरंभ कर दिए हैं।

औषधीय पौधे

604. **डा० सुधीर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डंकल प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बाद आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली जो मुख्यतः स्वदेशी औषधीय पौधों तथा कच्चे माल पर आधारित है, समाप्त हो जाएगी ;

(ख) क्या अमेरिकी, बर्तानवी तथा जर्मनी की फर्मों द्वारा नीम, हल्दी,बावला, तुलसी, अशोक, असारगण्ड के संभावित रूप से पेटेंट किए जाने कि रिपोर्ट सही पायी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे औषधीय पौधों और लताओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) ये पौधे पैटेंट ऐक्ट, 1970 के तहत पैटेन्ट योग्य नहीं हैं। इसके अलावा ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27 के तहत पैटेन्ट संरक्षण से पौधों को बहिष्कृत करने के लिए कोई भी सदस्य राज्य स्वतंत्र है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आदिवासियों की मृत्यु

605. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वायनाड क्षेत्र में आदिवासियों मे फैली किसी अज्ञात बीमारी के कारण हुई मौतों की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मौतों की रिपोर्ट मिली है ;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने तथा भविष्य में मौत की ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते। तथापि जिले की अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले क्षय रोग स्केबीज, दृष्टिविकार आदि के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नई दिल्ली नगर पालिका का कार्यक्षेत्र

606. **श्री गुरूदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली नगर पालिका के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्नस नहीं उठता है।

तेल की खोज

607. **डा० असीम बाला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पश्चिम कृष्णा गोदावरी तटदूर के रॉवर फील्ड में तेल की खोज का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस तेल क्षेत्र को सुविख्यात बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी "अमोको" द्वारा छोड़ दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) 56.52 मिलियन टन (तेल और गैस के समतुल्य गैस) के आरम्भिक स्थानिक हाईड्रोकार्बन भंड़ारों सहित 1987 में अपतटीय क्षेत्र के जो बेसिन में रावा क्षेत्र खोजा गया था। अभी हाल ही में रावा क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में एक अन्य प्रोस्पेक्ट जी एस-15 में हाईड्रोकार्बन के होने का पता चला है।

(ख) और (ग) अमोको ने वर्ष 1991 में दो सूखे कूपों का वेधन करने के बाद ब्लॉक को त्याग दिया। अमोको को 1986 में के जी ओ एस - 5 अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा लाभांश दिया जाना

608. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों ने इस वर्ष अच्छा कार्य किया है ;

(ख) क्या मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों से लाभांश प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांशों का बयोरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रूपए करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र ईकाई का नाम	वर्ष 1992-93 हेतु सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश
आई बी पी कं० लि०	1.19
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	17.89
मद्रास रिफाइनरी लि०	19.32
इंजीनियर्स इंडिया लि०	2.00
इंडियन आयल का० लि०	49.25
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	61.71

कोचीन रिफाइनरीज लि०	9.11
भारत पेट्रोलियम का० लि०	12.93
लुब्रिझॉल इंडिया लि०	2.65
आयल इंडिया लि०	4.48
बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिक्लस लि०	7.45
गैस आथारिटी आफ इंडिया लि०	20.00
	207.98

आन्ध्र प्रदेश मे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संबंधी योजनाएं

609. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केद्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में केद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जल संबंधी योजना की कोई पुनरीक्षा की है ;

(ख) यादि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है या करने का विचार किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित 3 परियोजनाओं की पुनरीक्षा की गई और अप्रैल 1993 से सितंबर, 1993 तक के महीनों के लिए 53.24 लाख रूपए मासिक किस्त के रूप में निर्मुक्त किए गए हैं।

(1) नागार्जुन सागर बायां तट नहर ।

(2) नागार्जुन सागर दायां तट नहर।

(3) श्री राम सागर।

[हिन्दी]

दिल्ली में गिरफ्तार किये गये आतंकवादी

610. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री बलराज पासी :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री राम बदन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1994 के दौरान अलग अलग दिल्ली में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उनके कब्जे से कितनी मात्रा में और किस किस्म के हथियार, विस्फोटक तथा अन्या सामग्री जब्त की गयी ;

(ग) गिरफ़्तार किये गये आतंकवदियों का मुख्य इरादा क्या था ;

(घ) क्या इनका पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेंस (आई. एस. आई.) के साथ कोई सम्बन्ध है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) राजधानी में 11 आतंकवादी (6 आतंकवादी जनवरी में और 5 आतंकवादी फरवरी, 1994 तक) गिरफ्तार किए गए।

(ख) इनसे पकड़े गए सामान में लगभग 166 कि.ग्राम विस्फोटक, एक ए.के.-56 राईफल तथा 20 सक्रिय राऊन्ड की एक मैगजीन, एक रिवाल्वर, 3 सक्रिय कारतूसों सहित 7.65 बोर की एक पिस्तोल आदि शामिल थें।

(ग) उनका मुख्य प्रयोजन कुछ आश्चर्यजनक आतंकवादी कार्य करना था।

(घ) एवं (ङ) कुछ आतंकवादियों के पाकिस्तान की आई.एस.आई. के साथ संबंध होने के बारे में सूचना उपलब्ध है।

(च) राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों में, प्रत्येक पुलिस जिले मे आतंकवादी विरोधी सैल का गठन, संवेदनशील/सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां की तैनाती, गहन चलती फिरती गश्त, लोगों को अधिक सचेत करने के लिए उनमें शिक्षाप्रद साहित्य का वितरण, भेदियों की तैनाती, सार्वजनिक स्थानों पर कुख्यात आतंकवादियों के फोटो प्रदर्शित करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पी.सी.आर. वाहन खड़े करना तथा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन का उपयोग

611. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकरों को जल संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु सिचांई के जल के लिए विनियम बनाने में किसानों को भागीदार बनानें के दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन दिशानिर्देशों को लागू किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने जल प्रबन्ध में कृषकों कों शामिल करने के लिए सभी राज्यों को वर्ष 1987 में दिशा निर्देश परिचालित किए थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा आदि राज्यों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। अन्य राज्य जल प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी को बढ़ावा देने और खेत चैनलों के रख रखाव के लिए कदम उठा रहें हैं।

नर्मदा परियोजना

612. श्री हरिन पाठक :

श्री मती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में नर्मदा परियोजना के संबंध में बुलाई गई तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक का कया निष्कर्ष निकला ;

(ख) क्या सिंचाई विभाग के निर्देशों पर बांध का निर्माण रोक दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गुजरात सरकार को अन्य तीन राज्यों से नर्मदा परियोजना में उनके हिस्से के रूप में कितना धन वसूल करना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुगंन) : (क) बैठक में यह महसूस किया गा कि सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माण कार्य आगे बढ़ने दिया जाए तथा उन क्षेत्रों में कार्य की संबंधित मदों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिनके स्थायी रूप से जलमगन हो जाने की संभावना है। यह भी सहमति हुई कि मामने की विशेष परिस्थितियों को देखतें हुए महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि अनारक्षित कर ली जाए।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे बांध के निर्माण स्ल्यूसों के बंद होने के बारे मे निर्णय होने तक, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित 31 दिसंबर, 1993 तक की अनुसूची से परे स्पिलवे बांध के हिस्से को ऊंचा न करें।

(घ) 31.10.93 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से देय हिस्से का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. स.	भागीदार राज्य	31.1093 तक व्यय का हिस्सा	राज्यों से प्राप्त राशि	31.10.93 को देय शेष अंशदान	विवादग्रस्त हिस्सा	31.1093 को देय अविवादग्रस्त हिस्से
1.	मध्य प्रदेश	487.28	289.51	197.77	42.11	155.66
2.	महाराष्ट्र	230.82	194.14	36.68	19.95	16.73
3.	राजस्थान	117.85	5.50	112.35	8.73	103.62
	कुल	**835.95**	**489.15**	**346.80**	**70.79**	**276.01**

औषधीय पौधे

613. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य को 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया ;

(घ) देश में औषधीय पौधों की खेती करने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है ;

(ड.) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ऐसे औषधि उपवन की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(च) यदि हां, तों इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंन्द) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी द्वारा अपेक्षित चिकित्सीय पादपों की खेती के लिए एक योजना चलाता है।

(ग) और (घ) यह योजना न तो किसी क्षेत्र तक सीमित है और न धनराशि को राज्यन्वार आबंटित किया जाता है। उन्हें पात्र संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर रिलीज किया जाता है।

(ड.) इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र संगठनों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

एड्स के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्मेलन

614. **डा० डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए फरवरी, 1994 में चड़ीगढ़ में एक तीन दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या-क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक देश-व्यापी गहन अभियान चलाया जाये।
2. सूचना और प्रसारण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इत्यादि की और अधिक सहभागिता से क्षेत्रीय भाषाओं में श्रव्य, दृश्य सामग्री सहित सूचना उपलब्ध कराकर राज्य स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए।
3. देश में स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देना और व्यावसायिक रक्तदाताओं से रक्त दान न लेना।
4. सुरक्षित रक्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और चिकित्सकों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शुरू करके रक्ताधान औषधि के क्षेत्र में विशेषज्ञताओं का सृजन करके रक्ताधान संबंधी सेवाओं में सुधार करना।
5. उपकरणों/अभिकर्म कों का देश में उत्पादन शुरू करना और कम कीमतों पर किटें उपलब्ध कराना।
6. विभिन्न कार्यकलापों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।
7. एड्स की रोकथाम के लिए कन्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

(ग) देश में एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए ये मुद्दे हमारी कार्यनीति संबंधी योजना में शामिल हैं।

तेल खोज खण्ड

615. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय तथा अपतटीय तेल खोज खंडो की नीलामी के लिए भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को सात दौरों के प्रस्ताव किए गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो सातवें दौर में कुल कितन-कितने पृथक खण्डों का प्रस्ताव किया गया;

(ग) कितने खण्डों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए ;

(घ) सूचीबद्ध नीलामी देने वालों के साथ कितने खण्डों के लिए वार्ता प्रगति में है ;

(ङ) कितने खण्डों के लिए नीलामी अभी सूचीबद्ध नहीं की गई है ;

(च) कितने खण्डों के लिए अभी कोई नीलामी प्राप्त नहीं हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) क्या सरकार ने तेल की ऐसी खोज के लिए कोई मानक समझौता निर्धारित किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) बोली के सातवें दौर में कुल 45 ब्लॉक प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से 27 तटवर्ती, हैं, 17 अपतटीय हैं तथा एक तटवर्ती ब्लॉक है जो अपतट तक फैला है।

(ग) बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 1994 है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) अन्वेषण के दौरों के लिए एक मानक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा तैयार की गई है।

सफाई कर्मियों के परिवारों का कल्याण

616. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सफाई कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए अनुदान-सहायता की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ख) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और राज्यवार, सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी गतिविधियां आरम्भ करने के लिए संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है। सहायता प्राप्त सभी स्वैच्छिक संगठनों में से कोई भी सफाई कर्मचारियों के लिए अनन्य रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

ओमान से गैस आपूर्ति

617. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय ने कोई भी समझौता करने से पहले ओमान तेल कंपनी से नए मूल्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है क्योंकि ओमान की तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक गैस को लागत इतनी अधिक है कि यह सरकार को स्वीकार्य नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में गत वर्ष एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या–क्या हैं; और

(ङ.) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ.) गैस के मूल्य सहित ऐसे मूल अवयवों और पैरामीटरों की जांच करने के लिए एक अन्तर्विभागीय समिति गठित की गई है, जिसे दीर्घावधिक गैस आपूर्ति संविदा के ढ़ांचे में सम्मिलित किया जाना चाहिए। संबंधित मुद्दों पर अभी ओमान तेल कम्पनी के साथ विचार विमर्श जारी है।

कोचीन में तेल अन्वेषण

618. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) ने कोचीन के तट से दूर द्रोणी (क्षेत्र) में तेल की उपलब्धता के विषय में किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके अन्वेषण के लिए क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कोचीन अपतट में भूभौतिक सर्वेक्षण किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वेधन के लिए 3 स्थानों की पहचान की गई तथा 3 कूपों का वेधन किया गया जो सूखे पाए गए। कोचीन अपतट तथा आस पास के क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी हैं।

जम्मू में दूरदर्शन टावर पर आतंकवादियों का आक्रमण

619. **श्री गुरूदास कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों ने दूरदर्शन टावर पर आक्रण किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इससे कितना नुकसान हुआ ;

(घ) क्या इससे दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण प्रभावित हुए हैं ;

(ङ) यदि हां तो इस नुकसान की भरपाई कब तक की जाएगी ;

(च) गत एक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने दूरदर्शन पर कितनी बार आक्रमण किया है ; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार के आक्रमणों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) उग्रवादियों ने 2 फरवरी, 1994 को डोडा (जम्मू) में दूरदर्शन टावर पर हमला किया और इस घटना में आग लगने से टावर क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में अस्थायी तौर पर प्रभाव पड़ा।

सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गयी है और उन्हें और अधिक सुदृढ़ किया गया। राज्य सरकार ने भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिए चौकसी बढ़ा दी है और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है।

कोयले की आवश्यकता

620. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न इस्पात संयत्रों में कितने कोयले की आवश्यकता है ;

(ख) सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या प्रत्येक इस्पात संयंत्र को उसकी वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप कोयला मिल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए धुले हुए कोककर कोयले (सीधे फीड किए जाने वाले कोयले सहित) की इस्पात संयंत्र–वार आवश्यकता नीचे दर्शाई गई है :

इस्पात संयंत्र	आवश्यकता मिलियन टन में
1. भिलाई	4.90
2. राउरकेला	2.10
3. बोकारो	4.80
4. दुर्गापुर	2.20
5. इस्को	2.00

जोड़–सेल	16.00
विशाखापत्तनम	3.40
टिस्को	2.80
कुल जोड़ :	**22.20**

(ग) और (घ) चूंकि, धुले हुए कोक्कर कोयले (सीधे फीड किए जाने वाले सहित) की देशज उपलब्धता इस्पात संयंत्रों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः मिश्रण प्रयोजन के लिए लगभग 7 मिलियन टन निम्न राख कोक्कर कोयल का आयात किया जा रहा है। चालू वर्ष 1993-94 के दौरान देशज स्रोतों से की गई आपूर्ति के संबंध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :–

मिलियन टन में

(अप्रेल, 93 से दिसम्बर, तक)

स्रोत : कोयला नियंत्रक का कार्यालय

	कार्यक्रम	आपूर्ति	उपलब्धि की प्रतिशतता
सेल	8.65	7.58	87.63
वी.एस.पी.	0.60	0.65	108.33
टिस्को	1.59	1.56	98.11
जोड़	**10.84**	**9.79**	**90.31**

भारत-बंगलादेश समन्वय बैठक

621. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश समन्वय समिति की 12 जनवरी, 1994 को हुई बैठक में भारत ने बंगलादेश से पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी "इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस" के कार्य संचालन की वहां से अनुमति देने का विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राईफल के महानिदेशकों के बीच 10-14 जनवरी, 1994 के दौरन हुई बैठक में इस मामले को प्रभावी ढ़ंग से उठाया गया था। पाकिस्तानी इन्टेलीजेन्स एजेंटों की बंगलादेश में अन्तग्रस्तता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी। बंगलादेश सरकार ने बंगलादेश में पाकिस्तानी आई.एस.आई. की उपस्थिति से इंकार किया।

नई दिल्ली में बम विस्फोट

622. **श्री रमेश चेन्नित्तला** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 सितम्बर, 1993 को नई दिल्ली में रायसीना रोड़ पर हुए बम विस्फोट की जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ख) इस संबंध में अब तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं ;

(ग) क्या इस विस्फोटक में प्रयोग किये गये विस्फोटक और समय उपकरण का पता लगाने हेतु विस्फोट स्थल की रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट मिल गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ.) न्यायालय में आरोप पत्र कब तक दाखिल कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) अब तक किए गए अन्वेषण से, पंजाब के उग्रवादियों के एक गुट "खालिस्तान लिबरेशन फोर्स" के लिप्त होने का पता चला है। विस्फोट में प्रयुक्त कार की पहचान कर ली गई है। इस मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। विस्फोट में जिस अभियुक्त का हाथ था उसने, पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर, सायनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। घटना में, पांच अन्य लोगों के संलिप्त होने का भी पता चला है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए किसी निश्चित समयावधि का संकेत नहीं दिया जा सकता।

कुष्ठरोगियों की संख्या

623. **श्री.आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या का कोई आकलन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कुल कितने कुष्ठ रोगी हैं ;

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, इसके लिए बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उसमें राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है ;

(घ) क्या विश्व बैंक का विचार राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने का है ;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) राज्य सरकारों को तथा स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। कुष्ठ रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 2000 ईसवी तक कुष्ठ का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के लिए 1993-94 के दौरान 60.70 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 285 स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन भी लगे हुए हैं।

(घ) से (च) विश्व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न किए गए क्षेत्रों में एम.डी.टी. के विस्तार तथा अल्सर उपचार, विरुपता परिचर्या और कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास सेवाओं के लिए लगभग 302 करोड़ रुपये की आई.डी.ए. सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। धनराशि सीधे जिला सोसाइटियों को जारी की जाएगी और राज्यों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं है।

विवरण

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (लाख) (1991)	दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार दर्ज रोगी	प्रतिशत प्रति हजार
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	663	85333	1.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.53	1092	1.27
3.	असम	222.94	15882	0.71
4.	बिहार	863.38	174505	2.02
5.	गोवा	11.68	500	0.43
6.	गुजरात	411.74	17302	[illegible]
7.	हरियाणा	163.17	591	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	51.11	2941	0.58
9.	जम्मू व कश्मीर	77.18	3774	0.49
10.	कर्नाटक	448.17	26723	0.60
11.	केरल	290.11	17232	0.59
12.	मध्य प्रदेश	661.35	83457	1.26
13.	महाराष्ट्र	787.10	83935	1.07

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	18.26	1410	0.77
15.	मेघालय	17.61	1350	0.77
16.	मिजोरम	6.86	164	0.94
17.	नागालैण्ड	12.15	2173	1.79
18.	उड़ीसा	315.12	71668	2.27
19.	पंजाब	201.9	1210	0.06
20.	राजस्थान	438.89	8362	0.19
21.	सिक्किम	4.03	171	0.42
22.	तमिलनाडु	556.38	63119	1.13
23.	त्रिपुरा	27.44	1261	0.48
24.	उत्तर प्रदेश	1387.6	181006	1.30
25.	पश्चिम बंगाल	679.82	145196	2.14
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.77	249	0.90
2.	चंडीगढ़	6.4	102	0.16
3.	दमण व द्वीव	1.01	235	2.33
4.	दादर व नागर हवेली	1.38	259	1.88
5.	दिल्ली	93.7	5856	0.60
6.	लक्षद्वीप	0.51	65	1.27
7.	पांडिचेरी	7.89	548	0.69
	कुल :	**8439.29**	**997471**	**1.18**

प्रतिबंधित संगठन

624. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में 31 दिसम्बर, 1993 की स्थितिनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-कानूनी घोषित किये गये संगठनों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ संगठन अभी भी फर्जी नामों से चल रहे हैं, यदि हां, तो इन्हें समाप्त करने तथा इनकी असलियत सामने लाने हेतु क्या कार्यावाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ संगठनों के राष्ट्रीय कार्यालयों के पदाधिकारी न केवल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में अपने मूल नामों से सक्रिय हैं ;

(घ) क्या सरकार का कानून के ऐसे घोर उल्लंघन को रोकने का विचार है ; और

(ड.) इन संगठनों को गैर-कानूनी घोषित किये जाने कें बाद से इनके कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कितने सदस्य 31.12.1993 को स्थितिनुसार नजरबंद थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जिन एसोशिएसनों को केन्द्र सरकार द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है, 31.12.1993 को वे निम्न प्रकार हैं :

1) जमात-ए-इस्लामी हिन्द

2) इस्लामिक सेवक संघ

3) विश्व हिन्दू परिषद

4) बोडो सिक्योरिटी फोर्स

5) युनाइटिड लिबरेशन फ्रंट ऑफ नागालैंड

6) नेशनल सोशलिस्ट कांउसिंल ऑफ नागालैंड

7) मीतेई उग्रवादी आग्रेनाईजेंशंस

८) जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट

९) लिबरेशन टाईगर्स ऑफ तमिल ईलम

(ख) से (ड़) गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्तियां पहले ही राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। लोक व्यवस्था को कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है और गैर कानूनी एसोशिएसनों तथा उनके सदस्यों की आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। राज्य सरकारों द्वारा, भारतीय दंड संहिता तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के अर्न्तगत आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा गैर-कानूनी एसोसिएशनों के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभी भी निरूद्ध रखे गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

ऐमनेस्टी इंटरनेशनल

625. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के दौरान ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के कुछ सदस्यों ने मानव अधिकारों की स्थिति का जायजा लेने के लिए बम्बई का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये अनुमति दी थी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या उक्त सदस्यों ने महाराष्ट्र या केन्द्र के किन्हीं सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी ; और

(च) यदि हां, तो उसकी कार्यसूची क्या थी और इन चर्चाओं का क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) बम्बई की यात्रा करने की अनुमति के लिए ऐमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, इस संगठन के एक द्विसदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल ने 9.1.1994 से 16.1.1994 तक की अवधि के दौरान बम्बई की यात्रा की। बम्बई की अपनी यात्रा के दौरान, प्रतिनिधी-मंडल ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और दाण्डिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मौजूदा विधायी ढांचे और प्रक्रियाओं के बारे में तथा विधि प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों से कैसे निपटा जाता है, इस बारे में उनके साथ विचार विमर्श किया इससे पहले यह प्रतिनिधि-मंडल, 6-7 जनवरी, 1994 को दिल्ली में भी संक्षिप्त समय के लिए रूका जहां पर उन्होंने केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। विचार-विमर्श के लिए कोई औपचारिक अथवा तयशुदा कार्य सूची नहीं थी लेकिन इसमें मानवाधिकारों की स्थिति के विभिन्न पक्षों पर और उनके संरक्षण एवं सवर्द्धन के लिए मौजूदा पद्धति पर भी बातचीत हुई। प्रतिनिधि-मंडल की यात्रा की रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी है।

कोयले के साथ धूल और पत्थर मिलाना

626. श्री राम कृपाल यादव :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची की बधोरी परियोजना में कोयले के साथ पत्थर और धूल मिलाने के कुछ मामले सरकार की जानकरी में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई आचानक निरीक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1993 के दौरान कितनी बार ऐसे निरीक्षण किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को.ई.लि.) ने सूचित किया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में बधोरी नामक की कोई परियोजना विद्यमान नहीं

हैं। को. ई. लि. ने यह भी सूचित किया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कोयले के साथ पत्थर एवं मिट्टी मिलाने की कोई घटना उनके नोटिस में नहीं आई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

627. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में सीमा क्षेत्र में जनमत संग्रह करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) वर्ष 1989 के प्रारम्भ में महाराष्ट्र सरकार ने विवाद के निपटारे के लिए रायशुमारी कराने का सुझाव दिया था। भारत सरकार का विचार है कि इस विवाद का समाधान संबंधित राज्य सरकारों के इच्छुक सहयोग से निकाला जा सकता है। इस बारे में उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान करने में भारत सरकार को खुशी होगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

629. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भद्रक स्थित यूनानी चिकित्सा संस्थान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरिक्षत श्रेणी-चार और तीन में इस समय कितने पद रिक्त हैं ; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी.शकंरानन्द) : (क) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, भद्रक (उड़ीसा) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए समूह "ग" और "घ" के आरक्षित पदों की संख्या इस प्रकार है :

	अनु० जाति	**अनु० जनजाति**
समूह "ग"	3	5
समूह "घ"	1	2

(ख) इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं

630. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय सहायता से लागू की गई विभिन्न स्वास्थ्य रक्षा योजनाओं के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना की उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगने संबंधी राज्य सरकारों के प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रायेजित प्रत्येक योजना के अंतर्गत गोवा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्यवार उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक योजना के लिए तैयार की गई सूची के अनुसार सहायता जारी की जाती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रमुख योजनाओं के लिए योजनावार आबंटन इस प्रकार है :

		आठवीं योजना (लाख रुपये में)
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	99.66
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	5.00
3.	राष्ट्रीय दृष्टि हीनता नियंत्रण कार्यक्रम	50.00
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	'0.00

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम- 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान पता लगाए गए रोगियों का राज्यवर कार्य निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	50000	85795	46000	80007	40000	75125
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	109	100	130	100	111
3.	असम	1500	1647	1300	1328	1200	1270
4.	बिहार	25000	26107	23000	25405	20000	86281
5.	गोवा	200	505	200	419	200	440
6.	गुजरात	8000	9721	7000	11082	6500	11338
7.	हरियाणा	100	263	150	283	150	198
8.	हिमाचल प्रदेश	200	169	250	193	250	207
9.	जम्मू व कश्मीर	200	265	200	207	200	215
10.	कर्नाटक	18000	19786	15000	26266	12000	26499
11.	केरल	6000	7318	5000	7050	5000	6680
12.	मध्य प्रदेश	27000	26520	25000	26543	22000	28421
13.	महाराष्ट्र	55000	89696	50000	94973	40000	97033
14.	मणिपुर	80	124	50	79	50	97
15.	मेघालय	50	39	50	51	50	38

16.	मिजोरम	50	42	50	29	50	26
17.	नागालैंड	100	34	100	93	100	34
18.	उड़ीसा	30000	47326	28000	47433	25000	48671
19.	पंजाब	200	550	200	639	200	652
20.	राजस्थान	800	1006	800	1551	800	1347
21.	सिक्किम	80	20	50	44	50	36
22.	लमिलनाडु	75000	94794	70000	102462	60000	76356
23.	त्रिपुरा	150	355	100	176	100	208
24.	उत्तर प्रदेश	45000	50693	40000	59200	35000	57764
25.	पश्चिम बंगाल	25000	17134	22000	23403	20000	25960
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	100	165	100	140	100	104
27.	चंडीगढ़	50	146	50	179	50	90
28.	दादरा व नगर हवेली	50	105	50	40	50	80
29.	दमन व दीव	20	22	50	48	50	55
30.	दिल्ली	500	383	100	2378	100	1482
31.	लक्षद्वीप	50	54	50	85	50	6
32.	पांडिचेरी	500	473	200	910	200	352
	कुल	309080	481636	335200	512836	289600	547686

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान मोतियाबिन्द संबंधी कार्यनिष्पादन

कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धि 1990-91	लक्ष्य 1991-92	उपलब्धि 1991-92	लक्ष्य 1992-93	उपलब्धि 1992-93
1.	आंध्र प्रदेश	136000	125408	200000	129365	200000	117936
2.	अरुणाचल प्रदेश	500	198	600	242	500	257
3.	असम	15000	13392	25000	17252	25000	17223
4.	बिहार	105000	56412	155000	70000	155000	60083
5.	गोवा	2000	2774	2200	2568	3000	3108
6.	गुजरात	77000	104819	110000	122239	122000	124896
7.	हरियाणा	39000	30383	60000	51782	62000	63834
8.	हिमाचल प्रदेश	7000	4698	10000	7824	10000	7938
9.	जम्मू व कश्मीर	4000	4730	7000	7134	7000	4847
10.	कर्नाटक	54000	34149	90000	65078	90000	77760
11.	केरल	20000	20647	50000	24003	50000	23079
12.	मध्य प्रदेश	108000	91954	150000	113227	150000	117968
13.	महाराष्ट्र	110000	159410	180000	188251	191000	207802
14.	मणिपुर	1000	364	2000	364	1500	623
15.	मेघालय	3000	2312	5000	1356	4400	1030
16.	मिजोरम	400	237	400	171	400	132
17.	नागालैंड	600	95	600	76	250	158
18.	उड़ीसा	35000	20341	70000	18641	60000	28175
19.	पंजाब	39000	67081	70000	94017	90000	102531
20.	राजस्थान	86000	84830	130000	80654	125000	81823
21.	सिक्किम	100	116	1000	209	600	292
22.	तमिलनाडु	108000	88634	160000	151323	160000	171946
23.	त्रिपुरा	3000	1928	4000	2381	3000	2978

24. उत्तर प्रदेश	216000	197363	320000	247083	300000	234759
25. पश्चिम बंगाल	95000	57830	150000	90202	150000	116032
26. अंडमान निकोबार	200	171	600	177	400	140
27. चंडीगढ़	2000	5266	5000	2579	4500	2513
28. दादरा व नगर हवेली	200	34	500	40	200	102
29. दमण व दीव		0	1000	0	100	194
30. दिल्ली	17000	19551	25000	18573	30000	30000
31. लक्षद्वीप	10	2	100	19	50	13
32. पांडेचेरी	2000	2547	5000	2475	4000	3337
33. ई.एस.आई. ए.एफ.सी.आर.		852	-	7077		1417
भारत	1286010	1198528	1990000	1516382	2000000	1604925

198 वर्ष 1990-91,1991-92, 1992-93 के दौरान क्षयरोग के नए रोगियों का पता लगाने के बारे में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

		1990-91			1991-92			1992-93		
क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	88.000	57.839	65.73	88.000	63.182	71.80	90.400	65.517	72
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.800	2.933	162.94	1.952	2.645	1,35.00	2.800	3.121	111
3.	असम	37.500	20.934	54.38	37.500	11.664	38.16	39.100	17.975	46
4.	बिहार	1.85.000	2.12.052	1.19.49	1.96.248	आई एन आर	-	1,98.640	1,96.183	99
5.	गोवा	3.000	3.349	111.63	3.000	2.796	93.20	3.800	3.475	91
6.	गुजरात	1.40.000	1,42.342	1,01.67	1,45.000	1,51.600	1,04.55	1,48.200	1,58.928	107
7.	हरियाणा	30.000	29.237	97.45	30.000	31.881	1,06.27	31.200	31.457	101
8.	हिमाचल प्रदेश	15.000	18.311	120.73	17.752	12.131	68.34	18.960	17.008	90
9.	जम्मु व कश्मीर	15.000	8.210	54.73	15.000	6.860	45.75	16.200	3.655	23
10.	कर्नाटक	83.000	71.036	85.58	83.000	86.854	80.55	85.200	64.234	75
11.	केरल	45.000	30.871	68.60	45.000	25.544	56.78	46.600	27.753	60
12.	मध्य प्रदेश	1.20.000	92.488	77.07	1,20.000	57.950	48.29	1.22.800	77.309	63
13.	महाराष्ट्र	2.10.000	2.80.537	1.33.59	2,32.500	2,55.185	1.09.76	2.36.500	2.71.272	115

14.	मणिपुर	3.800	1.182	31.10	3.800	2.111	55.55	4.200	2.603	62
15.	मेघालय	1.800	1.782	99.00	1.800	2.719	1,51.06	2.600	2.426	93
16.	मिजोरम	.800	.711	88.87	.800	.806	1,00.00	1.000	1.009	101
17.	नागालैंड	1.500	1.464	97.60	1.500	1.495	99.67	1.800	1.004	56
18.	उड़ीसा	38.500	32.237	83.73	38.500	30.579	78.43	41.300	30.479	74
19.	पंजाब	41.000	42.202	1.02.93	41.000	40.121	97.86	43.400	44.764	103
20.	राजस्थान	43.000	49.796	1.15.80	43.148	44.101	102.21	46.360	33.557	72
21	सिक्किम	1.200	1.622	1.35.17	1.300	.491	37.77	1.600	4.351	272
22.	तमिलनाडु	1.15.000	1,15.017	1.00.01	1,15.752	1,05.008	70.72	1,18.940	99.034	83
23.	त्रिपुरा	1.600	1.787	1,11.68	1.700	1.578	92.54	2.100	2.163	103
24.	उत्तर प्रदेश	86.000	2.74.467	95.97	2.91.500	2,66.864	91.55	2.79.500	2.56.861	86
25.	पश्चिम बंगाल	90.000	58.447	64.94	90.000	41.672	46.30	93.209	51.113	55
26.	पांडिचेरी	4.500	4.423	98.28	4.500	4.095	91.00	4.600	4.863	106
27.	अंडमान निकोबार	.300	.515	1,71.67	.376	.464	1,23.40	.400	.503	126
28.	चंडीगढ़	2.500	1.668	66.72	2.500	1.748	69.92	2.600	1.723	66
29.	दादरा व नगर हवेली	.300	.147	49.00	.300	.132	44.00	.320	.367	115
30.	दिल्ली	44.500	46.894	105.37	46.124	46.383	1.00.00	47.200	64.028	136
31.	लक्षद्वीप	.200	.126	63.00	.002	.016	8.00	.220	.163	76
32.	दमण व दीव	.200	.380	1.90.00	.248	.440	1.77.42	.260	.187	72
	कुल :	**16,50.000**	**15,98.996**	**96.90**	**17,00.000**	**12,79.115**	**75.224**	**17,50.000**	**15,39.089**	**88**

1991 के दौरान भारत के राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में मलेरिया के रोगी तथा उससे हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मलेरिया रोगी	पी.एफ. रोगी	मौतें
1.	आध्रं प्रदेश	82292	33390	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	18729	2985	शून्य
3.	असम	107572	72962	36
4.	बिहार	60332	34220	14
5.	गोवा	2879	499	शून्य
6.	गुजरात	104735	122235	37
7.	हरियाणा	34011	1142	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	20115	5	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	4656	11	शून्य
10.	कर्नाटक	44565	9875	8
11.	केरल	6758	186	शून्य
12.	मध्यप्रदेश	282681	165428	28
13.	महाराष्ट्र	145310	53793	15
14.	मणिपुर	610	825	शून्य
15.	मेघालय	11155	7433	शून्य
16.	मिज़ोरम	12486	5798	12
17.	नागालैंड	2422	533	शून्य
18.	उड़ीसा	414550	351062	233
19.	पंजाब	36619	365	शून्य
20.	राजस्थान	77573	16097	10
21.	सिक्किम	46	4	शून्य
22.	तमिलनाडु	144762	12193	4
23.	त्रिपुरा	6992	5314	7
24.	उत्तर प्रदेश	112118	9112	शून्य
25.	पश्चिम बगांल	40452	7771	13
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1765	[illegible]	2

2.	चंडीगढ़	26046	31	शून्य
3.	दादरा व नगर हवेली	5101	362	शून्य
4.	दमण व दीव	1010	33	शून्य
5.	दिल्ली	8491	24	शून्य
6.	लक्षद्वीप	4	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	563	4	शून्य
	कुल :	2117460	918488	421

1992 के दौरान भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया रोगियों, पी.फाल्लीपेरम रोगियों और मौतों की संख्या अनंतिम

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पजिरिव रोगियों की संख्या	पी.फाल्लपेरम रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	80305	26594	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	19113	3120	शून्य
3.	असम	95168	62118	20
4.	बिहार	65352	43191	21
5.	गोवा	848	202	शून्य
6.	गुजरात	348532	98213	28
7.	हरियाणा	16662	1238	1
8.	हिमाचल प्रदेश	7251	9	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	1244	11	शून्य
10.	कर्नाटक	81057	15578	शून्य
11.	केरल	8255	221	2
12.	मध्य प्रदेश	269930	153499	39
13.	महाराष्ट्र	203812	61104	2
14.	मणिपुर	2119	916	9
15.	मेघालय	11283	6863	शून्य
16.	मिजोरम	20592	11361	36
17.	नागालैंड	2218	132	शून्य
18.	उड़ीसा	362390	307056	155

19.	पंजाब	23225	184	शून्य
20.	राजस्थान	121199	41513	55
21.	सिक्किम	208	119	1
22.	तमिलनाडु	151633	12112	2
23.	त्रिपुरा	9350	6970	6
24.	उत्तर प्रदेश	135212	12324	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	19130	8960	13
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1688	297	1
2.	चंड़ीगढ़	7559	29	शून्य
3.	दादरा एवं नगर हवेली	6676	787	शून्य
4.	दमन व दीव	1199	86	शून्य
5.	दिल्ली	11241	90	1
6.	लक्षद्वीप	1	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	1034	13	शून्य
	भारत	**2125826**	**876246**	**422**

1993 * के दौरान भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया रोगियों, पी.फाल्सिपेरम रोगियों और मौतों की सख्या (अनंतिम)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पजिटिव रोगियों की संख्या	पी.फाल्लिपेरम रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र पदेश	78581	22047	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	8522	1081	शून्य
3.	असम	86685	58875	43
4.	बिहार	20834	3015	2
5.	गोवा	1958	289	शून्य
6.	गुजरात	305031	73560	13
7.	हरियाणा	21945	950	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	4062	2	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	767	11	शून्य
10.	कर्नाटक	121459	33459	शून्य
11.	केरल	7418	313	शून्य

12.	मध्य प्रदेश	107365	33321	1
13.	महाराष्ट्र	249244	66920	2
14.	मणिपुर	1699	715	9
15.	मेघालय	6795	4251	शून्य
16.	मिजोरम	8574	4120	13
17.	नागालैंड	649	109	शून्य
18.	उड़ीसा	247210	183858	19
19.	पंजाब	15916	85	शून्य
20.	राजस्थान	84588	16353	12
21.	सिक्किम	58	32	शून्य
22.	तमिलनाडु	135814	7762	शून्य
23.	त्रिपुरा	3136	2524	5
24.	उत्तर प्रदेश	100671	4283	शून्य
25.	पश्चिमी बगांल	34660	5721	5
26.	अंडमान निकोबार	1693	307	2
27.	चंडीगढ़	9735	31	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	7003	626	शून्य
29.	दमण व दीव	1565	45	शून्य
30.	दिल्ली	8201	19	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	909	5	शून्य
	कुल :	**1682747**	**530792**	**131**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जनवरी, 1994 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर

जम्मू और कश्मीर में गोलीबारी

631. **श्री जीवन शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आतंकवादियों ने उस हेलीकाप्टर पर गोलियां चालाई थीं जिससे वह डोडा जा रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। डोडा में केन्द्रीय गृह मंत्री के आगमन से पहले कुछ दूरी पर संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा कुछ गोलियां चलाई गई थी और उपलब्ध सूचना के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप जान एवं माल की कोई क्षति नहीं हुई।

[हिन्दी]

तपेदिक की रोकथाम

632. **श्री राम पाल सिंह :**

श्री नरेश कुमार बालियान :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी तपेदिक का जोर है ;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तपेदिक के कितने मामले दर्ज थे ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से इसके उन्मूलन के लिए अनेक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि कुल आबादी में से अनुमानतः 1.5% लोग क्षय रोग से ग्रस्त हैं जिनमें से 1/4 अथवा 0.4% रोगी संक्रामक क्षयरोग से ग्रस्त हैं। यह स्थिति पूरे देश में एक जैसी है।

(ख) जनवरी, 93 तथा दिसम्बर, 1993 के बीच क्षय रोग के पता लगाए गए नए रोगियों की राज्य/संघ राजय क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान, जो 1991-92 में 15.25 करोड़ रूपये था को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 1993-94 में 37.5 करोड़ रूपये कर दिया गया है। उच्च उपचार दर प्राप्त करने पर बल देते हुए विश्व बैंक सहायता के लिए एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय क्षय रोग अनुभाग)

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नए पता लगाए गए रोगियों की संख्या (जनवरी,93 से दिसम्बर, 93)
1.	आंध्र प्रदेश	70732
2.	अरूणाचल प्रदेश	2773
3.	असम	14613
4.	बिहार	प्राप्त नहीं हुए
5.	गोवा	3573

6.	गुजरात	155256
7.	हरियाणा	18650
8.	हिमाचल प्रदेश	18569
9.	जम्मू और कश्मीर	5868
10.	कर्नाटक	72058
11.	केरल	26280
12.	मध्य प्रदेश	71150
13.	महाराष्ट्र	246023
14.	मणिपुर	4563
15.	मेघालय	3290
16.	मिजोरम	1320
17.	नागालैंड	1272
18.	उड़ीसा	29099
19.	पंजाब	43335
20.	राजस्थान	38753
21.	सिक्किम	1224
22.	तमिलनाडु	94264
23.	त्रिपुरा	1959
24.	उत्तर प्रदेश	262460
25.	पश्चिमी बंगाल	67226
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	540
27.	चण्डीगढ़	2047
28.	दादर और नागर हवेली	225
29.	दमन और द्वीव	796
30.	दिल्ली	64177
31.	लक्षद्वीप	105
32.	पाण्डिचेरी	5002
	कुल :	1327002

[अनुवाद]

श्रीनगर के मानचित्र

633. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर विकास प्राधिकरण रिकार्डों श्रीनगर के सामरिक महत्व के गानचित्रों के गायब होने का मामाला प्रकाश में आया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने मानचित्र गायब हैं ;

(ग) मानचित्र कब से गायब हैं ;

(घ) क्या इन मानचित्रों की आतंकवादियों के हाथ लग जाने की आशंका है ;

(ड़.) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(छ) इन मानचित्रों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानव अधिकार आयोग

634. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने मानव अधिकार आयोग बनाया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्यों द्वारा ऐसे आयोगों के निर्माण से अधिकार क्षेत्र में टकराव और कार्य का द्विगुणीकरण नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन कठिनाईयों को किसी प्रकार दूर करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की शर्तों के अनुसार अभी तक किसी राज्य सरकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित नहीं किया है। इससे पहले, एक शासकीय अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज प्रश्न काल समाप्त हो जाने के तुरंत पश्चात् रेल मंत्री द्वारा रेलवे बजट प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भाषण पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा और बाहर लोग इस बात का इतंजार कर रहे हैं कि सभा में तथा जनता के लिये क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? मैं आसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें पूरा सहयोग दें और उन्हें रेलवे बजट प्रस्तुत करने दें। यदि आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहतें हैं तो बाद में पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल रेल मंत्री महोदय का ही भाषण कार्यवाही वृतान्त और दूरदर्शन में जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, रेलवे मंत्री महोदय बोलेंगे।

12.02 म.प.

रेलवे बजट, 1994-95

रेलवे मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) :

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, मैं भारतीय रेलों के वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान और 1994-95 के बजट अनुमान करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रस्तावना

2.1 श्रीमन्, यह सर्वविदित है और दुनिया भर में माना भी जाता है कि विश्व की रेल प्रणालियों में भारतीय रेलों का एक विशिष्ट स्थान है। वे न केवल आर्थिक विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना के रूप में काम करती हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन भी हैं। इसके साथ ही उन पर एक व्यापारिक संगठन के रूप में काम करने का दायित्व आ गया है। इस भूमिका का निर्वाह कोई आसान काम नहीं है सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विश्व भर में रेलों को लाभ–भोगियों द्वारा या सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके विपरीत, भारतीय रेलों को इस तरह के दायित्वों का निर्वाह प्रायः अपने ही संसाधनों से करना हेाता है। श्रीमन्, हाल के वर्षों में भारतीय रेलों को मिलने वाले बजटीय समर्थन में काफी कमी हो गई है और 1986-87 के 51% से घटकर 1994-95 में यह लगभग 18% रह गया है। रेलें अब आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। अधिकाधिक कार्य-कुशलता लाकर और उत्पादकता बढ़ाकर तथा बाजार से ऋण

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

मांग कर, आंतरिक संसाधन जुटाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस महत्वपूर्ण अवसंरचना का विकास जारी रखने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके।

2.2 मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कठिनाई के बावजूद रेलों ने बदलाव की इस चुनौती को संकल्प और समर्पण के साथ स्वीकार किया है और उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। बेहतर प्रबन्ध-व्यवस्था, उच्चतर उत्पादकता, परिसम्पत्तियों के बेहतर अनुरक्षण और उच्च विश्वसनीयता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा क्षमता का सृजन, जो विशेष रूप से आमान-परिवर्तन में अधिक निवेश के फलस्वरूप हुआ है, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा सम्भव हो पाया है। संचालन व्यय में सर्वतोमुखी बचत, परियोजनाओं की लागतं में कटौती तथा ईंधन की बचत करने वाले रेल इंजनों का अधिक इस्तेमाल करके ऊर्जा-संरक्षण और रेलपथ नवीकरण के अधिकांश बकाया कामों को पूरा करके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे भी उल्लेखनीय हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, डीजल मल्टिपल यूनिटों और मुख्य लाइन के विद्युत मल्टिपल यूनिटों का उत्पादन तथा 3-टियर वातानुकूल शयनयान प्रारम्भ करने की योजना भी इस बात के प्रमाण हैं कि बेहतर सेवाएं प्रदान करने और ग्राहक को उसके द्वारा खर्च किए गए धन के बदले में आरामदायक सेवा उपलब्ध कराने के बारे में रेलों को कितनी अधिक चिन्ता है। देश की अर्थवयवस्था को विश्व्यापी और बंधन-मुक्त करके, इसमें हो रहे दूर-गामी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रेलों को जिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय दृष्टि से रेलों के संसाधनों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ने लग गया है। रेलों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहं रही है कि वे सामान्य राजकोष को पूरी लाभांश दायिता का भुगतान करने में और योजना व्यय के लिए अधिकांश धन की व्यवस्था स्वयं अपने संसाधनों से करने में सक्षम हो गई हैं। विश्व की रेल प्रणालियों द्वारा सामान्यतः इसे एक लासानी उपलब्धि माना जाता है। वास्तव में, रेल प्रबंध-व्यवस्था के संबंध में हाल ही में नई दिल्ली में हुए विश्व सम्मेलन में, भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलों द्वारा निभाई जा रही विशिष्ट भूमिका की व्यापक सराहना हुई है।

3. श्रीमन् अब में वर्ष 1992-93 के कार्य निष्पादन की संक्षेप में समीक्षा करना चाहूंगा। प्रक्षेपित यातायात में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि वर्ष के दौरान प्रत्याशा थी। इसका मुख्य कारण देश के कुछ भागों में गड़बड़ी के हालात का होना था। परिणामस्वरूप, राजस्व उपार्जक माल यातायात के लक्ष्य को संशोधित अनुमान के स्तर पर 354 मिलियन टन से घटाकर 350 मिलियन टन किया गया। यह संशोधित लक्ष्य वर्ष 1991-92 में ढोए गए यातायात से 12 मिलियन टन अधिक था और इसे प्राप्त भी किया गया। लेकिन, यात्री यातायात, जिसमें वर्ष 1992-93 के दौरान मूलतः 5 प्रतिशत की वृद्धि की प्रत्याशा की गई थी, वर्ष 1991-92 की अपेक्षा कुछ कम रहा।

यातायात निष्पादन, 1992-93

4. वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमान में, समान्य राजस्व को लाभांश का पूरा भुगतान

करने के पश्चात् 757 करोड़ रूपये के अधिशेष की प्रत्याशा की गई थी। किन्तु, वर्ष

वित्तीय परिणाम 1992-93

के अन्त में अधिशेष घटकर 441 करोड़ रूपये रह गया, जिसका मुख्य कारण यह था कि कुछ प्रमुख रेल उपयोगकर्ताओं, विशेषकर ताप बिजली घरों द्वारा कोयले की ढुलाई के संबंध में रेलों को देय मालभाड़े का भुगतान नहीं किया गया यह समस्या अभी भी निरंतर बनी हुई है। फिर भी, रेलें आस्थगित लाभांश की समूची राशि तथा विकास निधि निर्माण कार्यों के लिए विगत में लिए गए ऋणों का भुगतान करके, सामान्य राजस्व की सारी देनदारी चुकाने में सफल रहीं।

5. श्रीमन्, मुझे आशा थी कि पिछले वर्ष यातायात में जो गिरावट आयी थी, वह मात्र अस्थायी होगी। तदनुसार, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा

यातायात संभावनाएं 1993-94

निर्धारित 418 मिलियन टन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1993-94 के लिए हमने 370 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य निश्चित किया था। लेकिन यातायात में प्रत्याशा से कम वृद्धि का रूख जारी है जिसके कारण अब यह लक्ष 362 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, यात्री यातायात में वृद्धि का जो पूर्वानुमान बजट में लगाया गया था, वह भी फलीभूत नहीं हो रहा है।

6.1 यातायात में कमी के परिणामस्वरूप, माल यातायात से आमदनी के अनुमान में संशोधन करके इसे 13,173 करोड़ रूपये की बजाय 12,830 करोड़ रूपये किया जा रहा है और यात्री यातायात से आमदनी बजट में लगाये गये 5,110 करोड़ रूपये

वित्तीय संभावनाएं 1993-94

के अनुमान की तुलना में घटकर 4,865 करोड़ रूपये हो जाने की संभावना है। अन्य कोचिंग और अन्य फुटकर आमदनी में कुछ मामूली परिवर्तनों के फलस्वरूप, यातायत से कुल आमदनी 18,505 करोड़ रूपये होने की आशा है जो 19,086 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में 581 करोड़ रूपये कम है। यातायात से सकल प्राप्तियां 18,585 करोड़ रूपये रखी जा रही हैं जबकि बजट में 19,021 करोड़ रूपये रखी गयी थीं।

6.2 हालाकि, रेलें बेहतर अभिनव विपणन द्वारा इस खाई को पाटने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी उन्होंने प्रणाली की बहुमुखी प्रचालन कुशलता हासिल करने तथा संचालन व्यय को कम करने के लिए सफलता पूर्वक सु-निदेशित नीतियां अपनाकर, यातायात से प्राप्त आमदनी में आयी गिरावट की ओर तत्काल ध्यान दिया है। आशा है, इसके परिणामस्वरूप अन्तरिम राहत तथा बिजली की दरों में वृद्धि जैसे बजटोत्तर कारकों को आत्मसात करने के बावजूद, साधारण संचालन व्यय में लगभग 200 करोड़ रूपये की बचत होगी। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। तदनुसार, साधारण संचालन व्यय का अनुमान 11,955 करोड़ रूपये से कम करके 11,755 करोड़ रूपए रखा जा रहा है।

6.3 योजना की राशि 6,500 करोड़ रूपये से घटाकर 6,200 करोड़ रूपये करना अनिवार्य हो गया था क्योंकि यातायात से प्राप्ति में कमी के कारण आन्तरिक स्रोतों से कम राशि जुटाई जा सकी।

6.4 इस कटौती का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि 2,400 करोड़ रूपये से कम करके 2,100 करोड़ रूपये की जा रही है। शुद्ध विविध प्राप्तियों तथा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की राशि में कुछ परिवर्तन करके, रेलें अधिशेष की राशि 2,195 करोड़ रूपये बनाये रखने मे समर्थ होंगी, जैसा कि मूल बजट में अनुमान लगाया गया था। इस अधिशेष का उपयोग आंशिक रूप से पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विकास निधि से संबंधित सभी निर्माण-कार्यों के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा।

7. मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि पूंजी निधि के सृजन का अनुमोदन करने के लिए रेल अभिसमय समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

पूंजी निधि

इस निधि के लिए धन की व्यवस्था आन्तरिक रूप से जुटाए गए साधनों से की जानी थी और इसका उपयोग पूंजीगत आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाना था। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेल अभिसमय समिति ने इस निधि के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है तथा चालू वर्ष में इस निधि में 1,975 करोड़ रूपये की राशि जमा करने का प्रस्ताव है।

8.1 जैसा कि सदन को विदित है, प्रचालन की लागत में वृद्धि, ढोये जाने वाले यातायात की मात्रा तथा स्वरूप, प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों तथा देश के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए माल भाड़ा तथा किराया संरचना के पूरे ढांचे की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० डी० एम० नांजुन्दप्पा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

रेलवे के कार्य-संचालन से संबंधित समिति

8.2 श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि भारतीय रेलें पारदर्शी हों। जनता को राष्ट्र की इस जीवन-रेखा की क्षमता तथा कमजोरियों की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। ऐसा करके ही, प्रणाली को विकास और कार्य-कुशलता के उच्चतर स्तरों तक ले जाने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हो सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, प्रथम उपाय के रूप में, रेलवे के कार्य-संचालन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का व्यापक अध्ययन करने हेतू रेल मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्श समिति के सदस्यों मे से तीन उप-समूह गठित किए गये थे। इन उप-समूहों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। उन्होंने बजटीय सहायता, सामाजिक दायित्व, लाभांश के भुगतान तथा भूमि और आकाशीय क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिनके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं।

9.1 श्रीमन्, चाहे किसी भी पहलू से देखा जाए, भारतीय रेल एक व्यापक और जटिल नेटवर्क है। इसका कुशल प्रबंध अति चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहरहाल, इस समय इसका संगठन विभागीय आधार पर, अर्थात् एक ऐसी प्रणाली के अनुरूप किया गया है जो मुख्य रूप से तत्कालीन ब्रिटिश कंपनी रेलवेज की देन है।

संगठनात्मक सुधार

इस उद्यम के पुनर्गठन और इसे सुचारू एवं कारगर बनाने का विचार है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इस अत्यावश्यक अवसंरचना का विकास हो और एक ऐसे माहौल का सृजन हो जिसमें संकीर्ण एवं कभी-कभी परस्पर-विरोधी आंचलिक उद्देश्यों की पूर्ति को नहीं, बल्कि ग्राहकों की सेवा तथा उनकी सुविधा का प्राथमिकता दी जाए।

9.2 पिछले वर्ष मैंने सदन को सूचित किया था कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है जो विस्तृत अध्ययन करेगी तथा संगठनात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

10. आशा है कि "एक-आमान" परियोजना और कोंकण रेलवे के फलस्वरूप यातायात के प्रवाह की मात्रा और उसके स्वरूप में भारी परिवर्तन आएगा। प्रत्येक जोन/मंडल द्वारा संभाले जा रहे कार्यभार की मात्रा, यातायात के प्रवाह, भौगोलिक फैलावों और अक्सर किए जाने वाले क्षेत्र निरीक्षणें को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिविधि के विभिन्न केन्द्रों तक आसान पहुंच को ध्यान में रखते हुए, मैजूदा जोनों और मंडलों की भौगोलिक सीमाओं को फिर से परिभाषित करने ओर उनके पुनर्निर्धारण की इस समय अत्यंत आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य यह है कि परिचालनिक संरक्षा, कार्य-कुशलता और प्रणाली की उत्पादकता में कुल मिलाकर सुध ाार हो। मौजूदा जोनों और मंडलों की भौगोलिक सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं विस्तृत अध्ययन करने के आदेश दे रहा हूं। हो सकता है कि इसके फलस्वरूप कुछ और जोन तथा मंडल बनाने की जरूरत पड़े। जैसे ही यह अध्ययन पूरा हो जाएगा, नए जोनों और मंडलों के गठन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी ।

पुनर्गठन

11.1 नई-नई गाड़ियां चलाने के लिए हमें बहुत से सुझाव तथा मांगें प्राप्त होती रहती हैं। अपने पिछले बजट भाषण में मैं ने नौ नई एक्सप्रेस गाड़ियों का उल्लेख किया था, लेकिन उपलब्ध संसाधनों को युक्तियुक्त बनाकर रेलों ने वास्तव में लगभग 30 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियां जो पहले चलाई जा चुकी हैं या चलाई जानी हैं, निम्नलिखित हैं :

यात्री सेवाएं

1. पुरी और ओखा के बीच एक साप्ताहिक एकसप्रेस गाड़ी,
2. नागरकोइल और गुरूवायूर के बीच एक दैनिक गाड़ी,
3. मदुरै के रास्ते मद्रास और कन्याकुमारी/तूतीकोरिन के बीच बड़ी लाइन की एक दैनिक एकसप्रेस गाड़ी,
4. मनमाड और बम्बई के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी,
5. पटना और पुरी के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी, और
6. मद्रास और मैसूर के बीच शताब्दी एकसप्रेस गाड़ी ।

11.2 सदन का यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1994-95 के दौरान निम्नलिखित नई गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :

1. नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस।
2. नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस ।
3. बम्बई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रेस।
4. दिल्ली और सुल्तानपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।
5. तिरूवनंतपुरम और बम्बई के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।
6. सहारनपुर और लखनऊ के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
7. विजयवाडा/गुंटूर और हैदराबाद के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
8. जयपुर और हावड़ा के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
9. दिल्ली और काठगोदाम के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
10. कटिहार और सियालदह के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
11. हजरत निज़ामुद्दीन और श्रीगंगानगर के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।
12. जयपुर के रास्ते जोधपुर और लखनऊ के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

11.3 निम्नलिखित गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव है :

1. हजरत निजामुद्दीन-मद्रास राजधानी एक्सप्रेस का तिरूवनंतपुरम तक।
2. भुवनेश्वर-सिकन्दराबाद कोर्णाक एक्सप्रेस का बम्बई तक।
3. पुरी-हजरत निजामुद्दीन कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस का अमृतसर तक।
4. हावड़ा-गोरख पुर एक्सप्रेस का काठगोदाम तक।
5. बम्बई-जालना एक्सप्रेस का सिकन्दराबाद तक।
6. इंदौर-नई दिल्ली मालवा एक्सप्रेस का जम्मू तवी तक।
7. कोचीन-अहमदाबाद एक्सप्रेस का राजकोट तक।
8. टाटा-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का गोरखपुर तक।
9. पटना-हटिया एक्सप्रेस का झारसुगुडा तक।
10. सप्ताह में तीन दिन चलने वाली जम्मू तवी-गोरखपुर एक्सप्रेस का एक दिन बरौनी तक।

11.4 निम्नलिखित गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगे :

1. अहमदाबाद-मद्रास नवजीवन एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन की बजाए छह

दिन चलाया जाएगा।

2. दिल्ली-जम्मू तवी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय हर रोज चलाया जाएगा।

3. बिलासपुर-कोचीन एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन की बजाय दो दिन चलाया जाएगा।

4. गोरखपुर-कोचीन एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय चार दिन चलाया जाएगा।

5. पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय पांच दिन चालाया जाएगा।

6. सियालदह-हल्दीबाड़ी/न्यू अलीपुरद्वार तिस्ता तोर्षा एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय छह दिन चलाया जाएगा।

7. ग्वालियर-हावड़ा चम्बल एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय तीन दिन चलाया जाएगा।

8. इंदौर-हवड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय तीन दिन चलाया जाएगा।

9. हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन की बजाय तीन दिन चलाया जाएगा।

बेहतर सेवा

12.1 वर्ष के दौरान रेलों का यह विशिष्ट संकल्प रहा है कि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जाए। देश के कपूरथला स्थित रेल सवारी डिब्बा कारखाने में अभिकल्पित और निर्मित नये वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे का अच्छा स्वागत हुआ है। यह डिब्बा उचित लागत पर आरामदेह यात्रा सुलभ कराने के लिए चलाया गया है। इन डिब्बों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में इनका उपयोग किया जा सके।

12.2 सवारी डिब्बों में बेहतर सफाई व्यवस्था के उद्देश्य से, लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में चल सफाई-वाले रखे गए हैं।

12.3 श्रीमन्, कम दूरी तक यात्रा करने वाले यात्री और दैनिक यात्री प्रायः लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों में चढ़ जाते हैं जिससे भीड़ बढ़ जाती है और लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होती है। जिन क्षेत्रों में विद्युतीकृत लाईनें नहीं हैं, उनमें डीजल मल्टिपल यूनिट गाड़ियां चलाकर तथा विद्युतीकृत मुख्य लाइनों पर नई किस्म की ई.एम.यू. गाड़ियां चलाकर, कम दूरी के यात्री यातायात को अब लम्बी दूरी के यात्री यातायात से अलग कर दिया जाएगां। आशा है कि इस उपाय से लम्बी दूरी के यात्रियों को काफी राहत और आराम मिलेगा। रेल बस के प्रोटोटाइप का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है। ये बसें कम घनत्व वाली शाखा लाइनों पर चलायी जाएंगी ताकि बेहतर सेवा सुलभ हो सके।

12.4 श्रीमन्, 1994-95 से सभी नये सवारी डिब्बों का निर्माण निर्वात ब्रेकों की बजाय वात ब्रेक लगाकर किया जाएगा। इससे यात्री गाड़ियों की बेहतर संरक्षा,तेज गति तथा बेहतर समय-पालन सुनिश्चित हो सकेगा। सवारी डिब्बों की बोगियों का नया डिजाइन तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यात्रा और अधिक आरामदेह हो सके।

12.5 श्रीमन्, खान-पान एक अन्य क्षेत्र है जिसकी आलोचना होती है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय रेलें यह सुनिचित करने का सतत् प्रयास कर रही हैं कि यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वस्थ्यकर हो। विभागीय खान-पान यूनिटों को व्यावसायिक रसोंइये लगाकर तथा जोरदार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और सक्रिय बनाया जा रहा है। ख्यातिप्राप्त प्रबंधकों द्वारा पहले से बना-बनाया भोजन सप्लाई करने की एक अग्रगामी परियोजना शुरू करने के बारे में परीक्षण किये जा रहे हैं। चुनिंदा तौर पर नई पेन्ट्री कारों की भी व्यवस्था की जा रही है।

12.6 खान-पान सेवा को व्यावसायिक बनाने और उन्हें उन्नत बनाने की दृष्टि से, 'रेलवे खान-पान निगम' की स्थापना करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

पर्यटन

13. सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रेलों ने पहली बार देश में सप्ताहान्त अवकाश में यात्रा की एक नई संकल्पना की है जो शुक्रवार की शाम को शुरू होकर सोमवार को प्रातः समाप्त होती है और जिसके लिए निकटवर्ती पर्यटन केन्द्रों पर एक ही स्थल बिना किसी भीड़-भाड़ के रेल-यात्रा, ठहरने के स्थान, दर्शनीय स्थल की बुकिंग तथा खान-पान की व्यवस्था की गई है। भारतीय रेलों ने रेल से यात्रा करने में रूचि रखने वाले यात्रियों के नये वर्ग और अधिक खर्च कर सकने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आठ मार्गों पर "पैलेस आन व्हील्स" टाइप की पर्यटक गाड़ियां चलाने की योजनाएं भी बनायी हैं।

संरक्षा

14.1 यद्यपि, गाड़ी दुर्घटनाओं या प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाओं की संख्या के हिसाब से संरक्षा निष्पादन में सुधार हुआ है, फिर भी रेल उपयोगकर्त्ताओं की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्रीमन्, मानवीय चूकों की घटनाओं को कम करने की कार्यवाही के अलावा, रेलें संचार प्रणाली में सुधार लाने और प्राथमिकता के आधार पर रेलपथ परिपथन और द्वितीय दूरस्थ सिगनलों को लगाने जैसे संरक्षा कार्यों को पूरा करने के सतत् प्रयास कर रही हैं। इस प्रयोजन के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

14.2 श्रीमन्, मैं उन दुर्घटनाओं के बारे में भी बहुत चिन्तित हूं जो बिना चौकीदार वाले समपारों पर होती हैं,भले ही वे सड़क वाहन चालकों की लापरवाही के कारण क्यों न हों। हाल ही में, ऐसी एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बच्चों की अनमोल जानें गयीं। हमने यथा-संभव अधिक से अधिक समपारों पर चौकीदार तैनात करने का दृढ़ निश्चय किया है तथा इस दिशा में प्रथम उपाय के रूप में लगभग 500 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने के लिए 1994-95 के बजट में 25 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। चौकीदार तैनात करने की लागत में राज्य सरकारों को भागीदार बनाने के मेरे प्रयास जारी रहेंगे।

15.1 भारतीय रेलों ने चालू वर्ष में स्क्रैप के निपटान को उच्च प्राथमिकता दी है। चालू वर्ष के दौरान स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के लिए 750 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो 1990-91 के दौरान वसूल की गयी राशि से लगभग दुगुना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, जनवरी 1994 के अंत तक हम 682 करोड़ रूपये मूल्य के स्क्रैप की बिक्री कर चुके हैं और आशा है कि हम लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

स्क्रैप का निपटान

15.2 आमान परिवर्तन के कार्य की प्रगति के साथ-साथ, मीटर लाइन के चल स्टाक को सेवा से हटाना होगा इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, रेलें इनका अन्य विकासशील देशों को निर्यात करने की संभावना पर विचार कर रही हैं। इस संबंध में उत्साह-वर्धक मालूमात की जा रही हैं। आशा है कि इस प्रकार रेलें बड़ी मात्रा में संसाधन जुटा पाने में सक्षम होंगी। इस सन्दर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मलेशियन रेलवेज द्वारा 'इरकान' के साथ की गई लीज-व्यवस्था के अन्तर्गत 'इरकान' के पर्यवेक्षण में हमारे मीटर लाइन के रेल इंजनों का कार्य-निष्पादन बढ़िया चल रहा है।

16.1 श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री के साथ कई अवसरों पर हुए मेरे विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय रेलों की, जो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सक्रियता में किसी प्रकार की कमी न आए, अपितु रेलें अर्थव्यवस्था की जरुरतों और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर रहें। मैंने इस सलाह को पूरी तरह अपने मन में रखा है। इस मौके पर मैं सदन को विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि भारतीय रेलों द्वारा अपने निजी प्रयासों से अथवा बाजार से ऋण लेकर अथवा बजटीय समर्थन के रूप में जो भी संसाधन जुटाए जाऐंगे, उनका इष्टतम उपयोग किया जाएगा और खर्च किया गया प्रत्येक रूपया योजना की आवश्यक्ता-आधारित गतिविधि पर खर्च होगा।

वार्षिक योजना 1994-95

16.2 श्रीमन्, योजना के आकार और इसके विभिन्न संघटकों, यथा बजटीय समर्थन, बाजार से ऋण लेने और आंतरिक स्रोतों से संसाधन जुटाने के बारे में वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से विस्तार से चर्चा की गई। श्री मनमोहन सिंह और श्री प्रणव मुखर्जी के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना 6,515 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है। 6,515 करोड़ रुपये के योजना आकार में बजटीय समर्थन के 1,150 करोड़ रुपये, बाजार ऋण के 1,150 करोड़ रुपये और आंतरिक संसाधनों से जुटाये गये 4,315 करोड़ रुपये शामिल हैं। यदि विमुक्त सामग्री से प्राप्त संसाधनों को भी हिसाब में लिया जाए, तो योजना का सकल आकार, जो वस्तुतः योजना की वास्तविक गतिविधि का संसूचक है, 7,015 करोड़ रुपये होगा। श्रीमन्, योजना खर्च का 66% से अधिक खर्च भारतीय रेलों द्वारा स्वयं जुटाये गए संसाधनों से, 16% खर्च बाजार ऋणें से तथा शेष खर्च बजटीय समर्थन से पूरा किया जाएगा।

17.1 मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मार्च 1994 के अंत तक

नई लाइनें

निम्नलिखित नई लाइन खंडों तथा परियोजनाओं, जिनकी कुल लम्बाई 204 किलोमीटर है, का कार्य पूरा कर लिया जाएगा :

1. मथुरा-अलवर लाइन का डीग-अलवर,
2. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग लाइन का चल्लाकेरे-रायदुर्ग,
3. रामपुर-काठगोदाम लाइन का रुद्रपुर-लालकुआ-काठगोदाम, और
4. सम्बलपुर-मानेश्वर

17.2 1994-95 के बजट में दो नई लाइनों, यथा खोरधा रोड से बोलंगी और इस समय निर्माणाधीन जम्मू-ऊधमपुर लाइन का श्रीनगर तक विस्तार करने का कार्य शामिल किया गया है। ढल्लीराजहरा से जगदलपुर, दुमका से मंदार हिल और कुट्टीपुरम से गुरुवायूर तक नई लाइनों के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

17.3 श्रीमन्, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और सदैव रहेगा। हमें घाटी में सुदृढ़ अवसंरचना आधार विकसित करना होगा, कश्मीर की जनता के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने होंगे तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें उद्यमों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जम्मू-ऊधमपुर लाइन के लिए 1994-95 में 50 करोड़ रुपये की राशि रखने का विनिश्चय किया गया है। इस लाइन का श्रीनगर तक विस्तार करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। यह हमारा संकल्प है कि श्रीनगर तक इस लाइन का कार्य तीव्र गति से पूरा किया जाए तथा इस क्षेत्र का द्रुत गति से विकास करने के लिए घाटी में आवश्यक अवसंरचना की व्यवस्था की जाए। मुझे विश्वास है कि कश्मीर की जनता की जो शिकायतें हैं तथा इस समय उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इससे वे कुछ हद तक दूर हो जाएंगी।

18.1 श्रीमन्, "एक-आमान" परियोजना का व्यापक रूप से स्वागत हुआ है और इसे सभी तरफ से समर्थन तथा प्रोत्साहन मिला है। पिछले वर्ष रेलों ने 1,200 किलोमीटर के लक्ष्य को पार करते हुए 151 कि०मी० अधिक रेलपथ का नवीकरण किया है। चालू वर्ष में भी, रेलें 1,600 किलोमीटर के अपने लक्ष्य को पार करने के लिए तेजी से अग्रसर हैं। इसमें से 1,000 किलोमीटर से अधिक के आमान-परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। चालू वर्ष के दौरान जिन खंडों के आमान-परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है, वे इस प्रकार हैं :

आमान-परिवर्तन

1. बोलारम-फलकनुमा
2. फलकनुमा-महबूबनगर
3. जयपुर-फुलेरा
4. तुमकूर-अरसीकेरे
7. वाराणसी-झूसी
8. महमूदाबाद-सीतापुर
9. गुवाहाटी-लमडिंग
10. काठगोदाम-लालकुआ

5. फुलेरा-जोधपुर
6. मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी
11. नरसारावपेट-दोनकोंडा
12. हिसार-बठिंडा

18.2 वर्ष की समाप्ति से पहले जिन खंडों के आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा किये जाने की योजना है, वे इस प्रकार हैं :-

1. दौंड-बारामती
2. झूसी-इलाहाबाद
3. जालना-परभनी
4. गोंदिया-वडसा
5. चिकजाजूर-चल्लाकेरे
6. अरसीकेरे-चिकजाजूर

18.3 वर्ष 1994-95 में 1,600 किलोमीटर के आमान परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुजरात में राजकोट-बेरावल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जा रहा है :–

1. अरसीकेरे-हसन-मंगलोर
2. छिंदवाड़ा-परसिया
3. मऊ-शाहगंज
4. रुपसा-बांगरीपोसी
5. येलहंका-चिकबालापुर और येलहंका बंगारपेट लाइन पर बंगारपेट से कोलार तक।

इन निर्माण-कार्यों के लिए योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर, यह मामला सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

18.4 चालू वर्ष के अंत तक "एक-आमान" परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पूरे मार्गों को बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा :–

1. बीकानेर-जोधपुर
2. इलाहाबाद-वाराणसी
3. सीतापुर-बुढ़वल
4. लखनऊ-कानपुर
5. मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-परली बैजनाथ
6. मद्रास-तूतीकोरिन बरास्ता ईरोड-करूर-डिंडीगुल

18.5 वर्ष 1994-95 के अंत तक निमलिखित अन्य मार्गों को बड़ी लाइन के मार्गों में बदल दिया जाएगा :

1. बठिंडा-रेवाड़ी अलवर-मथुरा
2. सवाई माधोपुर-जयपुर जोधपुर-जैसलमेर
4. दिल्ली-जयपुर-अजमेर
5. मिरज-हुबली-बेंगलूरु

3. बेल्लारी-रायदुर्ग-चिकजाजूर-बिरूर-शिमोगा
6. होसपेट-हुबली-लोंडा

18.6 श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेलों ने जो प्रगति की है, सदन उसकी सराहना करेगां बड़ी लाइन के नये मार्गों से रेलें यातायात की ढुलाई अधिक कुशलता तथा किफायत से कर पाएंगी तथा इससे औद्योगिक विकास की गति भी तेज होगी। इन खंडों के उपयोगकर्ताओं को जो सेवाएं उपलब्ध हो रही थीं, उनकी अपेक्षा आमान परिवर्तित मार्गों पर उन्हें निश्चित रूप से बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। हमारा उद्देश्य थ्रू-पुट बढ़ाना, जनता की बेहतर सेवा करना, नई पहचान बनाना तथा अधिक राजस्व अर्जित करना है।

18.7 श्रीमन्, संसाधनों की कमी थी और आमान परिवर्तन का कार्य बहुत बड़ा था। यदि हमने आमान परिवर्तन की यूनिट लागत में कटौती करने के लिए बहुत से उपाय न किये होते, तो जो प्रगति हमने हासिल की है, वह संभव न हो पाती। मौजूदा पुलों का पुनर्निर्माण करने के बजाय उन्हें सुदृढ़ करने, नये सिगनल लगाने के बजाय मौजूदा सिगनलों में आशोधन करने तथा नई इमारतों, गोदामों, क्वार्टरों, आदि का निर्माण न करने जैसे उपायों के फलस्वरूप आमान परिवर्तन की लागत काफी कम करने में मदद मिली है।

19. चालू वर्ष में दोहरीकरण के लिए निर्धारित 250 किलोमीटर का लक्ष्य पार कर लिया जाएगा। अगले वर्ष भी इसके लिए 250 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोहरीकरण के निम्नलिखित नये कार्यों को 1994-95 के बजट में शमिल किया गया है :–

दोहरी लाइन बिछाना।

1. चंदनपुर-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन
2. रजतगढ़-नरगुंडी
3. अकलतरा-चम्पा तीसरी लाइन
4. कुट्टीपुरम-कालीकट, मंगलोर तक दोहरीकरण के चरण-। के रूप में।

201. वर्ष 1994-95 में नयी लाइनों के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है :

1. धुले से नरदाना तक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।
2. बीकानेर में बाइ-पास लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण।
3. कोलायत से फलौदी तक नयी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण।
4. बिलाड़ा से बर तक नयी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण।
5. बेरी के रास्ते भानुपल्ली से बिलासपुर तक नयी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण।
6. मेट्टूर से चामराजनगर तक नयी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण।

7. बेलूड़ के रास्ते चिकमगलूर से सकलेशपुर तक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

8. जोगीघोपा से सिलचर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण।

9. इरूमाली और साबरी के रास्ते कोट्टायम से पोनालूर तक प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण।

10. सत्यमंगलम/कोयम्बटूर के रास्ते चामराजनगर से मेट्टुपालयम तक नयी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

11. गुवाहाटी से बर्निहाट तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

20.2 मानसी-फारबिसगंज लाइन के आमान परिवर्तन के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

21.1 चालू वर्ष में 500 मार्ग कि०मी० के विद्युतीकरण का काम पूरा किया जायेगा वर्ष 1994-95 के लिए भी 500 मार्ग कि०मी० के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खड़गपुर-भुवनेश्वर खंड के विद्युतीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने पर मैं इसे सदन के समक्ष रखूंगा।

रेल विद्युतीकरण

21.2 श्रीमन्, आमान परिवर्तन की तरह विद्युतीकरण के मामले में भी लागत में कमी करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रौद्योगिकीय अभिनव परिवर्तनों, अभिकल्पों के यौक्तिकीकरण और बेहतर परियोजना प्रबंधन के जरिये ऐसा किया जा रहा है।

21.3 एर्णाकुलम से तिरुवनन्तपुरम और लुधियाना से जम्मू तवी तक विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं।

22. चालू वर्ष में 2,420 कि०मी० लम्बे रेलपथ के नवीकरण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। 1994-95 में 2,400 कि०मी० रेलपथ के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, रेलपथ के नवीकरण का बकाया काम, जो सातवीं योजना के प्रारंभ में 19,500 कि०मी० तथा आठवीं योजना के प्रारम्भ में 9,600 कि०मी० था, अगले वर्ष के अंत तक घटकर 3,640 कि० मी० रह जायेगा।

रेलपथ का नवीकरण

23.1 1992-93 के दौरान रेलवे के उत्पादन कारखानों का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा। अधिकांश कारखानों ने अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया। परिमाणात्मक लक्ष्यों के अलावा, उत्पादन कारखानों ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर योगदान किया है। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

उत्पादन कारखाने

(i) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा 5,000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन ;

(ii) डीजल रेल इंजन कारखाने द्वारा ईधन-किफायती डीजल रेल इंजनों का उत्पादन

(ii) 2,600 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों को स्वदेशी प्रयास से 3,100 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों में अपग्रेड करना ;

(iii) नये मानक सवारी डिब्बे का अभिकल्प तैयार करना, जो वजन में हल्का तथा अधिक आरामदेह हो और अधिक गति से चलने की क्षमता रखता हो;

(iv) अधिक संरक्षा तथा उच्चतर औसत गति के लिए अधिक शक्तिशाली वातब्रेक लगाना; और

(v) आई०एस०ओ०-9000 प्रमाणीकरण के लिए चेष्टा करना; रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला और पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरु ने इस दिशा में काफी प्रगति की है।

23.2 श्रीमन्, भारतीय रेलों को इस तथ्य की जानकरी है कि सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयों,अर्थात सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर और रेल कोच फैक्टरी कपूरथला की क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो, विविध कार्य करने की संभावनाओं तथा कंटेनरों, बस के ढांचों और अन्य मदों का निर्माण शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

भारतीय रेल वित्त निगम

24.1 वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम ने प्रदत्त अंश पूंजी पर 10 प्रतिशत लाभांश घोषित किया, जो 23.2 करोड़ रुपये बनता है, जबकि 1991-92 में यह राशि 18.5 करोड़ रुपये थी। श्रीमन्, हाल ही में निगम ने सार्वजनिक निर्गम के रूप मे 250 करोड़ रुपये के कर-योग्य और कर-मुक्त, दोनों प्रकार के बंध-पत्र जारी किए हैं। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इसमें निर्धारित राशि से अधिक राशि प्राप्त हुई है। निवेशकर्ताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है, वह प्रणाली के कुशल परिचालनिक निष्पादन, प्रबंध-क्षमता और वित्तीय स्थिति का सूचक है। अब स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हो गया है। और हम नहीं समझते कि चालू वर्ष में निगम को 900 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने में कोई कठिनाई आएगी।

कोंकण रेलवे निगम

24.2 हालांकि, कोंकण रेल परियोजना की प्रगति काफी अच्छी है, परन्तु यह परियोजना निर्धारित लक्ष्य से थोड़ी पीछे है। इसका मुख्य कारण है संसाधनों की समस्या और गोवा में संरेखण संबंधी विवाद। सदन को यह जानकर प्रसन्न्ता होगी कि गोवा में संरेखण का मसला अब सुलझा लिया गया है और यह काम पुनः शुरु हो गया है। कोंकण रेलवे निगम ने हाल ही में 10.5 प्रतिशत के कर-मुक्त सार्वजनिक बंध-पत्र जारी करके 230 करोड़ रुपये की राशि जुटायी है। अगले वर्ष 450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की योजना है। आधे से अधिक काम पूरा हो गया है और अब इस परियोजना को मार्च 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

24.3 1992-93 में 'इरकान' ने 425 करोड़ रुपये का कारोबार किया जो अब तक का सर्वाधिक है। इस प्रकार कंपनी ने 29 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और इतनी ही राशि की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की।

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

24.4 रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनिमिक सर्विसेज लिमिटेड ने 1992-93 में 59.3 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 10.9 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ कमाया तथा 7.5 करोड़ रुपये की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की।

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनामिक सर्विसेज लिमिटेड

24.5 कंटेनर निगम ने देश भर में अब तक 19 टर्मिनल स्थापित कर लिए हैं जिनमें तुगलकाबाद और व्हाइट-फील्ड में गत वर्ष चालू किए गए आधुनिक अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो भी शामिल हैं। पिछले वर्ष सम्हाले गये यातायात में कंटेनर निगम ने 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष उसका कारेबार 50 करोड़ रुपये का था जो बढ़कर अब 81 करोड़ रुपये हो गया है। कंटेनर निगम ने चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों तक भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। चालू वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि निर्यात के लिए दिल्ली से बम्बई तक प्रशीतित माल कंटेनरों की ढुलाई की गई है।

भारतीय कंटेनर निगम

25. श्रीमन्, उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। जैसे-जैसे देश के आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होग, परिवहन पर दबाव भी निश्चित रूप से काफी अधिक बढ़ेगा। रेल अवसंरचना का विकास न केवल मांग के अनुरूप करना होगा, बल्कि वास्तव में उससे भी थोड़ा अधिक करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो नीतियां हमारे मन में हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विकास संबंधी नीतियां

1. थ्रू-पुट बढ़ाने और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के लिए आमान परिवर्तन,
2. चुनिंदा रेल मार्गों का विद्युतीकरण,
3. रेलपथ संरचना को मजबूत बनाना और उसका मशीनों द्वारा अनुरक्षण करना,
4. मौजूदा नेटवर्क पर अधिक टन-भार की ढुलाई करने के लिए उच्चतर क्षमता वाली गाड़ियां चलाना,
5. उच्च अश्व शक्ति वाले डीजल और बिजनी रेल इंजनों को चलाना ताकि अपेक्षाकृत अधिक गति से भारी ट्रेलिंग भार ढोया जा सके,
6. अधिक लाइन क्षमता के सृजन के लिए, फास्ट पैसेंजर और माल गाड़ियों के बीच गति के अन्तर को कम करना,
7. माल तथा पार्सल, दोनों प्रकार के यातायात के लिए टर्मिनलों का विकास,
8. ऐसे सवारी डिब्बों का उपयोग, जो अधिक आरामदेह, हल्के वजन वाले और ऊर्जा-कुशन हें, तथा जिनका अनुरक्षण कम करना पड़े,

9. संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल,

10. संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए डीजल मल्टिपल यूनिटों, डीजल तथा बिजली गाड़ी सैटों और रेल बसों का उपयोग, ग्राहक की बेहतर सेवा तथा कम दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को लम्बी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों से अलग करना,

11. जनशक्ति उत्पादकता में वृद्धि,

12. दृष्टिकोण तथा कार्य-विधियों में मूलभूत परिवर्तनों सहित अभिनव विपणन नीतियां,

13. निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने तथा कम आयतन लेकिन अधिक भाड़ा दर वाले यातायात को पुनः प्राप्त करने के लिए मल्टि-माडल परिचालन का विस्तार,

14. रेलों के संसाधन बढ़ाने के लिए स्थावर सम्पदा का विकास, तथा

15. यह सुनिश्चित करना कि विनिर्माण कार्यों के भावी विकास तथा रेलों से इतर गतिविधियां गैर-रेलवे क्षेत्र द्वारा ही सम्हाली जाएं.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। ठीक है, आपकी भावनाओं को आसानी से समझा जा सकता है लेकिन आप बजट प्रस्तुत होने दीजिए और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं बीच में नहीं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) **:** अध्यक्ष महोदय, ललितपुर-सिंगरौली रेलवे-लाईन का क्या हुआ ? ....**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाद) **:** अध्यक्ष महोदय, 3 साल से हम यहां पर देख रहे हैं कि बिहार को कोई लाइन नहीं दी गई है। बिहार को छोड़ कर बाकी सारी मांगें मान ली गई हैं । ....**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) **:** अध्यक्ष महोदय, बिहार की उपेक्षा की जा रही है।

श्री नीतीश कुमार : बिहार को बिल्कुल छोड़ दिया गया हैं। ....**(व्यवधान)**

श्री ताराचन्द खंडेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मेट्रो रेलवे का क्या हुआ। 30 साल से यह योजना पड़ी हुई है। .... (व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार की उपेक्षा की जा रही है। ....**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : **अध्यक्ष महोदय,** बिहार और उत्तर-प्रदेश के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और वे कुछ जानना चाहते हैं। जो कुछ भी पूछना हो आप बाद में पुछ लेना। अभी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें आशा थी कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहेंगें, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नही कहा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके विरोध में हम सदन से वाक-आउट करते हैं। ....
..........**(व्यवधान)**

12.42 म० प०

(इस समय श्री शरद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ :

रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

26. रेलवे भूमि के आकाशीय स्थान का उपयोग करके सम्पत्ति के विकास के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव का संसद सदस्यों की परामर्श समिति के एक उप-समूह द्वारा अध्ययन किया गया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उप-समूह ने प्रस्ताव की सराहना की है तथा उसका समर्थन भी किया है। अब यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस बीच, उपयुक्त स्थलों का पता लगाने तथा विकास के लिए वैचारिक अभिकल्प तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ अन्य देशों में रेलवे भूमि तथा सम्पत्तियों के वाणिज्यिक विकास के फलस्वरूप उनके विकास और सुविधाएं सुलभ कराने की क्षमता में काफी मदद मिली है। मुझे आशा है कि हमें उनके अनुभव से लाभ मिलेगा।

ऊर्जा की बचत

27. श्रीमन्, ऊर्जा की बचत राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है तथा भारतीय रेलों को, जो ऊर्जा की प्रमुख उपभोक्ता हैं, इस बात का पूरा एहसास है कि उन्हें इस क्षेत्र में सक्रिय योगदान देना है। ऊर्जा की बचत के दृष्टिकोण से, भाप-कर्षण को समाप्त करने तथा उच्च घनत्व वाले मार्गों का उत्तरोत्तर विद्युतीकरण करने की उनकी नीति काफी महत्वपूर्ण है। भाप कर्षण में कमी करने की गति तेज कर दी गई है। 1992-93 में 767 भाप रेल इंजन सेवा से हटाए गए थे तथा आशा है कि इस वर्ष 850 अन्य भाप रेल इंजनों को सेवा से हटा दिया जाएगा। बड़ी लाइन पर भाप कर्षण अब केवल दो क्षेत्रीय रेलों पर ही बाकी है। डीजल रेल इंजनों में ईंधन-

कुशल किट लगाए जाने लगे हैं और शानदार परिणाम निकल हैं।

28. भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण न केवल इनकी परिसंपत्तियों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाकर करना होगा, अपितु इनके व्यापक मानव संसाधन आधार में भी तदनुरूपी उन्नयन करना होगा। इसके लिए कारगर प्रशिक्षण देना अपेक्षित है। रेलों द्वारा वेज्ञानिक ढ़ंग से तैयार की गई पाठ्य योजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण फालतू हो गए पुनर्नियोजन में मदद मिलेगी। प्रबंध प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए रेलों ने अहमदाबाद के प्रबंन्ध संस्थान के साथ भी कुछ व्यवस्थाएं की हैं।

जनशक्ति नियोजन तथा मानव संसाधन विकास

29. श्रीमन, प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने प्रायः इस बात पर बल दिया है कि प्रबंध-व्यवस्था में कामगारों की गहन, सार्थक तथा कारगर सहभागिता आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि कामगारों की सक्रिय सहभागिता से उन्हें काम में रूचि तथा गौरव की अनुभूति होगी। इस प्रयोजन से शीर्षस्थ स्तर पर और क्षेत्रीय तथा मंडल स्तरों पर समवेत उद्यम दलों को पुनर्गठित किया जा रहा है और इनका नाम बदल कर 'प्रबंध में रेल कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी दल' रखा जा रहा है। श्रमिक नेतत्व के संबंध में रेलवे स्टाफ कालेज में विशेष शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा यात्रियों को दी जाने वाली सेवा और परिचालनिक संरक्षा में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक रेलवे पर संयुक्त समितियां गठित की जा रही हैं।

प्रबंध मे कामगारों की सहभागिता

30. भारतीय रेलों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी तैयार किए हैं और वे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए भी जानी जाती हैं। श्रीमन्, इस अवसर पर मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले सर रिचर्ड हैडली के विश्व रिकार्ड को पार करके इतिहास बनाने के लिए कपिल देव को उनकी पत्नी सहित वातानुकूल पहले दर्जे का मानार्थ पास जारी करने जा रहे हैं।

खेलकूद

31.1 अब मैं वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। आशा है कि 1994-95 में रेलों द्वारा 380 मिलियन टन राजस्व उपार्जक प्रारम्भिक यातायात की ढुलाई की जाएगी जो चालू वर्ष में संभावित 362 मिलियन टन की ढुलाई की तुलना में 18 मिलियन टन अधिक है। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, इस वर्ष ढोये जाने वाले यातायात के मुकाबले इसमें 2 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

बजट अनुमान, 1994-95

31.2 यातायात के इन पूर्वानुमानों के आधार पर, किराये और माल भाड़े की मौजूदा दरों पर यातायात से 19,397 करोड़ रूपये की सकल प्राप्तियों की प्रत्याशा की गई है जो चालू वर्ष के संशाधित अनुमानों से 812 करोड़ रुपये अधिक है।

31.3 वर्ष 1994-95 के दौरान 13,307 करोड़ रुपये के साधरण संचालन व्यय का अनुमान है। यह राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1,552 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि वर्धमान यातायात के लिए साधन-सामग्री की लागत, मूल्यों में प्रत्याशित वृद्धि, महंगाई भत्ते के अतिरिक्त भुगतान, अन्तरिम राहत के भुगतान के पूरे वर्ष के प्रभाव तथा भारतीय रेल वित्त निगम को लीज प्रभारों के अधिक भुगतान के कारण है।

31.4 वर्ष 1994-95 में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 2,300 करोड़ रुपये की राशि के विनियोग का प्रस्ताव है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 2,100 करोड़ रुपये के विनियोग की व्यवस्था की गई थी।

31.5 पेंशन निधि में अंशदान की राशि चालू वर्ष के 1,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 1,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

31.6 सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर के बारे में एक ज्ञापन रेल अभिसमय समिति को प्रस्तुत किया गया है। इस बीच वर्ष 1994-95 के लिए लाभांश की व्यवस्था उसी दर पर की गई है जिस दर पर वर्ष 1993-94 के लिए की गई थी। इस आधार पर 1994-95 के लिए लाभांश की दायिता 1,372 करोड़ रुपयें बनती है।

31.7 कुल संचालन व्यय, जिसमें साधरण सचांलन व्यय तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में अंशदान शामिल है, 17,307 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यातायात से शुद्ध प्राप्तियां, जो यातायात से सकल प्राप्तियों और कुल संचालन व्यय का अंतर है, 2,090 करोड़ रुपये बनती हैं। शुद्ध विविध प्राप्तियों की 255 करोड़ रुपये की रकम को हिसाब में लेने के बाद शुद्ध राजस्व 2,345 करोड़ रुपये हो जाएगा । इस प्रकार 1,372 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान करने के बाद, रेलों के पास 973 करोड़ रुपये की राशि बचेगी। इसकी तुलना में रेलों को 1,970 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें पूंजी निधि से वित्त-पोषित होने वाले कार्यों के लिए 1,680 करोड़ रुपये तथा विकास निधि को प्रभार्य कार्यों के लिए 290 करोड़ रुपये शामिल हैं। इससे बजटीय अन्तर 997 करोड़ रुपये रह जाता है। किफायत के जो उपाय करने का मेरा विचार है, यदि वे नहीं, किए जाते तो यह अंतर और भी अधिक हो जाता ।

32.1 श्रीमन्, बाजार से ऋण लेना बहुत ही महंगा पड़ता है और इसका कुछ सीमा तक ही सहारा लिया जा सकता है। अतः किराये और माल भाड़े की दरों में कुछ वृद्धि करना अपरिहार्य हो गया है।

32.2 इस अंतर को पाटने के लिए मेरे प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

– माल भाड़ा दरें टेलीस्कोपिक किस्म की होती हैं, अर्थात् जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है, प्रति किलोमीटर माल भाड़ा दर कम होती जाती है। परिचालन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, माल भाड़ा दरों में क्रमिक कमी में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कमी वर्तमान की तुलना में अधिक धीरे हो।

– निम्नलिखित वस्तुओं के वर्तमान वर्गीकरणों में, माल डिब्बा भार और गाड़ी भार दोनों

के लिए (जहां कहीं लागू हो), ऊर्ध्वगामी संशोधन करने का प्रस्ताव है :–

(i)	**कोयला**	गाड़ी भार के लिए श्रेणी 130-डी से श्रेणी 130 और माल डिब्बा भार के लिए, श्रेणी 135-डी से श्रेणी 135
(ii)	**लौह अयस्क, चुना पत्थर और डोलोमाइट**	एक श्रेणी
(iii)	सीमेंट, उच्च गति डीजल तेल, खली, पत्थर अन्य के रूप में, जिप्सम, अन्य अयस्क (लौह अयस्क को छोड़कर), सोडा ऐश, मेंगनीज अयस्क, शीरा, चीनी मिलों का (खंडसारी शीरे से भिन्न) तथा रेत	दो श्रेणी

– लोहा या इस्पात, डिवीजन 'ए', 'बी' और 'सी', के वर्तमान उप-वर्गीकरणों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इन सब पर अब गाड़ी-भार के लिए श्रेणी 230 और माल डिब्बा भार के लिए श्रेणी 250 पर प्रभार लेने का प्रस्ताव है।

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न प्रयोजन के लिए अनाज और दालों के वर्गीकरण को भी गाड़ी भार श्रेणी 80 से बढ़ाकर श्रेणी 95 करने और माल डिब्बा भार में श्रेणी 85 से बढ़ाकर श्रेणी 100 करने का प्रस्ताव है। आम आदमी पर आवांछित बोझ न पड़े, इस उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित अनाज और दालों के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

– सीमेंट और रासायनिक खादों के खुले माल डिब्बों में लदान पर भाड़े में इस समय 6 प्रतिशत की छूट है। मेरा प्रस्ताव है कि इस छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी और उद्योगपति इस कदम की प्रशंसा करेंगे।

– माल यातायात के संबंध में प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी को 100 कि०मी० के से घटाकर 75 कि०मी० करने का प्रस्ताव है।

– 2400 कि० मी० से आगे प्रभार के लिए इस समय 50 कि०मी० के दूरी ब्लाक हैं। इन्हें घटाकर 25 कि०मी० करने का प्रस्ताव है।

– विगत में रेलें कतिपय अनिवार्य वस्तुओं को माल भाड़े में वृद्धि से छूट देती रही हैं। मेरा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित वस्तुओं के लिए विगत में जो छूट दी जाती रही है, उसे जारी रखा जाए :

- खाने का नमक
- मिट्टी का तेल
- पशुधन
- तिलहन
- तरल पेट्रोलियम गैस
- खाद्य तेल
- चारा
- गुड़, शक्कर और जागरी
- फल और सब्जियां
- चाय
- जैविक खादें ; और
- रासायनिक खादें

32.3 यात्री किरायों के संबंध में मेरे प्रस्ताव निम्नलिखित हैं : –

- श्रीमन्, दूसरा दर्जा साधारण के 100 किलामीटर तक की दूरी के किरायों में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। 100 किलोमीटर से अधिक की दूरियों के लिए, किरायों में मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि 101 किलोमीटर पर एक रुपये से लेकर 601 किलोमीटर और इससे अधिक दूरियों पर 5 रुपये तक होगी। इस प्रकार, समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित दूसरा दर्जा साधारण के अधिकांश यात्रियों पर, जो 100 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- युक्तिकरण के उपाय के रूप में, 51 से 65 किलामीटर, 101 से 110 किलोमीटर, 116 से 125 किलोमीटर और 151 से 155 किलोमीटर तक की दूरियों के लिए दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के किरायों में थोड़ी कमी करने का प्रस्ताव है। विभिन्न अन्य दूरियों के लिए किरायों में कम से कम एक रुपये की मामूली वृद्धि से लेकर अधिक से अधिक 20 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

- शयनयान दर्जे के किराये दूसरे दर्जे के किरायों से 25 प्रतिशत अधिक लिय जाते रहेंगे, जैसे कि इस समय लिये जा रहे हैं।

- वातानुकूल पहला दर्जा, पहला दर्जा, वातानुकूल शयनयान और वातानुकूल कुर्सीयान के किरायों में 6 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

- वातानुकूल 3–टियर का किराया वातानुकूल कुर्सीयान के किराये से 25 प्रतिशत

अधिक लिया जाएगा, जैसे कि इस समय लिया जा रहा है।

- अगस्त क्रान्ति राजधानी सहित राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में भी समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है।

32.4 श्रीमन्, जैसा कि सदन को विदित है उपनगरीय यात्रा के लिए अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। फिर भी, मैंने इसमें केवल मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किराये में 90 किलोमीटर तक दूरी के लिए, दूरी के आधार पर, केवल एक रुपये से 9 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, लगभग 90 प्रतिशत मासिक सीजन टिकट धारियों को, जो 90 किलामीटर तक यात्रा करते हैं, अधिक से अधिक केवल 9 रुपये प्रति माह ज्यादा देने होंगे। 90 किलोमीटर से आगे की दूरियों के लिए मासिक सीजन टिकट के किरायों में वृद्धि केवल 11 रुपये से 40 रुपये तक होगी।

- तिमाही सीजन टिकट के किराये मासिक सीजन टिकट के किरायों का ढाई गुना ही लिय जाते रहेंगे।

- पहले दर्जे के सीजन टिकट के किराये दूसरे दर्जे के सीजन टिकट के किरायों का चार गुना ही लिये जाते रहेंगे।

- कंप्यूटरीकृत आरक्षण के लिए इस समय जो शुल्क लिया जाता है, उसे हाथ से किए जाने वाले आरक्षणों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

32.5 उपर्युक्त प्रस्तावों को 1-4-1994 से लागू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1994-95 में इनसे 997 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

निष्कर्ष

33.1 ऐसा कहा जाता है कि परिवहन से भूमि का आर्थिक उपयोग होता है, श्रमिकों को प्रेरणा मिलता है, पूंजी की प्रचुर अभिवृद्धि होती है, उद्योग और कृषि का विकास होता है तथा व्यापार और वाणिज्य नएपहला दजानए क्षेत्रों की खोज करते हैं। भारतीय रेलें हमारे देश में राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस आर्थिक अवसंरचना के विकास का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आर्थिक विकास की गति और विविधता का पता चलता है। विकास की दर को ऊंचा करने, देश में आर्थिक उदारीकरण और रोजगार पर बल देने की नीति के फलस्वरूप भारतीय रेलों की निवेश संबंधी आवश्यकताएं बढ़ेगी। इस अवसरंचना को बनाए रखने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत पड़ेगी श्रीमन्, भारतीय रेलें इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि उन्हें आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर होना है और इस अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित संसाधन स्वयं ही जुटाने हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तमाम अनावश्यक खर्चों में कटौती करने, प्रणाली की कार्य-कुशलता और उत्पादकता बढ़ानें, विपणन की अभिनव नीतियां अपनाने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्षेत्र निरीक्षण तेज करने के वास्ते संगठित और सुनियोजित प्रयास किए जांएगे। उत्पादन यूनिटों और कारखानों में अतिरिक्त क्षमता की पहचान

की जाएगी और उसका उपयोग नए उत्पादों में विविधता लाने के लिए किया जाएगा तथा निर्यात पर बल दिया जायेगा। भूमि और आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करके, आन्तरिक संसाधन जुटाने के प्रयास और भी तेज किए जाएगें। श्रीमन्, काम केवल संसाधन जुटाने तक ही सीमित नहीं है। जो भी ससांधन जुटाए जाएं, उनका अनुकूलत उपयोग करना होगां यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा कि खर्च आवश्यकता पर आधारित हो तथा परियोजनाएं शीघ्र और किफायत बरतते हुए पूरी की जाएं। रेल उपयोगकर्ताओं को भी भागीदारी का एहसास होगा क्योंकि उनके द्वारा अदा किए गए किराये और माल-भाड़े का इस्तेमाल न केवल सेवा की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है, बल्कि प्रणाली का आगे विकास करने के लिए भी किया जाता है। श्रीमन्, अपने इन सभी प्रयासों में, मैं इस सम्मान्य सदन से सहयोग, प्रोत्साहन और मार्ग-दर्शन की कामना करता हूं।

33.2 श्रीमन्, मैं प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिम्हा राव जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने विकास संबंधी सभी प्रयासों के लिए हमें अपना पूर्ण समर्थन दिया है, हमारा मार्ग-दर्शन किया है और हमें प्रोत्साहित किया है।

33.3 रेल कर्मियों ने जिस कर्तव्य-निष्ठा और समर्पण की भावना से अपना कार्य किया है, उसकी भी मैं भूरि-भूरि प्रंशसा करना चाहूंगा।

33.4 श्रीमन्, इन शब्दों के साथ, मैं अब 1994-95 का रेलवे बजट इस सदन को संस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण, 1993-94

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं वर्ष 1993-94 के आर्थिक सर्वेक्षण की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) सभा पटल पर रख रहा हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल टी सं०-5363/94)

मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : मैं मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सभापति और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993, जो 23 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 760 (अ) में प्रकाशित हुए थें तथा इनका एक शुद्धि-पत्र जो 11 फरवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 92 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सभापति और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 7 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 8 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय मे रखे गएं। देखिए एल टी सं०-5364/94)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और ये पत्र आदि सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी.तंकाबालू)

श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिये सं.एल.टी 5365/94)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए) देखिए सं० एल टी 5366/94)

(5) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के वर्ष 1991 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिये सं० एल टी०-5367/94)

कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण :-

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) :

मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं ;

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धार 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी आनुषंगिक कम्पनियों के वर्ष 1992-93 (खण्ड । और ।।) के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी आनुषंगिक कम्पनियों का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड । और ।।), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल टी० 5368/94)

(ख) (एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5369/94)

आठवीं नौवी और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं आठवीं, नौवी ओर दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

1. विवरण संख्या 37 - दसवां सत्र, 1988 (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी.-5370/94)

2. विवरण संख्या 32 - ग्यारहवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा देखिए सं. एल टी.- 5371/94

3. विवरण संख्या 31 - तेरहवां सत्र, 1989(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं.एल.टी.-5372/94

4. विवरण संख्या 24 - चौदहवां सत्र, 1989 " " 5373/94

5. विवरण संख्या 26 - दूसरा सत्र, 1990 " " 5374/94

6. विवरण संख्या 22 - तीसरा सत्र, 1990 " " 5375/94

7. विवरण संख्या 19 - छठा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा देखिए सं. एल.टी. 5376/94

8. विवरण संख्यां 19 - सातवां सत्र, 1991(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5377/94

9. विवरण संख्या 18 - पहला सत्र, 1991 " " 5378/94

10. विवरण संख्यां 15 - दूसरा सत्र, 1991 " " 5379/94

11. विवरण संख्या 13 - तीसरा सत्र,1992 " " 5380/94

12. विवरण संख्या 11 - चौथा सत्र, 1992 " " 5381/94

13. विवरण संख्या 8 - पाचवां सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा देखिए सं. एल.टी. 5382/94

14. विवरण संख्यां 7 - छठा सत्र, 1993(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5383/94

15. विवरण संख्या 3 - सातवां सत्र, 1993 " " 5384/94

16. विवरण संख्या 1 - आठवां सत्र, 1993 " " 5385/94

12.55 म०प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश

श्री एस० मल्लिकारजुन्य्या (तुमकुर) : मैं गत सत्र के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की छब्बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

सभा में किये जाने वाले कार्य

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 28 फरवरी, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3-3-94 से छः महीने की समयावधि के लिए और आगे बढ़ाने को चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

3. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994

(ख) कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994

4. वर्ष 1994-95 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

5. वर्ष 1994-95 के लिए रेल बजट के संबंध में लेखा मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

6. वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्ष 1994-95 के लिए सामान्य बजट 28 फरवरी, 1994 को सायं 5.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को भी शामिल किया जाए।

1. बीड़ी मजदूरों को अखिल भारतीय पैमाने पर न्यूनतम मजदूरी तीस रूपए प्रति हजार की दर से निर्धारित करने तथा पुरूष एवं महिलाओं दोनो को समान मजदूरी दिलाने की गांरटी करने हेतु अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

2. बिहार राज्य स्थित नालंदा जिला के लोकायन नदी के दानों ओर पक्का तटबन्ध लगाने हेतु प्राकलन तैयार कर इस योजना को पूरा करने के लिए इसकी मंजूरी दें और इसमें सहायता करें।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : निम्नलिखित मदें अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल की जायें :

(1) कोयले पर राज्य शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा।

(2) उड़ीसा की आपदा राहत निधि को 47 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० प्रति वर्ष करने की आवयश्कता पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की सूची में सम्मिलित करें।

भ्रष्टाचार दूर करने के लिए चुनाव में बढ़ते व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए चुनाव प्रक्रिया में आमूल-चूल सुधार करके कठोरता पूर्वक कार्यान्वित किया जाए जिससे देश के अच्छे, चरित्रवान तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी चुनाव में सफल होकर देश एवे समाज की सेवा कर सकें।

[अनुवाद]

श्री बी०एन०रेड्डी (मिरयालगुडा) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

आन्ध्रप्रदेश के नालगोंडा जिले में मिरयालगुडा की भारतीय खाद्य निगम की मिल एक वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़ी है। सैकड़ों कर्मचारियों के भूखों मरने की नौबत आ गई है। भारतीय खाद्य निगम के सामने इन फेक्ट्रियों में 81 दिन से हड़ताल चल रही है।

इस भारतीय खाद्य निगम की मिल को तत्काल पुनः खोले जाने तथा उससे उत्पन्न समस्याओं को सूलझाये जाने की आवश्कता है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

(1) बाढ़, सूखा तथा बिजली की समस्या से निपटने के लिए कोसी, कगला, बागमती तथा पणेश्वर नदियों के ऊपर बहुउद्देश्यीय बांधों के शीघ्र निर्माण के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौते करने की आवश्यकता।

(2) ऐसे सभी लोंगों को जो स्व-रोज़गार उत्पादक उद्यम लगाना चाहते हैं ऐसे साधन एवं संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित किया जाय :

उरुग्वे दौर की बातचीत से बहुउद्देशीय व्यापार समझौते को अंतिम मंजूरी दिये जाने से तैयार कानून (गैट समझौता) पर विचार करने का मामला

24.02.94

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाये :

1. उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक झांसी शहर के किले के पास रक्षा विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हटा कर उस भूमि का उचित प्रबन्ध किया जाये।

2. उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत भूमि पर अवैध कब्जे को तुरंत हटाकर घोषित योजना के अंतर्गत कार्य शुरू किया जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :

1. अजमेर नगर में उपयुक्त स्थान पर उच्च शक्ति का टी.वी. टावर शीघ्र ही स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।

2. राजस्थान में घोर अकाल की स्थिति से उत्पन्न पेयजल संकट से निवारण हेतु और अधिक हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता ।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित करें :

1. नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम (अरबन सीलिंग एक्ट) में कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवयश्क परिवर्तन किया जाये।

2. पूर्वोत्तर रेल के इज्जतनगर स्थित डिब्बे सुधार कारखाने को कोच फैक्ट्री के रूप में परिवर्तन की घोषणा की जाये।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : **अध्यक्ष** महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक या दो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दूंगा। इसके ऊपर पूरी बहस होने वाली है, उस समय आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आप पूछेंगे तो और भी सदस्य पूछना चाहेंगे। उनको अगर अनुमति नहीं दूंगा तो वे उत्तेजित हो जायंगे। इस तरह से सारा काम अधूरा रह जायेगा। आपकी भावना की कद्र हम सब करते हैं, इसके बाद भी अगर आप प्रोपरली टेकअप करें तो अच्छा रहेगा।

श्री नीतीश कुमार : **अध्यक्ष महोदय,** मैं बहुत संक्षेप में अपने क्षोभ को आपकी इजाजत से यहां रखना चाहता हूं। पिछले तीन साल से लगातार इस सदन में रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसमें तथा उसकी चर्चा के दौरान बिहार के सदस्यों ने बार-बार रोष प्रकट किया है। चाहे नई रेल लाइन बिछाने का मामला हो, या रेल लाइन के दोहरीकरण का मामला हो या गेज कंवर्शन का मामला हो, इन तमाम मामलों में बिहार की उपेक्षा हो रही है। हम इसको लगातार उठा रहे हैं। पिछली बार आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जायेगा और इसके

लिए प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप रेल बजट पर चर्चा के दौरान भाषण दे सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : जो प्रस्ताव मंत्री जी ने स्वीकार किया था उसकी भी चर्चा नहीं की गई है। राजगीर-गया लाइन बनाकर बुद्धिस्ट सर्किट बनाने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना के पास गंगा नदी का पुल था, उसका भी कुछ नहीं कियां पटना-गया लाइन का दोहरीकरण का मामला था उस पर भी कुछ नहीं किया गया। समस्तीपुर-दरभंगा के बीच गेज कंवर्शन का मामला था उसका भी कुछ नहीं किया गया। ये जो ज्वलंत सवाल हैं बिहार के, हमारे सभी इलाके के साथियों ने एक स्वर से इनको रखा था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इस तरह से राज्य की उपेक्षा राजनीतिक दुर्भावना से हो रही है। हम लोग यहां सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं, क्योकिं कांग्रेस पार्टी को वहां के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है इसलिए रेलवे के माध्यम से वहां के लोगों को दंडित करने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हमने अपने रोष को व्यक्त करते हुए वाकवाऊट किया। इस बार के रेल बजट में पूरे उत्तरी भारत को और विशेषकर बिहार को इग्नोर किया गया है। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल पूरा सदन उत्तेजित था कि अमुक माइन के अंदर इतने लोगों की मौत हो गई। मैंने उस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी थी और उसके लिए मंत्रीजी तथ्य इकट्ठे करके यहां पर आये हैं। अगर कल यह विषय महत्वपूर्ण था तो आज भी होना चाहिए। आज यह मामला एजेंडे में है तो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए कृपा करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को उठाने दीजिए। उसके बाद मैंने जैसा कल कहा था कि नर्मदा का मामला लेंगे, वह इसके बाद लिया जायेगा।

रेलवे के बारे में जो नीतीश कुमार जी ने विचार व्यक्त किये हैं या जो अन्य सदस्यों की भावना है उसका ध्यान में रखते हुए मंत्रीजी अपने जवाब में इनका भी उत्तर देंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ कर रहा हूं । आप ध्यानाकर्षण से संबंधित मुद्दा उठायें। सिर्फ़ श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइयें आपको मुझे लिखे गये पन्नों पर सभा में चर्चा नहीं करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री डी० वेंकटेश्वर राव, मोहन सिंह, श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे एवं भुवनेश्वर प्रसाद मेहता द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने की नियमिन तौर

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर अनुमति दी है। यदि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो आपको सभा में उपस्थित रहना चाहये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आज 3-00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। मुझे इन सदस्यों तथा अनेक अन्य सदस्यों ने अनुरोध किया है कि अगर आप सहमत हों तो कृपया आप इस चर्चा को नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझ लेना चाहिये कि नियम के अंर्तगत एक प्रक्रिया की अनुपालना करनी पड़ती है। हम प्रक्रिया के अनुसार जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसे महत्व नही दिया जाता है। कल, सदस्यगण अत्यंत उत्तेजित थे। वे मंत्री महोदय से एक वक्तव्य चाहते थे। मंत्रीजी स्वयं मेरे पास आये और उन्होनं कहा कि वह वक्तव्य देंगे। मैंने सोचा कि यदि स्वतः वक्तव्य देते हैं, तो सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः मैंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि कम से कम चार सदस्य ऐसे हों, जोकि प्रश्न पूछने के पात्र होगें अब, चूंकि यह मुद्दा यहां प्रस्तुत है, उन्हें वक्तव्य देने दीजिए और उन द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात्, यदि आप यह समझते हैं कि इस विषय पर भी चर्चा की जानी जरूरी है, तो हम इस बारे में बाद में विचार कर लेंगे। आपको बस यही कहना है कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि आपने सूझाव दिया है, उन्हें वक्तव्य देने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ......। मैंने कल आपको एक पत्र भी भेजा है ....।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपने जो कुद अभी-अभी कहा है, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। मंत्री महोदय को वक्तव्य दे लेने दीजिये और उसके बाद यदि अनेक सदस्य आपके पास इसे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में परिवर्तिल करने हेतु सम्पर्क करते हैं ताकि बहुत से अन्य माननीय सदस्यगण भी इसमें भाग ले सके तो आप इस पर विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हम यह बात समझ लें कि यदि आप एक नियमित चर्चा करवाना चाहते हैं, तो यह निर्णय लिया जा सकता है कि नियमित चर्चा कैसे की जाए। कल, यह मुद्दा एक प्रस्ताव के रूप में नहीं था। मेरे पास प्रस्ताव नहीं थे। लेकिन, मैंने इसे प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मैंने कम से कम चार सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया था और इसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तथा आपसे एवं कार्य मंत्रणा समिति से सलाह-मशिवरा करके, हम यह निर्णय ले लेंगे कि हमें इस बारे में कैसे कार्यवाही करनी है। लेकिन यदि आप जो हम नियमित रूप से करना चाहते हैं, उसे दरकिनार करके तथा किसी अन्य तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्या मैं आप से यह

अनुरोध करूँ कि आप इस मुद्दे को उठाये ; आप मंत्री महोदय के वक्तव्य को सुन लीजिये और उसके पश्चात यदि आप सतुंष्ट नहीं हैं, तो फिर हम इस विषय पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

01.14 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की न्यू केंडा कोयला खान में हाल ही में हुई खान दुर्घटना के परिणामस्वरुप अनेक कोयला खनिकों की मौत

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं कोयला मंत्री महोदय का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की न्यू केंडा कोयला खान में हाल ही में हुई खान दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप कोयला खनिक घायल और मौत के शिकार हो गये थे, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में" .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं तो आपका ध्यान इतना ही आकर्षित करना चाहता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने रैगुलरली लिया है लेकिन आप कहो कि आपके मन की करूं और दूसरे जो कहें उनके मन की तरह लूं तो यह हाऊस कैसे चलायें?

[अनुवाद]

आपको बोलने का मौका मिलेगा कृपया कम से कम प्रक्रिया को तो समझ लें। मुझे अत्यंत अफसोस हो रहा है। मैंने कहा है कि आपको बोलने की अनुमति दी जायेगी।

01.14 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : **महोदय,**

1. एक त्रासदी ने कोयला परिवार को झकझोर दिया है और इसने 25.1.1994 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की नई कैंडा कोलियरी में 55 सदस्यों को काल का ग्रास बना दिया। यह कोलियरी रानीगंज कस्बे से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उच्च ग्रेड (ग्रेड बी) कोयले का लगभग 900 टन प्रतिदिन उत्पादन करती है। इस कोलियरी मे कुल 2133 व्यक्ति कार्यरत हैं। इसकी दो सीमें हैं नामतः कैंडा तथा दोबराना दोनों ही को गैसीकरण के अनुसार डिग्री-II के रूप में श्रेणीबद्ध की गई हैं। दोबराना सीमा में वर्तमान में विकासात्मक कार्य (पिल्लरों को निर्मित) करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि कैंडा सीम में पिल्लर हटाने एवं विकासात्मक क्रियाकलाप दोनों ही तरह के कार्य चल रहे हैं।

2. 25.1.94 को दोबराना सीम के भूमिगत कार्य के लिए कुल 237 कामगार ड्यूटी के लिए हाजिर हुए थे। शिफ्ट की समाप्ति पर एक खनन सरदार, जोकि खान से बाहर आ रहा था, ने मुख्य इनटेक रोड वे से धुंआ उठता हुआ देखा तथा बहार आने के तुरंत बाद उसने लगभग 4.00 बजे (अप०) इस संबंध में कोलियरी के प्रबंधक को सूचित किया। ऐजेनट तथा कोलियरी प्रबंधक का एक दल तुरन्त खान पर पहुंचा तथा दल ने साफट से लगभग 50 मीटर पर इनटेक रोड-वे के फलौर पर आग लगी देखी। सीतारामपूर बचाव स्टेशन को सूचना भेजी गई तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय, सीतारामपुर को भी सूचित किया गया। बचाव दल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के वरिष्ठ अधिकारी तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी स्थल पर पहुंचें। इस समय तक इस बात का पता लगा लिया गया था कि 55 कामगार खान से बाहर नहीं आ सके हैं तथा अंदर ही फंसे हुए हैं। फंसे हुए खनिकों का पता लगाने के लिए बचाव दल ने खोज अभियान आरंभ कर दिए। बचाव दल के प्रयासों में गर्मी, गहन धुआ और छत के गिरने के कारण कमी आई। 14.2.94 तक बचाव दल ने 341 बार प्रयास किए तथा इन अभियानो में लगभग 1000 व्यक्ति कार्यरत रहे थे। उन स्थलों पर पहुंचने के लिए जहां जीवित व्यक्तियों/मृतक व्यक्तियों के पाए जाने की संभावना हो सकती थी, गहन अग्नि-शमन उपाय किए गए। इस प्रयोजन के लिए 30.1.94 को पाइप के माध्यम से नाइट्रोजन गैस का छिड़काव किया गया/भू-तल से बोर-होल ड्रिल के माध्यम से उसी दिन से तरल नाइट्रोजन का छिड़काव भी किया गयां/14.2.94 तक बोरहोल के माध्यम से कुल 292 किलो लीटर लाइट्रोजन का छिड़काव कर दिया गया है।

3. मैं, 26.1.1994 को 11.00 बजे (पूर्वाहन) को कोल इंडिया लि० के नियंत्रण कक्ष कलकत्ता पहुचा तथा मैंने व्यक्ति रूप से बचाव कार्यों एवं अन्य/अभियानों की देख रेख शुरू की। मैं, 27.1.94 को लगभग 11.00 पूर्वाह्न को संकतोड़िया के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के मुख्यालाय में पहुचा तथा बचाव कार्यों की प्रगति की विस्तृत रूप में समीक्षा की। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के काला अस्पताल में दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजली के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिन्हें मैं आर्थिक आत्मनिर्भता प्राप्त करने के संघर्ष में शहीद मानता हूं।

4. अन्य व्यक्तियों के अलावा विभिन्न दिवसों पर दुर्घटना स्थल का दौरा सचिव, अपर सचित, कोयल मंत्रालय, श्री एच.बी. घोष भूतपूर्व खान सुरक्षा महानिदेशक तथा निदेशक, कोयला खान अनुसंधान स्टेंशन, धनबाद ने किया। अध्यक्ष कोल इंडिया लि०, अन्य सहायक कोयला कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों के साथ 26 जनवरी, 1994 से स्थल पर ही बने रहे।

5. दिनांक 25.1.94 को दो मृतकों का पता लगा, 26.1.94 को 26 व्यक्तियों का, 27.1.94 को 5 व्यक्तियों का, 30.1.94 तथा 11.2.94 को एक-एक व्यक्ति का तथा 16.2.94 को 2 व्यक्तियों का पता लगने के साथ मृतकों की कुल संख्या 37 हो गई थी । मैंने स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने के पश्चात निम्नलिखित रूप में मृतक व्यक्तियों के

परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए तुरंत आदेश जाती किए :

(i) मृतक के विधवा अथवा निकट संबंधियों को घरेलू खर्च तथा अंतेष्टि के लिए 12000/- रू० की राशि की तत्काल आदायगी की जाए।

(ii) सभी स्वीकार्य अदायगियों के अलावा (लगभब 1 लाख रू० की राशि) 50,000/ रू० की अनुग्रह राशि की भी मृतक की विधवा अथवा उसके निकट संबंधी को अदायगी की जाए।

(iii) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में मृतक के एक आश्रित को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

(iv) यदि मृतक की विधवा अथवा उसका कोई आश्रित रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे स्थिति में विधवा को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3000/- रू० प्रति माह की पेंशन लेने का विकल्प भी दिया जाए।

(v) मृतकों के परिवारों के लिए मृतकों के शवों को उनके एच्छिक स्थानों पर दाह संस्कार करने/दफनाने हेतु ले जाने के लिए कंपनी से परिवहन संबंधी सुविधा उपल्बध की जाए।

(vi) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के खर्चे पर रामाकृष्ण मिशन अथवा मदर टेरेसा के स्कूल में मृतक कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक आवास की सुविधा सहित निशुल्क शिक्षा दिए जाने के संबंध में आदेश भी जारी किए गए।

तदनुसार सभी पीड़ितों के नामित व्यक्तियों को 2000/- रू० की अन्त्येष्टि व्यय की राशि की अदायगी कर दी गई। 55 पीडितों के नामित व्यक्तियों को 10,000/- रु. की अनुग्रह की राशि अदा की गई। 50,000/- रू० की विशेष अनुग्रह की राशि अभी तक 34 पीड़ितों के नामितों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। दावेदारों को अनुग्रह की तथा जीवन-सुरक्षा संबंधी आदयगी के चेक दिए जा रहे हैं। 36 पीड़ित व्यक्तियों के नामित व्यक्तियों को मजदूरी से संबंधित देय बकाया राशि की अदायगी कर दी गई है। इन सभी अदायगियों को बकाया पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में अन्तयेष्टि संबंधी क्रियाकलापों को किए जाने के बाद नामित व्यक्तियों के संबंध के गांवों से लौटने पर की दी जाएगी। मुआवजे की स्वीकार्य राशि, जोकि कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत देय है, को सभी मामलों में मुआवजा आयुक्त के पास जमा कर दिया गया है। उपलब्ध परिवारों के आश्रितों को रोजगार दिए जाने की पेशकश की गई है।

आग को पूरी तरह से नियंत्रित किए जाने के मामले में आई कठिनाई को देखते हुए मजदूर संघों तथा महानिदेशक खान सुरक्षा के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके आग को फैलने से रोकने के लिए खान के एक भाग को सील करने का निर्णय लिया गया है। यह संभावना है कि खान के एक भाग को सील किए जाने के बाद बकाया खान को सामान्य स्थिति में ला दिया जाएगा। खान के सील किए गए भाग को इस क्षेत्र की आग बुझाए जाने तथा उक्त क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही छानबीन की जा सकती है।

बकाया 18 व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी अभी खोज की जानी है, यद्यपि अभी भी बचाव-दल के प्रयास जारी हैं, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें "मृतक" घोषित कर दिया जाए ताकि उन्हें घोषित किए गए विभिन्न लाभ तथा राहत उपाय उपलब्ध किए जा सकें।

मैंने कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के अंतर्गत सभी कोयला खानों के मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, इसमें प्रथम चरण के रूप में भूमिगत खानों की सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा की जाएगी। कमियों के संबंध में कार्यवाही, जोकि लेखा-परीक्षा द्वारा ध्यान में लाई जाएंगी, उन पर समयबद्ध आधार पर कार्यवाही की जाएगी। भूमिगत तथा सतह-दोनां पर संचार संबधी सुविधाओं को बढ़ाए जाने तथा उनकी समीक्षा किए जाने के संबंध में भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। मैंने सभी कार्मिकों के लिए, जोकि भूमिगत कार्य करने के लिए नीचे जाते हैं, उनके लिए उपलब्ध किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा गियर अपने साथ आवश्यक रूप में ले जााने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और कोई भी व्यक्ति जो इन आदेशों का उल्लघंन करेगा, उसके विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।

सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व नयायाधीश, माननीय शमसुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है, जोकि इस दुर्घटना के हाने के कारणों तथा परिस्थितियों की जाचं करेगी। इस न्यायिक जांच से अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा है।

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला खानों के क्रियाकलापों में व्यक्तियों, मशीनों तथा खानों की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता का आश्वासन दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेंगे। जैसा कि कहा गया है शून्यकाल

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करवाने जा रहे हैं और उसके बाद सभी स्थागित करना चाहते हैं या इसे रोके रखना चाहते हैं ?

.................(व्यवधान)................

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करवाइये और उसके बाद जिन सदस्यों के नाम सूची में हैं उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित कीजिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी को बोलना है। ....(व्यवधान)................

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह क्या हो रहा है, हमारी यह प्रथा है कि जब कभी इस सदन में कोई ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की जाती है तो उसके साथ मंत्री जी उस पर जो वक्तव्य देने वाले होते हैं उसकी प्रतियां भी पहले ही हमें दे दी जाती हैं ताकि हम उसके बारे में प्रश्न पूछ सकें। हमें ऐसी कोई प्रतियां नहीं दी गई हैं। मैं यह पहली अनियमितता आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है। सदस्यों को इसका अध्ययन करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात काफी सुसंगत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसकों मध्याहन भोजन के समय के बांद के समय के लिए इसे रोकें रखें या एसी ही कोई चीज क्यों नही रखते ? ....**(व्यवधान)**..............

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां तक मेरे विभाग का संबंध है, स्पष्टीकरण के तौर पर मैं बता दूं कि मैंने संसदीय अनुभाग को जितनी भी प्रतियाँ अपेक्षित हैं, भेज दी हैं। हम प्रतियां भेज चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पता लगाना होगा कि क्या हमारे कार्यालय से तो कोई भूल चूक नहीं हुई।

..................**(व्यवधान)**...............

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस मद को अभी स्थगित कर दीजिए। हम इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात विचार कर सकते हैं। ....**(व्यवधान)** ....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हमें वक्तव्य को पढ़ना है। क्या हमें वक्तव्य की प्रतियों मिलेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वक्तव्य की प्रतियों दे दी जाएंगी। क्या अब हम इस मद पर चर्चा कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह वक्तव्य चार पृष्ठों का है। कृपया मुझे उस वक्तव्य को पढ़ने का अवसर तो दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, इस मद पर मध्याह्न भोजन के उपरान्त विचार किया जाएगा। अब हम शून्यकाल आरंभ करते हैं ओर यह आधे घण्टे में समाप्त हो जाना चाहिए।

...................**(व्यवधान)**.................

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा योजना के बारे में जब-जब सरकार एकमत नहीं होती, सरकार के मंत्रियों या पार्टी के नेताओं के निवेदन आते हैं, तब-तक गुजरत की प्रजा आन्दोलित हो उठती है। इसी सदन में मैंने बार-बार गुजरात की जनता की अपेक्षाओं को व्यक्त किया हे कि नर्मदा योजना हमारे लिए कितनी अहम है।

अभी तीन दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि नर्मदा डैम की ऊंचाई, जो 455 फीट तय की थी, को कम करके 436 फीट करना चाहतें हैं। इस बात को लेकर गुजरात की प्रजा बहुत आन्दोलित हो चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब ट्राइबुनल का फैसला हो गया है कि बांध की ऊंचाई 455 फीट रहेगी तो बार-बार सरकार में असहमति क्यों होती है। इससे गुजरात की जनता को बहुत धक्का पहुंचता है। नर्मदा योजना के साथ लाखों किसानों की आशाएं, आकांक्षाए और भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि नर्मदा योजना हमारे लिए प्राण प्रश्न है। यदि सरकार नर्मदा योजना के बारे में पीछे हटती है, अड़चनें मैदा करती है तो गुजरात की जनता उसे किसी भी कीमत पर नही सहेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्राईबुनल का जो फैसला है और सरकार ने जो तय किया है, उससे वह पीछे न हटें। नर्मदा योजना की पूर्ति हमारे लिए सब कुछ है। मैं गुजरात की जनता की ओर से सरकार से यह भी अपील करूंगा कि कभी पर्यावरण मंत्री, कभी किसी राज्य के मंत्री जब कोई भ्रान्ति पैदा करते हैं तो उससे गुजरात में आक्रोश पैदा होता है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि श्री वी.सी. शुक्ला गुजरात की जनता को आश्वस्त करें कि वह योजना पूरी होगीं पहले यह योजना 600 करोड़ से भी ज्यादा की बनाई गई।

हमें सभी फाइनेंशन रिसोर्सिज पैदा करने होगे। गुजरात की सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि नर्मदा बोन्ड को मंजूरी दी जाये। अतः वह इसको मंजूरी दे। नर्मदा के बारे में और किसी की बात सूनी नहीं जाये। जो सरकार ने फैसला किया है, उसके साथ वह कटिबद्ध रहे। योजना किसी भी कीमत पर पूरी की जानी चाहिये। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में घोषण करके गुजरात की जनता को आश्वस्त करें।

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मैं केन्द्र सरकार के प्रैस पुल से प्रैस सूचना ब्यूरों के अधिकृत पत्रकरों को आवास देने में हो रहे विलम्ब के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। महोदय, यह मामला पिछले डेढ वर्ष से लटका हुआ है और दिल्ली के अधिकृत संवाददाताओं को आवास देने के प्रश्न का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। प्रैस से संबंधित लोग इस संबंध हर स्तर पर प्रयास कर चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं आपका ध्यान दिल्ली के पत्रकारों की बजट प्रस्तुत होने के दिन की प्रस्तावित हड़ताल की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी इस हड़ताल का उद्देश्य नए वेतन बोर्ड के लिए अपनी मांगों पर जोर देना है। पत्रकरों ने अध्यक्ष महोदय को नोटिस दिया है कि वे बजट प्रस्तुत होते समय बजट प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे क्योंकि कई बार उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड बनाया जाएगा लेकिन इसे बार-बार मुल्तवी कर दिया जाता है और यह धारणा बन चुकी है कि भारत के प्रैस सामन्तों के दबाव के कारण इस बात को बार-बार मुल्तवी कर दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सरकार उनकी शिकायतों का निराकरण करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : प्रेस परिषद की सदस्या होने के नाते श्री चन्द्राकर ने जो कुछ कहा मैं पूरे मन से उसका समर्थन करती हूं। इस पर गौर किया जाना चाहिए।

श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैंने भी इस संबंध में नोटिस दे रखा हैं मुझे एक मिनट का समय दिया जाय।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि समाचार-पत्रों के कर्मचारी बजट प्रस्तुत होने के दिन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रैस के लोग बजट प्रस्तुति की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगें। यह एक गंभीर मामला है। उनकी मांग वेतन बोर्ड गठित करने की है जिसे शीघ्र गठित किया जा सकता है। सरकार प्रैस के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकती है ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके। यह स्वभाविक है क्योंकि वे इसकी बहुत लम्बे अर्से से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज 24 तारीख है और रेल बजट प्रस्तुत हो गया है और इसी वजह से आज फिर उनका संसद भवन के सामने एक जुलूस लेकर आने का कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानतें है संचार माध्यम भी संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है। स्वभाविक है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ओर उनके साथ चर्चा करके इस स्थिति को टाला जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : **उपाध्यक्ष महोदय**,जो चन्द्राकर जी ने बात उठायी है, मैं उसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। मैंने भी इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया था। मैं पत्रकार बन्धुओं से निवेदन करूंगा कि सालाना बजट पेश करने का दिन एक ओकेजन का दिन होता है। इसलिये वह उसका बायकाट न करें। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस संसद में मौजूद हैं। यह स्थिति देश मे आये, इसके पहले ही भारत सरकार दिये गये आश्वासन को पूरा करे, एक वेज बोर्ड शीघ्र बनाये और उनकी संस्तुतियों को शीर्घ पूरा करे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये सरकार का ध्यान एक अहम मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं मैंने स्पीकर साहब को भी चिट्ठी लिखी है कि हमारे लीडर ओर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो कि मंडल कमीशन के इम्पलीमैंटेशन को लेकर दिल्ली छोड़कर गये हुए हैं, उनके बारे में पता लगाया जाये कि वह कहां हैं। उनकी सेहत दिन-पर-दिन खराब हो रही है। आम जनता और हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर वह कहां हैं, मुल्क के अन्दर हैं या बहार हैं चूंकि वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिये यह जानकरी सदस्यों और पूरे हिन्दुस्तान को लोगों को होनी चाहिये।

फिर उनका 6 महीने का टाइम जो होता है, वह भी खत्म होने वाला है इसलिए भी पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी यह चाहत है कि उनकी सेहत के बारे में उनको जानकरी हो।

मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैंने इसके बारे में स्पीकर साहब को चिट्ठी भी लिखी हैं कि इसकी जानकरी सदन को और देश को दी जाय।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, और सदस्यों को भी बोलना है। आपने अपना समय ले लिया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने के लिए यहां पर कौन है ? सरकार इसका उत्तर नहीं देगी। आपको यह बात सरकार के ध्यान में लानी होगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह मेरी बात नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान के लोग जानना चाहते हैं। मुझे आपसे यह जानना है कि मुझे उनके बारे में जानकरी मिलेगी या नहीं कि उनकी कैसी सेहत है, वह कैसे हैं, इसकी जानकारी हमें, सदन को या पूरे देश को मिलेगी या नहीं मिलेंगी? यह इन लोगों को बताना चाहिए।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : आप इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना भाषण पूरा कीजिए। मैं सरकार को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता हूं, जब तक आप नोटिस नहीं देंगे तब तक सरकार उत्तर कैसे दे सकती है? माननीय सदस्यों का सहयोग नितान्त आवश्यक है। हर एक सदस्य एक मिनट के लिए बोल सकता है ताकि उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सके जिनका नाम इस सूची में है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : मैं आपका ध्यान भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की मौजूदा खस्ता हाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गुणवत्ता नियंत्रण.और निरीक्षण की उदारवादी प्रणाली के अन्तर्गत इन निर्यात निरीक्षण एजेंसियों का काम पहले ही कम हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, पिछले 27 वर्षों में इस एजेंसियों ने विशेषज्ञता, कुशलता तथा भारतीय उत्पादों हेतु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी हासिल कर ली है। आज बहुत हद तक इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इन निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के कामगारों और कर्मचारियों की छंटनी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। केवल दो दिन पहले दिल्ली में उद्योग भवन के पास उन्होंने धराना दिया था और पूरे देश से इन एजेंसियों के कामगार अपनी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आए थे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों में ढील देने के लिए जारी की गई अधिसूचना की समीक्षा करे क्योंकि इस अधिसूचना से निर्यात निरीक्षण एजेंसियों का कार्यभार और जिम्मेदारी कम हो रही है तथा सभी कर्मचारियों के रोजगार की

सुरक्षा भी कम हो रही है। गुणवत्ता नियंत्रण की उदारीकृत प्रणाली के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान मंजूर किया जा सकता है। कर्मचारियों की छंटनी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह से उनके वेतन का भुगतान नहीं रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुदर्शन राय चौधरी जी, आपको दूसरो को भी वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : सरकार उस हालत में मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती है जबकि संवैधानिक रूप से बने किसी संगठन को, जो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बनायें रखने के लिए आवश्यक है, उसके कार्यकरण से वचिंत किया जा रहा हों।

आपको मालूम है कि फ्रांस ने हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात को पहले ही अस्वीकार कर दिया है। गैट नियम के बाद, भारतीय निर्यात मदों पर सेनेटरी और फाइटो-सेमेटरी संबंधी कड़े नियम थोप दिए जाएंगे।

इन परिस्थितियों में, यदि निर्यात निरीक्षण एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी से विमुख कर दिया जाता है तो स्थितियां और भी बदत्तर हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को बहुत लम्बा नहीं खींच सकते हैं। आपको दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : निर्यात निरीक्षण एजेंसियो को और अधिकार दिए जाने चाहिए। इसका कार्यक्षेत्र कम नही किया जाना चाहिए और कामगारों तथा कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं हाउस का और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री काला बच्चा सोनकर अनुसूचित जाति का जनरल सीट से निर्वाचित सभासद था। पिछले विधान सभा चुनाव में वह बिल्हौर विधान सभा सीट से चुनाव लड़ा था और केवल 672 वोटो से हारा था। दिनांक 9 फरवरी, 1994 को दिन के 10 बजे के लगभग सड़क के ऊपर सरेआम बमों के प्रहार से उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को उसके परिजनों को नहीं दिया गया। उसकी पत्नी और माना ने जब शव को मांगा तो पुलिस ने उनको लाठियों से पीटा और प्रताड़ित किया।

उसके शव को रात को पुलिस की देख-रेख में दफना दिया गया और अभी तक उसके ऊपर कोई अपराधिक मुकदमे नही है। पिछले साल दंगे के समय उसके ऊपर 60 FIR की गई थी, जिसमें 56 में पुलिस ने उसको एक्सपंज कर दिया। उसके बावजूद भी उसको प्रदेश सरकार की ओर से अपराधी घोषित किया जा रहा है जब कि वह बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्त्ता रहा है।

महोदय, मेरा आपसे और गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सम्पूर्ण घटना की जांच CBI

से करा कर इनको न्याय प्रदान किया जाये। कानपुर में अनुसूचित जाति के ऊपर बड़े प्रहार किंए गए हैं। खटिकाना में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया है, मार-पीट की है, लूटपाट की है। इस सम्पूर्ण घटना की जांच CBI से कराई जाये ताकि उसको न्याय मिल सके। उसको एक रंजिश के मुकदमें में फंसाया जा रहा है जब की यह साम्प्रदायिक हत्या है और उसकी रंजिश कोई नहीं है। रंजिश करके उसकी बुआ के लड़के को फंसाया जा रहा है .... **(व्यवधान)** मेरा आप से अनुरोध है कि इस सम्पूर्ण घटना की सी.बी.आई. से जांच कराई जाये ताकि सारे तथ्य सामने आ सकें और इसको न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। जनता दल की सरकार के शासन में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। बलात्कार, दहेज के लिए हुई मौतें और महिलाओं से छेड़-छाड़ की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है और लोग भय के माहौल मे जी रहे हैं।.........**(व्यवधान)**.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक जी, कृपया नियमों का ध्यान रखें। पढ़ना निषिद्ध है।

...............**(व्यवधान)**.............

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह बहुत महत्वपूर्ण है। काग्रेस के कार्यकत्ताओं विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों में बहुत अधिक रोष व्याप्त हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री शरत्चन्द्र पटनायक : स्वयं प्रवर्तन तंत्र का अपराधों में कथित रूप से शामिल होने के कारण स्थिति जटिल बन गई है। राज्य में युवा कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का जानबूझ कर किया गया प्रयास तथा छात्रों पर अकारण गोली चलाया जाना, इस बात का द्योतक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार को शीघ्र वर्खास्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गाँव के गरीबों को रहने के

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

लिए अभी तक मकान नहीं हैं। भारत सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत हरिजन-आदिवासियों को घर बनाने के लिए जो रूपया देती है वह राशि बहुत कम है। अभी भी आजादी के 46 वर्षों के बाद भी 50 प्रतिशत लोगों को रहने के लिए मकान नहीं हैं। आधी जनसंख्या मैदानों में अपने बाल-बच्चों के साथ रहती है और जो रुपया भेजा जाता है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। महोदय, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एक संसदीय क्षेत्र में हरिजन-आदिवासियों को घर बनाने के लिये कम से कम 5-5 अरब रुपया भेजा जाये जिससे कि जल्दी से जल्दी उनके मकान बन सकें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिहं (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बात तो यह कहनी है कि आज जो सड़क दाहनों से मौतें हो रही है। हर वर्ष भारत में साठ हजार लोग मर रहे हैं ओर तीन लाख लोग जख्मी हो रहे हैं। लेकिन इनमें जो इस तरह की दुर्घटनाएं करने वाले लोग हैं उनके लिये बहुत ही कम सजा है। अगर आप वर्ष 1961 और 1991 के सरकारी आंकड़ों को लें तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या 10 गुणा बढ़ी है। भारत में प्रति एक हजार वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौत का दर जापान से 17 गुणा अधिक, सं०रा० अमेरिका एवं इंग्लैंड से 13 गुणा अधिक है, जबकि आश्चर्य है कि भारत में वाहनों की संख्या संसार का मात्र एक प्रतिशत भाग है लेकिन दुर्घटनाएं अन्य देशों की तुलना में 17 गुणा ज्यादा है।

इसलिए हम सरकार से मांग करंगे कि वाहन चलाने वाले लापरवाही से दुर्घटना करते हैं उनके लिए दंड प्रक्रिया में संशोंधन कर एक स्पेशन कोर्ट बनाई जाये जिससे दोषियों को पर्याप्त सजा दिलाई जा सके और इस तरह से हाने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में कमी आ सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अकाल के कारण राजस्थान में इस बार भी भयावह और चिन्तनीय स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के 22986 ग्राम अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं, इनमें से 14881 गांवों मे से 75 से 100 प्रतिशत तक खराब हैं और 7705 गावों में 50 से 75 प्रतिशत खराब हुआ है (नुकसान) हुआ है। ढ़ाई करोड़ लोगों का जनजीवन दुरप्रभावित है। राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है इसलिए केन्द्र सरकार से प्रार्थना है, कृषि मंत्रीजी बैठे हुए हैं, प्राकृतिक आपदा से राजस्थान के लोगों को राहत दिलाने के लिए और पशुधन को बचाने के लिए राजस्थान को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। पेयजल की स्थिति भी गांवों में बदतर हो गई है। वहां के पानी में फ्लोराइड की बहुलता हो गई है। इसलिए लोगों और पशुधन को बचाने के लिए अकाल राहत कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक काम खोले जायें। इसके लिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसे विशिष्ट सहायता प्रदान की जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं भी राजस्थान से आता हूं। दो बातें मैं भी इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं हैं इसलिए अकाल के मामले में केन्द्र सरकार सहायता करे ओर कृषि मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं वे भी राजस्थान के उस इलाके से आते हैं जहां कि अकाल की छाया है। अतः राजस्थान के हित को ध्यान में रखकर उनको खड़े होकर सहायता की घोषणा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वे कुछ कहें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : उड़ीसा में चिलका नाम की झील है जो कि काफी प्रसिद्ध

है। इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर वहां पॉन के बारे में ध्यान दिया जाये और मछली पालन किया जाये तो उसका निर्यात-हो सकता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार अगर यह नहीं करती है तो वह स्वयं इसको अपने हाथ में लेकर इसका विकास करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज शून्यकाल में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया है।

अब सभा 2.45 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.45 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

02.52

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.52 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैंने कोयला मंत्री महोदय द्वारा यहां दिये गये वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना एवं पढ़ा भी है। प्रारम्भ में ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस दुर्घटना को जिसमें इतने अधिक लोग मारे गये अथवा जख्मी हुए थे इतना गम्भीर नहीं समझतें कि वह स्वयं दुर्घटना-स्थल का दौरा करें। वह कभी भी वहां नहीं गये। उन्होंने उन कर्मचारियों अधिकारियों एवं अन्य लोगों की सूची दी है, जिन्होनें कि वहां का दौरा किया है। उन्होंने अन्य स्थानों का दौरा किया है। उन्होनें बचाव-स्टेशन, अस्पताल एवं अन्य स्थानों का दौरा किया है। लेकिन उन्होने दुर्घटना–स्थल का कभी भी दौरा नहीं किया है। मेरे विचार से यह उनकी अपने कर्तव्य-निर्वहन के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही है। इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना में-जिसमें कि बड़ी संख्या में मौते हुई हों कम-से-कम इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है। उन्होने अपने वक्तव्य में दिवगंत आत्माओं के प्रति श्रद्धाजंली अर्पित की तथा कहा कि उन्हें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के संघर्ष में शहीद हुआ माना जाना चाहिये अथवा ऐसा ही कुछ कहा है। ये बहुत अच्छे एवं उत्तम शब्द हैं। एक बात तो यह है।

• दूसरा मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि यह सच है कि वहां एक जांच चल रही है। अतः, हम यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि उसके क्या निष्कर्ष होंगे। लकिन हमें इस बात की चिन्ता है, कि इस समूची-पट्टी में आसनसौल-रानीगंज- तकरीबन 102 खानें हैं, जिनमें से अधिकतर खानें 30 से 40 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। यदि इन खानों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी अथवा सुरक्षा-

मांपदण्डों के उल्लघंन की अनुमति दी जाती है, तो न्यू केंडा कोयला खान में जो दुर्घटना हुई है, उससे भी भंयकर दुर्घटना हो सकती है। जैसा कि उन्होनें अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है, सीतारामपुर में ही एक मात्र बचाव स्टेशन स्थित है। तथापि हमें जांच-आयोग के अन्तिम निष्कर्ष की प्रतिक्षा करनी पड़ेगी, फिर इस दुर्घटना के घटित होने के सम्भावित कारणें के बारे में अनेक लोगों से प्राप्त कुछ प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन खानों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स कम्पनी वर्षों से सुंरगे बनाती चली आ रही है। वे मीलों लम्बी सुरंगे खोदते हैं और उन सुरंगों को बाद में सही तरीके से भरा नहीं जाता। अकसर सतह का तल सुरक्षित नहीं होता ; यह धंस जाता है। ऐसी भी पट्टियां हैं जहां आग भड़की रहती है। इस मामले में भी हमें कुछ इंजीनियरों ने बताया है कि कुछ ऐसे भी सन्धि-स्थल हैं जिनके एक ओर काम नहीं किया जाता और उन बंद की गई खानों और जिन पर काम किया जा रहा है, को अलग करने वाले वाल्व, जिन्हें स्टोपिंग वाल्व कहा जाता है, में कुछ आग की चिंगारियां अनबुझी रह जाती है जोकि मिथेन गैस अथवा किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ के सम्पर्क में आते ही भड़क उठती हैं।

मेरा कहना यह है कि मुझे बताया गया है कि इस दुर्घटना के घटते वक्त कोयला खान प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक अपने काम पर उपस्थित नहीं थें मुझे नही पता कि यह सच है अथवा नहीं; यह पता लगाया जाना चाहिये। खनन-विनियमों के अनुसार उन्हें हर समय अपने कार्य स्थल पर हाजिर रहना चाहिए। यह भी सही है मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह सही है अथवा नहीं वाल्वों के निर्माण, सुरंगों की खुदाई और इन खानों के अन्दर के सभी कार्य, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी इन्तजम अनेक वर्षों से निजी ठेकेदारों को सौंपे हुए हैं। ये सभी कार्य इन्ही लोगों को सौपें गये हैं। हम सभी जानते हैं कि निजी ठेकेदार विशेषकर इन सुदूर कोयला भण्ड़ार क्षेत्रों में कैसे कार्य करते हैं। वे अक्सर माफिया लोगों के एजेंट कहे जाते है, जोकि सभी प्रकार के गैर-कानूनी तरीकों से पैसा कमा रहे हैं।

सम्भवतः, यदि समय पर पता लगा लिया जाता, तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। अतः, खानों के सुरक्षा-निरीक्षण के प्रश्न पर इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में एक पूर्ण न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई जानी चाहिये। जो होने जा रहा है, वह पूर्ण न्यायिक जांच नहीं है। यद्यपि एक सेवानिवृत न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वहां तक जांच-प्रक्रिया का संबंध है, मेरे विचार से यह बेहत्तर होता, यदि इस संबंध में एक पूर्ण न्यायिक जांच हुई होती।

उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि वे सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा करवायेंगे। यह स्वागत योग्य विचार है। मुझे तो कहना चाहिए कि यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन सभी भूमिगत खानों के मामले में सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा एक प्रकार का निवारक-कदम होगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह हमें और अधिक ब्यौरा दे सकते है कि वह सुरक्षा-संबंधी लेखा-परीक्षा कैसे करवाना चाहते हैं। इसे कौन करेगा, यह कब करवाई जायेगी तथा इसमें कितना समय लगेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि उस क्षेत्र के खनिकों में यह धारण व्याप्त है कि ये बाधाएं वहां विद्यमान हैं एवं उनका जीवन इस खतरे से सुरक्षित नहीं है। इस तरह से आप वहां अच्छा उत्पादन एवं अच्छा कार्य जारी नहीं रख सकते।

02.59 म० प०

(श्री पी० सी० चाक्को पीठासीन हुए)

अन्त में, मेरा तो यही कहना है कि आजकल रेलवे दुर्घटनाओं एवं विमान दुर्घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं, तो पीड़ितों एवं मृतकों के परिवारों को विशेष मुआवजे के रूप में कम–से–कम एक अथवा दो लाख रूपये दिये जाते हैं। इन कोयला खनिकों के मामले में केवल 50,000 रुपये ही स्वीकृत किया जा रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योकि ये गरीब लोग हैं तथा शिक्षित नहीं हैं एवं समाज के उच्च्य वर्ग से संबंधित नहीं हैं। अथवा क्या इनके जीवन को सस्ता माना जाता हैं।

03.00 म० प०

अतः, मैं यहां यह मांग करता हूं कि इन खनिक–परिवारों को एक लाख अथवा दो लाख रूपये दिये जाने चाहिये, जैसे कि अन्य घातक दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मामले में दिये जाते है। अन्ततः, उन्होंने कहा है कि मृतक कामगार के किन्ही आश्रितों अथवा विधवा को किसी प्रकार की पेंशन दी जायेगी, जोकि कुछ समय तक जारी रहेगी। जब तक ऐसी व्यवस्था जारी रहती है, तब तक ठीक है, लेकिन मेरे विचार से यदि मृतक कामगार का कोई पुत्र अथवा युवा भाई अथवा कोई व्यक्ति है, तो यह अधिक अच्छा होगा यदि उन्हें खानों में कोई काम दे दिया जाये ताकि उन्हें वहां लाभप्रद रूप से नियोजित किया जा सके और अपने परिवार की सहायता कर सकें। पैकेज में नियोजन दिये जाने का उल्लेख है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों का सही ढ़ंग से पालन किया जायेगा। अन्ततः, एक लम्बे समय के बाद उस पट्टी में ऐसी गम्भीर खान दुर्घटना हुई हैं और स्वाभाविक रूप से हरेक इस के बारे में अत्यंत उत्सुक तथा चिन्तित है। अतः सभी सम्भव उपाय अवश्य किये जाने चाहिये और सरकार की ओर से, खनिकों एवं उनके परिवारों को यह आश्वासन देने के लिए कि जहां तक बचाव एवं सुरक्षा का संबंध है, इस संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी तथा सभी कुछ किया जायेगा एवं सभी कदम उठाये जायेंगें, जिनमें यह बात भी शामिल है कि जब इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो मंत्री महोदय उस स्थान का दौरा करेंगें मुझे ऐसी उम्मीद है। हम देखते हैं कि रेल दुर्घटनाओं के समय, मंत्रीगण दुर्घटना–स्थल पर अधिकतर विमान से जाते है; यह ऐसी बात नहीं है कि इससे किसी समस्या का समाधान होता हो, लेकिन यह एक प्रकार की सद्भावना है, जोकि जरूरी है एवं मेरे विचार से इस मामले में भी, ऐसा ही किया जाना चाहिये था।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, आसनसोल कोलफील्ड्स की नई केंडा कोलियरी में हुई दुर्घटना को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों ने इन कोलफील्ड्स से खनन–कार्य करते समय उचित सुरक्षा उपाय नहीं किये हैं। मंत्री महोदय द्वारा यहां दिये गये वक्तव्य के अनुसार, एक खनन सरदार जोकि खान से बाहर आ रहा था, ने मुख्य इनटेक रोड–वे से धुंआ उठता हुआ देखा और लगभग 4-00 बजे (अप०) इस संबंध में कोलियरी के अधिकारियों को सूचित किया। हमें दी गई जानकरी के अनुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 55 व्यक्तियों में से एक पीड़ित व्यक्ति ने एक पत्र लिखा और अपनी घड़ी में यह उल्लेख करते हुए रखा कि दस मिनट के बाद वे मरने वाले हैं अथवा ऐसा ही कुछ लिखा। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर कोई समुचित संचार नेटवर्क

अथवा व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति उस गम्भीर स्थिति-जोकि वहां विद्यमान थी, के बारे में संदेश नहीं भेज सका। इसके साथ ही, यह भी कहा जाता है कि सुरक्षा-कवच दिये जाते हैं। यह माना जाता है कि इन सुरक्षा-कवचो से कार्बन मोनोक्साईड़ गैस सांस द्वारा अन्दर ले जाना बंद हो जाता है और यह कवच व्यक्ति को बिना दम घुटन के 20 मिनट तक सहायता प्रदान करता है। यहां प्रकाशित समाचारों के मुताबिक इस गम्भीर स्थिति का एक कारण यह भी है। अन्ततोगत्वा, इस प्रकार के विस्फोट का क्या कारण हो सकता है ? क्या यह दुर्घटना संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण घटी अथवा क्या यह दुर्घटना जिन सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिये था उनके लागू न किये जाने के कारण घटी है ? ऐसी दुर्घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पूर्व भी, 1973 मे चसनाला में एसी दुर्घटना घटित हुई थी।

सन् 1985 में टोपा एवं सन्, 1989 में महावीर में भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय किस प्रकार की जांच की गई थी। मैं इस संबंध में की गई सिफारिशों के बारे में भी जानना चाहता हूं एवं उन सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया गया था अथवा नहीं। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि ऐसी दुर्घटना टालने के लिए विभिन्न विकसित देशों में कार्यान्वित किये जा रहे नये सुरक्षा उपायों को अपनाने का सरकार का कोई कार्यक्रम है अथवा नही। अन्ततः मेरे वरिष्ठ साथी ने दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को जो लाभ दिये जाने चाहिये, उनके बारे में एक मुद्दा उठाया है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि इन देय लाभों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, हर 3-4 साल में खानों में इस तरह की वीभत्स और अमानुषिक घटनायें होती ही है। हम लोग इस सदन के भीतर और बाहर उनको शहीद कह कर श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं लेकिन चूकि वे गरीब और साधारण तबके से आते हैं, इसलिये उनकी सुरक्षा के लिये चाहे जितनी कमेटियां या कमीशन बनाये, जो भी सुझाव इन समितियों के रह हों, कोयला खदानों में उने सब पर अमल करने का काम नहीं किया जा रहा है। सब बात निर्विवाद हैं, डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी करके एक अलग से विभाग गठित हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उनकी तरफ से जो अपेक्षित एहतियाती कार्यवाही की जानी चाहिये वह नही की जा रही है। माननीय मंत्री जी इस दुर्घटना में मृतकों को शहीदों की संज्ञा दी है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जो हत्यारे है। जिन की वजह से हत्या हुई, उन हत्यारों के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? 1-2 दिन के बाद वहां के श्रमिक संगठनों ने सामूहिक तौर पर इसकी जिम्मेवारी कुछ खास अधिकारियों पर डालते हुए, उनके खिलाफ एक एफ.आई.आर लॉज की। उस पर क्या कार्यवाही हुई ओर कितनी जांच हुई यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

पिछले ही साल इस तरह की दुर्घटनाओं में 164 श्रमिकों की हत्या हुई थी। उसके बाद से निर्देश हैं कि :

[अनुवाद]

" कोयला-खदान संबंधी विनियमों में यह प्रावधान है कि एक सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह में कम-से-कम एक बार सभी स्टोपिंग-वाल्वों का निरीक्षण करे उनकी सामान्य स्थितियों का अभिनिश्चयन

करे, रिसाव एवं गैस की विद्यमानता चैक करे तथा स्टोपेजिंज के बाहर के वातावरण का तापमान एवं आर्द्रता का पता लगाये।"

[हिन्दी]

इन सारे निर्देशों के बावजूद माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, माइनिंग सेफ्टी इंसपैक्टर और उसके अधिकारियों ने उस स्थल का मुआयना कितने दिन पहले किया था। उन्होंने उसकी सुरक्षा के बारे में और वहां की स्थिति के बारे में क्या रिपोर्ट दी थी और इन खदानों के प्रबंधकों ने एहतियात के तौर पर क्या कार्यवाही की थी?

जब ऐसी दुर्घटना हो गई तो कलकत्ता से कुछ चीजें मंगायी गई। उसको मंगाने में घंटो लगे, दिन लगे। 28 तारीख को वहाँ फिर हादसा हुआ। जो रैसक्यू वर्क चल रहा था उसमें बाधा आई। टन्नल में आग लगने से वह नीचे धस गया। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगें कि आसपास का इलाका जो कि बहुत बड़ा खदान का इलाका है, आसनसोल से झरिया और धनबाद तक, वहां तक आग न पहुंच जाये, उसको रोकने के लिये क्या एहतियाती कोशिश तैयारी के तौर पर की गई थी ?

अखबारों की खबरों के अनुसार माननीय मंत्री जी 27 या 28 तारीख को वहां गये थे। आपको अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख करना चाहिये था कि आप मौके पर गये थे लेकिन जाने के बाद जैसा कि हमारे नेता इन्द्रजीत जी ने ठीक कहा कि हवाई जहाज के, रेल के हादसे में जो मुआवजा देने की राशि है, वह आपकी राशि से कहीं ज्यादा है।

हमारे इलाके के पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उत्तर-बिहार के बहुत बड़ी संख्या में वे गरीब मजदूर इन खदानों में काम करते हैं। अभी तक आपके पास सूची नहीं है कि यह 55 ही है या इससे अधिक है। हमारी तरफ तमाम अफवाहे फैल रही हैं। जिन मजदूर घरानों के लोग वहाँ काम करते हैं वे लोग हमसे पुछने आते हैं कि क्या हमारे परिवार के जो लोग वहाँ काम करते हैं उन मृतकों की जो संख्या आज की तारीख तक है वह केवल 55 है या इससे अधिक है। अफवाहों का दौर बड़ी तेजी से फैला हुआ है, इन अफवाहों के निदान के लिये और मृतकों की संख्या की सही जानकारी माननीय मंत्री जी को देश को देने की कोशिश करनी चाहिये। इनकी जो मुआवजे की राशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिये और उसी के साथ-साथ जो खदानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर कोई दुर्घटना या घटना होती है तो बाहर तत्काल वायरलैस के जरिये उसकी तुरंत सूचना हो, इस पद्धति के बारे में शासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार जब ये दुर्घटना हो रही थी तो इसकी जानकारी विलम्ब से प्रबंधकों को मिली और जब मिली भी, तो जिस तीव्रता के साथ उनको स्थान पर पहुंच कर बचाव कार्य करना चाहिये था उस कार्य में उन्होंने काफी विलम्ब किया।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस स्थल पर पहुंचने में प्रबंधको और बचाव कार्य करने वानों को कितना समय लगा? यदि यह कार्य जल्दी हुआ होता तो संभवतः उनकी हत्याएं न होती, हमने बहुत सारे लोगों को बचा लिया होता। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी० सी० चाक्को) : इससे पहले कि मैं अगले सदस्य को बुलाऊं, मैं सभा कों यह बताना चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं जो कि यहां उठाए गए हैं। मेरा विचार है कि महत्वपूर्ण प्रश्न पहले से ही उठाये जा चुके हैं। सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या भविष्य में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।

.... **(व्यवधान)** .... यदि आप रूल 193 के अंतर्गत इस पर डिस्कशन करवा दें तो अच्छा हो।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह बताया गया है कि खनन के सरदार ने 4 बजे के आसपास प्रबंधक को इस घटना के बारे में बताया जबकि मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार गणेश लाल नाम के व्यक्ति ने 3 बजे खान में आग लग जाने की सूचना प्रबन्धक को दी जो कि उस जगह से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। यदि उस सूचना पर पूरा ध्यान दिया गया होता और उस वक्त आवश्यक कदम उठाए गए होते, तो हताहतों की संख्या काफी कम होती। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सूचना सही है और यदि ऐसा है, तो प्रबंधक द्वारा तत्काल कार्यवाही क्यों नही की गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुर्घटना हुई ही क्यों ? मेरे विचार में इसके दो कारण है, एक तो गैस का एकत्रित होना और दूसरा यह कि इन खानों में घटिया किस्म की केविल इस्तेमाल की गई थी। घटिया किस्म की तारें इस्तेमाल करने के परिणाम-स्वरूप तारें जल गई जिससे आग लगी। इससे पहले भी कुछ संगठनों ने खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले घटिया किस्म के सामान की खरीद पर आपत्ति की थी लेकिन उस सलाह को नहीं माना गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर गौर करें और उन पर प्रकाश डालें।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने सुरक्षा की जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। हमारे आदरणीय साथी, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पूर्व समिति द्वारा सुरक्षा उपायों के संबंध में की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं। अब सरकार नई औद्योगिक नीति के विपरीत जो कि जुलाई 1991 में सभा के सामने रखी गई थी, खनन क्षेत्र निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है और 50 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति देना चाहती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार खानों में सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है अथवा नहीं क्योंकि जब एक व्यक्ति उसमें निवेश करता

है तो वह उसका पूरा लाभ उठाना चाहता है। इसलिए वह यह सोचता है कि जब सुरक्षा उपायों से उसकी आय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, तो वह इसे गंभीरता से क्यों लें। इस विशेष पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए और सरकार को नीति उपायों को सख्ती से निर्धारित करना चाहिए ताकि वे सही तरीके से कार्यान्वित किए जा सके और भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना घटित न हो। दुर्भाग्यवश, यह एक बहुत ही भयानक घटना है जो कि हाल ही में घटित हुई है।

अपने साथियों के साथ मैं भी मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अनुग्रह राशि की अदायगी को 50,000 से बढ़ाकर कम से कम 1,00,000 रू० तक कर दें।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद महेता (हजारीबाग) : सभापति महोदय, जिस खदान में आग लगी है, डी.जी.एम.एस ने इसको बहुत पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने इसको चालू रखने का निर्णय किया। डी.जी.एम.एस. ने सुरक्षा के लिए जो उपाय बताए थे, उनका पालन भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से 55 लोंगों की मृत्यु हो गई।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर भी कोयला खानें हैं और मैं जानता हूं कि इन भूमिगत खदानों में निरीक्षण के लिए मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनको सप्ताह में दो तीन बार जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते है। यह सारा काम माइनिंग सरदार या फोरमैन पर छोड़ दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस खदान में आग लगी, उसका निरीक्षण मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या प्रोंजेक्ट आफिसर द्वारा कब निरीक्षण किया गया और जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन इन अफसरों ने विजिट किया या नहीं और जी एम कब आए। सभापति महोदय, मजदूरों का कहना है कि आमतौर पर हफ्ते में एकाध बार मैनेजर द्वारा खदान का निरीक्षण किया जाता था और वह भी अंडर-ग्राउंड जाकर निरीक्षण नहीं करता था और यह जाकर नहीं देखता था कि मजदूर किन कठिनाइयों में खनन कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर तो महीनों तक निरीक्षण नहीं करता था।

मजदूरों द्वारा यह जानकरी भी दीं गई है कि जिस खदान में आग लगी है, उसके मुंह को सील कर दिया गया था, लेकिन कहीं से गैस जा रही थी, जिसकी वजह से आग यहां तक पहुंच गई, क्योंकि इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। यदि इस ओर ध्यान दिया जाता तो यह इतनी बड़ी दुर्घटना न होती। इसी तरह से अंडर-ग्राउंड माइंस में थर्ड क्लास मेटीरियल इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन लिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। सुरक्षा के जो उपाय करने के लिए कहा गया है, उनका पालन भी नहीं किया जाता है। जनवरी से लेकर मार्च तक अधिकारियों की अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने की कोशिश रहती है और जब बिना सुरक्षा उपायों के मजदूर भूमिगत खदानों में जाने के लिए मना करते हैं तो उनको जबरदस्ती खदानों में भेजा जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की पूरी गांरटी दी जाए और अंडर-ग्राउंड माइंस में फर्स्ट-क्लास मेटीरियल सप्लाई किया जाए तथा सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जाएं।

ये जो कांट्रेक्टर हैं ये दूसरे नंबर का मैटीरीयल सप्लाई न करें, इसको रोका जा सकता है। अंडर–ग्राउंड कोलियरिज का मजदूर विरोध करते रहते हैं कि इसमें आग लग सकती है या कोई

घटना होने वाली है लेकिन मजदूरों को जबर्दस्ती भेजा जाता है। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि आपने आश्रितों को 50 हजार रुपए और नौकरी देने की बता कही है लेकिन 55 लागों की जान गई है इसलिए कम से कम दो लाख रुपए तो मजदूरों के आश्रितों को दीजिए और आईन्दा इस तरह की बात न हो। रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि कोल इंडिया के चेयरमैन और मैनेजर वहां कब गए हैं जबकि वे कलकत्ता में थे। कलकत्ता से जाने के डेढ़–दो घंटे लगते हैं लेकिन दूसरे दिन गए।

मंत्री जी 27 तारीख को गए हैं और अखबारों में इनका स्टेटमेंट आया है। यह रिपोर्ट में नहीं है कि रेसक्यु का काम कब शुरु हुआ और कब खबर आई ? यह बहुत बड़ा मामला है इसलिए ऐसी घटना न हो तो इसकी कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदयं उत्तर देंगे।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, जहां तक कि श्री गुप्त की बात का संबंध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने उस स्थान का दौरा किया था लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट में अपने दौरे का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। क्योंकि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं उस स्थान पर भी गया था। मैं कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे माननीय सदस्य श्री हाराधन राय वहां उपस्थित थे और मुझे वहां मिले थे।

महोदय श्री गुप्त ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि मंत्री जी को उस जगह का दौरा करना चाहिए था। मैं भी यही महसूस करना हूं। लेकिन यहां स्थिति यह थी कि 55 खान कर्मचारियों को बचाना था। जब मैं 26 तारीख को कोल इण्डिया के नियंत्रण कक्ष, कलकत्ता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहुंचा और संपूर्ण कार्य की जांच की तो देखा कि वहां बहुत हो हल्ला है। मैंने कोल इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन से स्थिति के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि बचाव कार्य जारी नही रखा जा सकता जब तक कि इस शोरगुल को नियंत्रित नहीं किया जाता। विशेषज्ञ वहां मौजूद थे। मंत्री के लिए वहां जाना आवश्यक था लेकिन निश्चय ही इस तरह से नही कि वहां का बचाव कार्य किसी रूप में प्रभावित हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वहां क्या हो हल्ला था ?

श्री अजित पांजा : पहले तो किसी को भी नही मालूम कि वहां क्या हुआ था। इसलिए सभी वहां पहुंच गए। सभी ने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री हाराधन राय स्वंय वहां मौजूद थे और अन्य युनियन के नेता भी तत्काल वहां पहुंच गए जिसके परिणामस्वरूप स्थिति को नियंत्रित किया गया वह पूरा समय वहां मौजूद रहे।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं पहले नियंत्रण कक्ष में गया। यह भी टिप्पणी की गई थी कि चेयरमैन उसी रात को वहां क्यो नहीं पहुचे। इसका कारण यह था कि हम विभिन्न स्थानों से आवश्यक सामग्री ढूंढ़ रहे थे। नाइट्रोजन एक ऐसी चीज हैं जो कि खान के साथ एकत्रित करके नहीं रखी जा सकती है। क्योकि यह एक बहुत खतरनाक चीज है। आपने सड़क पर तरल नाइट्रोजन

ले जाते हुए अवश्य देखा होगा यह एक खतरनाक चीज है इसलिए इसे कलकत्ता, जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों जैसी उपयुक्त जगह पर निर्मित एंव एकत्रित किया जाना चाहिए। हम इस बात की जांच कर रहे थे कि हमें किस चीज की आवश्यकता हो सकती है और यह किस तरह का बचाव कार्य है तथा क्या किसी ऐसी चीज की आवश्यकता है जिसे भारत के बाहर से मंगवाना हो? चेयरमैन 26 तारीख को वहां गए थे। मैं कलकत्ता के नियंत्रध कक्ष से जांच कर रहा था। अगले दिन 27 तारीख को मैं 11 बजे वहां गया। वहां जाने के पश्चात् तत्काल ही मेरी चेयरमैन, जिला न्यायाधीश, महा निरीक्षक के साथ बैठक थी। बचाव कार्य में कार्यरत व्यक्तियों को परेशान किए बिना मैंने केवल इतना कहा कि चेयरमैन को वहां मौजूद रहना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में नही आना चाहिए।

यह पहली बात थी जो कि मैंने अपने निर्णय में सोचा कि बचाव कार्य जारी रहना चाहिए। मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं और न ही तकनीकी विशेषज्ञ हूं कि वहां जाऊं और किसी तरह से उनकी सहायता करूं।

उसके बाद एक-एक करके मृत शरीर लाए जाने लगे। वहां क्या हुआ है, इस बात के पीछे अनेक अफवाहें फैली हुई थीं। इसलिए यह सही नही है कि मैं उस स्थान पर नही गया। मैं वहां गया था लेकिन निश्चय ही उसी दिन नही गया और मैं समझता हूं कि मंत्री को अपने आपको वहां जाने से रोकना चाहिए यदि वह कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है और बचाव कार्य को जारी रहने देना चाहिए। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का वही विचार था। यह अच्छा होता अगर मंत्री जी उसी दिन वहां गए होते। लेकिन क्या मैं किसी तरह से उनकी मदद कर सकता था अथवा कोई भी मंत्री किसी तरह से उनकी मदद कर सकता था ? यदि वह मदद कर सकता तो उसे निश्चय ही उस जगह पर पहुंचना चाहिए। किसी तरह से मैं अस्पताल पहुंचा और देखा कि मृतकों की पोस्ट मार्टम जांच शीघ्रता से की जा रही हैं कुछ दुर्भाग्यशाली विधवाएं तथा रिश्तेदार वहां रो रहे थें मैंने जहां तक हो सकता था उनके साथ सहानुभूति जताने की कोशिश की और उन्हें यथा संभव आर्थिक सहायता प्रदान की।

जहां तक कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उल्लिखित संभावित कारण का संबंध है मैं समझता हूं मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अदालती जांच के अधीन है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह कहा है कि यह अदालती जांच के अधीन क्यों हैं न्यायिक जांच के अधीन क्यों नहीं हैं। इस संसद ने यह नियम बनाया है जिसमें संसद ने यह आवश्यक समझा है कि दुर्घटनाओं के ऐसे मामलों में अदालती जांच की जानी चाहिए और खनन अधिनियम, 1952 की धारा 24 में यह बात कही गई है। कोयले की खानों में होने वाली दुर्घटनाओं पर लागू होने वाली एक विशेष प्रकार की संविधि है। इसलिए नियम यह है कि सामान्य संविधि को प्रभारी न करके विशेष संविधि को प्रभावी किया गया है और संसद की इच्छाओं का सार यही है।

अंग्रेजो के समय से 200 वर्ष पुरानी कोयले की खानों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान बनने के तत्काल बाद 1952 में संसद द्वारा एक विशेष संविधि बनायी गयी। इसलिए धारा 24 के अन्तर्गत अदालती जांच की सुविधा प्रदान की गयी।

शुद्धि के अध्याधीन, मैंने किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई अन्य जांच होते नहीं देखी। मैं समझता था कि यह जांच किसी न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। इसलिए मैंने तत्काल ही श्रम मंत्री

से अनुरोध किया कि वे तत्काल ही श्रम विभाग द्वारा एक स्वतंत्र जांच कराये। दूसरा कोयला विभाग से कोई संबंध नही है यह श्रम विभाग द्वारा की जानी है तथा एक चेयरमैन द्वारा की जानी है जिसका न्यायाधीश होना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि यह जांच किसी न्यायाधीश द्वारा ही करायें ताकि लोग देश सकें कि न्याय किया जा रहा है जो कि एक आवश्यक बात है। ऐसी जांच दो निर्धारको द्वारा की जाती है जिसमें एक विशेषज्ञ होता है और एक श्रमिक संघ का व्यक्ति होता है। यह इस प्रक्रिया की पवित्रता है ताकि ऐसी प्रणाली में कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना कुछ नहीं किया जा सके। इसलिए इस संविधि के अन्तर्गत जांच एक चेयरमैन (एक न्यायाधीश अथवा एक उच्चाधिकारी) तथा एक निर्धारक जो कि विशेषज्ञ हो तथा एक श्रमिक संघ के व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए।

इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्रो० ए०के० घोष की नियुक्ति की गई है। इसलिए, धारा 24 के अन्तर्गत एक जांच किए जाने की घोषणा की गई थी। श्री पी० ए० संगमा ने तत्काल इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ओर दो दिन के भीतर जांच समिति बैठायी गई और एक अधिसूचना जारी की गई।

जहां तक कि ढलानों के निर्माण कार्य का संबंध है, चाहे यह निजी हो अथवा सरकारी, यह एक ऐसी खान है जिसका नाम खतरनाक खानों की सूची में नहीं हैं।

[अनुवाद]

ऐसी खतरनाक खानों की सूची उपलब्ध है जहां पर आग लग जाती है दुर्घटना हो जाती है। मैंने इस बात की जांच की और यह देखा कि वहां अक्सर दुर्घटना हो जाती है। पहले केवल अधिकतम 10,000/. रूपये मुआवजे के तौर पर दिये गये थे। लेकिन मैंने देखा कि उन्हें भूमिगत खनन कार्य का 15-20 वर्ष का अच्छा अनुभव था, और उनको इतना ज्ञान था जितना कि किसी पर्यवेक्षक को और तकनीकी विशेषज्ञों को होता है और इसलिये उसी दिन, तत्काल हीं ई.सी.एल. के चैयरमैन से जो कि वहां पर उपस्थित थे, उनके पूर्व सेवा-काल पर विचार करने पर मैंने यह सोचा कि विशेष उप–दान के रूप में 50,000/. रूपये की राशि दिये जाने की आवश्यकता है।

ऐसा मैंने स्वयं अपने अधिकार का प्रयोग करके किया। अन्यथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें कम राशि मिलतीं। धारा 8 और चैयरमैन से परामर्श करने पर ऐसा मैंने अपनी ओर से किया। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें जो राशि दी जाती है, वह बहुत ही ही कम है और इसलिए मैंने सोचा कि अधिनियम के अनुसार उनके लिये इस राशि से अधिक राहत पाना संभव नहीं हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आपको और कितना समय लग सकता है ? हमें 3-30 म० प० पर गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करनी है।

श्री अजित पांजा : मैं केवल पांच मिनट और लूगां।

सभापति महोदय : ठीक है

श्री अजित पांजा : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई राहत के अलावा, आमतौर पर दाह-संस्कार के लिये 500/-रूपये, उपदान राशि 10,000/. रूपये और जीवन रक्षा योजना के अन्तर्गत राशि का भुगतान पहले कर दिया गया था। यद्यपि नियमों और कानूनों के अन्तर्गत इनका उल्लेख कर दिया गया है, फिर भी मैंने यह सोचा कि 50,000/.रूपये दिया जाना आवश्यक है। कृपया कुल मिलाकर इस रकम की गणना करें। यदि उनके सेवाकाल के अनुसार राशि का हिसाब लगाया जाता है; तो उनके हाथ कुल राशि लगभग 1,75,000/. रू० की राशि पहुंच जाती है। यदि विधवा काम करना पसन्द नही करती, तब 60 वर्ष की आयु तक, यदि उचित ढ़ंग से हिसाब लगाया जाये तो क्योंकि मैंने देखा है कि औसतन आयु 45 से 50 वर्ष के बीच है, तब इस हिसाब के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक उसे 8से 10 लाख रूपये की राशि मिल सकती है। ऐसा मैं यह और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह राहत बिना किसी शर्तें के है जैसा कि सेना में होता है। भले ही वे कही और काम करें, भले ही उनका पुनः विवाह हो जाये फिर भी मैं यह निश्चित तौर पर कहता हूं कि उन्हें पेन्शन मिलती रहेगी। ऐसा प्रावधान हमने क्यों किया ? ऐसा इसलिये किया क्यों कि वे ऐसे कर्मकारों की विधवायें है जो कि 15 से 20 वर्ष के लम्बे समय तक सेवा करते रहे थें और उनका बहुत अच्छा सेवा रिकार्ड था। इसलिये यह विशेष प्रावधान किया गया है।

अब मैं सुरक्षा जांच से जुड़े मुद्दे पर आता हूं यह एक संगत मुद्दा है जो कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उठाया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि सुरक्षा जांच का क्या अर्थ है ? सुरक्षा जांच अति विशेष मामले में की जाती है। वित्तीय जांच के मामले में एक-एक पैसे की जांच की जाती है। और इस सुरक्षा जांच में किसी विशेष खान की सुरक्षा की प्रत्येक मद को जैसा कि आजतक विभिन्न आयोगों और नियमों तथा विनियमों के अनतर्गत सिफारिश की गई हैं, की गहन और सही जांच की जाती है। जिन मदों की जांच की जाती है वह है छत प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, खानों में पानी आ जाने का खतरा, आग लगने का खतरा, परिवहन-व्यवस्था, भूमिगत संचार सुविधायें, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा खानों का निरीक्षण और सामान की गुणवत्ता जैसी की निर्धारित की जाती है। इस तरह की सुरक्षा जांच विशेष तौर पर की जाती है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक अधिकतर भूमिगत खानों में सुरक्षा जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है - प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं - केवल उन कुछेक खानों में ऐसा होना बाकी है जिन्होंने कतिपय अन्य कठिनाईयों की वजह से सुरक्षा जांच व्यवस्था को अपनाने के लिये कुछ और समय मांगा है।

जिस समय मैं वास्तविक घटनास्थल पर गया हुआ था, तो मुझे एक मृतक कर्मकार के बारे में भी समाचार मिला जो कि कथित रूप से ऊपरी कलाई पर घड़ी बांधे था ओर उसके साथ लगा हुआ एक पत्र भी बताया गया था। तत्काल ही व्यापक छानबीन के आदेश दे दिये गये और चैयरमैन स्वयं भी वहां गये थे। लेकिन ऐसा कोई भी मृतक कलाई पर घड़ी और पत्र सहित नहीं पाया गया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी जांच की जानी है। जिसने यह सूचना दी है उसे जांच अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही पड़ेगा लेकिन विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्बन मोनोआक्साइड गैस को श्वास के साथ अपने अंदर ले जाता है तो वह कुछ भी लिखने योग्य नही रह जायेगा और वह तुरन्त मर जाएगा। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मंत्री होने के नाते मुझे इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिये, जबकि इस मामले में जांच की जानी शेष है। इसकी जांच की जानी चाहिये। साक्षियों को जांच अदालत के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिये। जांच अदालत को सच्चाई का पता लगानें दीजिये।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। ऐसा कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है। कार्यवाही तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। मुझे पता चला है कि प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक और एजेन्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में गये थे और उन्होंने अग्रिम जमानत करा ली। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आप आगे कार्यवाही ही नही कर सकते। लेकिन राज्य सरकार को यह कार्यवाही करनी है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। हम प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपनी ओर से कार्यवाही कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर हम इस मामले का पता लगा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद श्री हाराधन राय तथा युनियन के अन्य नेताओं ने तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री बर्मन तथा बर्दवान जिले के प्रशासन ने मुझे पूरी सहायता प्रदान की है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सी.आई.टी.यू. संघ ने 31 जनवरी, को एक हड़ताल आयोजित की जिसकी वजह से लोगों को भयानक कष्ट उठाने पड़ें। मैंने बर्द्धवान में श्री राय से सम्पर्क करने की कोशिश की ताकि मैं उन्हें अनुरोध कर सकूं कि बचाव दल को तथा आग बुझाने के लिये नाइट्रोजन गैस को घटनास्थल पर पहुंचन की अनुमति दी जाये। सौभाग्य से जिला मजिस्ट्रेट ने श्री राय से सम्पर्क स्थापित कर लिया जोकि तत्काल वहां पर आये और देखा कि वहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा नही थी। लेकिन देरी हो गई थी क्योंकि यह सब उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। यह बर्दवान जिले से बिल्कुल बाहर था।

जहां तक अन्य व्यवस्था का संबंध है, जहां तक मैं जानता हूं, पूरे विश्व में किसी भी कोयला खान में भूमिगत वायरलैस व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था किसी भी गैस के लिये इस कदर नाजुक होती है कि इसमें आग लग सकती है। वायरलैस में जो बैटरी लगी होती है, उसमें आग लग सकती है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं जानता। मैंने अधिकारियों से इसका पता लगाने के लिये कहा है कि क्या इस तरह की वायरलेस व्यवस्था चीन अथवा इंग्लैंड अथवा आस्ट्रेलिया में है और क्या ऐसी व्यवस्था भारत के लिये उपलब्ध करायी जा सकती है।

ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति सबसे पहले बाहर आया उसका नाम गणेश लाला है। कम्पनी ने मुझे जो रिकार्ड उपलब्ध कराया है, उसमें यह कहा गया है कि लगभग 4-00 बजे म०प० गणेश लाला ने बाहर आकर इस मामले की जानकी दी। वह भी ड्यूटी पर था। 4-00 बजे म०प० उसकी पारी समाप्त हुई थी। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि क्या वह 3-00 बजे म०प० बाहर आया और मामले की जानकारी दी, क्योंकि अभी इस मामले में जांच होनी बाकी है। यदि ऐसा है, तो जांच आयोजित की जाएगी और माननीय न्यायाधीश इसका पता लगायेगें कि वास्तव में सच्चाई क्या है ?

जहां तक निजी खानों में सुरक्षा का संबंध है, वह एक विशिष्ट मुद्दा है और इसी का मैंने खास ख्याल रखा है क्योंकि कोयले के रक्षित खनन जैसा निजिकरण किसी भी रूप में हो रहा है जो कि बिजली घरों के लिये दिया जा रहा हैं कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष आदेश जारी किया गया है कि ऐसी निजी खानें अर्थात् बिजली के उत्पादन अथवा कोयले की धुलाई या अन्य प्रयोजनों के लिये बनी खानों को लेने वालों को सभी मानंदडों का पालन करना होगा और सुरक्षा निदेशक तथा खान नियन्त्रक द्वारा निरीक्षण करवाना होगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : बी.सी.सी.एल. खानों में सुरक्षा उपायों की क्या स्थिति है ? क्या आप वहां के सुरक्षा उपायों से संतुष्ट हैं ?

श्री अजित पांजा : प्रश्नों के उत्तर में मैं यही कुछ बातें कहना चाहता था। मैं उन माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इन प्रश्नों को यहां पर उठाया है। मुझे सभी माननीय सदस्यों के सुझाव प्राप्त कर अति प्रसन्नता होगी ताकि जांच समिति की रिपोर्ट आने तक मैं विभिन्न प्रकार सुरक्षा उपायों का प्रबन्ध कर सकूं। मैं इस सभा को यकीन दिलाता हूं कि जांच-रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद हम उचित कार्यवाही करेंगें। हम लोगों को छांट-छांट कर सजा नहीं दे सकते, हम उन्हें निलम्बित नहीं कर सकते और किसी एक को तथा सभी को दण्डित नहीं कर सकते। लेकिन रिपोर्ट आ जाने के बाद हम यह देखेंगे कि रिपोर्ट की प्रत्येक मद लागू की जाये और जो व्यक्ति भी दोषी पाया जाये उसे कड़ी सजा दी जाये।.........................**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : वामपंथी दलों ने कीमतों में वृद्धि के विरूद्ध संसद भवन के बाहर एक रैली आयोजित की है। पुलिस ने उन लोगों को बुरी तरह से मारा है और लाठी-चार्ज भी किया है। ग्यारह लोग घायल हुए हैं और वे अस्पतालों में दाखिल है और हजारों लोग पुलिस स्टेशन में हैं। हम यह मांग करते हैं कि माननीय गृह मंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिये। .... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नही दी जा सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता। आचार्य जी, आप कृपया बैठ जाइये। कृपया इस बात को समझें कि यह प्रस्ताव नियम 197 के अन्तर्गत है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्थिति की गंभीरता को समझिये।

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप गैर-सरकारी सदस्यों का समय ले रहे हैं कृपया बैठ जाइये। पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों के आठ मिनट खराब हो चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, राजधानी दिल्ली में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उनकी पिटाई की। अनेक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वे मूल्य-वृद्धि का विरोध कर रहे थे। मेरी मांग है कि माननीय गृह मंत्री जी को मामले की छानबीन करनी चाहिये और सभा में वक्तव्य देना चाहिये।

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपनी बात कह चुके। अब आप बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी मांग यह है कि गृह मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये और सभा में वक्तव्य देना चाहिये।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये। कृपया यह समझने की कोशिश कीजिये कि हम नियम 197 के अधीन एक मामले पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसकी मर्यादाओं से भी परिचित हैं। सभी बातें हो गयी थी और मंत्री महोदय ने सकारात्मक उत्तर भी दे दिया हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवाड़ (बरेली) : राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए, बैकिंग कार्यालय पर, हजारों की संख्या में उस बैंक के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, हम पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों का समय ले चुके हैं। हम पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित समय से आठ मिनट ले चुके हैं। कार्य-सूची के अनुसार हमें एक अति महत्वपूर्ण विधेयक पुनःस्थापित करना था। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अगर आप लोंगों की अनुमति हो तो इस अति महत्पूर्ण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय केवल दो मिनट लेंगे और उसके तत्काल बाद गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य पर चर्चा प्रारम्भ हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय वह विधेयक कौन सा है ? हमें उस पर आपत्ति है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह गैर–सरकारी सदस्यों का समय है इस समय को नहीं लेना चाहिये। हमने मंत्री महोदय को अपना उत्तर समाप्त करने की अनुमति दे दी है। यह विधेयक पहले क्यों नहीं पुनःस्थापित किया गया ? .....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आचार्य जी, दूसरों को कम से कम अपनी बात समझने का मौका तो दीजिये। अगर आप इस प्रकार चिल्लाते रहेंगे तो कोई उसकों समझ नहीं पायेगा। कृपया अब बैठ जाइये.........................

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था–सम्बन्धी प्रश्न है।

सभापति महोदय : हमें उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुनने दीजिये।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यह है कि हम यह नहीं जानते कि माननीय मंत्री कौन सा विधेयक पुरःस्थापित करना चाहते हैं। अगर हम उस विधेयक की संवैधानिकता के बारे में कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं तो हमें अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये। यहां तक कि अगर इसे राज्य सभा में भी पारित किया गया हो तब भी हमें इस पर आपत्ति करने का यहां पूरा अधिकार है। अतः कोई मंत्री अचानक आकर कोई विधेयक पुरः स्थापित नहीं कर सकता। हम यह अनुरोध करेंगे कि इसे सोमवार को पुनःस्थापित किया जाये। इसकी जल्दी क्या है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया इस बात को समझिये कि यह कोई नई मद नहीं है। इसे पहले ही सूची में शामिल कर लिया गया है। आप इसे कार्य–सूची में देख सकते हैं।

श्री राम नाईक : लेकिन समय अब हमारा है।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं माननीय सदस्यों की अनुमति के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : सरकारी कार्य का समय पहले ही पूरा हो चुका है।

सभापति महोदय : अगर कार्य–सूची के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति थी तो इसे आपको सुबह ही उठाना चाहिये था ....

(व्यवधान)

स्भापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं किसी सदस्य के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। आप अपनी बात रख चुके हैं। कृपया अब बैठ जाइये। प्रश्न यह है कि यह मद पहले से ही कार्य-सूची में है। अगर माननीय सदस्यों को कार्य-सूची की इस मद पर कोई आपत्ति थी, चाहे वह सवैधांनिक हो अथवा असवैंधानिक अथवा चाहे वह सही हो या न हो, आपको यह मुद्दा आज सुबह दस बजे ही उठाना चाहिये था ....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : चित्त बसु जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने की अनुमति दीजिये। प्रश्न यह है। कि हमें मद संख्या ।। पर 3.30 म०प० पर चर्चा करनी थी। आप जानते हैं कि ध्यानाकर्षण के लिए समय क्यों बढ़ाया गया था। सभा की इच्छा यह थी कि मंत्री महोदय को अपना उत्तर समाप्त करना चाहिये। इसीलिये, हमने गैर सरकारी सदस्यों के समय से दस मिनट से भी अधिक समय ले लिया है। अब पीठासीन अधिकारी का माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मंत्री महोदय को यह विधेयक जो अति महत्वपूर्ण विधान है तथा जिसे कार्य-सूची पर मद संख्या II के रूप में रखा गया है, को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री रूपचन्द पाल : मद संख्या 12 का क्या होगा ? मद संख्या 11 और 12 परस्पर सम्बन्धित हैं।

सभापति महोदय : आप पहले ही कह चुके हैं कि ....

(व्यवधान)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : कृपया कार्य-सूची का भाग दो देखिये। यहां यह बताया गया है 3.30 म०प० से 6.00 म०प० तक। अतः अब यह हमारा समय है।

सभापति महोदय : यह सच है और इसीलिये मैंने आपकी अनुमति चाही है और आप इस पर सहमत भी हो गये हैं ....

(व्यवधान)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : जी नहीं, हम सहमत नहीं हैं ....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनिये। ठीक 3.30 म०प० पर मैंने सभा की अनुमति ले ली थी। तब श्री मोहन सिंह ने सुझाव दिया था और हरेक सदस्य ने उसे चुपचाप मान लिया था कि मंत्री महोदय अपना उत्तर समाप्त कर सकतें हैं। इसी वजह से हमने आठ मिनट अधिक लिये हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय था। मंत्री महोदय जवाब देना चाहते थे और हम उनका जवाब सुनना चाहते थे। अतः इस सभा की स्पष्ट स्वीकृति से ही मंत्री महोदय ने अपना जवाब पूरा किया। अतः, आठ मिनट अधिक लिये गये। अन्यथा 3.30 म०प० पर ही हम सभी ने इस विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दे दी होती। अब मैं अनुरोध करता हूं कि इसके लिए दो मिनट का समय दिया जाये। हम इसकी पूर्ति बाद में कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, हम सहमत नहीं हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पूरा करने के लिए सहमत हुए थे।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, यह दो अलग मामले हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक वक्त पर केवल एक सदस्य को बोलने दीजिये। श्री शाहबुद्दीन की बात सुनने दीजिये।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, को जो पहले से ही अपनी बात कह रहे हैं, आज वक्तव्य समाप्त करने की अनुमति देना एक अलग मामला है। दूसरा मामला लंबित कार्य का है। अब अगर आपकी नजर में, ये विधेयक इतने अत्यावश्क हैं कि उन्हें आज ही पुरःस्थापित किया जो, तो फिर निश्चित रूप से सभा आपके अनुरोध ा को मान सकती हैं लेकिन, निश्चित रूप से ऐसी कोई आपति स्थिति नहीं है। यह विधेयक सोमवार को भी पुरःस्थापित किये जा सकते हैं। अतः, इस बात की तुलना मंत्री महोदय से जो अपना वक्तव्य पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं, से नहीं की जा सकती है।

सभापति महोदय : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन की तुलना मंत्री महोदय के भाषण से नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों की बात से पूरी तरह सहमत हूं।

अभी भी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप सहमत हो तो केवल दो मिनट में आपकी अनुमति से यह कार्य किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।,

श्री रूपचन्द पाल : हम सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदय : ठीक हैं हम गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य लेंगे।

3.47 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति
सत्ताईसवां-प्रतिवेदन

डा. विश्वनाथम कैनिथि (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 फरवरी, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27 प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 फरवरी, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.48 म०प०

संविधान(संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 29 में संशोधन इत्यादि)

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के सविंधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अंकुशराव टोपे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापति करता हूं।

3.48½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन(किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.49 म०प०

बालक श्रम (उत्सादन) विधेयक *

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताद करता हुं कि बालक श्रम का उत्सादन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबत्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में दिनाँक 24.2.94 को प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि बालक श्रम का उत्सादन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.49 1/2 म०प०

संविधान(संशोधन) विधेयक *

(अनुच्छेद 285 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.50 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(सांतवी अनुसूची में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 24.2.94 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित

3.50 ½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 31 ग, आदि में सशोंधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.51 म०प०

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
आदेश (सशोंधन) विधेयक *

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों में परिवर्तन करनें तथा संबंद्ध विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी ज़ाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों के नामों में परिवर्तन करनें तथा उनसे संबद्ध विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* 24.2.1994 के भारत के आसाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

351 ½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 324 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में ओर संशोंधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हुं।

3.52 म०प०

गौ-वध पर पांबदी विधेयक *

श्री काशी राम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.52 1/2 म०प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक *
(धारा 11 और 23 में संशोधन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 24.2.94 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.53 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.54 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 324 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 24.2.94 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित

3.55 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक *
(धारा 30 में संशोधन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

" कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिह : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.56 म०प०

पटना विश्वविद्यालय विधेयक *

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जाहनाबाद) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमत के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि बिहार राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामाश्रय प्रसाद सिहं : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 24.2.94 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.57 म०प०

अंडमान और निकोबार-द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक *

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि विधेयक का खण्ड 19 जो मोटे अक्षरों में छपना था, उस रुप में नहीं छपा है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.58 म०प०

कृषि उपज कीमत नियतन प्राधिकरण· विधेयक *

सभापति महोदय : अब हम मद संख्यां 18 पर चर्चा शुरू करेंगें। इस चर्चा के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए हैं।

श्री भगवान शंकर रावत बोलें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि कृषि उपज की उचित लाभकारी कीमतें नियत करने के लिये एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मान्यवर, कृषि उपज कीमत नियतम विधेयक उचित लाभकारी कीमतें नियम करने के लिये एक प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिये पेश किया गया है।

अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कीमतें उद्योगपति अपने हिसाब से निर्धारित करता हैं जो उसके मन में आता है, वह करता है। सीमेंट, इस्पात और इस प्रकार की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं

* दिनांक 24.2.94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

में 5 से लेकर 6 गुना तक की वृद्धि पिछले एक दशक में हुई है जबकि कृषि उपजों में मूल्यों में दो गुना वृद्धि हुई है.

अभी डंकल प्रस्तावों पर जब विचार हो रहा था और देश के औद्योगिक उत्पादन का सिहावलोकन पिछले सत्र में जब हुआ तो यह पाया गया कि इसमें लाखों करोड़ों रूपये की विपुल धनाराशि को लगा देने के बाद भी हम औद्योगिक दृष्टि से न समृद्ध हो पाये, न निर्यात की व्यवस्था ठीक से कर पाये। फिर घूम–फिर कर आ गये 45 साल की आजादी के बाद कि कृषि उत्पादों को बढ़ाया जाये! यह सोचा गया कि कृषि के माध्यम से ही निर्यात बढ़ाया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। हम हरित क्रांन्ति की बातें बहुत करते है। जिस किसान ने यह सौगन्ध खाई थी कि भारत के नेताओं और भारत की सरकार, तुम जनसंख्या पर नियंत्रण नही कर सकते हो, तुम कोरी नारेबाजी करते रहोगे, अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी देश की आबादी को रोक नहीं पाओगे, लेकिन मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं किसान के रूप में कि चाहे जितने बच्चे पैदा हों, आबादी कितनी तेजी से बढ़े लेकिन भारत का किसान किसी बालक को खाली पेट सोने नही देगा।

4.00 म०प०

(प्रो० रीता वर्मा पीठासीन हुई)

बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरेगा, कोई भूखा नही मरेगा और इस हरितक्रांति के माध्यम से जहां राजनीतिक स्तर पर हम लोग जनसंख्या को रोकने के लिये विफल हुए वहां किसानों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज देश के अन्दर हरितक्रांति के परिणामस्वरूप भारत न केवल इतना आत्मनिर्भर हो गया बल्कि हम कुछ निर्यात करने की स्थिति में भी आ गये हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि एक सीमा है उसके बाद स्टेगनेशन शुरू होता है, तो वही स्थिति इस समय देश के अन्दर गल्ले के उत्पादन के लिये है। मैं यह आकंड़े रखना चाहूंगा, यह एक अतारांकित प्रश्न 1079 है इसका उत्तर राज्य सभा में मंत्री जी ने दिया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है।

1990-91 में 1,76,390 टन गल्ला पैदा हुआ था। 1991-92 में उत्पादन गिर गया और 1,68,373 मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ। 1992-93 में एक लाख अस्सी हजार दस मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ और उसके बाद जो सबसे ज्यादा दुखद मामला है वह यह है कि 1993-94 में यह उत्पादन फिर गिर रहा है, 179 मिलियन टन का उत्पादन भारत सरकार के आंकलन के अनुसार संभावना है। इस प्रकार से 1993-94 का जो पंचवर्षीय योजना में टारगेट था वह टारगेट 188 मिलियन टन था उससे यह काफी कम है। यह चीज चौंकाने वाली है और यह चौंकाने वाली इसलिये भी है कि एक और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुपात, उसके अनुपात में अन्न उत्पादन की वृद्धि ओर उसके बाद हमें निर्यात करने के लिये गल्ले की आवश्यकता, इन दोनों चीजों से हमारी इकनोमी जुड़ी हुई है। जब इस इकनोमी के जुड़ाव को हम देखते हैं तो ये चीजें चौकाने वाली हैं। यह अन्न का उत्पादन राष्ट्रीय स्वाभिमान ओर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। जापान में किसान को वहां की सरकार धान का अंतर्राष्ट्रीय मुल्य से तीन गुना ज्यादा दाम देती है। इसलिये कि जापान के लोग जानते हैं कि अगर देश अन्न के मामले में स्वावलम्बी नहीं हुआ तो किसी भी समय कोई

भी बड़ा राष्ट्र उसकों डूबो सकता है, लेकिन भारत सरकार इस मामले में जागरूक नहीं है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी कहते थे और आज के वर्तमान मित्र भी कहते हैं कि उन्हें तो दो हजार तक की चिन्ता करने के बाद, नयी शताब्दी की चिन्ता है तो जब हम दो हजार पूरा करेंगे, नयी शताब्दी में प्रवेश करेंगे उस समय इस देश को 228 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता होगीं उस अन्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिये हमारे पास कोई सकारात्मक योजना नहीं है। आप कितनी भी योजना बनाइये लेकिन अगर किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगा तो फिर अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अन्न का उत्पादन नेताओं के भाषणों से नहीं, अन्न का उत्पादन किसानों को प्रोत्साहित मूल्य देने से बढ़ेगा अन्न का उत्पादन विशेषज्ञों के सेमिनारों के माध्यम से नही बल्कि किसान को ठीक प्रकार से ज्ञान देने से होगा, उनको सहायता देने से होगा। उसको मार्गदर्शन देने से होगा, उसको ठीक प्रकार के अन्न उपजाने की सुविधा प्रदान करने से होगा और आज जब हम डंकल ड्राफ्ट को स्वीकार करके बैठे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब अप्रैल के महीने में जायेगें और दस्तखत कर आयेंगे।

महोदय, मैंने आज एक समाचार-पत्र में पढ़ा, उन्होंन "जागरण" में साक्षात्कार में कहा है कि हमारी विवशता थी हम मजबूरी में हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हुए। इन मजबूरियों को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि किसान को अन्न का सही मूल्य मिले और अगर सही मूल्य मिलेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, वह प्रोत्साहित होगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का एक विधेयक लाया जायें जिस विधेयक के माध्यम से किसान को सही मूल्य मिल सके।

सभापति महोदय, लांग टर्म प्रोसपेक्टस में एग्रीकल्चरल प्राइस पालिसी बनी थी, कृषि मंत्री जी इस समय यहां पर होते तो मैं उनसे कहता कि उस पालिसी मे बदलाव नहीं किया गया, जिसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, वह नही किया गया। वही पुराना तौर-तरीका, वही ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, जिसके जरिए किसान को नुकसान हो रहा है। इसके बाद कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइसेस ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि 4 साल पूर्व के आंकड़ों के आधार पर कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित किए जाते है ....

(व्यवधान)

प्रो. एस एस जॉन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनीं बाद में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ समय की गति में भी परिवर्तन हुआ और डी एस त्यागी की अध्यक्षता में वह कमेटी काम कर रही है। दिनांक 28.9.93 को कमेटी ने सिफारिश दी, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस कमेटी ने जो आवश्यकता महसूस की है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"कृषि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में मूल्य नीति पर गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्रस्तुत सिफारिशों की जांच करने के लिए, जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा कृषि विभाग के प्रतिनिधियों की एक उच्च्य शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाए।"

[हिन्दी]

मैं फिर कहना चाहता हूं कि डंकल की परछाई से यह सरकार डोल रही है उससे ढकी हुई है और भारत सरकार किसान को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। आगे इस कमेटी ने सिफारिश की है ....

[अनुवाद]

"सरकार को खाद्यान्न वितरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को योजनाबद्ध तरीके से कम करना चाहिए और लगभग तीन वर्ष के बाद जनसंख्या का एक सीमित भाग ही जो वास्तव में गरीब है, सार्वजनिक, वितरण प्रणाली के तहत होना चाहिए।"

प्रधान मंत्री और भारत सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि वे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेस्ट्राय करना या परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कमेटी की सिफारिश के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही है। डंकल साहब जो कहते है, उनके निर्देशों पर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से पालन करने की साजिश की जा रही हैं इस तरह से गरीब का गला घोंटा जाएगा, आम आदमी का गला घोटा जाएगां इस संदर्भ में यह कहना भी उचित होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली वस्तुओं की एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस भी इसी साजिश के तहत बढ़ाई गई है और इस तरह से गरीब ओर आम आदमी का गला घोंटने की तैयारी की जा रही है। दूसरी बात इसमें कही गई हैं ।

[अनुवाद]

"गरीबी हटाओ कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण, जिसमें अनाज को गरीब को देने की अधिक संभावना हो, की योजनाबद्ध तरीके से विश्लेषण किया जाए।"

[हिन्दी]

"ठीक है, जहां लोग बगावत करने पर उतर आए वहां आप खुशामद करेगें, वहां सरकार ने हमेशा घुटने टेके हैं, लेकिन गरीब के आगे घुटने टेकना सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद सिफारिश की है ....

[अनुवाद]

"राजसहायता की दर में काफी कमी की जाए, लेकिन एक ही बार में नहीं, यह कमी तीन चार वर्षों के दौरान की जाए।"

[हिन्दी]

" यानि एकदम हलाल मत करिए, धीरे-धीरे करिए। एकदम झटके से तो मर जाएगा, इसलिए धीरे-धीरे हलाल करिये। उन्होंने कहा कि तीन चार साल की अवधि के अन्दर सबसिडी को समाप्त कर दीजिए।"

[अनुवाद]

" खाद्यान्न की वसूली ओर वितरण में प्रतीकात्मक संबंध को जानने की आवश्यकता है जिसके तहत खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री को खाद्य नीति का अभिन्न अंग बनाया जाए।"

उन्होने अच्छी बात कही है कि प्रोक्युरमेंट प्राईस और बेचने की प्राईस में तारतम्य होना चाहिए। 1992-93 के आंकड़े सरकार ने उपलब्ध कराए तो उसमें 330 रूपया प्रोक्युरमेंट प्राईस है जो सरकार ने अनाऊंस किया था। 1-2-1994 को पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन की प्राईन्स 402 रुपया थी जो उसके बाद और बढ़ गई। यह इतना भारी अंतर था। एक तो किसान से खरीदना और उसे उपभोक्ता को देना जिसके बारे में गरीबों के हिमायत की बात की जाती है, यह नितान्त अनुचित है। खुले बाजार के अंदर उपभोक्ता और ज्यादा लड़ता है। जो सी ए सी पी भारत सरकार ने बनाई है तो उसने यह आवश्यकता अनुभव की है कि ए पी सी जो प्राईस रिकमन्ड करता है उस प्राईस की मानिटरिगं और जांच पड़ताल आवश्यक है। उससे मैं सहमत हूं और इसलिए यह बिल आया है। इस बात से सहमत नहीं हूं कि हाई पावर्ड कमेटी बने और उसमें ब्युरोक्रेट्स बैठे, लेकिन कृषि का ज्ञान और समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधत्व हो तो ऐसा एक आयोग बने, ऐसे प्रतिनिधि हो जो समाज के सभी लोगों का कांप्रीहेन्सिव सव व्युज ले सके। इस अथारिटी का ऐसे कंपोजिशन किया जाए जिसमें केन्द्र सरकार नियुक्ति करे। एक व्यक्ति ऐसा हो जिसमें कृषि संबंधी योग्यता हो और कृषि कार्य का अनुभव हो, प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से एक-एक सदस्य होना चाहिए, रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय से एक-एक प्रतिनिधि हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से चार प्रतिनिधि हो। एग्रीकल्चर लेबर की दुहाई देते हैं लेकिन उसका पार्टिसिपेशन नहीं कराते। आज रेल मंत्री जी कर्मचाारियों के हितों की बात कर रहे थे इसलिए मैं कृषि मंत्री जी का कहना चाहता हूं कि वे भी श्रमिक के हितो की बात करे इसलिए यह बिल आया है। आयोग में चार प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जांए और चार लोक सभा से और दो राज्य सभा से सांसद हो जो जनता की आवाज को बुलन्द कर सके। उनका निर्वाचन स्वयं सांसदों द्वारा ही किया जाए। सरकार की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह है कि जो आधार सरकार देखती रही है जिसके आधार पर कृषि मूल्य का नियतन किया जाता है वह आधर भी डिफेक्टिव है। उसके अंदर वे मार्किटेबिलिटि देखते हैं और बाजार में उसका क्या इकोनोमी इमपेक्ट आयेगा, और अन्य सारी चीजें देखते हैं जिनका किसान से कोई सीधा संबंध नहीं है। प्राधिकरण लाभकारी कीमतों का निर्धारण करने से पहले इन बातों का ध्यान रखेगा जैसे-कृषकों द्वारा किया गया औसत पूजी विनिधान, औसत श्रम प्रभार, फसल बीमा व्यय और कृषि के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋणों पर ब्याज आदि।

फार्म का अनुरक्षण व्यय, कृषि उपज के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई रियायत, छूट या सहायता, कृषि उपज की खुले बाजार में विद्यमान कीमतें, जलवायु की परिस्थिति और बाढ़, सूखा, ओला पड़ने,

असमय वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप, किसी कृषक द्वारा दिये गये औसत मासिक घरेलू व्यय जिसके अंतर्गत एक माह के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि चीजें शामिल हैं, इन सब फैक्टर्स को शामिल करते हुए तब कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। जब उपज का निर्धारण हो उसमें बुवाई मौसम से पूर्व लाभकारी कीमत की सरकार घोषणा करे जिसके अनुसार कृषक बुवाई कर सके और माइंड मेकअप कर सके कि उसका कौन सी उपज प्राथमिकता के आधार पर गोजना बनाकर बोनी है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता का फुटकर में बचने वाले खाद्यान्नों की निर्गमन कीमत भी यह प्रधिकरण तय करे। इसके अलावा यह प्राधिकरण अपने कार्यों का निर्वाह कृषि उपज की वसूली, आपूर्ति और वितरण से सम्बन्धित केन्द्रीय एजेंसीज और संस्थानों के सहयोग से करे। इस प्रकार से करने पर किसान को ठीक प्रकार से मूल्य का निर्धारण हो सकेगा। सरकार भी चाहती है कि इस आयोग के सामने कोई हाई पावर कमेटी बने। लेकिन वह अधिकारियों की न होकर एक व्यापक कमेटी बननी चाहिए।

वर्तमान में जो सरकारी अनाज की खरीद का मूल्य है, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत कम है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें औद्योगिक उत्पादानों के मूल्य, उनकी संरचना, उनका तालमेंल, मूल्य का निर्धारण तो करते है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर जिससे उपभोक्ता लुटता है। अब तो संरक्षण भी समाप्त करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि उद्योगों को संरक्षण नहीं देगें। लेकिन यह बताइये कि कृषि उत्पाद का जो मूल्य है यह वर्तमान बाजार मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूलयों के मुकाबले 60 प्रतिशत ही क्यों है। आखिर किसान ने क्या गुनाह किया है कि इस ग्लोबलाइजेशन के चलते उसको सम्पन्नता नहीं मिले। कृषिजन्य पदार्थों के निर्यात के लिये कोई मुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है। विशेषरूप से अनाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत जब अन्न खरीदता है तो उसको महंगा मिलता है, लेकिन जब वह निर्यात करता है तो उसको सस्ता बेचना पड़ता है। इसलिए कृषि उत्पादन का विकास इसके मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसका विकास कैसे होगा, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा।

कृषि भूमि सम्बन्धी नीति समूचे देश में इस प्रकार की भारत सरकार निर्धारित करे जिसमें प्रदेश सरकारों का भी सहयोग हो, जिससे एक आइडेंटिकल सिचुएशन बने। एक सी नीति होने से सभी प्रकार के किसानों के लिए मूल्यों का निर्धारण करने में इस प्राधिकरण को सहायता मिलेगी।

खेतों की चकबन्दी का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। कुछ राज्यों ने इसको किया है, कुछ ने नहीं किया हैं, लेकिन जहां हुआ है वहां बड़ी बेंइमानी हुई है। इसलिए चकबन्दी एक सी होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित सिचन की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि की गुणवत्ता, उन्नत बीज, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, कृषि विशेषज्ञों की सेवायें संस्थागत संस्थानों से ऋण उपलब्धता, ये सब भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद जब आइडेंटिकल सिचुएशन हो जायेगी तब प्राधिकरण सारे देश के लिए एक सा मूल्य निर्धारित कर सकेगा।

आज बडे और छोटे फार्मों से सिचित और असिसचित भूमि, उन्नत और अनुन्नत ट्रेडिशनल बीज में, जहां सम्पर्क मार्ग हैं वहां और जहां नहीं हैं उन सबको आप एक लकड़ी से हांकते हैं। इसके अंदर जहां सुविधायें नहीं हैं वहां किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जहां सुविधायें है वहां

कम करनी पड़ती है। इन सबका आकंलन करना पड़ेगां सरकार को एक कृषि नीति बनानी होगी तब देश की कृषि का विकास होगा। एक काम्प्रीहेंसिव नीति के माध्यम से ही हम ठीक प्रकार से विपणन कर पायेंगे। लेकिन जब तक यह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तब तक जोन व्यवस्था या वर्तमान सुविधाओं के अनुसार ही हमें मूल्यों का निर्धारण करना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार कृषि अनुसंधान पर बहुत कम व्यय करती है। डा. मनमोहन सिंह जी जब से आये है, उनकी नीतियां भले ही अच्छी हो लेकिन किसानों के लिये बहुत खराब सिद्ध हो रही है। इसका कारण यह है कि मूल्य निर्धारण में जो रिसर्च होना चाहिये था वह IMF और विश्व बैंक के दबाव के कारण नहीं हो पाया है यानि उसकों रोक दिया गया है। उसके लिए धन का आबंटन उपज का आक्कलन बहुत कम करती है इसलिये कहना चाहूंगा कि जब तक यह आर एंड डी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी पर्याप्त धन का आबंटन नहीं होगा, तब तक इस देश की कृषि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। किसानों को इनसैंटेिव मूल्य के आधार पर नहीं दिया जायेगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकेगी। साथ ही यह आवश्यक है कि अनुसंधान की मात्रा में बढ़ोत्तरी की जाये।

जहां तक संस्थागत ऋण की बात है, इसके आकंड़े चौकाने वाले हैं। सन् 1989-90 में 2576 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध किया गया वहां 1990-91 में यह 230 करोड़ रुपयें का ऋण किसानों को दिया गया यानि कृषि व्यवस्था को राम के हवाले कर दिया गया। वर्तमान सरकार द्वारा कृषि के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है जो काफी तकलीफदेह है।

मैं उपभोक्ता बिन्दु पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। देश में 20 या 25 प्रतिशत बड़े किसान हैं और वे इतना पैदा कर लेते हैं कि सरप्लस भी बचा लेते हैं। इस तरह से इस देश मे 14 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार सरप्लस बचा लेते हैं। जबकि देश के 70 करोड़ लोगों को अपनी आवश्यकता के लिये गल्ला खरीदना पड़ता है। साथ ही लघु और सीमांत किसान, ग्रामीण मजदूर और कृषक मजदूरों को गल्ला तो मिलता है लेकिन उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है। इन लोगों को भी साल में 9 महीने गल्ला बाहर से खरीदना पड़ता है। इसलिये प्रक्योरमेंट प्राइस और सपोर्ट प्राइस को डिफाइन करना पड़ेगा जिससे छोटे किसानों को राहत दे सकें और देश की अर्थ व्यवस्था बना सकें। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब प्राइस एक्नामिकल मिलेगी तो निश्चित रूप से किसान पूरे मनोयोग से कृषि करेगा।

मैं CAPC के बारे में भी अपनी बात रखना चाहूंगा। इसने 1991-92 में 250 रु. मूल्य निर्धारित किया लेकिन प्रदेश सरकारें ने कहा कि उनके किसान बगावत कर देंगे इसलिये इसको बढ़ाना होगा। मेरा तो यह कहना है कि सरकार एअर कंडीशंड कमरों में बैठकर मूल्य निर्धारित करती है क्यों कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे काफी चौकाने वाले हैं। यह उनके द्वारा बनायी गयी कागजी व्यवस्था है क्योंकि यह कृषि मूल्य वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। इसमें उन्होनें 30 रु., बढ़ा दिये जिससे किसान बगावत न कर सके, वह मर न जाये। उसके बाद 1992-93 में 285 रू., सुझाया गया लेकिन जब कृषि मूल्य आयोग से कहा गया कि सरकार ने सबसिडी किसानों से छीन ली है तो उसने 305 रू. निर्धारित किया और यह प्रेशर के तहत किया गया। मेरा यहां यह कहना है कि इसमें भी उर्वरकों, कीटनाशक दवाईयां, बीज और भूमि के मूल्य को ठीक प्रकार से देखा जाना चाहिये और इन सब

बातों का विश्लेषण किया जाना चाहिये। आपको जानकर हैरत होगी कि 1989-90 में जब 185 रू. मूल्य निर्धारित किया गया तो जनवरी-फरवरी में उपभोक्ता को 42 रू. अधिक देना पड़ा और इसी प्रकार 1990-91 में 215 रु. क्विंटल मूल्य निर्धारित होने के बाद भी खुले बाजार में उपभोक्ताओं को 120 रु. क्विंटल ज्यादा देना पड़ा। इसी प्रकार 1991-92 में हुआ। दाम तय किया गया 225 रु. लेकिन 203 रु. अधिक उपभोक्ताओं को देना पड़ा। मैं यहां यह कहूंगा कि जो अधिकरण बने हैं, वे उपभोक्ताओं का ध्यान रखें।

और पैदा करने वालों का ध्यान रखें, इसलिये यह आवश्यक है कि इन सारी चीजों का तालमेल बैठाना पड़ेगा। और इन सब चीजों का तालमेल बैठानें के लिये डंकल प्रस्तावों के तहत जो डर पैदा करना चाहते हैं, वह न करें। किसानो को ठीक प्रकार से मूल्य मिले और जो सबसिडी विदड्रा की जा रही है और कमेटी की रेकमेंडेशन्स के माध्यम से दी जा रही है, उस जहर से किसान मर न जाये, लुट न जायें और हमारी अर्थ-व्यवस्था न टूट जायें, इसलिये सरकार के माध्यम से अनुरोध है कि वह इस प्रकार का आयोग बना दे या ऐसी व्यवस्था कर दें कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और उपभोक्ता भी न लुटें। उसको सबसिडी देने की आवश्यकता हो तो दी जाये। उसकी कृषि भूमि का रिसर्च कराया जाये ताकि उसमें उन्नतशील बीज पैदा कर सके। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के साथ भारत के स्थानीय बाजार के मूल्यों में भी तालमेल बैठाया जाये ताकि किसान समृद्ध हो सके। इससे इस देश की अर्थ–व्यवस्था सुधर सकेगी। जैसा कि कहा गया कि डंकल प्रस्तावों से प्रभावित नहीं होंगे और 10 प्रतिशत सबसिडी जारी रहेगी तो उसको रखा जाये। सबसिडी के साथ साथ वित्तीय संस्थानों से लोन की व्यवस्था ठीक प्रकार से रखी जाये जिससे किसान मरने से बच सके।

जैसा कि मैंने आंकड़े बताये हैं, वे चौकने वाले हैं, इसलिये हमें ख्यालों में नही रहना चाहिये क्योकि सन् 2000 तक हम लोगों को 228 बिलियल टन अनाज की आवश्यकता होगी और वह टारगेट हम पूरा नहीं कर रहे हैं। इधर मंत्रीगण और सरकारी अधिकारी अखबारों में लम्बे चौड़े बयान छपवा देते हैं जो वास्तविकता से परे हैं। इसलिये इस बात को ध्यान में रखना होगा अभी माननीय राष्ट्रपति जी के उद्‌बोधन में और संसद में कल ही प्रस्ताव पास करके इच्छा शक्ति व्यक्त की गयी है कि हम किसी भी कीमत पर इस देश में पाकिस्तान द्वारा फैलायी गयी गड़बड़ी का मुकाबला करेंगे लेकिन जब तक अन्न के मामले में आत्म निर्भरता नहीं होगी, तब तक यह देश दूसरे देश से लड़ाई नहीं कर सकेगा। हमें अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है तो इस बात पर ध्यान देना होगा। मैं इस संदर्भ में पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आतंकवादियों का मुकाबला करते हुये अन्न उत्पादन में कमी नहीं आने दी और हर साल उसी अनुपात में पैदा करते आये है। वे यह लड़ाई भी नही हारे है। इसके बावजूद भारत सरकार इस मोर्चे पर विफल रही है क्योंकि गत तीन साल के आंकड़े यह बता रहे हैं। मेरा यह कहना कि जब देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिये इतना बड़ा षड्‌यंत्र किया जा रहा है और कश्मीर में न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देश भी इसमें लगे हुये हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी विघटनकारी शक्तियां हमारी अस्मिता व अखंडता के लिये खतरा बनी हुई है, जहां न केवल बम्बई में हमारी अर्थ व्यवस्था को तहस-नहस करने के लिये हत्यायें की गया, बम विस्फोट किय गये, कलकत्ता में बम विस्फोट किया गया, मद्रास में कार्यकर्त्ताओं पर बम फैंककर आतंक पैदा करने की कुचेष्टा की गयी और कहीं कहीं तो ये सब RDX के माध्यम से हुआ।

आतंकवादी शक्तियां इस देश को फिर से गुलाम बना देना चाहती हैं। अब उनकी कोशिश यही है। जब भारत एक बार औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सका तो अब कृषि उत्पादन पर उनकी निगाहें हैं, जो हमारी आशाओं का केन्द्र है। उस कृषि उत्पादन को गिराने के लिये वे भारत सरकार को कोई विपरीत परामर्श जरूर देंगी और डंकेल प्रस्तावों के माध्ययम से वह परामर्श दिया भी जा रहा हैं जिससे हमारा कृषि उत्पादन बढ़ न सके लेकिन मैं पुनः इस बात को कहना चाहुंगा कि भारत सरकार को अपनी सारी नीतियों का एक बार सिंहावलोकन करना चाहिये और सोचना चाहिये कि जितना पैसा हमने औद्योगिक विकास के लिये खर्च किया, काश उससे आधा पैसा हमने कृषि विकास के लिये खर्च कर दिया होता, इस देश में सिंचाई की व्यवस्था करने में खर्च कर दिया होता, तत्कालीन सिंचाई मंत्री डा. वी.के.एल. राव के उस सुझाव को मान लिया होता जिसमें उन्होंने गंगा को कावेरी से जोड़कर एक करघनी नहर बनाने की बात कही थी, यदि हमने वह करघनी नहर नही बना दी होती तो वह भारत माता की कमर में करघनी की तरह काम करती और वह इस देश को खुशहाली प्रदान करने में सहायक होती, वह इस देश में इतनी हरित क्रांति ला देती कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक और आसाम तक समूचा भारत अन्न का भण्डार बन जाता और हम न केवल भारत की आवश्यकता को ही पूरा कर पाते बल्कि समूचे विश्व को खिलाने में समर्थ हो जाते।

इसलिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि देश की अर्थ व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है, अतः कृषि उपज के मूल्यों के निर्धारण के लिये कोई ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था देश में जरूर बनायी जानी चाहिए जिसके माध्यम से किसानों का भी उत्पीड़न न हो सके, उपभोक्ताओं का भी उत्पीड़न न हो सके और भारत की अर्थ व्यवस्था भी ठीक प्रकार से चल सके। उसके साथ ही भारत में अन्न का भण्डार बन सके। मूल्यों का निर्धारण तभी होगा जब गल्ले का भरपूर उत्पादन होगा। उसके लिये, वैसी ही ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की संरचना, कृषि की संरचना करने वाली नीति बनानी होगीं इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन में स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाने के लिए मैं श्री भगवान शंकर रावत का धन्यवाद करता हूं इसके फलस्वरूप कृषि संबंधी कीमतों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर मिली है। उन्होनें अपने भाषण में इस बारे में अपनी पार्टी के चुनाव घोंषणा पत्र के सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं उन के निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत हुं, उदाहरण के लिए कृषि उपज की कीमतों के नियतन के लिए एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। आप जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हम हरित क्रानित को सफल बनाने के लिए कृषक समुदाय के प्रति कृतज्ञ हैं।

1951 में भारत ने पंचवर्षीय़ योजना युग में प्रवेश किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करते समय हमारा उत्पादन क्या था ? यह 55 मिलियन टन था, और अब यह 300 प्रतिशत अधिक हो गया हैं। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी अर्जित नहीं किया है या हमें डंकल का भूत हर जगह दिखाई

देता है तो यह उपयोगी नही होगा।

हमारे यहां कृषि लागत तथा मूल्य आयोग है। रावत जी ने यह प्रस्ताव किया है कि इसके स्थान पर एक प्राधिकरण होना चाहिए। हमारे किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चत किए जाएं। महोदय, समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। सरकार यह नहीं कहती कि इससे अधिक मूल्यों पर बाजार में कोई लेन-देन नही होना चााहिए लेकिन बाजार में इस दर से कम मूल्य पर कोई लेन–देन नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलेगी। अतः यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद हम अन्दरूनी क्षेत्रों में कृषि उपज की मजबूरन बिक्री के बारे में सुनते हैं। इस रोका जाना चाहिए।

महोदया, आजादी के बाद पहली बार गत दो वर्षों के दौरान कृषि उपज के समर्थन मूल्यों में वृद्धि हुई है। गत दो वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। डा० जाखड़ सहमत नहीं थे। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को रद्द कर दिया। उन्होंने सिफारिश से अधिक की अदायगी की है। इसी कारण, कुछ क्षेत्रों से आलोचना की हुई। मुख्य समाचार पत्रों में सम्पादकीय लिखे गये कि सरकार कृषक समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। किसी व्यक्ति के पक्ष में झुकने की बजाय सरकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में सन्तुलन रखने का प्रयास कर रही है जो कि नाजुक कार्य है। हमारे यहां उत्पादकों के साथ साथ गरीब उपभोक्ता भी है। अतः मैं यह भी कहूंगा कि आयोग का आधार व्यापक होना चाहिए। कुछ प्रतिनिधियों को आयोग में शामिल किया जाए। मैं नहीं जानता कि श्री रावत के सुझाए गए उपायों से ये सब बातें कैसे सुधरेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि एक प्राधिकरण जैसी परिषद हो जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो। इसमें अन्य प्रतिनिधि अर्थात संसद सदस्य तथा अन्य अधिकारी भी शामिल होने चाहिए। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो यह पूर्वोत्तर राज्यों की एक छोटी विधान सभा जैसी बन जाएगी। तब पुनः उसको छोटी समितियों बनानी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि इस आयोग को ही और मजबूत क्यों नहीं बना दें। यदि आवश्यक हो तो वे इधर-उधर जाकर जानकार लागों से कह सकते हैं कि समितियों के समक्ष अपने साक्ष्य रखें। वे अपने सुझाव दे कि यह व्यवहार्य कार्य है या नहीं। आप श्री रावत के विधेयक की धारा 11 को देखें। निःसन्देह बुवाई का मौसम शुरू होने से पूर्व घोषणा होनी चाहिए। मैं सरकार की नीति से सहमत हूं। कभी-कभी देरी हो सकती है लोगों को बुवाई मौसम से पूर्व उन कृषि उत्पादों के मूल्यो का पता होना चाहिए जिनका उत्पादन वे करने जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि अगर किसी को शिकायत है तो वह भारत सरकार के समक्ष जाएगा और अपील करेगा।

मैं इस विधेयक की इस भावना से सहमत हूं कि कोई शोषण नहीं होना चाहिए। इन सभी के लाभप्रद मूल्य होने चाहिए। फिर भी हमारे यहां इस संबंध में एक तथ्य है जिसे और मजबूत बनाया जाए।

मैंने स्वयं को समझाने का प्रयास किया लेकिन मैं इस विधेयक के ब्यौरे से सहमत नहीं हो सकता। इस स्थिति की कल्पना कीजिए। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि कुछ अच्छे किसान, अमीर किसान कृषि नहीं करना चाहते वे तृतीय श्रेणी की नौकरी के लिए भी प्रयास करते हैं। यदि आप उनसे इस बारे में पूछें तो वे कहते हैं कि कृषि का कार्य करने में कोई गरिमा नहीं है। यह प्रश्न हम सब को स्वयं से करना चाहिए। यह गरिमा का प्रश्न है।

वैज्ञानिक आधार पर मूल्य तय करते समय हमें कृषक परिवार के जीवन स्तर का भी अनुमान लगाना चाहिए, इसे ध्यान में रखना चाहिए। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी 2000 रुपये प्रति माह और 2,4000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त कर रहा है। यह इसमें से कुछ भी व्यय नहीं करता। लेकिन हमारे देश में कितने कृषक परिवार कृषि से इतनी आय प्राप्त कर रहे है? इसकी प्रतिशतता 3 या 4 अथवा 5 होगी। यह आय कृषि कार्यों पर सभी व्यय घटाने के बाद प्राप्त होती है उसे यह कुल आय प्राप्त होती है। कितने कृषक परिवार प्रतिवर्ष 20,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं ? हमें इसी प्रकार यह तुलना भी करनी है।

जनसंख्या हर वर्ष 2-2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। हमारे समक्ष यह चुनौती पूर्ण स्थिति है। हमें अनेक लोगों का पेट भरना पड़ता है हर वर्ष इसमें वृद्धि हो जाती है लेकिन जमीन तो उतनी ही रहती है। इस प्रश्न का उत्तर यह है दि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाए और जनसंख्या में वृद्धि को रोका जाए। हम भूमि की उत्पादका कैसे बढ़ा सकते हैं ? भूमि सुधार है इनके तहत चकबन्दी इत्यादि आते हैं। इसके साथ ही हमें अधिक उपज वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाना है। सिचांई को प्राथमिकता दी जाए। भूमि का हर इंच सिंचित हो और दो से अधिक फसल उगाने में समर्थ हो। फिर, उर्वरक इत्यादि का प्रश्न है। इससे अनेक बातें जुड़ी हैं। फिर फसल बीमा योजना का प्रश्न है। इन उपबन्धों के होते हुए भी कृषि में जोखिम अत्यधिक है। फसल बीमा योजना को मौटे तौर पर लागू किया जा रहा है। इस कार्य में जो भी खामियां, कमियां हैं उन्हें दूर करना है, हमें फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। वसूली के संबंध में जब भी निर्गम मूल्य का प्रश्न होता है और अगर उन्य मूल्य में वृद्धि होती है तो वसूली मूल्य भी बढ़ जाता है और समर्थन मूल्य भी बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप निर्गम मूल्य में वृद्धि होती है। तब घाटे के सन्तुलन की स्थिति काफी अस्पष्ट हो जाती है, कुछ सीमा तक राज्य सहायता दी जा सकती है यह दी जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास और विस्तार के कारण, वृद्धि के बाबजूद, राज सहायता के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में वृद्धि हो रही है। इसलिए आप सरकार के ईरादों पर प्रश्न नहीं कर सकते, वे सदैव सहायता करने को तत्पर हैं तथा गरीब किसानों की वे सच्चे मन से सहायता करना चाहते हैं।

इसी प्रकार ऋण तथा अन्य सुविधाओं को लीजिए। जब हम एक काश्तकार को ऋण दें तो यह रियायती शर्तों पर दिया जाना चाहिए।

फिर ऋण माफी योजनायें हैं परन्तु मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इसके कारण यह मामला और उलझ गया है। मुझे इसकी जानकारी है कि अनेक किसान ऋण अदा करने के लिए तैयार थे परन्तु उन्हें बैंक वालों ने उस समय नीति में परिवर्तन करना ऋण व अदा करने के लिए कहा। इसलिए वे न यहां के रहे न वहां के। उन्हें पुनः इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सका, उनके बिना किसी दोष के कारण ब्याज की दर भी बढ़ गई है। कम से कम ब्याज की राशि माफ की जानी चाहिए। ऐसे ऋणों को आसान किश्तों में अदा करने का प्रावधान होना चाहिए। इसी प्रकार हमें कृषि संघ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ानी होगी। लाभकारी मूल्य देने होंगे लाभकारी मूल्यों से मेरा तात्पर्य यह है कि किसानों के पास कुछ पैसा बचा भी रहे। किसानों को अपने

पारिवारिक खर्च के अतिरिक्त अपनी भूमि को सुधारने इत्यादि पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए हर वर्ष थोड़े बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है।

हमारे देश की वर्तमान प्रणाली कुछ ऐसी है कि अगर किसी के चपरासी की नौकरी भी मिल जाती है तो उसे छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय विद्यालय इत्यादि अनेक लाभ मिलते हैं। परन्तु कृषक समुदाय की स्थिति कैसी है ? उन्हें भी चिकित्सा खर्च की प्रति पूर्ति मिलनी चाहिए अथवा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा इत्यादि लाभ मिलने चाहिए।

हमें अपने समाज में ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होगी जिसमें किसान अपने आपको उपेक्षित महसूस न करें, उनके किसान होने के कारण तथा सरकारी कर्मचारी न होने के कारण इन मूल सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।

मैं इस विषय पर और अधिक नहीं बोलना चाहता परन्तु कृषक समुदाय से हमारी अत्यधिक सहानुभूति है क्योंकि मूलतः हमारा देश एक कृषि प्रधन देश है। जब तक हम कृषि की दशा में सुधार नहीं लाते हैं तथा हमारे समक्ष जो कार्य हैं उसे पूरा नहीं करते हैं अर्थात् बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाना तथा जनसंख्या के अनुपात में उत्पादकता में वृद्धि करना अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तो जिस प्रकार की स्थिति आगे चल कर पैदा होगी तथा जिस स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा, वह काफी गंभीर होगी। यह बात हम सब के सामने स्पष्ट है। यह कार्य हमें दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा।

मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गये भाषण के निष्कर्षों से मैं सहमत हूं, इस के बीच उन्होनें जिन बातों का उल्लेख किया तथा परिषद का प्रावधान जो उन्होंने दिया है, उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नही होगी। इस आयोग के द्वारा हम कुछ हद तक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, परन्तु कुछ न कुछ सुधार अवश्य होना चाहिए तथा उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, इसी प्रकार हमें अपनी वर्तमान प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से सुधार लाना चाहिए ताकि किसानों को शोषण से बाचाया जा सके तथा लाभकरी मूल्यों की समय पर घोषणा की जा सके। तत्पश्चात् इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सारे देश में किसानों के मूल्यों की अदायगी सुनिश्चित की जाये, अन्ततः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय सभापति महोदय जी, मै श्री भगवान शंकर रावत जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हू। हमारे मित्र नेता पाणिग्रही जी को इस प्रस्ताव के बारे में ऐसा एहसास हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसको बाईपास करके एक ऐसे प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग की जा रही है, जो उसकी सारी संस्तुतियों को निरस्त करता जायेगा और एक अलग से स्वायतशासी संगठन जैसी चीज होगी।

लेकिन यह एक अलग से कमीशन नियुक्त करने की बात है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए अभी जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, वस्तुतः जो लागत आती है, उसके आधार पर थोडा बहुत इधर-उधर के आंकड़े निकालकर एक

नीति निर्धारित करता है, भाव तय करता है और अभी तक का अनुभव यह है कि उसके द्वारा निर्धारित मूल्य को प्राप्त करने पर इस देश के किसान की हालत दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। हमारे देश की कृषि जब तक मुनाफेदार नहीं होगी, कृषि के कार्य में लगे हुए लोग पूर्णकालिक नहीं होंगे, तब तक हालत नहीं सुधरेगी।

आज हमारा दुर्भाग्य है कि जो संसद सदस्य है, वही इस देश का कृषक है। जो अध्यापक है, वही कृषक है। जो किसी अन्य धन्धे में, व्यापार मे, विजनेस में अपने स्पेशल स्टेटस को और अपने इकोनोमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए कहीं पर फार्म खरीद लेता है, वही इस देश का कृषक है और उसके लिए कृषि पूर्णकालिक है। यह उसके लिए एक फैशन है और एक साइड जाब है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस देश की कृषि मुनाफेदार नहीं है और जब तक कृषि पूर्णकालिक नहीं होगी, तब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी। कृषि पूर्णकालिक तभी होगी जब उसमें कुछ राहत और मुनाफा देखने की चीज आयेगी।

पाणिग्रही जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य भारत सरकार ने पिछले एक डेढ़ वर्ष में काफी बढ़ाये हैं लेकिन पाणिग्रही जी उसका केवल एक पक्ष रख रहे हैं। कृषि निवेश कितना बढ़ा है, इसके एक पक्ष को उन्होने भुला दिया। पिछले साल मैंने एक सवाल किया था कि कृषि निवेश से जो 30 फीसदी किसान की लागत अकेले उर्वरक की होती है, जो कुछ भी वह निवेश करता है, और पिछले दो ढाई वर्षों में जब से यह सरकार आई है, उर्वरक के दाम 55 फीसदी से लेकर 65 फीसदी तक बढ़े हैं। उसी की साथ-साथ उसके दाम चूंकि बढ़ गये, इसलिए फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग भारत सरकार के ही आंकड़ों के हिसाब से 40 फीसदी किसान ने पिछले साल कम कर दिया और इस साल के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

जब नई औद्योगिक नीति इस देश में 1991 से लेकर 1992 के बीच में आई और उस बीच में जो रासायनिक उर्वरकों के दा बढ़े, उसके चलते डी ए पी और एम ओ॰पी खादों का निवेश कृषि में 40 से 45 फीसदी घटा है। उसका एकमात्र कारण यह था कि उसकी लागत बहुत बढ़ती चली गई और किसान उसको देने की स्थिति में नहीं था। मजदूरी का लागत बढ़ी और 200 फीसदी तक पेस्टीसाइड्स के दाम पिछले दो वर्षों में बढ़े हैं। जो कीटनाशक कृषि में उपयोग होते हैं, उनकी कीमतें पिछले दो साल के भीतर 200 परसेण्ट से अधिक बढ़ी हैं, यह मेरा कहना है। भारत सरकार उस सिलसिले में कुछ भी करने की स्थिति में नही है। प्रधान मंत्री जी ने सही तौर पर कल स्वीकार किया कि हमारे देश में डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. बहार से ही मंगाने होंगे, क्योंकि उसका रा मैटीरियल हमारे देश मे उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि मोर ओर लैस हिन्दुस्तान में जो दूसरी उर्वरक हैं, जैसे यूरिया, उसमें हम सैल्फसफीशिएण्ट हो गये हैं या होने की स्थिति में हैं उस समय बहस करने की स्थिति नहीं थी लेकिन उनकी संस्थापना को मैं चुनौती देना चाहता हूं। पिछले दो ढाई वर्षों में जितनी FCI की युनिट्स थी, 12 युनिट्स इस समय देश में बन्द हैं, जिनमें यूरिया तैयार होता था। अब इस देश में बाहर से ही यूरिया मंगाना पड़ेगा। धीरे-धीरे यह हालत होगी, भारत सरकार के अनुसार कि हमारे जो स्वदेशी रासायनिक उर्वरक है, उसके मुकाबले में बाहर से आया हुआ उर्वरक सस्ता पड़ेगा। कहने के लिए सरकार कहती है और इसीलिए कहती है कि आयात करके हम सस्ता उव्ररक किसानों को देंगे, क्योकि स्वदेशी उर्वरक महंगा पड़ रहा है और हम आयात करके उर्वरक देने की स्थिति में हैं।

आगे होगा क्या ? जिस रास्ते पर विदेशी व्यापार समझौते के तहत भारत में हमने सारे बैरियर्स खोल दिये हैं, एक समय आयेगा, जब भारत के सारे उर्वरक के उद्योगों को माने के लिए विदेशी कम्पनियां उसकी कीमत को एक सीमित समय तक मर्यादित ओर सीमित रखेगी।

जब आपके सारे कारखानों का उत्पादन बन्द हो जायेगा, उसकी कीममत मनमानी हो जायेगी।

(व्यवधान)

पिछले साल राष्ट्रपति साहब के धन्यवाद प्रस्ताव में और अपने भाषण में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हो गया। हमने अपने देश में एक करोड़ तीस लाख टन चीनी तैयार कर ली। मगर इस साल क्या हो गया, 20 लाख टन चीनी का उत्पादन कम हो गया और इसलिये कम हुआ कि पिछली साल जो मारा-मारी हुई, गन्ना उत्पादकों को समय पर मूल्य नहीं मिला। उनको संघर्ष करना पड़ा, गोलियां चलीं किसानों के बड़े-बड़े आन्दोलन हुए, नतीजा यह हुआ कि किसान ने गन्ने में पूंजी निवेश करना और गन्ने का उत्पादन करना कम कर दिया। इस साल स्थिति यह है कि चीनी 20 लाख टन के आसपास यदि बाहर से आयात नहीं करेगे तो उपभोक्ता को खिलाने की स्थिति अपने उत्पादन से इस साल चीनी की नहीं है।

महोदय, 124 परसंट साल भर में प्याज के दाम बढ़े हैं, 65 परसंट दाम चने के बढ़े हैं। आलू के दाम भी इसी तरह 54-55 परसंट बढ़े हैं। जब एक साल दाम बढ़ जाता है, जब किसी उपज में मुनाफेदार कीमत मिलती है तो किसान का सारा रूझान उस फसल का बोने में हो जाता है। बाजार में भारी संख्या में उत्पादित वस्तुएं आ जाती हैं नतीजा यह होता है कि बाजार में उसकी मिट्टी के मोल अपने सामान को बेचना पड़ता है। उसको जब घाटा होता है तो वह बेचना बंद कर देता है। नतीजा यह है कि इस देश में कृषि की समन्विति उपज खत्म हो गई है, एक समर्थन मूल्य की समन्वित नीति न होने से किसान की जो उपज है वह समन्वित ढ़ंग से नहीं हो रही है, नतीजा यह है कि एक साल गन्ने की कीमत अच्छी मिलती है, उतपादन अधिक करता है उस साल आप उस तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरे साल गेहूं की उपज प्रभावित हो जाती है आपको बाहर से गेहूं मंगाने की स्थिति आ जाती है ये सारी एनोमली को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि एक स्थाई उच्चाधिकार प्राप्त, एक ऐसा प्राधिकरण बने जिसमें उपभोक्ता के भी प्रतिनिधि हो। उपभोक्ता की स्थिति को देखते हुए उसके मूल्य का निर्धारण करें। उसमें किसानों के प्रतिनिधि हो उसकी अपनी हैसियत को देखते हुए कि उसकी अपने केवल उस उपज का मूल्य नहीं, उसकी अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये कितने पैसे की आवश्यकता है उसको अपने साधारण जीवनस्तर को बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यकता है। केवल लागत आधार नहीं होना चाहिए, मूल्य निर्धारित करते समय किसान की स्वयं की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिये। इसलिये उस निगम में, उस प्राधिकरण में किसानों के भी प्रतिनिधि हों। उसी के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हों जो कृषि में निवेश के संपूर्ण आंकड़े तैयार करें और उसकी लागत के ठोस व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार को तैयार करके बतला सके ओर उसी के साथ-साथ भारत सरकार के भी प्रतिनिधि उस प्राधिकरण में हों और जब चारों प्रतिनिधि होंगे तो उनके प्रतिनिधि मूल्य को सही दिशा में निर्धारित करने का काम कर सकेंगे।

इस दृष्टि से रावत जी का यह सुझाव बहुत ही उचित और जायज है और उनका मैं पुरजोर और पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदया, मैं श्री रावत का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ कृषि पर आधारित जनसंख्या बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है।

हमारे देश के किसान उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश फिर भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसा क्यों ?

5.00 म०प०

हमारी ग्रामीण जनसंख्या में विभिन्न वर्ग हैं कृषि मज़दूर हैं जो बहुत निर्धन हैं वे अपनी सम्पूर्ण उत्पादक क्षमता का प्रयोग कृषि मजदूर के रूप में दूसरों का कार्य करने के लिए कर रहे हैं। किसान हैं वे भी बहुत निर्धन हैं। कृषि मजदूर तथा गरीब किसान सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत हैं। यद्यपि उत्पादन में उनकी भागीदारी हैं लेकिन अपनी श्रम शक्ति के अलावा बाजार में बेचने के लिए उनके पास बहुत ही कम अतिरिक्त अन्न बचता है। फिर, कुछ अमीर और मध्यम वर्ग के किसान हैं जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत हैं और उनके पास बाजार में बेचने के लिए कुछ उत्पादन होता है। बड़े जमींदार भी हैं। यद्यपि वे उत्पादन में स्वयं भाग नहीं लेते लेकिन उनके पास बाजार में बेचने के लिए काफी फालतू उत्पादन होता है। अतः अमीर किसान, मध्यम वर्गीय किसान, कृषि मजदूर तथा गरीब किसान कृषि उत्पादन में काफी उत्पादन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में काफी अन्तर है। किसान उत्पादन करते हैं और अपने उत्पादों को बाजार मे बहुत कम मूल्य पर मजबूरन बिक्री के रूप में भी बेचते हैं जबकि इससे बने औद्योगिक माल को किसानों को बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। यह स्वाभाविक है कि इसे सन्तुलित किया जाए।

मैं अपने साथी श्री मोहन सिंह से पूर्णतः सहमत हूं कि कृषि आदान के मूल्य हर रोज बढ़ रहे हैं। उर्वरकों के मूल्यों बिजली के प्रकार, कीटनाशक के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, सिंचाई के पानी और बाकि सब चीजों के प्रकार भी बढ़ रहे हैं। अतः कृषि उत्पादों के मूल्य तय करते समय इन सभी पहलुओ को ध्यान में रखा जाए ताकि इन कृषि आदानों का वास्तविक मूल्य किसानों को अदा किया जाए। किसान विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादान पर अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। कुछ गन्ना, तो कुछ तम्बाकू, अन्य कपास ओर सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इन वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नही है। कभी-कभी मूल्य बहुत कम हो जाते हैं और इससे किसान अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें सब कुछ खोना पड़ा ऐसी खबरे भी हैं कि कुछ स्थानों पर जब उत्पादन मूल्य एमदम बहुत कम हो गए तो किसानों के पास बैंकों तथा महाजन से लिए ऋण की अदायगी का कोई विकल्प नहीं था और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये बातें हो रही हैं। हमारे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नही मिल रहा है। मैं अनेक उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं। हमारे पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में पटसन का उत्पादन अथवा किसानों को वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा। एक सरकारी एजेंसी भारतीय पटसन निगम है। उत्पादन बहुत ही अधिक है। लेकिन जब वे बाजार

में जाते हैं तो ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो उनके उत्पाद को खरीदे और उन्हें अपना माल कोड़ियों के दाम बेचना पड़ता है। किसानों को हानि उठानी पड़ती है। किसानों के हितों की आवश्यक रूप से सुरक्षा करने के लिए सरकार की एजेंसी अत्यधिक सक्रिय होनी चाहिए ताकि किसान हतोत्साहित न हो।

फिर, सब तरह की पाबन्दियां हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक निश्चित नीति तय करनी चाहिए। यह कहा जाता है कि हरित क्रान्ति के कारण अनेक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है ? अब यह कहा जाता है कि जिन विशेष क्षेत्रों में हरित क्रान्ति शुरू की गई थी वहां वृद्धि दर में कमी आई है। यह बात सरकार की रिपोर्टों में कही गई है।

कुछ स्थानों पर जहां भूमि वितरण किया जा रहा है, वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य राज्यों की तुलना में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में ऐसा है। इसलिए मैं समझता हूं कि कृषकों तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के लिए कुछ उपाय करने के साथ-साथ देश भर में भूमि का वितरण उचित तरीके से किया जाए क्योंकि हमारे उद्योग, संस्कृति, के विकास तथा हमारी ग्रामीण जनसंख्या विशेषकर किसानों के उत्थान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के साथ ही देश भर में भूमि वितरण के लिए उपाय करने के साथ साथ कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिसके तहत न सिर्फ कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि हमारे समाज का भी विकास भी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदया, मैं अपने मित्र श्री भगवान शंकर रावत का आभारी हूं कि यह विधेयक लाने मे उन्होंनें पहल की।

मैं विस्तारपूर्वक बोलने की बजाय यह मत रखना चाहता हूं विधेयक के उद्देश्य को सभा के सभी वर्गों का समर्थन है।

5.09 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे पास श्री जे. चोक्का राव की रिपोर्ट है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री चोक्का राव ने इस सभा में यह रिपोर्ट पेश की है जो इस विधेयक के बुनियादी मुद्दे की पूर्णतः पुष्टि करती है।

महोदय, हमारे देश के किसान अनेक कठिनाईयों का सामना करते हैं। मौसम की शरारत के अलावा मैं एक और शरारत विशेषकर वस्तुओं के मूल्यों में उतार चढ़ाव के बारे में बोलना चाहूंगा। समिति ने अनेक आंकड़े देकर कहा है कि एक वर्ष के दोरान 0.1 से 13.8 तक अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा है और विनिर्मित उत्पादों में यह 8.7 से 11.1 तक है और बाकि वस्तुओं में इसमें 7.3 से 13 तक भिन्नता है। मुख्य मदों के मामले में यह और अधिक असंतोषजनक है और निराशाजनक है।

यह भिन्नता 2.1 से 16.6 तक है और हमारे देश मुख्य मदों का आमतौर पर किसानों द्वारा उत्पादन होता है। इसलिए कृषि उत्पादो के मूल्यों में यह अत्यधिक उतार–चढ़ाव किसानों की कठिनाइयों में बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय मैं इस रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

"मुख्य आदानों के आर्थिक मूल्य चिन्ता का कारण है। उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने के कारण उर्वरकों के थोक मूल्य सूचकांक में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सिचांई के लिए बिजली की दरों मे 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हाईस्पीड डीजल तेल के मूल्यों में भी 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है। और लाइट डीजल तेल में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्नेहक उत्पादों के मूल्य में भी 25 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अन्य विनिर्मित मदों जैसे खाद्य उत्पादक, तम्बाकु उत्पाद, कपड़ा, रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद, टैक्टर, साइकिल इत्यादि के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।"

अब किसानों की कठिनाईयां मुख्य रूप से कृषि आदानों के मूल्यों में इस वृद्धि के कारण है और कृषि उत्पादों में इस वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इस संबंध में मैं व्यापार शर्त का उल्लेख करता हूं। एक कार्य दल गठित किया गया है और सी ए सी पी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कहलो इसके अध्यक्ष हैं मैं नहीं जानता कि उन्होंनें अभी तक इन व्यापार शर्तों पर कोई रिपोर्ट पेश की है। जहां तक मेरी जानकारी है, कृषि और उद्योग के बीच व्यापार शर्तों" पर कोई विश्वसनीय आकड़ा नहीं है। 1970 के मध्य से 1990 तक "व्यापार शर्त" कृषि के प्रति प्रतिकूल रही है। मैं समझता हूं कि हम सब यह जानते हैं और इसी कारण से हमारे देश के आधिकांश लोगों के लिए कृषि लाभप्रद व्यवसाय नहीं है। व्यापार शर्त का मतलब है किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य तथा अदा किये गए मूल्य में अनुपात। यह कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच सम्पूर्ण विनिमय दर दर्शाता है। यह आमतौर पर कृषि क्षेत्र की आय और इसके अनुपात में क्रय शक्ति दर्शाता है। इसके फलस्वरूप हमें कृषि के आर्थिक स्वास्थ्य तथा अपने किसानें की मांग की संभावित क्षमता का पता लगाने में सहायता मिलती है।

व्यापार शर्त के वास्तविक सूचकांक के बगैर हम अपने में कृषि के बेहतर स्वास्थ्य के बारे में नहीं कर सकते। इस चर्चा के माध्यम से मैं चाहता हूं। कि सरकार उद्योग और कृषि के बीच वास्तविक व्यापार शर्त लाने का दायित्व वहन करें। इसके फलस्वरूप हमें यह समझने में बहुत मदद मिलगी कि देश में कृषि की मौजूदा स्थिति क्या है।

मुझे प्रसन्नता है कि रिपोर्ट मे कृषि में राज सहायता की अनिवार्यता की पुष्टि करने और इसकी निरन्तर जरूरत पर काफी योगदान किया गया है जबकि सरकार राजसहायता कम करने और अन्ततः समाप्त कर देने का निश्चय किए हुए हैं। इकॉनिमिक एंड पोलिटिकल वीकली पत्रिका में प्रकाशित 1989 में श्री गुलाटी के एक लेख में कहा गया है कि हमारे देश में राजसहायताएं कृषि उत्पाद की कीमत का लगभग 15% है।

हो सकता है कि पिछले तीन–चार वर्षों के दौरान राज सहायता में कमी आने से इसमें और गिरावट आई हो। उत्पादक राजसहायता सममूल्य के माध्यम से यही बात सामने आई कि भारतीय किसानों को राजसहायता देने की जगह उन पर 2.33% कर लगाया जाता है। वास्तव में, कृषि के लिए राज सहायता नहीं दी जा रही है बल्कि उस पर कर लगाया जा रहा हैं इसके विपरीत, विकसित राष्ट्रों में किसानों की पर्याप्त राज सहायता दी जाती है जैसे जापान में 72.5%, यूरोपीय समुदाय के देशों में 37%, सयुंक्त राज्य अमरीका में 26.2%, कनाडा में 33.5% और आस्ट्रेलिया में 10.3%

राज सहायता दी जाती है। विकसित राष्ट्रों में दी जाने वाली कृषि राज सहायता का पूर्ण ब्यौरा रिपोर्ट में दिया गया है। हमारी राज सहायता की मात्रा 15% से अधिक नही हाती है। वस्तुतः इसे और घटाकर 10% कर दिया गया है। एक ओर जब अन्य देश 72.5% तक राज सहायता दे रहे हैं तब दूसरी ओर हम इसे कम कर रहे हैं। मेरे विचार से यदि राज सहायता के बारे में सरकार की नीति नहीं बदलती है तो हम कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं ला सकते हैं।

मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि राज सहायता के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की जाए और यह देखें कि कृषि को समुचित राज सहायता दी जाए तथा हम इसे घटाने, समाप्त करने की बात नहीं करें।

1990 में सयुंक्त राज्य अमरीका के किसानों को 47 मिलियन डालर की राजसहायता दी गई थी और 28 मिलियन डालर का अतिरिक्त लाभ उन्हें उपभोक्ताओं द्वारा अधिक दाम देने से प्राप्त हुआ था। गैट समझौते और डंकल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कर हम राज सहायता कम करने के लिए तैयार हो गए। आप 10 वर्षों बाद राज सहायता समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। स्वाभवतः, इससे हमारे देश की कृषि बर्बाद हो जाएगी। देश की कृषि नीति की समीक्षा करने के लिए कृषि उत्पादों के लाभकरी मूल्य निर्धारण करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश के किसानों की गरीबी बढ़ती जाएगी। यदि कृषि बर्बाद होगी तो उद्योग भी नहीं चल पाएंगे। मैं आयात-निर्यात नीति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

डंकल प्रस्तावों के अंतर्गत हमें बाहर से 3-4% खाद्यान्न आयात करना ही होगा, चाहे हमारे पास खाद्यन्नों का अतिरिक्त भंडार ही क्यों न हो। औसतन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन लगभग एक मिलियन टन है। इसके 3% का अर्थ है 30 लाख या 40 लाख टन यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न हैं, तो हम इसका आयात क्यों करें ? यदि हमें बाहर से खाद्यान्न आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कीमतें कैसे स्थिर होंगी और किसानों को लाभकरी मूल्य कैसे दिए जाएंगे ?

इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस नीति पर पुनः विचार करें और कतिवय ऐसे कदम उठाएं जो हमारे देश के कृषि उत्पादों के लिए लाभकरी मूल्य दिलाने में सहायक हों। सी०ए०सी०पी० आज आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। और सी० ए० सी० पी०के विकल्प के लिए सुझाव दिया गया है जो मेरे विचार में बहुत अच्छा सुझाव है कि 'गैट' और डंकल प्रस्तावों के कारण विनाश, आर्थिक तथा राजानीतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि वस्तुओं के लाभकरी मूल्य नियत करने के लिए एक अन्य प्राधिकरण बनाया जाए और हमारे देश को आत्म-निर्भर तथा समृद्ध बनाने और इसकी स्वतंत्रता को अधिक स्थिर और सुदृढ़ करने के लिए कृषि वस्तुओं के मूल्य नियत किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव आप समय का ध्यान रखिए क्योंकि अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद सबसे पहले मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता श्री भगवान शंकर रावत, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, को इस सभा में यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। कृषि उपज कीमत नियतन

प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत कर उन्होंने इस सभा को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर दिया है।

जैसा कि आप जानतें हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे लगभग 70% व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से और शेष 30% अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के रूप में इससे जुड़े हुए हैं।

वास्तव में, किसानों के अपने अलग विचार हैं। जैसा कि आप और मेरे मित्र श्री चौहान और प्रत्येक व्यक्ति जानता है किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसान महसूस करते हैं कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वह लाभकरी नहीं है और सरकार कहती है 'नहीं' हम हर बात का ख्याल रख रहे हैं। हम वैज्ञानिक ढंग से गणना कर रहे हैं और सी०ए०सी० पी० की सिफारिशों के आधार पर मूल्यों की घोषणा कर रहे हैं। कभी-कभी जब मूल्य बढ़ाए जाते हैं तो प्रेस, जो पूंजीपतियों के हाथ में हैं, में यही कहा जाता है कि "सरकार केवल वोटों के लिए किसानों की सहानुभूति लेना चाहती है।" वे इस बात से सहमत नहीं होते कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उपभोक्ता महसूस करते हैं कि उन पर अतिरिक्त भार है। आप जानते होगें कि राजधानी के उपभोक्ता, बिहार, राजस्थान या अन्य अनेक शहरों के उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें प्रति व्यक्ति दस कि० ग्रा० तक सामान मिल जाता है और राज्यों में प्रति व्यक्ति 700 ग्राम सामान भी नहीं मिलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर भिन्न–भिन्न व्यक्ति भिन्न–भिन्न तरीके से सोचते हैं। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। यह आयोग कार्य कर रहा है। मेरे मित्र श्री रावत जिस कारण यह गैर-सरकारी विधेयक लाए हैं। मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस सी०ए०सी०पी० में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'कृषि मूल्य नीति-एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य' में सरकार ने कहा है :

"आयोग न केवल किसी विशेष वस्तु के संपूर्ण आर्थिक ढांचे की विस्तृत संवीक्षा की ओर ही ध्यान देता है, बल्कि निम्नलिखित अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी ध्यान देता है: उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान-उत्पादन मूल्यों में समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति, अंतर-फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, समान्य मूल्य–स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति और दिए गए मूल्यों तथा प्राप्त नूल्यों के बीच समानता।"

मैं यह कहना चाहती हूं कि यह मात्र दिखावा है। यह केवल कागजों पर ही है। इसे कभी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। मैने जो मदें पढ़ी हैं, उनमें से अनेक अन्य औद्योगिक उत्पादों के संबंध में बिल्कुल विपरीत हैं और इनका लोंगों पर काफी प्रभाव पड़ा है। अतः अनेक तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। विनिर्माता और उत्पादक ही अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है और कृषकों के मामले में सरकार मूल्य निर्धारित करती है। मेरा यह कहना है कि इस कारण उत्पादन का मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक किसान के लिए, सिचिंत और असिचिंत क्षेत्र के लिए अलग–अलग होता है। इसमें एकरूपता नहीं है।

जोखिम के तथ्य पर विचार नहीं किया गया। हम जानते हैं कि आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तटीय क्षेत्रों के किसान तूफान, ज्वार-भाटे का सामना करते हैं और अन्य अनेक राज्यों के किसान सूखे का सामना करते हैं (इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया) कभी–कभी जिन

आंकड़ों के आधार पर सी.ए.सी.पी. की सिफारिशें की जाती हैं वह दो, तीन या चार साल पुराने होते हैं। उनके आधार पर वे कुछ प्रतिशत निकाल लेते हैं और लागत की गणना करने के लिए सरकार से सिफारिश कर देते हैं।

उर्वरक समर्थन के बारे में वे किसानों द्वारा उपयोग किए गए उर्वरक के औसत मूल्यों को लेते हैं। कोई प्रगतिशील किसान जिसके पास सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, अधिककतम उर्वरक का उपयोग करता है और सूखी भूमि वाला किसान कम उर्वरक का उपयोग करता है। लेकिन वे औसत ले लेते हैं। मेरा सुझाव है कि सी०ए०सी०पी० को उर्वरक के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखना चाहिए हमारी सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एन०पी०के० की सिफारिश की है, अतः इसे ध्यान में रखना चाहिए। उर्वरक की कितनी अधिकतम मात्रा से अधिकतम उत्पादन होगा, इस ओर कमी ध्यान नहीं दिया गया।

सिचांई लागत भी अलग–अलग होती है। नहर से सिंचाई की लागत 40 रु० प्रति फसल है। आंध्र प्रदेश मे चावल की नहर से सिंचाई लागत 40 रु० से 50 रु० है जबकि नलकूप से यह 500 रु० से 1000 रु० है क्योंकि प्रत्येक राज्य में कृषि के लिए बिजली की दर अलग-अलग है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इनकी ओर वैज्ञानिक ढ़गं से ध्यान नही दिया गया है।

बहुत समय पहले, यदि मुझे ठीक से याद है, तो सी.ए.सी.पी. ने प्रति क्विंटल गन्ने का परिवहन प्रभार 2 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की थी। परिवहन लागत में वृद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए इसे सात-आठ वर्षों के बाद भी लागू नहीं किया गया। इस संबंध में महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक भाग्यशाली हैं क्योंकि वहां चीनी सहकारी समितियों को किसानों के प्रतिनिधि चलाते हैं और किसानों के परिवार ही परिवहन और कटाई लागत वहन करते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं हैं।

लाभ की मात्रा के बारे में मुझे एक बात कहनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन उर्वरक उत्पादकों को कर देने के बाद शुद्ध लाभ पर 12% का लाभ दिया जाता है और उस शर्त, दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार उर्वरक पर राजसहायता दे रही है।

अब सरकार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ ई.एन.आर. ओ.एन. प्रस्तावों, पर सहमत होने जा रही है जिसके अनुसार विदशी निवेशकों को कर देने के बाद 16% का लाभ दिया जाएगा।

सरकार पूंजी निवेश तथा कार्यकारी पूंजी पर कुल 16 प्रतिशत लाभ की अनुमति देने जा रही है। उन्होंने पहले ही पूंजी की लागत बढ़ा दी है, उन्हें काफी धन मिलेगा, लेकिन यह एक अलग बात है।

जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब वे भारतीय उर्वरक निर्माता तथा विदेशी निवेशकर्त्ता को इतने अधिक लाभ का आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या सी.ए.सी.पी. ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती या ऐसा नहीं सोच सकती कि कम से कम एक प्रतिशत लाभ किसाना को भी दिया जाए।

मैं कृषि नीतियों तथा कार्यक्रमों पर बनी भानु प्रताप सिंह समिति का एक सदस्य था। एक बार इस समिति ने सी.ए.सी.पी. को लिखा था जिसमें उसने यह जानना चाहा कि क्या सी.ए.सी.पी. किसानों को कुछ प्रतिशत लाभ देने की अनुमति दे रहा है सी.ए.सी.पी. ने उसका जवाब दिया। मैं

आपकी जानकारी के लिए उसका सारांश दूंगा।

"समिति के समक्ष रखे गए, दिनांक 30 मार्च, 1990 के आपके अर्ध सरकारी पत्र के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकरी के अतिरिक्त, समिति यह जानना चाहती है कि क्या कृषि लागत पर लाभ की मात्रा की प्रतिशतता निर्धारित की गई है। यदि हां तो कितना प्रतिशत है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ? सी.ए.सी.पी. विभिन्न समान धारणाओं जैसे अन्तर–मद मूल्य समानता, अन्तर–क्षेत्रीय, मूल्य समानता, निवेश तथा उत्पादन मूल्य समानता तथा कृषको द्वारा प्राप्त तथा अदा किए गए मूल्यों की समानता पर एक साथ कैसे विचार करती है ? क्या इन्हें एक संयुक्त समानता सूचकांक के अन्दर संश्लेषित किया गया है ? यदि हां, तो कैसे ?

समिति ने इस तरह के प्रश्न पूछे थे। उनके जवाब में यह कहा गया

"कृपया अपने पत्र दिनांक ....को देखें, कृषि की लागत पर लाभ की मात्रा की प्रतिशतता निर्धारित नहीं है। ऐसा कोई निर्धारित गणितीय तरीका नहीं है जिसके आधार पर आयोग मूल्य में स्तर तक पहुंच सके।"

इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया है। कि सी.ए.सी.पी. के पास कृषकों को लाभ की मात्रा का कुछ प्रतिशत देने का कोई फार्मूला है या उन्होंने इस बात का वचन दिया है इसी बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सौभाग्य से, महोदय, श्री हनुमन्त राव समिति को कुछ पहलुओं पर जांच के लिए कहे जाने के पश्चात कुछ सुधार हुआ है उसके बाद सिफारिशें श्री शरद जोशी की अध्यक्षता में कार्य कर रही स्थायी सलाहकार समिति को भेजी गयी सौभाग्य से मैं भी उसका सदस्य था। समिति दो मुद्दों पर कुछ सिफारिशें की थी।

वे उद्योंगो को प्रबंधकीय लागत दे रहे हैं तो कृषकों को क्यों नही देते ? इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि उन्हें कुल अदा की गई लागत का 10 प्रतिशत प्रबंधकीय लागत के रूप में देने की अनुमति देनी चाहिए। इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक अन्य सुझाव कृषि मजदूरों को कानूनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिए जाने के संबंध में था। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अथवा वास्तव में दी गई मजदूरी, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और राज्य सरकारों पर कृषि मजदूरों को वैद्यानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिए जांने के नियम से लागू करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इन दो स्थितियों के संबंध में, व्यापार की शर्तों को, जानबूझकर कृषकों के खिलाफ रखा गया हैं। सरकार को यह देखना चाहिए था कि कृषि क्षेत्र इतना लाभप्रद नही हैं और जो कुछ भी कृषक को मिलता है वह शेयर के रूप में अथवा किसी अन्य निवेश के रूप में औद्योगिक क्षेत्र को भेज देना चाहिए। सरकार ने कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण के बारे में कभी चिन्ता नहीं की।

मैं आपको कृषि क्षेत्र में किए गए निवेश पर सभा में दिए गए उत्तर के बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 1988-89 में निजी क्षेत्र द्वारा 2,985 करोड़ रु० की राशि का निवेश किया गया था और सरकारी क्षेत्र द्वारा 1680 करोड़ रु० का निवेश किया गया था। वर्ष 1988-89 में किया गया कुल निवेश 4,665

करोड़ रु० का था। वर्ष 1991-92 में निजी निवेश में थोड़ा सुधार हुआ जोकि 3500 करोड़ रु० की राशि का था जबकि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में आधार भूत सुविधाओं को जुटाने के लिए किया गया निवेश कम होकर 1360 करोड़ रु० हो गया था। सरकार इस तरह कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। इसमें यदि आपकों याद हो, महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

पूर्व वाणिज्य सचिव श्री ए.वी. गणेशन ने हाल ही में दि हिन्दू अखबार में कुछ लेख लिखे हैं। निश्चय ही उनके विचार में हमें डंकल प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। यह एक भिन्न मामला है। इस पर विस्तार से चर्चा करने का यह सही समय नहीं हैं हमने पहले भी ऐसा किया है और हम दुबारा भी ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि श्री गणेशन ने भी अपने लेख में यह स्वीकार किया है कि धान और गेहूं, केवल दो फसलों पर ही भारतीय कृषक को 16000 करोड़ के लाभ से वंचित रखा गया है जो कि अन्यथा उन्हें मिलता यदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ध्यान दिया गया होता। कृषकों को राज सहायता नही दी गयी। उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया। उन्हें केवल दो फसलों पर ही 16000 करोड़ रु० के लाभ से वंचित रहना पड़ा। इस देश में जाने क्या-क्या हो रहा है। इसलिए, मेरे मित्र ने यह विधेयक पेश किया।

इसी तरह से ऋण सुविधा के संबंध में जबकि कृषि क्षेत्र को वर्ष 1991-92 के लिए 16,500 करोड़ रु० का ऋण दिए जाने का लक्ष्य था, फिर भी आप जानते हैं कि कितना धन वितरित किया गया ? केवल 11,200 करोड़ रु० में राशी वितरित की गयी यदि ऐसा ही होता रहा तो कृषि में किस तरह से सुधार होगा और हम अपनी बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताएं और निर्यात दायित्वों को कैसे पूरा करेंगें ? यदि हम निर्यात करें तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य काफी अच्छे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं बशर्त हमारे पास अतिरिक्त हो। सरकार को इन वर्षों में अपनायी गयी गलत नीतियों को छोड़ना चाहिए जिसमें कि किसानों को उनकी मेहमत का सही तथा उपयुक्त मूल्य नहीं मिला है तथा जिस उत्पादन के लिए उसने अनेक जोखिम उठाए हैं। इसके लिए कई बार उसने अपनी पत्नी के गहने तक बैंक में गिरवी रखे हैं। लेकिन उसे लाभकारी मूल्य प्रदान नहीं किए गए। यदि वास्तव में एक नए दृष्टिकोण के साथ इस मूल नीति को बदल दिया गया तो हमारा देश पूरे विश्व में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऐसे स्रोत हैं। हमारे पास भूमि हैं हमारे पास कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं काफी मात्रा में सिचांई की व्यवस्था हैं तथा जल और वर्षा की भी कमी नही है। यदि जलवायु धोखा न दें, तो हम वर्ष में कम से कम दो फसलें उगा सकते हैं।

मैं श्री रावत को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यह गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया और इस सभा को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी सभा में व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान देंगे तथा कृषि मूल्य निर्धारण नीति मे ...ायुक्त परिवर्तन करेंगे जो कि मेरे मित्र का मुख्य लक्ष्य है।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता प्रा. के. वी. थॉमस हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : दूसरा मतलब है, मुझे आज बोलने का अवसर

नहीं दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में सूची में श्री उद्धव वर्मा का नाम है। उनके स्थान पर आप बोल सकते हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मुद्दा यह नहीं हैं यह एक गैर–सरकारी विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची बनाते समय कोई गलती अवश्य हुई होगी।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : जब प्रस्तुतकर्त्ता विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे तब मैंने उन्हें अपना नाम दिया था। मुझे आपके विवेकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं बोलूगां।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगा है कि कुछ गलती हुई हैं यह एक क्षम्य गलती है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : लेक़िन नियत समय केवल दो घंटे है। इसका मतलब है मुझे बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० थॉमस के तुरन्त बाद आपको अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि उत्पादों को लाभकरी मूल्य दिलाने की इस विधेयक की भावनाओं का मैं समर्थन करता हुं। सी.ए.सी.पी. समर्थन मूल्य या कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। सी.ए.सी.पी. के कार्यकरण में कुछ कमियां हैं। एक त्रुटि यह है कि सी.ए.सी.पी. के अधिकार क्षेत्र में केवल गेहूँ और धान जैसी कुछ ही फसलें आती हैं।दूसरी कमी यह है कि सी०ए०सी०पी० के निर्णय समयबद्ध नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप हमारे किसानों को सी.ए.सी.पी. से न्याय नहीं मिल रहा है।इस विधेयक को इस समय लाया गया है जबकि इस सरकार की कृषि नीति कृषि सम्बन्धी संसदीय समिति के बिचाराधीन हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा में जो चर्चा होगी उसे निश्चित रूप से कृषि संबंधी संसदीय समिति के समक्ष लाया जाएगा। अतः मेरा पहला सुझाव यह है कि नकदी फसलों सहित सभी कृषि उत्पादों को सी.ए.सी.पी. के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सी.ए.सी.पी. को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

केरल में हमारी मुख्य नकदी फसल नारियल हैं। हम हर वर्ष लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास आते हैं। इस वर्ष नारियल की कीमत बहुत गिर गई हैं। केरल सरकार और केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य दोनों ही पिछले छः महीने से नारियल का लाभकारी मूल्य निर्धारित करके उसकी घोषणा करवाने के लिए कृषि भवन के हर द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। दुर्भाग्य से सरकार आज तक नारियल का समर्थन मूल्य घोषित करने में पूरी तरह से विफल रही है। यह केरल के किसानों के लिए एक बड़ा भारी आघात है। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि

सी.ए.सी.पी. को पर्याप्त शक्तियां मिलनी चाहिए ताकि ऐसे उचित समय पर लाभकारी मूल्य की घोषणा हो सके जो किसानों के लिए लाभप्रद हो।

रबड़ के मामले में भी वाणिज्य मंत्रालय ने प्राकृतिक रबड़ का समर्थन मूल्य अभी हाल ही में घोषित किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात करना पड़ा जिससे बाजार में मन्दी आती है। मैं यह तर्क नही दे रहा हूं कि हमारे किसानों को केवल राज सहायता देकर, रियायती दर पर बिजली और उबर्रक और सिचांई परियोजनाएं देकर की सहायता दी जाए,

राज सहायता के बजाय यदि कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित किया जाए तो इससे हमारे कृषि क्षेत्र को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। सौभाग्य से हमारे कृषि क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में दो या तीन गुणा वृद्धि हुई है। 1992-93 की तुलना में 1993-94 में लगभग ग्यारह मिलियन टन खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन हुआ। हमने कृषि उत्पादों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। अतः जब हमारे कृषि क्षेत्र में यह सुखद स्थिति विद्यमान हैं तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सबसे पहले सी.ए.सी.पी. को और सशक्त बनाया जायें ताकि सभी उत्पादों को सी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत लाया जा सकें और दूसरी बात यह है कि सी.ए.सी.पी. को पर्याप्त अधिकार दिए जायं ताकि किसानों के लिए उचित समय पर लाभकरी मूल्य निर्धारित किए जा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं और इस सभा में चल रही चर्चा को तैयार करने में निश्चित रूप से नई कृषि नीति सम्बन्धी संकल्प में सहायता देगी।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ है इस बिल का मै समर्थन करता हूं। लेकिन आखिर में बिल मूव करते वक्त इन्होंने एक शब्द कहा मैं उस शब्द से सहमत हूं। पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर किसान भूखा रहा, किसान के पास पैसा न रहे, उसकी हालत ठीक न रहे तो बाहर दुश्मन के साथ लड़ना मुश्किल होगा मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि जब लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय भी किसान की हालत इससे भी बुरी थी लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। किसान भारत से भागने वाला भारतीय नहीं है, ये जो एनाराइ़ वाले हैं वे दूसरे कोई लोग हैं और जो विदेशी बैंक में पैसा रखते हैं उनके साथ किसान नहीं है। किसान इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है वे पीछे हटने वाला नहीं है, खैर यह दूसरा सवाल है।

महोदय, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं किसान की हालत के बारे में जिक्र करना मैं समझता हूं कि वक्त की बर्बादी है। किसान की हालत हर कोई जानता है। पहले तो आपने खाद से सब्सिडी खत्म की और सस्ती कीमत में बाहर से खाद मंगा रहे हैं। अपने यहां जो खाद की फैक्ट्री था वह खत्म हो रहा है, इसका नतीजा बाद में क्या होगा इस बारे में अभी सोचना पड़ेगा। अभी से अगर आप न सोंचे तो कल को किसान का हालत बुरा होने लगेगा। रेम्युनरेटिव प्राइस के बारे में हम सब कहते हैं मेरा जो सी०ए०सी०पी० है इसमें किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है इसलिये सही दाम तय नहीं हो रहा है। बाहर के व्यापारी लोग लूट रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा व्यापारी यह भारत सरकार हैं। कल ही इस सदन में जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मंत्री जी ने बताया कि किसानों को जो सपोर्ट प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है इसलिये यह प्राइसेस ज्यादा हो रहा है।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज जिस कीमत पर आप माल बेच रहे हैं, यह माल आपने कब और किस कीमत पर खरीदा था। उस समय प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस क्या थी ? केपेसिटी से ज्यादा आप प्रोक्योरमेंट करते हैं और सार्वजनिक वितरण के लिए आप कुछ माल जरूर देते हैं, बाकी एक्सेस आप ओपन मार्केट में बेचत हैं। तो क्या यह जो अधिक पैसा सरकार को मिलता है, इसमें से कुछ किसान को मिलता है ? अभी कमालुद्दीन जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 4-5 साल पहने जो चावल आपने खरीदा था और एफ.सी.आई. के गोदामों में जमा किया था, वह किस कीमत पर खरीदा था और आज किस कीमत पर आप बेच रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : वह खराब हो गया।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : चावल कभी खराब नहीं होता है, दोबार स्क्रीनिंग करके बेचा जाता है। इस बारे में आपको जितनी जानकारी है, उतनी मुझे भी है।

तो क्या जो अधिक पैसा सरकार लेती है, वह किसानों को देती है ? इस तरह सबसे बड़ा व्यापारी तो हमारी सरकार है।

इसके अलावा हमको कितनी जरूरत है, इस पर विचार किए बगैर बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। जब यहां पर सवाल उठाया जाता है तो कह दिया जाता है कि यह पिछली सरकार का एग्रीमेंट है। हमारा कहना हैं कि जिस कीमत पर इंपोर्ट करते हैं, उतनी कीमत अपने देश के किसान को क्यों नही देते हैं ? इसी तरह से अपने देश की आवश्यकता को ध्यान में रखे बगैर एक्सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है। आज हमको 14-15 रुपए प्रति किलो प्याज लेकर खाना पड़ा और ढ़ाई लाख मैट्रिक टन प्याज निर्यात कर दिया गया। लेकिन क्या इसका लाभ किसान को दिया गया ?

इसके अलावा रेम्यूनरेटरी प्राइस का ऐलान कब किया जाता है और प्रोक्योरमेंट कब होता है। मैं प. बगांल से आता हूं। जूट प्रोक्योरमेंट प्राइस कब घोषित होता है, जे सी आई किस समय खरीदने के लिए आता है, जब हामरी डेस्ट्रेस सेल खत्म हो जाती है। काटन कार्पोरेशन का भी वही हाल है। हिमाचल और कश्मीर के सेब का भी यही हाल है। डेढ-दो रूपए किलो की दर से खरीदने वाला कोई नहीं है। पिछले साल मैं डा लक्ष्मी नारायण पांडे जी के साथ आयजोल गया था, वहां पर डेढ़ रुपये किलो की दर से अदरक बिक रहा था और यहां पर क्या भाव है। इसका लाभ किसान को नहीं मिलता है, व्यापारी को मिलता है। इसके बारे में आपकी कोई ठोस पालिसी नहीं है। कानून बने हुए हैं और आप पुराने कानूनों की बात भी करते हैं सी डब्ल्यू सी के बारे में बताना चाहता हूं, इसका मतलब कांग्रेस वर्किग कमेटी नहीं हैं।

किसान को फसल रखने के लिए सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन बनाया गया था लेकिन

सी डबल्यु सी में व्यापारी का माल रहता है। सिस्टम तो आपने अच्छा किया और सी डबल्यु सी में जो किसान फसल रखेगा उसको बाद में लोन मिलेगा। सबसिडी की बात कहते हैं तो इस बारे में सरकार ने कभी ध्यान दिया है ? किसान के लोन के बारे में आपने कभी ध्यान दिया है ? डंकल के बारे में अभी चर्चा करना बेकार होगा।

एग्रीमेंट हो गया तो किसान को किस कीमत पर बीज खरीदना पड़ेगा ? यह कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि सरकार किसान को मुफ्त में बीज दें। क्या आपको मालूम है कि मार्किट में क्या चल रहा है ? एक, सवा, डेढ़ या दो रूपए किलो का आलू खरीदते हैं और उसके बाद उस आलू की भाजी तथा 50 ग्राम आलू का फन मंच आठ रुपए का होता है। मीडिया और टी वी से ऐसा प्रचार हो रहा है कि घर-घर में लोग फन मंच और मैगी पसंद कर रहे हैं इसका फायदा व्यापारी, इंडस्ट्रीयलिस्ट और बाहर से आने वालों को भी मिल रहा है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और ट्रेजरी बैंच में जो बैठे हुए हैं उनसे विनति करता हूं कि वे भी इस बिल का समर्थन करें क्योंकि यह बिल वापिस हो जायेगा लेकिन नया बिल कब आयेगा और किस तरह से लायेगें, इस बारे मे कमिट कर दें तो अच्छा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए दो घण्टे आबंटित किए गए थे। क्या सभा इसके लिए आबंटित समय को एक घण्टा बढ़ाना चाहती है ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस पर एक घंटा और बढ़ाया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पन्द्रह मिनट विलम्ब से शुरू हुआ और इसके लिए आबंटित समय 6.10 बजे सांय समाप्त हो जाएगा। यदि सभा की सहमति हो तो हम तब तक सभा की कार्यवाही चला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं विरोध प्रकट करता हूं। मैं काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। मैंने तीन या चार घण्टे तक प्रतीक्षा की है। मैंने सोचा था कि अन्य सदस्यों के भाषण समाप्त होने पर आप मुझे भाषण देने के लिए पुकारेगें लेकिन आप मेरा नाम नहीं पुकार रहे हैं। मैं अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह घोर अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल

को तीसरा अवसर नहीं दिया गया है। श्री याइमा सिंह जी, विधेयक के प्रस्तावक श्री रावत बोल चुके हैं। अब मैंने दूसरी सदस्य श्री बालियान जी को बोलने के लिए कहा है। अतः यह गलत धारणा है कि मैंने एक राजनीतिक दल को तीसरा अवसर दिया है। ग्यारह मार्च को आपको सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : क्या आप मुझे आज बोलने का अवसर देंगे या अगली बार ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य कुछ समय और बैठने के इच्छुक हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि वे थक गए हैं। अगली बार आपको सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, यह अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान (मुजफ्फरनगर) : मान्यवर, इस देश में 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं।

[अनुवाद]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उन्हें बोलने दीजिए, अब आप सभा स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा सोमवार 28 फरवरी, 1994 को 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती हैं।

6.03 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 28 फरवरी, 1994/9 फाल्गुन 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित्र हुई।

पी० एल० एस०—48/28/4/94 (एम०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के लिए 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित।